खण्ड–494, अंक–5
गुरुवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1937
(20 अगस्त, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2015)

(खण्ड 494 में 8 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
पत्रकारों के हमलावरों को गिरफ्तार किये जाने की मांग ... ण्ण्ण	7–10
प्रश्नोत्तर	10–85
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं (दिनांक 19 अगस्त, 2015 की स्थगित सूचनायें सहित)	85–86
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
जनपद जौनपुर स्थित विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर से निभापुर होते हुये जंघई मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	86–87
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के खेमकरनपुर–गढ़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना..	87
जनपद बुलन्दशहर के किसान इण्टर कालेज, खानपुर, विकास खण्ड, सिकन्द्राबाद में अध्यापकों के रिक्त 14 पद भरे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला अन्तर्गत आराजी संख्या–428 ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	87–88
जनपद बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अवर अभियन्ता, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड मान्धाता बाजार में किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88–89
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में दिनांक 13–14 अगस्त, 2015 की रात्रि में महिला के साथ किये गये बलात्कार के आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर गंगा नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत	90

सूचना ... ...

प्रदेश के जनपदों में विकास खण्डों के अनुपात में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प निर्गत करने की नीति निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 90

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम सभा जेठरा से ग्राम सभा सिगावर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, जवाहर भवन, लखनऊ में कार्यरत वसूली सहायक और मण्डल प्रभारी के क्रियाकलापों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के गांव सैदपुर बुजुर्ग में की गई भूमि की अवैध नीलामी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	92–93
जनपद सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ संचालित कम्पोजिट विद्यालय में अवैध कब्जा बरकरार रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	93
वाराणसी महानगर में सफाई दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	93–94
नोएडा में बदहाल सफाई कर्मियों को आवश्यक सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	94–96
जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या–15 अन्तर्गत भूड भारत नगर में चावला से सी0एस0डी0 कैंटीन तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	96
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला अन्तर्गत क्षतिग्रस्त आंवला–कुमारगांव मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के कतिपय जीर्ण–शीर्ण मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	96–97
सहारनपुर महानगर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु बाई–पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	97–98
जनपद वाराणसी के कैंट विधान सभा क्षेत्र में बरसात के गन्दे पानी की निकासी हेतु रविदास गेट, लंका में सीवर का बड़ा चैम्बर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	98
जनपद चन्दौली के हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय धानापुर में विज्ञान वर्ग के सम्पूर्ण विषयों की पढ़ाई आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	98

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत ग्राम खरगापुर में पैंटून पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 98–99

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद एवं विकास खण्ड कासगंज के ग्राम व ब्लाक रामपुर स्थित मण्डी समिति द्वारा निर्मित लिंक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद बदायूं समेत सम्पूर्ण प्रदेश के ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिये जाने में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद सहारनपुर की बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू कराये जाने एवं गांगनौली शुगर मिल जो बन्द होने के कगार पर है, उसे बन्द होने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	100–101
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय सम्पर्क मार्गों पर पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	101
हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र हिन्दुस्तान एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार के गोमतीनगर, लखनऊ स्थित कार्यालय पर कतिपय दबंगों द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2015 को हुए प्राणघातक हमले पर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	101–102
दिनांक 18 अगस्त, 2015 को जनपद शामली में समाचार–पत्रों के कार्यालयों में हमला किये जाने के आरोपियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	102
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (दिनांक 19 अगस्त, 2015 की स्थगित सूचनाओं सहित)	103–104
विधान सभा के गठन के साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	104–106
विधान सभा के मा0 सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से समय से न प्राप्त होने तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106–108
प्रदेश के सभी जनपदों से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	108–114

शासनादेशों के बावजूद भी मा0 सदस्यों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 114–116

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बिना अनुमति के जनहित याचिकायें दाखिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	116–121
उत्तर प्रदेश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों (संस्तुति संख्या–53 एवं 55) पर राज्य सरकार का संशोधित कार्यवाही का ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)	121
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2015 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	121
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 (दिनांक 18–02–2015 से 26–03–2015 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	122
जनपद वाराणसी में स्थित मारकण्डेय महादेव जी के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं परिसर का विकास कराये जाने विषयक श्री विनोद शर्मा आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	122
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव (सर्वसम्मति से स्वीकृत)	122–125
एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	126
उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	126
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)	126–127
विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2015 के प्रथम गुरुवार दिनांक 19 फरवरी, 2015 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–75 के त्रृटिपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन स0वि0स0 के सम्बन्ध में के निदेश संख्या 168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना का निदेश संख्या–168 (2) के अन्तर्गत संशोधित उत्तर ...	127
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	127–148

नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना की चर्चा का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध 148–186

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	186–187
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	188–189
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	189–190
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	190–192
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुं0 कौशल सिंह आदि द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत चर्चा (व्यपगत) ...	192
पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन ...	192
प्रदेश की जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	192–193
आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू–गर्भ जल–स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	193
आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन...	193
आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	193
आगरा महानगर को सूचना प्रोद्योगिकी नगर (आई0टी0 हब) बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	193

आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन 193

विषय	पृष्ठ–संख्या
आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	193
जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध, तरीके से किये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित) ...	193–194
कानपुर के बढ़ते हुए स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में श्री सतीष महाना द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित)	194
जनपद–देवरिया के नगर पंचायत क्षेत्र–रूद्रपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु रूद्रपुर कस्बे के चारों तरफ एक रिंग रोड अथवा रूद्रपुर–करहकोल मार्ग होते हुए नगवां मार्ग तक बाईपास का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित)	194
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को प्राथमिकी पंजीकृत करने, विवेचना करने, आदेशों के निष्पादन करने तथा सुरक्षा जैसी चारों शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित)	194
प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी किसानों की जोत के हिसाब से उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाय और किसान द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार खाद खुले बाजार से क्रय करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा ... (स्थगित)	194–195
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें (दिनांक 19 अगस्त, 2015 की स्थगित सूचनाओं सहित)	195–200
जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में कोई महिला चिकित्सक, सर्जन श्री उमाशंकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का	200

वक्तव्य (व्यपगत) ... ...

जनपद आगरा में इनर रिंग रोड एवं थीम पार्क हेतु किये गये भूमि अधिग्रहण में प्रभावित किसानों को अभी तक रु0 2,76,000 प्रति एकड़ एनुटी का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 200–202

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव को पृथक करके जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	202–203
जनपद हाथरस की सिकन्दराराऊ में जनसोई माइनर में पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	203
जनपद बुलन्दशहर स्थित अनामिका (अगौता) शुगर मिल को जबरन अभिलेखों में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज दिनांक 12 अगस्त, 2015 को दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	203–204
जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका परिषद् बांसी में शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु जारी धनराशि से घटिया सामग्री का प्रयोग करने के कारण ध्वस्त हो रहे निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	204
नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की धनराशि कम करने से महानगरों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	205–206
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ ब्लाक छजलैर को डार्क जोन घोषित करने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री का केवल वक्तव्य ...	206–208
नत्थियां	209–231

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–345

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय, श्री वाराणसी
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
36. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
37. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
38. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
39. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
40. आलमबदी, श्री आजमगढ़
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
43. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
44. आशीष यादव, श्री बदायूं
45. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
46. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
48. इकबाल, श्री बिजनौर

49. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
50. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
55. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
56. उदयराज, श्री उन्नाव
57. उदय लाल मौर्य, श्री वाराणसी
58. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
59. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
60. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम कुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
66. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
67. काली चरन सुमन, श्री आगरा
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
70. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
71. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. कैलाश, श्री गाजीपुर
74. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
75. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
78. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
79. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
80. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
81. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
82. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
83. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
84. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
85. गोमती यादव, श्री लखनऊ
86. गोरख पासवान, श्री बलिया
87. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
88. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
89. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
90. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
91. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
94. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
95. जफर आलम, श्री अलीगढ़
96. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
97. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
98. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
99. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
100. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
101. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
102. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
103. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
104. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
105. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
106. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
107. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
108. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
109. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
110. दलजीत सिंह, श्री बांदा
111. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
112. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर

113. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
116. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
119. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
120. धर्मराज, श्री बाराबंकी
121. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
122. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
123. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
124. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
125. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
126. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
130. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
131. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
132. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
133. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
134. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
135. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
136. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
137. पीतमराम, श्री पीलीभीत
138. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
139. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
140. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
141. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
142. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
143. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
144. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
145. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
146. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
147. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
148. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
149. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
150. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
151. फेरन लाल, श्री ललितपुर
152. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
153. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
154. बदलू खां, श्री उन्नाव
155. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
156. बाबू खां, श्री हरदोई
157. बाबूलाल, श्री गोण्डा
158. बावन सिंह, श्री गोण्डा
159. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
160. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
161. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
162. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
163. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
164. बैजनाथ, श्री मऊ
165. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
166. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
167. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
168. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
169. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
170. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
171. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
172. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
173. मनबोध, श्री देवरिया
174. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
175. मनीष रावत, श्री सीतापुर
176. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली

177. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
178. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
179. महबूब अली, श्री अमरोहा
180. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
181. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
182. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
183. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
184. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
185. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
186. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
187. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
188. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
189. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
190. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
191. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
192. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
193. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
194. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
195. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
196. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
197. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
198. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
201. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
202. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
203. यासर शाह, श्री बहराइच
204. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
205. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
206. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
207. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
208. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
209. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
210. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
211. रणजीत सुमन, श्री एटा
212. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
213. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
214. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
215. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
216. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
217. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
218. रवि शर्मा, श्री झांसी
219. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
220. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
222. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
223. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
224. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
225. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
226. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
227. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
228. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
229. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
230. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
231. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
232. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
233. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
234. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
235. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
236. राधे श्याम, श्री अमेठी
237. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
238. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
239. राम करन आर्य, श्री बस्ती
240. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
241. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
242. राम गोविन्द, श्री बलिया
243. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
244. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
245. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
246. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती

247. राम मगन, श्री बाराबंकी
248. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
249. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
250. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
251. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
252. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
253. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
254. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
255. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
256. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
257. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
258. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
259. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
260. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
261. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
262. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
263. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
264. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
265. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
266. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
267. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
268. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
269. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
270. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
271. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
272. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
273. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
274. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
275. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
276. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
277. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
278. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
279. विजय सिंह, श्री रामपुर
280. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
281. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
282. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
283. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
284. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
285. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
286. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
287. वीरपाल राठी, श्री बागपत
288. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
289. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
290. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
291. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
292. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
293. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
294. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
295. शाकिर अली, श्री देवरिया
296. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
297. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
298. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
299. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
300. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
301. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
302. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
303. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
304. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
305. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
306. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
307. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
308. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
309. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़

310. संजय कपूर, श्री रामपुर
311. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
312. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
313. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
314. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
315. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
316. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
317. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
318. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
319. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
320. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
321. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
322. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
323. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
324. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
325. सियाराम सागर, डा0 बरेली
326. सीमा, श्रीमती जौनपुर
327. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
328. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
329. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
330. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
331. सुधाकर, श्री मऊ
332. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
333. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
334. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
335. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
336. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
337. सुरेश राणा, श्री शामली
338. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
339. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
340. सुल्तान बेग, श्री बरेली
341. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
342. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
343. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
344. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
345. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
346. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
347. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
348. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

ख1.00, पत्रकारों के हमलावरों को गिरफ्तार किये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिन्दुस्तान प्रेस के अन्दर घुस करके गुण्डों ने जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की, मान्यवर, इस सदन की पूरी कार्यवाही को जो अपनी कलम और कैमरे से हमेशा–हमेशा पूरे प्रदेश की जनता को दिखाते हैं, वह काली पट्टी बांध करके अन्दर बैठे हैं, मान्यवर, यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ जो पूरे देश और प्रदेश में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों पर अपनी पैनी नजर रखता है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, आप तो नेता विरोधी दल हैं, आप कभी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन इसको नियमों के अन्तर्गत उठाते तो सरकार की तरफ से भी इसका उत्तर मिलता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सदाशयता होनी चाहिए और आपकी यदि उदारता है तो मान्यवर, नियम, कानून–व्यवस्था इस पीठ से चलती है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, जब कहीं भी प्रदेश में अत्याचार होता है तो यह लोग अपनी कलम और कैमरे से उसे जनता और सरकार के सामने लाने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप वही बात क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपकी पीठ से यह निर्देश हो कि तत्काल वह सारे के सारे अपराधी और जिसका सरगना अभी भी जेल के बाहर है, उसे गिरफ्तार करके तत्काल जेल भेजा जाये और पत्रकारों की सुरक्षा की गारण्टी इस सदन के माध्यम से दी जाय जिससे कि यह जो लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, जिसकी हत्या हो रही है, कत्लेआम हो रहा है और उस पर बर्बर लाठीचार्ज करके आफिस के अन्दर मारा–पीटा जा रहा है, मान्यवर, यह बहुत ही घिनौना कृत्य है, मैं इसकी निन्दा करता है और आपकी पीठ से संरक्षण चाहते हैं, आपकी पीठ से निर्देश हो कि सरकार इस पर कोई व्यवस्था दे, आश्वासन दे जिससे उन अपराधियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित हो।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर, श्री पंकज कुमार मलिक, भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश राणा तथा कुछ अन्य सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए। अब हो गई बात। प्रश्न प्रहर में यह सब नहीं उठाया जाता, जब जीरो आवर आता तब आप उठाते। आप लोग तो सदन को व्यवस्थित नहीं चलने देना चाहते हैं। आप लोग क्या हल्ला कर रहे हैं, बैठिए। माननीय मंत्री जी, मौर्या जी ने जो बात उठायी है, इस पर आप कुछ कहेंगे ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न कारणों से पिछले 04 दिन से जो सदन की कार्यवाही है, उसमें हम काम नहीं कर पाए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर, श्री पंकज कुमार मलिक, भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश राणा तथा कुछ अन्य सदस्य लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

(एक साथ कई सदस्य अपनी बात कहते रहे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए। अब हो गया। यह प्रश्न प्रहर में नहीं इसको जीरो आवर में उठाते। आप तो प्रश्न पहर ही बाधित कर रहे हैं। चलिए बैठिए, अब सरकार की भी सुनिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न कारणों से पिछले चार दिन से जो सदन की कार्यवाही है उसमें हम काम नहीं कर पाएं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइए। सरकार की भी सुनिए। देखिए मेरा आपसे आग्रह है, आप लोग बैठे अपनी सीटों पर। मा0 श्री दलवीर सिंह नेता आप लोग सरकार की भी सुनिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न कारणों से पिछले चार दिनों से सदन की कार्यवाही में जिन विषयों पर चर्चा होनी है उन विषयों पर बात नहीं आ पा रही है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां रही, अन्य कारणों से नहीं आ पाई। मेरा आपसे अनुरोध सिर्फ एक है आप जब जैसा मुनासिब समझें प्रश्न काल हो जाए और प्रश्न काल के उपरांत जैसा आप उचित समझेंगे, जिस किसी विषय पर आप अनुमति देंगे, सरकार पूरी तरह तैयार है। और जो अपेक्षा होगी उसके हिसाब से अगर जनता के कोई सवाल उठने हैं सदन में, तो उठें। उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है और उस पर हमारी पूरी तरह से जवाबदेही बनती है हम उससे कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर कोई बहस नहीं है। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं हम कानून व्यवस्था पर चर्चा चाहते हैं। आज मा0 मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

कल होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं उसके लिए जिद नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

जीरो आवर आने दीजिए क्यों परेशान हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, पत्रकारों पर हमले को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल सहित सदन से बर्हिगमन कर गए)

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का बर्ताव जिम्मेदारी भरा नहीं है। यह नहीं चाहते कि इस विषय पर चर्चा हो। यह केवल अखबार में छपने के लिए बात करना चाहते हैं और अखबार वाले इनकी असलियत जानते हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, पत्रकारों पर हुए हमले को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रदीप माथुर अपने दल सहित सदन से बर्हिगमन कर गए)

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, पत्रकारों के प्रति केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाले जिन्होंने अपने बंगले का दरवाजा बंद कर दिया, पत्रकारों को तमाचा मारा, उन्हें पत्रकारों की याद आ रही है। यह घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, पत्रकार भी इनकी असलियत जानते हैं और प्रदेश भी इनकी असलियत जानता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जब पत्रकारों की बात हो रही है तो पत्रकारों के ऊपर हमला कैराना में भी हुआ। तो एक मा0 राज्य मंत्री, उनके बेटे ने हमला किया और पूरा प्रदेश आज इस बात को लेकर उद्वेलित है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, यह बात आप जीरो आवर में कहिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम सोचते थे कि आप अनुमति नहीं देंगे और यह समय को खराब करने के लिए और केवल अखबार में छपने के लिए चले गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, वह नेता विरोधी दल हैं और खड़े हो जाते हैं तो उनको एक विशेषाधिकार प्राप्त है इसलिए वह उस पर चल रहे हैं। मैं बार–बार कह रहा हूं जीरो आवर में आप इस पर बात कर लीजिएगा प्रश्न चलने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें पूरी हमदर्दी है पत्रकारों से और हम जरूर चाहते हैं कि पत्रकारों के साथ पूरा न्याय हो।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठ जाइए। अब हो गया। अब हम प्रश्न लेते हैं।

ख11.06, प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आलू किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित किया जाना

'01–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)–

वर्तमान समय प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में आलू आधारित उद्योग की स्थापना विचाराधीन नहीं है।

निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना (आलू सहित) को एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं उ0 प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में अनुदान एवं रियायतें देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, आज प्रदेश में गन्ना के बाद आलू सबसे बड़ी नगदी फसल है और आज प्रदेश में आलू किसानों की बड़ी दुर्गति है। आलू पूरे प्रदेश में 200 से 400 रुपये प्रति कुन्तल बिक रहा है, जबकि उसकी लागत 1000 रुपये प्रति कुन्तल आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी वर्तमान सरकार ने कुछ दिन पहले आलू विकास नीति बनाई थी, उस नीति में उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को उनकी उपज का कैसे अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए कई बिन्दु उसमें थे, जैसे मा0 अध्यक्ष जी अगर सरकार आलू का निर्यात करे पड़ोसी देशों में, सरकार द्वारा बाजार आधारित योजना का भी जिक्र किया गया है आलू विकास नीति में, इस योजना में यह है कि जब आलू अपनी लागत मूल्य से

नीचे चला जायेगा, आलू का बाजार भाव, तब सरकार सहकारी संस्थाओं द्वारा उस आलू को खरीदने का काम करेगी। मा0 अध्यक्ष जी, जब आलू का किसान, अपने आलू को दूसरे राज्यों में ले जायेगा कम से कम 300 किमी0 दूर तो सरकार उसमें भाड़े में सब्सीडी देने का काम करेगी, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा अभी भी आलू के किसानों के हित में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बाजार आधारित योजना का उन्होंने जिक्र किया है आलू नीति में, क्या सरकार प्रदेश के आलू को सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीदने पर विचार करेगी और दूसरा जो भी भाड़े की बात की है सब्सीडी की आलू के किसानों को आलू बाहर ले जाने के लिए उसे देने पर विचार करेगी।

श्री पारस नाथ यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने अच्छा सवाल उठाया और स्वयं उत्तर भी दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू विकास नीति 2014 लागू की और 2014 विकास नीति लागू करते हुए यह नीति लागू की कि गुणवत्तायुक्त आलू का उत्पादन करायेगी, विपणन एवं प्रसंस्करण की सुविधायें प्रदान की जायेंगी, आलू नीति के अन्तर्गत अच्छी प्रजातियों का उत्पादन कराया जायेगा और दस हजार रूपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त अनुदान की सुविधा भी हम दे रहे हैं, जो नई प्रजातियों को लोग पैदा कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, यह हकीकत है कि दुनिया में सबसे अधिक आलू खाने वाला देश हिन्दुस्तान है और हिन्दुस्तान में अधिक आलू पैदा भी होता है। हम जब विदेशों की बात करते हैं, नीदरलैण्ड अभी हमारे सम्मानित मुख्य मंत्री जी गये थे, वहां के वैज्ञानिक भी आये थे, दो दिवसीय हमने विचार गोष्ठी/कृषि गोष्ठी भी आयोजित की थी कन्नौज में और वहां आलू का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 46 मीट्रिक टन है, लेकिन हिन्दुस्तान में 22 मीट्रिक टन आलू प्रति हेक्टेयर पैदा होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में हम 24 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर आलू पैदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सम्मानित सदस्य जी कह रहे हैं यह उस बेल्ट से आते हैं आगरा, हाथरस, फरूखाबाद, अलीगढ़, कन्नौज यहां आलू की खेती बहुत अधिक होती है, इसके किसानों को अच्छी उपज का लाभकारी मूल्य मिले यह इनका सवाल है, इस लाभकारी मूल्य के लिए हमने सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया था, आज भी दे रहा हूं कि खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू करके हम यह बात भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की, वह खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत जो खाद्य प्रसंस्करण नीति हमारी लागू हुई 01–04–2012 इसको हम 2012–13 भी कह सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने 31–03–2015 को राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति को बंद कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना, खाद्य प्रसंस्करण नीति को लागू करना, यह उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। जबकि भारत सरकार ने केवल तीन साल तक चला कर के इसको बन्द कर दिया। यही नहीं मा0 अध्यक्ष जी, हम सम्मानित सदस्य को और इस सदन को बताना चाहेंगे कि आलू के लिए सरकार संवेदनशील है, जिस बात का हमारे सम्मानित सदस्य ने जिक्र किया है कि आलू का जो मूल्य है वह बाजार में बहुत गिर गया है, उतार–चढ़ाव है, लेकिन हमने चिट्ठी लिखी है, सरकार की तरफ से चिट्ठी गई

है भारत सरकार को, जो समाधान मूल्य योजना की बात कही गई है भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद अगर यह स्थिति आयेगी, यह स्थिति तब आती है जब किसान के आलू का बाजार रेट बहुत कम हो जाता है और उसकी कमी के कारण जब यह महसूस किया जाता है कि आलू सरकारी साधनों से खरीद कर किसानों के घाटे को पूरा किया जाय, तो हम उसको भी दिखवा लेंगे, उसको भी कराने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति, 2014 है। इसके पेज 26 पर सरकार ने स्वयं इस बात को लिखित रूप से स्वीकारा है कि प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में आलू के अधिक उत्पादन या बाजार भाव के लागत मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार भारत सरकार के सहयोग से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू कराकर राजकीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप मूल्य की दर पर किसानों से आलू क्रय की व्यवस्था कराई जायेगी। मान्यवर, यह सरकार ने कहा है। हमारे मा0 सदस्य डा0 धर्मपाल सिंह जी ने मा0 मंत्री जी से केवल यह कहा है कि जहां आलू ज्यादा पैदा हो रहा है तो क्या सरकार उसके लिये कहीं क्रय केन्द्र की व्यवस्था कर रही है, उनको लाभकारी मूल्य दिलाने की नियत से क्या उसका क्रय करेगी ? दूसरी चीज, मा0 मंत्री जी ने मा0 मुख्य मंत्री जी के नीदरलैण्ड भ्रमण का भी जिक्र किया। मा0 मुख्य मंत्री जी ने वहां से लौटने के बाद इस बात को भी स्वीकारा, यहां कन्नौज की एक सभा में उन्होंने इस बात को भी कहा कि नीदरलैण्ड में आलू से बड़े पैमाने पर लोग शराब बनाते हैं तो अगर वह नीदरलैण्ड भ्रमण करने गये, उन्होंने नीदरलैण्ड में आलू किसानों की बेहतरी को देखा भी और आलू से शराब बनाने की प्रक्रिया को भी उन्होंने मौके पर जाकर देखा, कन्नौज की सभा के अपने सम्बोधनों में कहा भी और वह सारी की सारी आलू की बेल्ट है तो मान्यवर, क्या आप नीदरलैण्ड की तर्ज पर आलू किसानों को, आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने की नियत से आलू उत्पादक क्षेत्रों में आलू से शराब बनाने का कारखाना स्थापित करने का काम करेंगे ? केवल दो बाते हैं, एक तो क्या सरकार लाभकारी मूल्य पर क्रय करायेगी और दूसरा क्या सरकार आलू से शराब निकाले जाने के लिये कारखानों की स्थापना की व्यवस्था सरकार करेगी ? मान्यवर, ये दो चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपने जिसमें से यह पढ़ा है, उसमें लिखा है कि केन्द्रीय सरकार के सहयोग से, पढ़ा है न जो नीति है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार से भी बात सरकार ही करेगी, विपक्ष तो करने जायेगा नहीं। अगर इन्होंने ये भी लिखा है कि भारत सरकार से बात करें, तो भारत सरकार से बात करने लिये भी सरकार ही जायेगी

इसलिये न पीठ जायेगी, न विपक्ष जायेगा। इसलिये यह जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

अरे भाई, आरोप मत लगाओ, मैं सरकार को बचा नहीं रहा हूं। आपने जो पढ़ा है, मैंने आपको उसी की याद दिला दी।

श्री पारसनाथ यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, हम नेता विरोधी दल का बेहद सम्मान करते हैं और सम्मान इसलिये भी करते हैं कि बिना किसी नशे के ये इतनी तेज बोलते हैं। पूरा सदन इनके लिये देखता रहता है कि अब नेता विरोधी दल उठेंगे। इन्होंने नीदरलैण्ड की बात पर जो बात कही कि मा0 मुख्य मंत्री जी गये थे, वहां देखकर आये थे और आलू आधारित शराब का उद्योग लगाने की बात कही थी। आपने कहा कि उसे यहॉ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि आलू के किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है और कृत संकल्प इसलिये है कि आप दो बातें जानते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे नेता किसान नेता हैं और जिस बेल्ट से आते हैं वह आलू की पैदावार की सबसे बड़ी बेल्ट है। डा0 धर्मपाल सिंह जी आगरा से आते हैं वहां भी आलू बहुत अधिक पैदा होता है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने, कन्नौज में जो बैठक हुई थी उसके बाद कोशिश की है और चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर और नीदरलैण्ड के वैज्ञानिकों के माध्यम से सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो की स्थापना कन्नौज में की जा रही है, उसके माध्यम से हम किसानों के हितों की रक्षा किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे, उनको लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करेंगे लेकिन नेता विरोधी दल से यह आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने इतने लम्बे अरसे तक इस कृषि प्रधान देश में हुकूमत की और यदि किसानों की माली हालत को ठीक कर दिया होता और इस देश की जनता को शिक्षित बना दिया होता तो आज दुनियां का ताकतवर मुल्क हिन्दुस्तान होता उनकी गलतियों पर भी हमको आपको निगरानी करनी चाहिए आप सहयोग दीजिए हम किसान हैं, छोटे हो या बड़े हो आप भी किसान हैं, सब किसान भाई हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर आइये आगे बढ़ा जाए और भारत सरकार जो काम कर रही है उस पर भी पैनी दृष्टि रखते रहिए, हम आगे बढ़कर काम करेंगे।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सवाल का जवाब आ गया है, अब इस पर कितना बोलेंगे, अब आगे लें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल जवाब अभी तक नहीं आया है, नेता प्रपिपक्ष ने भी कहा, डा0 धर्मपाल जी ने भी कहा और यह बताया कि सरकार किसानों

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की ऐसी स्थिति में क्रय करेगी, कब करेगी इससे बुरी स्थिति पूरे प्रदेश में किसानों की आलू के सम्बन्ध में नहीं हो रही है। कोल्ड स्टोरेज वालों ने हाथ उठा दिये, किसान आलू छोड़ चुके हैं। आलू सड़ रहे हैं, क्रय केन्द्र की व्यवस्था यह सरकार भारत सरकार से मिलकर कब करेगी ? मैं यह चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी अगर कोई तिथि निश्चित कर दें क्योंकि इससे बुरा समय कभी नहीं आने वाला। इसके बाद बुवाई होगी, आलू अब क्रय नहीं किया गया तो वह सब सड़ जायेगा, कूड़े–गड्ढों में फेंका जायेगा। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि क्रय केन्द्र भारत सरकार से बातचीत करके कब तक खोलने पर सरकार विचार कर रही है, कृपया यह जवाब दिलवा दें।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और सड़ने की बात यह सही नहीं कि आलू सड़ रहा है। आलू का भण्डारण सही ढंग से हुआ है। आलू हमारे कोल्ड स्टोरेज में है, उसकी निगरानी हो रही है कि आलू कहीं ऐसा न हो कि जिस बात के लिए आप चिन्तित हैं, उस पर हम भी और हमारी सरकार भी चिन्तित है कि किसानों को लाभकारी मूल्य अगर नहीं दे रहे हैं तो उनका लागत मूल्य जरूर मिल जाए इसके लिए हम भी चिन्तित हैं।

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

सुन तो लीजिए मान्यवर, उसके लिए भारत सरकार को लिखा गया है। भारत सरकार के सहयोग से जब यह स्थिति पैदा हो जायेगी तब हम बाजार समाधान योजना लागू करके हम क्रय कराने का काम करेंगे, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब हो गया, जवाब आ गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जवाब नहीं आया है यदि आया होता तो मैं क्यों खड़ा होता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने लाभकारी मूल्य दिलाने और भारत सरकार से बात करने की दोनों बातें की। वर्ष 2014 में आलू नीति बनी। वर्ष 2014 से लेकर अब तक भारत सरकार के साथ कितनी बैठकें माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कीं। इससे मंशा जाहिर होगी सरकार की कि सही में लाभकारी मूल्य दिलाना चाहते हैं। कितनी बैठक भारत सरकार के साथ हुई, इस नीति को लागू कराने के लिए केवल मंत्री जी इसका जवाब दे दें।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो समझते हैं कि नेता विरोधी दल को जानकारी बहुत है। ये जानकारी ये करते, जब यह परिस्थिति आती है, जब किसानों के आलू का दाम बहुत कम हो जाता है, तब उस परिस्थिति में हम भारत सरकार से बातचीत करके उसका बाजार भाव समाधान योजना के माध्यम से लागू करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खुद सक्षम है और उसके रख–रखाव से लेकर के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने तक के लिए हम अपनी नीति बनाए हैं। भारत सरकार ने खाद्य प्रस्संकरण नीति वर्ष 2012–13 बनाई थी और आज भारत सरकार ने खाद्य प्रस्संकरण नीति जिसमें हमारा

केन्द्रांश 75 परसेन्ट और राज्यांश हमारा 25 परसेन्ट था, केन्द्रांश और राज्यांश दोनों मिलाकर हम निजी क्षेत्रों को सहूलियत देते थे, आज भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रस्संकरण नीति हमने बनाई और 5 करोड़ रुपये का इसमें प्राविधान किया गया है, यह तो हमारा सप्लीमेंटरी बजट आया है। इसलिए हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। माननीय नेता विरोधी दल आप चिन्तित न हो, आपका मार्ग–दर्शन मिलता रहे। भाटा आलू दोनों मिल जायेगा अच्छा भर्ता बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं आया। आलू किसानों के प्रति सरकार की गंभीरता नहीं दिखाई पड़ी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ सदन का बहिष्कार करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष–

जाना था, तो पहले ही चले जाते क्यों इतनी देर लगायी। इतने समय में दूसरा सवाल ले लेते।

प्रदेश में कृषि विकास दर घटने के कारण इसकी वृद्धि के उपाय की जानकारी

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि विकास दर घटती जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं इसकी वृद्धि के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)–

कृषि विकास दर/उत्पादन के घटने का एक मात्र कारण दैवीय आपदा/प्रतिकूल जलवायु यथा–अवर्षण अथवा बेमौसम बरसात का होना है। किन्तु प्रदेश सरकार द्वारा किये गये उपायों एवं संचालित कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, जिसका परिणाम है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के विगत दो वर्षों (वर्ष 2012–13 एवं 2013–14) में प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 500 लाख मै0 टन से अधिक प्राप्त हुआ है।

कृषि उत्पादन/विकास दर में वृद्धि के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

1–गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश द्वारा सीड–रोलिंग प्लान तैयार किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि आगामी पांच वर्षों में प्रमाणित बीजों के वितरण के फलस्वरूप बीज प्रतिस्थापन दर लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त किया जा सके।

2–बीज प्रतिस्थापन दर के साथ प्रजाति प्रतिस्थापन दर हेतु सीड–रोलिंग प्लान में नई प्रजातियों से पुरानी प्रजातियों को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य भी

निर्धारित है। जिसके फलस्वरूप विगत वर्षों की तुलना में नई प्रजातियों के बीज अधिक मात्रा में कृषकों को उपलब्ध हुए हैं।

3–प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा कृषि लागत दर को कम करने के लिये कृषि विभाग, उ0 प्र0 द्वारा सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में कृषकों के खेतों पर 900 तथा वर्ष 2014–15 में 854 सोलर पम्प की स्थापना कराई जा चुकी है। कृषकों में यह लोकप्रिय हुआ है।

4–कृषि में मजदूरी की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके दृष्टिगत प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण यथा–रोटावेटर, सीडड्रिल, लेवलर, हैरो, स्प्रेयर तथा कम्बाईन आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे उपज वृद्धि के साथ–साथ कृषि लागत में कमी आ रही है।

5–मृदा परीक्षण द्वारा मृदा स्वास्थ्य की जानकारी, कृषकों के खेतों की मिट्टी के परीक्षण के उपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपलब्धता के द्वारा दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप किसान खाद/उर्वरकों का प्रयोग तद्नुसार कर रहे हैं।

6–रबी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं की पंक्तियों में बुवाई के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। जिसे किसान देखकर सीखता है और प्रयोग में लाता है। धान के अतिरिक्त अन्य फसलों की बुवाई हेतु सीडड्रिल एवं फर्टिसीडड्रिल को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों का सही उपयोग किया जा सका है।

7–प्रदेश का बहुत बड़ा भू–भाग समस्याग्रस्त है। लगातार कम होती कृषि योग्य भूमि को स्थिर/अतिवृद्धि हेतु भूमि सुधार की योजनाएं संचालित कर उपचारित भूमि में कृषि क्रियायें संचालित कराई गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी बहुत छोटा सा सवाल था और उसका उद्देश्य बहुत पाजिटिव है। सभी लोग जितने लोग यहां पर हाउस में बैठे हैं, सभी चाहते है कि प्रदेश की पैदावार बढ़े जिससे कृषि विकास दर बढ़े और जिससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से 2–3 सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। नम्बर एक, 2012 में कृषि विकास दर कितनी थी और आज कितनी है नम्बर दो, किसान सहायक के 7 हजार पद खाली हैं किसान मित्र की योजना ही समाप्त कर दी जिसके माध्यम से किसानों को नई तकनीक की जानकारी मिल सकती थी नई बातों की जानकारी मिल सकती थी उनकी पैदावार कैसे बढ़े मान्यवर, इन्होंने लिंक भी समाप्त कर दिया तो क्या माननीय मंत्री जी इन किसान सहायक और किसान मित्रों की योजना फिर से चालू करके जो किसानों को सहायता दी जाती थी वह व्यवस्था फिर से चालू करेंगे ? तीसरा और अतिंम सवाल यह है कि जिस प्रकार से पम्पिंग सेट पर

सब्सिडी दी जाती है 10 हजार रुपये उसी प्रकार से आपके उत्तर में एक शब्द आया है सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प इसके लिए इन्होनें प्राइवेट लोगों को ठेका दे दिया। इसमें 75 प्रतिशत सब्सिडी है इस 75 प्रतिशत सब्सिडी की स्थिति यह है कि अगर मार्केट में लेने जायें हम 2 एचपी का तो मिलता है 2 लाख 75 हजार का और इनके माध्यम से लें तो वह मिलता है 4 लाख रुपये का । सब्सिडी का पूरा–पूरा फायदा वह डीलर उठा रहे हैं तो पम्पिंगसेट पर जिस प्रकार से सब्सिडी 10 हजार की देते हैं कि उसको इंस्टाल करने के बाद तो क्या वह सब्सिडी पम्पिंगसेट जिस प्रकार से किसान को मिलती है कहीं से खरीद लो 10 हजार मिल जायेंगे उसी प्रकार की क्या सब्सिडी 75 प्रतिशत मे 50 प्रतिशत भारत सरकार की सब्सिडी है और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है 4 लाख 68 हजार का पम्प 1 लाख 17 हजार का किसान को पड़ता है और 3 लाख 51 हजार सब्सिडी है।

श्री अध्यक्ष–

इनका उत्तर तो सुन लीजिए फिर पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, सवाल तो स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

उनको भी तो समझने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले दो सवाल में हां ना करना है। इस सवाल में थोड़ा सा माइन्ड एप्लाई करना है मान्यवर, एक घिसापिटा जवाब आ जाता है। मान्यवर, 25 पम्पिंगसेट का कोटा शाहजहांपुर को दिया गया एक चुकरिया भर बारूद और अंग्रेजों से जंग। विकास दर को बढ़ायेंगे और 25 पम्पसेट देंगे एक साल में। यह 25 पम्पसेट तो एक गांव के लिए होना चाहिए था। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं हम सदन का एक भी मिनट खराब नहीं करना चाहते हैं।

मान्यवर, सवाल सिर्फ यह है कि जिस प्रकार से पम्पिंगसेट पर सब्सिडी देते हैं क्या सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प जो हैं उसी प्रकार उस पर भी नकद सब्सिडी का प्राविधान करेंगे ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न आपने पूछा था कि वर्ष 2011–12 में विकास दर क्या है तो आर्थिक बोध एवं संख्या विभाग से प्राप्त किये गये उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन की विकास दर, कृषि एवं पशुपालन के गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 4–5–6 के मूल्यों पर विकास दर 11–12 में 6.0, 12–13 में प्रोविजनल अनुमान है 4.8, 13–14 में अनुमान है 1.1 और आपने सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प की बात की है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार 5000 सोलर पम्प लगाने की योजना है जिसमें अभी तक 800 सोलर पम्प लग चुके हैं और कार्य प्रगति पर है । इसमें अभी उत्तर प्रदेश

शासन से 45 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है यह प्रदेश का अंश है और भारत सरकार 30 प्रतिशत देगा, इस प्रकार से 45 प्रतिशत है प्रदेश का। अभी आपका एक सवाल था मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक सवाल और है उसमें भी आपने पूछा है उर्वरक के बारे में आन लाइन और आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष–

उर्वरक पर कहां पूछा, उर्वरक के बारे में नहीं पूछा है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग शांत रहिये। माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब आ जाने दीजिये।

श्री राजीव कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि नकद सब्सिडी की जो बात माननीय सदस्य ने कही है, तो वह आनलाइन ही हो रहा है और इसमें 75 परसेण्ट सब्सिडी आनलाइन जायेगी और आर0टी0जी0एस0 से इसका भुगतान होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना यह था कि जो सोलर पम्प हैं, उनको आप एन0जी0ओ0 के माध्यम से या किसी कम्पनी के माध्यम से दिलाते हैं, जिससे उसकी लागत बढ़ जाती है और सब्सिडी का फायदा वह लोग उठाते हैं, तो क्या सरकार सीधे किसानों को सब्सिडी देकर उन्हें सस्ते दामों पर पम्प खरीदवायेगी। यह सवाल था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता माननीय खन्ना साहब ने जो आंकड़े दिये हैं कि उसकी 50 फीसदी सब्सिडी केन्द्र सरकार से आती है और 25 फीसदी राज्य सरकार से आती है। माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत करा दिया कि 45 फीसदी राज्य सरकार देती है और 30 फीसदी केन्द्र सरकार का हिस्सा है, तो जो प्रश्न पूछने के क्रम में गलत जानकारी माननीय खन्ना साहब ने दी है, उस पर क्या वह खेद व्यक्त करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो सवाल किया था उसका उत्तर देने से माननीय मंत्री जी ने रोक दिया है। मेरा सीधा–सीधा सवाल यह है कि 75 परसेण्ट सब्सिडी सोलर फोटोबोल्टिक सिंचाई पम्प पर दी जा रही है। आप अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे को आरोपित मत करिये। अपनी कमी देखिये। मान्यवर, सीधी–सीधी बात यह है कि 75 परसेण्ट जो सब्सिडी है उसका फायदा, जैसा कि आपने भी कहा कि, उसका फायदा वह एन0जी0ओ0 ले रहा है, वह डीलर ले रहा है, किसान को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसान के लिए 75 परसेण्ट सब्सिडी जो दी जा रही है, जिस उद्देश्य से दी जा रही है, वो उनको दिलाने के लिए जिस प्रकार पम्पिंगसेट में देते हैं उसी प्रकार से दे दें। आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया कि कृषि विकास दर कम हुई है।

आपने किसान मित्रों के बारे में और किसान सहायक के बारे में कोई बात नहीं कही है। यानी हम जो पूछ रहे हैं उसको तो टाल रहे हैं, जो मतलब की बात है, कृषि विकास दर को जो बढ़ाने की बात है, उसके ऊपर तो इनकी एक बात भी नहीं है और किसानों की सरकार, किसानों की सरकार, किसान वर्ष, किसान वर्ष की रट लगाते हैं। इनके पास से उत्तर आना चाहिये था कि यह किसानों के लिए परियोजना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे, किसान सहायक की नियुक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे और इस सब्सिडी को डायरेक्ट किसानों को देंगे कि नहीं देंगे ? उत्तर इन सबका आना चाहिये था और कहां की बात को कहां ले जा रहे हैं ? सवाल का उत्तर देने की बजाय उसको डायवर्ट कर रहे हैं। मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि इस सवाल को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दें। लेकिन यह इसके ऊपर भी तैयार नहीं हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना आई है। माननीय सदस्य ने प्रतिशत की सूचना दी और माननीय मंत्री जी ने उसको स्पष्ट करके बता दिया। अगर आपने गलत सूचना अपने प्रश्न के माध्यम से दे दी कि इसमें केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत का अंशदान सब्सिडी का है। तो अगर आपकी सूचना गलत है तो क्या इसके ऊपर आप खेद प्रकट करेंगे, मेरा प्रश्न तो बस इतना सा था और आपको खेद प्रकट करना भी चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी सवाल को घुमा रहे हैं। देखिये कि हमारा सवाल क्या है, जो 75 परसेण्ट सब्सिडी है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना साहब, माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हो गये हैं, कृपया इनको सुन लीजिये।

श्री राजीव कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नेडा के माध्यम से सोलर बोल्टिक पम्प का वितरण हो रहा है। उन्होंने ही सारी व्यवस्था की है, वह भी एक उपक्रम है, यह काम किसी प्राइवेट द्वारा नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि दो हार्सपावर का जो सोलर बोलेटिक पंप है, उस पर 75 परसेंट, 3 हार्सपावर का जो पंप है, उस पर 75 परसेंट और 4.8 हार्सपावर का जो पंप है, उस पर 50 परसेंट सब्सिडी है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो मैं पूछ रहा हूं उस पर माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है और यह सरकार किसान विरोधी है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

प्रदेश में जन्म से मानसिक रूप से विकलांग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लालन पालन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर उनके अभिभावकों की सहायता के लिये मासिक पेंशन का दिया जाना

'03–श्री मनीष असीजा, श्री सुरेश राणा, श्री वीरपाल राठी–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन्म से मानसिक रूप से विकलांग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लालन पोषण में आने वाली कठिनाइयों से निपटने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर उनके अभिभावकों की सहायता के लिये कोई मासिक पेंशन/सहायता योजना प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

18 वर्ष से कम आयु वर्ग विकलांग बच्चों के लालन पोषण हेतु उनके माता अथवा पिता जो समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हों, को समाजवादी पेंशन दिये जाने का निर्णय दिनांक 20–05–2014 को राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक पूछूं इससे पहले उन्हें एक तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है और उसका जो उत्तर है, उसमें थोड़ा सा विषयान्तर हो गया है। मैनें 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे, जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, उन बच्चों की, उनके अभिभावकों की विपरीत परिस्थितियां कैसे दूर हो सकें, उसके संदर्भ में यह प्रश्न किया है। जो उत्तर आया है उसमें 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों का है। मान्यवर, आप खुद इस बात को महसूस करते होंगे कि विकलांग बच्चे या विकलांग भाई–बहन जो भी हैं और मानसिक रूप से जो विकलांग हैं, उनकी परिस्थितियों में बहुत अधिक अंतर होता है। शरीर का कोई हिस्सा सामान्य व्यक्ति की तरह काम न करे तो यह आजीवन एक बहुत कठिनाई का विषय है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको तो माननीय अध्यक्ष जी अपना भला–बुरा भी आजीवन पता नहीं रहता। सारे जीवन उनके साथ जब तक कोई व्यक्ति साथ न रहे तो उन्हें न तो खाने का समझ होता है, न पीने का समझ होता है। बिना किसी की सहायता के दैनिक जीवन में वह कोई कार्य नहीं कर सकते। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे यह निवेदन करूंगा कि सहानुभूतिपूर्वक सामान्य विकलांगों से अलग इसको जरा आप देखेंगे तो इस प्रश्न की भावना पूरी होगी। ऐसे बच्चों के माता–पिता आजीवन ऐसे बच्चों के लिये जो देखभाल करते हैं, क्योंकि सामान्य विकलांग भाई–बहन आगे चलकर किसी न किसी रोजगार में आ जाते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी आपको जो समझाना चाह रहा था, वह यह है कि यह कभी भी किसी सीमा में आकर स्वयं सक्षम नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थितियों के बच्चों के माता–पिता के ऊपर कितना वजन पड़ता है, यह हम सब और पूरा सदन समझता है। इसलिये मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं कि क्या सरकार पूरे प्रदेश में इस प्रकार के बच्चों को चिन्हित करके इनके

लिये विशेष श्रेणी बनाते हुये, विशेष नियमावली बनाते हुये, इनके माता–पिता के लिये विकलांग पेंशन अनिवार्य रूप से देने का कार्य करेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय असीजा जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो मूल प्रश्न में ही पूरा हो गया। अनुपूरक में कोई नई बात आई नहीं। मैं बताना यह चाहता हूं कि जिन विकलांग बच्चों के बारे में आपने चिंता की है, वह इस उत्तर में और इस श्रेणी में समाहित हैं, हमने सभी विकलांगों की बात की है और जहां तक इससे अलग किसी विषय पर बात करने की बात है तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मनीष असीजा जी को विधान सभा की जो समिति है विकलांगजनों की विशेष चिंता करने के लिये, उसका सदस्य भी बनाया है। आप इस पर देख लें और पूरी संवेदनशीलता के साथ जिन विषयों के साथ नई चीजें लाई जायेंगी, उनमें अगर कोई नया विचार आयेगा तो सरकार कभी भी विचार करने को तैयार है और इसमें आगे बढ़कर जितना सुधार हो सकता है, वह किया जा सकता है और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आपने कल परसों जो बजट 18 तारीख को पास किया है, कुष्ठ रोग के कारण जो विकलांग लोग हैं इनका प्रावधान कभी नहीं था लेकिन हमने उसके लिए 15 करोड़ रुपया अलग से प्रावधानित करके उनकी चिन्ता की है। अगर मानसिक रूप से विकलांग लोगों की भी अलग से बात करने की आवश्यकता होगी तो आप विशेष रूप से समिति में हैं और मा0 अध्यक्ष जी सदन के संरक्षक हैं और उन्होंने आपको विशेष रूप से उत्तरदायित्व दिया है तो आप उसकी बैठक कर लें और जो भी सुझाव आयेंगे, सरकार कभी भी उन सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, विकलांग शब्द ही अपने आप में बहुत कष्टकारक है और भगवान न करे जो लोग विकलांगता के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं वह वास्तव में बहुत ही कष्टकारक है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था थोड़ी सी उसमें भिन्नता हुई है, मेरा प्रश्न यह था कि क्या मा0 विकलांग कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के विकलांगजनों के भारी आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार सम्पूर्ण विकलांगजनों को पेंशन देने एवं पेंशनवृद्धि पर विचार कर रही है, यह मेरा प्रश्न था। मैं बहुत शालीनता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश भर में।

श्री अध्यक्ष–

आपने भी प्रश्न लगाया होगा और भी मा0 सदस्यों ने प्रश्न लगाया होगा तो इन प्रश्नों को क्लब कर दिया गया इसलिए जो प्रश्न आज सदन में उपस्थित है और छपा है, इसी में आप भी पूछिये अपने प्रश्न पर ना पूछिये।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, ठीक है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, अनुपूरक के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश भर में विकलांगजनों की संख्या क्या है

और कितने लोग विकलांग पेंशन से लाभान्वित हैं। क्या सरकार परिस्थितियों को देखते हुए मन्दबुद्धि या तमाम प्रकार की विकलांगता को देखते हुए क्या विकलांग पेंशन की जो धनराशि है, उसको कम से कम एक हजार रुपए करने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राणा साहब ने जो प्रश्न पूछा है वह मूल प्रश्न है ही नहीं इसलिए उसके बारे में जानकारी आज आंकड़ों सहित देना कठिन है क्योंकि हर समय आंकड़े ऐट हैण्ड नहीं होते हैं कि हम आपको बता दें कि कितनी संख्या है कितनी पेंशन है या क्या है। प्रश्न अगर आज वह होता तो मैं उसका उत्तर देता कि कितनी पेंशन है या क्या है लेकिन चूंकि आज वह प्रश्न नहीं है आज प्रश्न दूसरा था फिर भी मैं उसका उत्तर आपको दिलवा दूंगा। आपने शुरू में जो बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस बात के लिए तैयार हैं, मैंने सदन में बजट प्रस्तुत करते समय भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी सरकार चल रही है, इसकी दृष्टि दूसरी है। हमने जितना प्रावधान किया है यदि उन प्रावधानों के अतिरिक्त भी आवश्यकता होगी तो सदन में मैं जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं।

(सदस्य श्री सुरेश राणा के हाथ खड़ा करने पर)

मान्यवर, आपने हाथ उठा दिया तो मैं कैसे बोलूं। आप हमारी बात को सुन करके पूछ लीजिएगा। मान्यवर, प्रदेश का प्रत्येक विकलांगताग्रस्त व्यक्ति जो उसकी पात्रता में आता है, उसको पेंशन देने के लिए हम तैयार हैं और सभी मा0 सदस्यों से हमारी विनती है कि आप अपने–अपने क्षेत्रों में इनको चिन्हित कराइये और जो लोग बच गये हैं उन सभी लोगों को पेंशन सरकार देगी, यह हमारी मंशा है, इसमें पैसे का कोई अभाव नहीं है।

श्री वीरपाल राठी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें हमारा सवाल यह था कि जो 18 साल से नीचे के व्यक्ति हैं और मन्दबुद्धि हैं। विकलांगता अलग चीज है और मन्दबुद्धि अलग चीज है। मन्दबुद्धि के जो विकलांग हैं उन विकलांगों के लिए क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि उनके अभिभावकों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उनके जीवन में आने वाले रोजमर्रा के जो खर्च हैं उनको पूरा कर सकें। क्या मा0 मंत्री जी के पास इस प्रकार की कोई योजना है जैसे आपके पास समाजवादी पेंशन योजना है या अन्य पेंशन योजनाएं हैं इस प्रकार की किसी पेंशन की योजना इन विकलांगों के लिए अलग से करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में आपको बता दिया था, मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि समाजवादी पेंशन की जो स्कीम है उसमें अन्तर क्या है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोग तो स्वयं पेंशन के अधिकारी हो जाते हैं आपका प्रश्न था, असीजा जी का भी प्रश्न था, शायद सदन जानना चाहे कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले पेंशन नहीं पाते हैं उनके लिए क्या करें। अगर किसी परिवार में कोई विकलांग बच्चा है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो उन स्थितियों में माननीय अध्यक्ष जी, हम समाजवादी

पेंशन उस परिवार को देते हैं और ऐसे बच्चे के भरण–पोषण के नाते ही उसको समाजवादी पेंशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी की पात्रता उसकी अलग हो, इसलिए उसे देते हैं। यह योजना उसी के लिए है और 18 वर्ष से कम आयु वाले के लिए है।

(श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, बैठ जाइये। अगला प्रश्न लेने दीजिए।

नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु सरकार की औद्योगिक नीति

'04–श्री सतीश महाना, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति सरकार के द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2012 से मई, 2015 तक प्रदेश में कितने नये उद्योग स्थापित हुए हैं तथा कितने उद्योग पलायन कर गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा)–

जी हां।

प्रदेश में उद्योगों एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 बनाई गई है।

प्रदेश में अप्रैल, 2012 से मई, 2015 तक 135089 सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्यम/उद्योग स्थापित हुए हैं।

उद्योग द्वारा पलायन करने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

क्योंकि उद्योगों के पलायन की सूचना का कोई संकलन नहीं किया जाता।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में भी यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी कृपा से आया था। जो स्वाभाविक रूप से उद्योग नीति बनी होगी जो माननीय मंत्री जी को पता नहीं है कि क्या है। उसमें प्रमुख बातें ये होगी कि बिजली का मूल्य उत्तर प्रदेश में सारे पड़ोसी राज्यों से अधिक है। किसी भी उद्योग को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती हैं विद्युत की दरें। बिजली की दरें उत्तर प्रदेश के अड़ोस–पडोस के सभी राज्यों से अधिक हैं। दूसरा, उद्योगों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कोई चर्चा नहीं करते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती कि वहां पर लॉ–एण्ड–आर्डर ठीक हो, ऐसी परिस्थितियां हों, ऐसा माहौल हो जहां पर व्यक्ति उद्योग लगा सके। इन तीन बातों के लिए मैं एक या दो अनुपूरक आपकी अनुमति से करूंगा कि इनके लिए सरकार क्या कर रही है। इसके साथ ही मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि इन्होंने कहा है कि 135089 उद्योग लगाये हैं, तो इन उद्योगों को लगाने में प्रदेश के अन्दर कितनी धनराशि का पूंजी निवेश हुआ है ? और अन्तिम प्रश्न जो पिछले वर्ष दिल्ली में इण्डस्ट्रियल सम्मिट हुई थी जिसमें बहुत बड़े–बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हुए थे तथा 80 हजार करोड़ रुपया आने के लिए बधाइयां दे दी गयी थी। आगरा सम्मिट और उससे पहले दिल्ली सम्मिट हुई थी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। निश्चित रूप से भाव अच्छा था चाहे आगरा वाला हो, चाहे दिल्ली वाला हो। लेकिन अच्छे भाव के साथ परिणाम शून्य था। अच्छे भाव के साथ परिणाम भी आया होता तो यह प्रश्न न उठता। आपके माध्यम से केवल यही दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह बतायेंगे कि बिजली का मूल्य कम करने के लिए, उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिजली का मूल्य कम करने पर विचार करेंगे ? दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली और आगरा के अंतर्गत कितने उद्योगों को स्थापित करने के लिए इन्होंने पिछली बार एम0ओ0यू0 साइन किये। एम0ओ0यू0 साइन हो जाने से ही इण्डस्ट्री स्थापित नहीं हो जाती। जब तक ऐसा वातावरण और माहौल न बने। तीसरा प्रश्न यह है कि कितना राजस्व, कितना एमाउण्ट इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में लोगों ने निवेश किया था ?

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, नई अवस्थापना नीति के तहत हमारी सरकार ने नई इकाइयों हेतु इलेक्ट्रीसिटी में यू0पी0 में 10 वर्ष तक छूट प्रदान किया है। रु0 200 करोड़ से अधिक तथा 500 करोड़ तक पूंजीनिवेश वाली परियोजनाओं को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा देते हुए उसके तहत रियायतें देने का काम करते हैं। पूंजीगत ब्याज उपादान योजना के अंतर्गत बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल, मध्यान्चल में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए भी हम लोगों ने अलग से प्राविधानित कर रखा है और अवस्थापना ब्याज उपादान योजना के अंतर्गत इकाइयों के द्वारा अवस्थापना सुविधाओं यथा–सड़क, सीवर, जल निकासी, पॉवर लाइन, ट्रान्सफार्मर, पॉवर फीडर की स्थापना के विकास हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम पांच वर्ष हेतु इकाई कुल रुपया एक करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना के अन्तर्गत औद्योगिक अनुसंधान उत्पाद की गुणवत्ता सुधार विकास के लिये औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाइयों के समीप के द्वारा टेस्टिंग लैब क्वालिटी आदि इस तरह की तमाम इसमें दिया गया है। ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना प्रदेश में ऐसी नई औद्योगिक इकाइयों को जिनके द्वारा 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उनके द्वारा श्रमिकों के पक्ष में किये गये एग्रीमेंट के 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के 3 वर्ष बाद उससे अगले 3 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान रखा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त औद्योगिक वातावरण के सुधार के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं। उद्यमियों की सुविधा हेतु प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्र में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है उसके माध्यम से उद्योमियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न स्वीकतियां व सहमतियां व आपत्तियां प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लघु, मध्यम और वहत उद्योगों को लगाने के लिये उद्यमियों के ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, सहमति प्राप्त करने हेतु, स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु समस्त जिलों में...

एक सदस्य–

इसको पढ़ा हुआ मान लीजिये।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

चलिये पढ़ा मान लेते हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसको पढ़ा हुआ मान लिया।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

एक मिनट। मैं इसको पूरा कर दूं। आपने जो सवाल किये थे।

श्री अध्यक्ष–

अरे सुन तो लीजिये।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

आपने तीन प्रश्न पूछे। आपने पूछा है कि कुल कितना पूंजी निवेश हुआ ? 20,666.62 करोड़ का कुल पूंजी निवेश हुआ है। कुल सृजित रोजगार 12,65,423 लोगों को दिया गया है और जो माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा सम्मिट किये जाने के बारे में आपने कहा है इसमें सेंचर इंडिया इलेक्ट्रानिक लि0 नोएडा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। के0के0 मिल फ्रेश इंडिया लि0 कानपुर देहात ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है। रिलायंस सीमेन्ट कं0 प्रा0 लि0 रायबरेली ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण मुझे मिल रहा था। हो सकता है कि शब्दों में न मिले लेकिन मिल रहा था। मैने जो प्रश्न पूछा था माननीय अध्यक्ष जी, वह माननीय मंत्री जी जो बोल रहे थे वह ऐसा है न किसी बच्चे ने क्रिकेट के ऊपर ऐस्से याद किया।

श्री अध्यक्ष–

औद्योगिक विकास नीति के बारे में मंत्री जी ने बताया।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, क्रिकेट भी इसी से संबंधित है अभी हवाई जहाज भी आयेगा। मान्यवर, इम्तेहान में हवाई जहाज पर ऐस्से आ गया और बच्चे ने याद किया हुआ था क्रिकेट पर। तो जब ऐस्से लिखना शुरू किया तो उसने लिखा कि हम हवाई जहाज पर बैठे और कुछ ही देर में हवाई जहाज खराब हो गया तो हम लोग उतर कर क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट के ऊपर उसने पूरा ऐस्से लिख दिया और जब ऐस्से पूरा हो गया तो उसने लिखा कि हवाई जहाज ठीक हो गया और हम लोग उस पर बैठ कर चल दिये।

श्री अध्यक्ष–

कहां, उन्होंने तो औद्योगिक नीति के बारे में बताया।

श्री सतीश महाना–

कहां मान्यवर, इधर से एक सदस्य ने कहा कि इसको पढ़ा मान लिया जाय, और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि चलिये पढ़ा हुआ मान लेते हैं। मान्यवर, कितनी गम्भीर बात है मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को यह पढ़ा हुआ मान रहे हैं। मान्यवर, मेरे तीन प्रश्न थे। पहला प्रश्न यह था कि क्या बिजली का मूल्य कम करेंगे ? इसका उत्तर

नहीं आया। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह बतायेंगे कि दिल्ली और आगरा के अन्तर्गत जो सम्मिट हुआ था उसके अन्तर्गत कितने उद्योग लगे। मान्यवर, आपको याद होगा उसमें 80 हजार करोड़ लगे। फरवरी में तीसरे गुरुवार के लिये इस वर्ष में जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर आया था उस समय जो एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ पांच उद्योगों को स्थापित करने के लिये आया था अभी आया कि 1,33,00 मान्यवर, 25 हजार एक्स्ट्रा उद्योग इन 6 महीनों में इन्होनें स्थापित कर लिये। मान्यवर, यह दोनों उत्तर हैं मेरे पास। 25 हजार उद्योगों को इन्होंने बढ़ा लिया। 5 हजार करोड़ बता रहे हैं। तो मान्यवर, यह भी इनका उत्तर तथ्य से परे है।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछें।

श्री सतीश महाना–

मेरा पहला सवाल था उसका उत्तर नहीं आया। मैं दूसरा सवाल फिर पूछना चाहता हूं। दिल्ली, आगरा में 80 हजार करोड़ के निवेश की बात कही थी कि 80 हजार करोड़ का निवेश होगा उसका उत्तर नहीं आया। आगरा के बारे में स्टेटमेंट आया कि नौ महीने नहीं हुए और इंड्रस्टी चालू हो गई।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछे रघुनन्दन जी की बगल में बैठे हैं तो आप भी उसी तरह होते जा रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

अगर 25 हजार उद्योग होते हैं और पांच हजार करोड़ की बात आती है तो उसमें दो लाख प्रति उद्योग के हिसाब से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अरे आप सवाल पूछिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लोगों को आकर्षित करने के लिए बिजली का मूल्य जो वर्तमान टेरिफ है उसको कम करेंगे हां या नहीं, एक बात, दूसरी बात जो आगरा, दिल्ली में सम्मिट हुआ था जिसमें 80 हजार करोड़ की बात कही गई थी उस 80 हजार करोड़ का हिसाब देंगे।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

महाना जी, मैंने पहले भी उत्तर दिया था कि नई इकाइयों हेतु इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में दस परसेन्ट की छूट प्रदान की जाएगी। दस वर्ष तक हम उसको छूट प्रदान करेंगे और आपने कहा कि दो लाख का एवरेज आ रहा है एक उद्यम का, उसमें पहले भी हमने कहा कि इसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एवं वृहद् सभी उद्यम शामिल हैं तो उद्यम एक लाख के भी लगते हैं पांच सौ करोड़ के भी लगते हैं। जो प्रदेश में नये उद्यम लगाये गये हैं उसके आधार पर जो सूचना हमारे पास है उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में नये उद्योग लगें यह वातावरण बनाने का काम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी

लगातार कर रहे हैं और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में एक अच्छी धारणा है कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक औद्योगिक वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसलिए आप चिन्ता न करें हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में विकसित करना चाहते हैं इसके लिए जो भी उपाय जरूरी होंगे उनको करने का काम किया जाएगा।

(श्री लोकेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने प्रदेश के उद्योगों के विकास के बारे में बहुत कुछ बताया लेकिन जो मूल प्रश्न था कि हमारे प्रदेश से उद्योग पलायन क्यों कर रहे है इसका कारण खोजने की कोशिश नहीं की गई। वह क्यों पलायन कर रहे हैं, क्या वह संकटग्रस्त हैं, उनकी नीयत खराब हो गई है वह सरकारी हस्तक्षेप से पलायन कर रहे हैं ? बिना इनके कारणों की खोज किए हम इनके भागने के कारण को रोक नहीं सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर उद्योग स्थापित होते हैं तो चले क्यों जाते हैं। दूसरी बात जो उद्योग गए उसमें कितने मध्यम प्रकार के हैं कितने वृहद प्रकार के हैं, कितने लघु प्रकार के हैं, यह वर्गीकरण नहीं किया गया। जो मध्यम या वृहद उद्योग देश छोड़कर या प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं उनसे हमारे देश के रोजगार की संख्या प्रभावित होती है। क्या मंत्री जी बता पाएंगे कि उससे हमारे बेरोजगारों की कितनी वृद्धि हुई ? दूसरी बात यह सरकार और बैंकों से जो ऋण लेते हैं क्या वह ऋण चुकाया नहीं गया ? वह ऋण जो इन पर बकाया है उससे सरकार या बैंकों की कितनी पूंजी डूब गई ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारा श्रम प्रभावित होता है हमारी पूंजी प्रभावित होती है हमारी औद्योगिक की जो एक छाया है, परिवेश है वह प्रभावित होती है इसलिए गम्भीरता से विचार किया जाए। जो पलायन किए वह क्यों किए। दूसरी बात जो पलायन कर चुके या उद्योग छोड़कर घर बैठ गए उसके कारण जो हमें नुकसान हो रहा है क्या सरकार उस नुकसान की भरपाई के लिए उसकी बेहतरी के लिए कुछ करेगी।

श्री अध्यक्ष–

बहुत सारे सवाल हो गए।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी उद्योगों द्वारा पलायन की सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य को किसी उद्योग के पलायन होने की या बन्द करके घर बैठ जाने की सूचना है तो उसको यह देने का काम करेंगे उस पर जो भी समुचित कार्यवाही सरकार कर सकती है उसको करेगी।

श्री अध्यक्ष–

बिमला बाथम उद्योग लगाए हैं वह भी कुछ कहना चाहती हैं।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में कहीं भी उद्योगिक वातावरण नहीं है लॉ एण्ड आर्डर की पोजीसन खराब है झूठी बैठकें करके जनता को गुमराह करके 80 हजार करोड़ लाने की बात कर रहे हैं यह असत्य है। इसके विरोध में मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि 80 हजार करोड़ का उत्तर आ जाए कि यह पैसा कहां है और लॉ एण्ड आर्डर का उत्तर आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी योजना तो दूसरी थी फिर आप बैठ गए।

श्रीमती बिमला बाथम–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे यहां उद्योग लगाएंगे हमारे माननीय महाना जी ने कहा भी है लेकिन क्या बिना जमीन के उद्योग लग जाएंगे नोएडा में इतनी मंहगी जमीन है हमारे नोयडा जैसे क्षेत्र में उद्योग लग नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तक ही सीमित रहें।

श्रीमती बिमला बाथम–

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्योग पलायन नहीं कर रहे हैं। हम इनको लिस्ट देंगे इनको बता सकते हैं कि इतने बड़े बड़े उद्योग उत्तरांचल और उत्तराखण्ड में चले गए क्योंकि वहां सब्सिडी है वहां सेल टैक्स में छूट है इनकम टैक्स में छूट है जबकि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऐसा नहीं है बिजली के लिए 24 घंटे बिजली आने के लिए नो पावर कट जोन डिक्लेयर हुआ था लेकिन नो पावर कट जोन के नाम पर मजाक बना दिया है। कोई नो पावर कट जोन नहीं है और इण्डस्ट्री तभी सक्सेस हो सकती है जब नो पावर कट जोन हो और जमीन सस्ती हो दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो किसी भी राज्य में उद्योग चलाने के लिए जरूरी हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं।

श्री गुटियारी लाल दुबेश–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आगरा से चुनकर आता हूं मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है। जूते का कारोबार हमारे यहां भी होता है मैंने पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को लेकर बहुत गम्भीरता से कुछ बातें रखी थीं जिसमें माननीय मंत्री जी से कुछ अच्छे जवाब दिए थे। मान्यवर, आगरा में सम्मिट हुई थी माननीय मंत्री जी द्वारा तो हमने सोचा था कि एक अच्छी सोच है आगरा में एक लेदर पार्क 900 बीघा का हमारी सरकार ने स्वीकृत किया था उद्योग को लेकर क्योंकि वहां पर जूते का कारोबार होता है ताजमहल की वजह से छोटी–छोटी इकाइयां बहुत दूर चली गईं। आगरा में एक पेठे का कारोबार है दूसरा महत्वपूर्ण कारोबार जूते का जो शूज एक्सपोर्ट होता है वहां पर डोमिस्टिक बहुत भारी तादात में बनता है और 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां से अभी माननीय मंत्री

जी ने जवाब दिया कि पूरे प्रदेश में कहीं सूचना नहीं है कि उद्योग बाहर नहीं गया है पलायन नहीं किया मैं आगरा से जुड़ी खबर बता रहा हूं कि आगरा से जूते के कारोबारी मद्रास में पलायन कर गए । आज हम 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट जूते के कारोबार में मद्रास में जाने लग गया। वहां पर 20 साल पहले केवल लेदर का कार्य होता था केवल लेदर की टैनिंग होती थी मान्यवर, आगरा से जूते का कारोबार पलायन कर रहा है एक 900 बीघे का लेदर पार्क किरावली के पास स्वीकृत हुआ था इस पर हमने प्रश्न डाला था उस पर जवाब आया है कि एन0जी0टी0 ने रोक लगा दी है। यह 40 नम्बर पर सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप दूसरे सवाल का उत्तर क्यों पढ़ रहे हैं वह अतारांकित है उसका आप सवाल नहीं पूछ सकते।

श्री गुटियारी लाल दुबेश–

अगर एन0जी0टी0 ने लेदर पार्क पर रोक लगा दी है तो क्या सरकार उस रोक को खुलवाने का काम करेगी जिससे लेदर एक्सपोर्ट हो सके।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सरकार उद्योगों को रोकने में विफल रही कानून व्यवस्था और बिजली यह दो वजह हैं जिसकी वजह से उद्योगों का पलायन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

जाना है तो पहले चले जाते दूसरा सवाल ले लिया जाता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सरकार की इस नीति के वजह से मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए)

प्रदेश में नकली खाद बिक्री के प्रकरण की रोकथाम

'05–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 से अब तक प्रदेश में नकली खाद बिक्री के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं तथा उसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में माह जनवरी, 2013 से दिनांक 07 अगस्त, 2015 तक कुल 29802 उर्वरक नमूने ग्रहीत किये गये। ग्रहीत नमूनों के अधिसूचित प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोपरान्त कुल 1751 नमूने अमानक पाये गये।

प्रदेश में अमानक उर्वरकों की बिक्री को रोकने एवं कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य योजना

बनाते हुए उर्वरक व्यवसाय पर छापे एवं नमूना ग्रहीत करने के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके क्रम में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा छापे मार कर उर्वरक नमूने ग्रहीत करते हुए विश्लेषण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये जा रहे हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा भी प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डलवाये गये। प्रदेश में गत वर्ष 2014–15 में उर्वरक प्रवर्तन की कड़ी कार्यवाही करते हुए 46924 छापे आयोजित कर कुल 13413 नमूने ग्रहीत किये गये। प्रयोगशाला में विलेषणोपरान्त 921 नमूने अमानक पाये गये। अमानक उर्वरक बिक्री एवं अन्य अनियमितताओं के कारण 939 उर्वरक विक्रय प्राधिकार–पत्र निरस्त किये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाइयों के विरुद्ध 95 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। चालू वर्ष 2015–16 में भी दिनांक 07 अगस्त, 2015 तक 8457 छापे आयोजित कर कुल 2967 नमूने ग्रहित किये जा चुके हैं जिनके प्रयोगशाला में विश्लेषणोपरान्त 40 नमूने अमानक पाये गये। 12 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाइयों के विरुद्ध 13 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी के जवाब में बड़े स्पष्ट रूप से पूरा ब्यौरा दिया गया है। 07 अगस्त, 2015 तक कुल 29802 नमूने लिये गये, जिसमें सरकार ने माना कि 1751 नमूने फेल हुये। प्रदेश में गत वर्ष 2014–15 में कुल 46924 छापे आयोजित कर कुल 13413 नमूने लिये गये जिसमें 921 नमूने फेल पाये गये। मा0 मंत्री जी की तरफ से यह सरकार का जवाब आया है। मेरे दो–तीन छोटे–छोटे अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि किसान फर्जी पेस्टिसाइड्स और फर्जी खादों, यूरिया और डी0ए0पी0 से बहुत तंग और परेशान हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इन घटिया बीज और घटिया दवाइयों के कारण जो फसलें क्षतिग्रस्त होती हैं तो नम्बर एक यह कि क्या सरकार इस संबंध में कोई ऐसी योजना बना रही है कि बीमा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसानों के उस घाटे की भरपाई करेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिस क्षेत्र में यह नमूने फेल होते हैं वहां के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर अफसर हों चाहे कोई और बड़े अधिकारी हों, क्या उनके खिलाफ भी कोई प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? अब तक कितने लोगों को सजा हुयी और कितनों को दण्डित किया गया, एक यह जानकारी चाहता हूं ? यह जो घटिया खाद, घटिया बीज और घटिया दवाइयां बंट रहीं हैं तो क्या सरकार कोई इस तरह का प्रभावी कानून बना रही है जिससे कि लोग सावधानी से भविष्य में अच्छे काम करें और किसान इस परेशानी से बचें। मेरा चौथा सवाल यह है कि गलत दवाई जो खरपतवार मारने वाली है, से मेरे अलीगढ़ जनपद में अभी कम से कम 500 बीघा जमीन बजाय खरपतवार मरने के पूरा धान ही खत्म हो गया। इस बात की जानकारी मैंने जिलाधिकारी, अलीगढ़ को दी। जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने इस पर जांच बैठायी। जॉच बैठाने में जवाब आया कि जो दवाई बिक्रीकर्ता था, खाद बिक्रीकर्ता था उसने कहा कि यह तो कम्पनी का दोष है। उसने कम्पनी पर डाल दिया।

कम्पनी ने यह कहा कि हमनें तो इनको अच्छी दवाई और अच्छी खाद दी थी, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी, इसकी लाएबिलिटी किसके ऊपर पड़े ? किसान के तो 500 बीघा धान मारे गये हैं और मेरे खुद के भी 100 बीघा धान मारे गये हैं। अब यह क्षति जो किसान की हो रही है इसकी जिम्मेदारी सरकार किस पर डालेगी, बीमा द्वारा इसे कवर करायेगी या कम्पनी से इसे कवर करायेगी ? मैंने चार–पांच प्रश्न किये हैं जिनका उत्तर मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये। प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री राजीव कुमार सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि श्री राम रतन, राम प्रकाश, अतरोली, अलीगढ़, लाईसेंस निरस्त वर्ष 2014–15, मेसर्स श्याम ट्रेडर्स गोतारी अलीगढ़, मेसर्स ओम ट्रेडर्स अलीगढ़ मे0 राधारानी कृषि रक्षा केन्द्र, जकतारी, अलीगढ़, मे0 प्रिंस खाद भण्डार, कोटाखास, अलीगढ़, मे0 कोहिनूर फर्टिलाइजर, धनीपुर मण्डी, अलीगढ़, मे0 चौधरी खाद भण्डार, हस्तवर, अलीगढ़, मे0 ओम ट्रेडर्स, अलीगढ़।

श्री दलबीर सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

श्री राजीव कुमार सिंह–

मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अलीगढ़ के छापों की संख्या है 1162, नमूनों की संख्या 267, अमानक नमूने 17 हैं, लाइसेंस निरस्त हैं 8, लाइसेंस निलम्बित हैं 17, एफ0आई0आर0 है 01।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अगला प्रश्न ले रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से छापों के सम्बन्ध में बताया, अच्छी बात है कि इन्होंने उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए लेकिन मुझे पूरी जानकारी है, जो लाइसेंस होल्डर्स थे, लगभग–लगभग सभी ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से लाइसेंस ले लिए, जितने लाइसेंस आपने निरस्त किए हैं, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। यह जो लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं, जो किसान का लाखों–लाख रुपये का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई किसके द्वारा की जायेगी, प्रश्न मेरा यह है, इसके लिए मैं सरकार से जवाब चाहता हूं।

श्री राजीव कुमार सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 सदस्य लिखकर भेज दें, उसकी जांच करा ली जायेगी और उस पर कार्यवाही होगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नकली खादों के रोकथाम के लिए यह मूल प्रश्न था और इसमें पूछा गया है कि नकली खादों के रोकथाम के लिए क्या–क्या कदम उठाये गए हैं ? हम यह आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि नकली खादों के रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार ने एक योजना बनायी है, 'नीम कोटेड यूरिया', एक साल से इसकी घोषणा हो रही है, क्या प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी है कि नीम कोटेड यूरिया कब से आयेगी, जिससे इस प्रदेश के किसानों को नकली खादों से बचाया जा सके। क्या केन्द्र सरकार से ऐसी कोई सूचना आपको मिली है और वह खाद आना शुरू हो गई है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राजीव कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भी फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां हैं, सभी भारत सरकार के अण्डर में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से उसका कोई वास्ता नहीं है और उन्हीं को भेजना है और भारत सरकार से ही जो चीजें आयेंगी, उसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न संख्या–6, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन किसानों को इसके कारण नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

किसान की कृषि योग्य भूमि की जांच कराकर उसे मृदा कार्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक

'06–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि भूमि के मृदा परीक्षण की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक किसान की कृषि योग्य भूमि की जांच कराकर उसे मृदा कार्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में ''अपनी मिट्टी पहचानें अभियान'' (मृदा परीक्षण) कार्यक्रम के अन्तर्गत माह जुलाई, 2015 तक प्रदेश के विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं पर 400041 मृदा नमूने प्राप्त हुए जिनमें 226646 मृदा नमूनों का विश्लेषण कर चयनित फसलों हेतु सन्तुलित उर्वरक एवं खादों के प्रयोग की संस्तुति मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से 219956 कृषकों को उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार की केन्द्र पोषित मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है जिसकी कार्य योजना भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है। उक्त योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी कृषकों को 03 वर्ष में निःशुल्क रूप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की है।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के एक तिहाई ग्राम पंचायतों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, यथाशीघ्र उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों से ग्रिड के आधार पर मृदा नमूने प्राप्त कर विश्लेषणोपरान्त, ग्रिड से आच्छादित सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

भारत सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के अनुसार 03 वर्ष में समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि प्रदेश की विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं पर 400041 मृदा नमूने प्राप्त हुए और उनमें से केवल 226646 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया, यानी कि लगभग 50 परसेण्ट के करीब। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अधिकतर जो सदस्य आते हैं वह किसान परिवारों से आते हैं और हम सब जानते हैं कि कृषि की जानकारी के अभाव में किसान अपनी भूमि में ज्यादा उर्वरक डाल रहा है जिससे उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी जानना चाहती हूं और यह कहना भी चाहती हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित कर रखा है। मृदा परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिए केन्द्र की सरकार ने इसमें अलग से बजट की व्यवस्था की है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूं जैसा कि आपने कहा और आपके जवाब में है कि 50 प्रतिशत का विश्लेषण किया गया है। आगे आने वाले 03 वर्षों में क्या आप अपनी मोबाइल लैब शुरू करके, स्वयं किसानों के पास जा करके उनकी भूमि का नमूना ले करके टेस्ट कराएंगे।

श्री राजीव कुमार सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मृदा परीक्षण में, यह 03 वर्ष का कार्यक्रम है। इसमें कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत अपनी मिट्टी पहचानो मृदा

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अभियान का परीक्षण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में संचालित है। अद्यतन प्रगति माह जुलाई, 2015 तक निम्नवत् है। मृदा नमूना का वार्षिक लक्ष्य संख्या 4020000, प्रयोगशालाओं को प्राप्त नमूना माह जुलाई एक 2015 तक संख्या 400041, प्रयोगशालाओं

द्वारा विश्लेषित मृदा नमूनों की संख्या 226646, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वार्षिक लक्ष्य संख्या 3819000 कृषकों को उपलब्ध कराए।

श्री बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या आगे 03 वर्षों में उपलब्ध करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, अब समय समाप्त हो गया।

प्रदेश में स्थापित सभी विश्वविद्यालयों में समान कक्षाओं/डिग्रियों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में नीति

'07–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित सभी विश्वविद्यालयों में समान कक्षाओं/डिग्रियों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जा रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है एवं कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास एजेण्डा वर्ष 2015–16 में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी बिन्दु को सम्मिलित किया गया है। जिसके क्रम में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर पर ''न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम'' तैयार कराकर उसे राज्य विश्वविद्यालयों में लागू कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–435/सत्तर–1–2015–16 (26)/2011, दिनांक 20–07–2015 द्वारा डा0 एस0एस0 कटियार, अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

जनपद मेरठ सहित प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता/घोटाले की जानकारी तथा कार्यवाही

'08–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ सहित प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता/घोटाले की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी हां।

जनपद मेरठ में वर्ष 2013–14 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 20–11–2014 के माध्यम से प्राप्त जांच आख्या में दोषी पाये गये तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ श्री संजीव नयन मिश्र को शासन के कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 09–01–2015 द्वारा निलम्बित करते हुये विभागीय कार्यवाही प्रचलित है प्रकरण में अन्तर्गत तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ श्री शिव कुमार ओझा एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ श्री जे0एस0 नेगी को निलम्बित करते हुये विभागीय कार्यवाही शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त जनपद मेरठ की 07 शिक्षण संस्थाओं द्वारा वर्ष 2013–14 की अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत की गयी अनियमितताओं के लिये उक्त संस्थाओं को काली सूची में डालने एवं मान्यता निरस्त कराने एवं उपरोक्त संस्थाओं/दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश निदेशक, समाज कल्याण को दिये गये है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में फसलों में लगने वाले कीटों को खत्म करने के लिये रसायनों के इस्तेमाल को बन्दकर प्राकृतिक कीट नाशकों का ही इस्तेमाल किये जाने सम्बन्धी योजना की जानकारी

'09–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों में लगने वाले कीटों को खत्म करने के लिये रसायनों के इस्तेमाल को बन्द कर प्राकृतिक कीट नाशकों का ही इस्तेमाल किये जाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

9–अनुमोदित सीमा के अन्तर्गत कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग कृषि कार्य के लिये संस्तुत है।

प्रदेश में फसलों में लगने वाले कीटों को खत्म करने के लिये रसायनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा ''विभिन्न पारिस्थितिकीय कीट/रोग नियंत्रण योजना'' संचालित है। इसके अन्तर्गत बायोपेस्टीसाइडस/बायोएजेन्टस का उत्पादन प्रदेश के 09 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा बायोपेस्टीसाइडस/बायोएजेन्टस के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार गोष्ठियों में किया जाता है। विभाग में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान पर बायोपेस्टीसाइडस/बायोएजेन्टस उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे बायोपेस्टीसाइडस/बायोएजेन्टस के प्रयोग में कृषक रूचि ले सकें और विषमुक्त खाद्यान्न उत्पादन कर सकें।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के संचालन की जानकारी

'10–डा0 अरुण कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसके अन्तर्गत गरीबों को उनके कमाऊ व्यक्ति की असामयिक मृत्यु पर आर्थिक मदद दी जाती थी उसे सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गरीबों के हितों को ध्यान रखते हुए उक्त योजना को पुनः संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पूर्व से संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बरसात औसत से कम होने तथा उससे निपटने की सरकार की योजना की जानकारी

'11–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश भागों में इस वर्ष मानसून पिछड़ रहा है और बरसात औसत से कम होने का अनुमान है ? यदि हां, तो किसानों के लिये इस स्थिति से निपटने के लिये कोई कार्य योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दिनांक 02 जून, 2015 को मानसून ऋतु के सम्बन्ध में संशोधित पूर्वानुमान जारी किया गया है जिसके अनुसार उत्तर–पश्चिमी भारत में वर्षा औसत के 85 प्रतिशत होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। मौसम विभाग से माह जून से दिनांक 11 अगस्त, 2015 के मध्य प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में माहवार वर्षा की स्थिति निम्नवत् रही है :–

(दिनांक 11 अगस्त, 2015 तक)

माह	सामान्य (मि0 मी0 में)	वास्तविक वर्षा (मि0मी0 में)	प्रतिशत
जून	95.0	84.4	88.8
जुलाई	280.9	179.9	64.1
अगस्त	97.8	58.4	59.7
जून से अगस्त (दिनांक 11 अगस्त, 2015)	473.7	322.7	68.1

जी हां।

प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 09 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। प्रदेश की कृषि आकस्मिक योजना को प्रभावी बनाने के लिये एग्रोक्लाइमेटिक जोन को 20 एग्रो इकोजोन में विभक्त करते हुये फसलवार कार्य योजना तैयार की गयी है तथा दक्षिण–पश्चिम अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड अंचल में मानसून जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में ही सक्रिय रहता है। अतः इन क्षेत्रों में कम पानी चाहने वाली तथा कम अवधि की फसल/फसल प्रजातियां लगाने की संस्तुतियों की गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के दाम कम होने का लाभ जनता को दिलाने का प्रकरण

'12–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के दाम कम होने का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अभी हाल ही में डीजल पर अतिरिक्त वैट 26.80 प्रतिशत और पेट्रोल पर 17.48 प्रतिशत टैक्स सरकार ने लगाया है, को जनहित में वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। डीजल व पेट्रोल के दाम कम होने का लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों हेतु संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर की दरें अवधारित की गयी हैं।

प्रदेश में कम बारिश को देखते हुये सरकार ने कृत्रिम (क्लाउड सीडिंग) के संदर्भ में सरकार की नीति

'13–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कम बारिश को देखते हुए सरकार ने कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) के सन्दर्भ में कोई नीतिगत निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वृहद भौगोलिक क्षेत्रफल एवं सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये कृत्रिम वर्षा कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की और अनुमन्य धनराशि की नई नीति की जानकारी

'14–श्री नदीम जावेद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की नीति और अनुमन्य धनराशि क्या है ? क्या उक्त नीति के अन्तर्गत पंजीकृत पात्र सभी वृद्ध लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी पात्र वृद्धों को पेंशन दिये जाने हेतु कोई नई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची, 2002 में सम्मिलित गरीब वर्गों के पात्र वृद्धाजनों को पेंशन दिया जाना

अनुमन्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 सूची, 2002 का मानक अपनाये जाने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिये नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का मानक अपनाये जाने की व्यवस्था है।

योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के पात्र वृद्धाजनों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 200/–(रु0 दो सौ मात्र) केन्द्रांश एवं रु0 100/– (रु0 एक सौ मात्र) राज्यांश कुल रु0 300/– (रु0 तीन सौ मात्र) प्रति माह प्रति लाभार्थी दिया जाना अनुमन्य है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धाजनों को रु0 500/– (रु0 पांच सौ मात्र) प्रति माह प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर उन्हें पांच–पांच ग्राम जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत चयनित कर विकसित करने की सरकार की योजना

01–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर उन्हें पांच–पांच ग्राम जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत चयनित कर विकास करने का अवसर सरकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

विकास की दृष्टि से पिछड़े ग्रामों का मा0 जन प्रतिनिधियों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर मण्डी परिषद् के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जनेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन किया जाता है। वर्ष 2015–16 के लिए 1000 ग्रामों के विकास का इस योजनान्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी–2 अभियंत्रण शाखा में कृषि अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरा जाना

02–श्री उपेन्द्र तिवारी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के प्रथम गुरुवार के अता0 प्रश्न सं0–55 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी–2 अभियंत्रण शाखा में कृषि अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं तथा उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी–2 अभियंत्रण शाखा में सीधी भर्ती के कुल 46 पद स्वीकृत हैं। सीधी भर्ती के उक्त स्वीकृत पद में से 37 पद भरे हैं तथा 09 पद रिक्त हैं। रिक्त 09 पदों में से 02 पद पर चयन के उपरान्त नियुक्त किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। शेष 07 पदों पर चयन हेतु अधियाचन, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

03–श्री उपेन्द्र तिवारी–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

लखनऊ में स्थित ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग की सरकारी कालोनी के आवासों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करने विषयक ने0वि0द0 का पत्र

04–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र सं0–104/ने0वि0द0/2015, दिनांक 30–01–2015, जो कि जिला लखनऊ में स्थित ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, लखनऊ की सरकारी कालोनी के आवासों में पानी की सप्लाई सुचारु रूप से सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 नेता विरोधी दल के उक्त पत्र दिनांक 30–01–2015 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, स्थित सरकारी कालोनी में पम्प/सम्प से ओवरहेड टैंक तक नयी पाइप लाइनें बिछाकर कालोनी के आवासों में जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार की योजना

05–श्री वीरपाल राठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार की कोई कारगर योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0ए0) योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित है।

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक खेल मैदान का विकास एवं ब्लाक स्तर पर एक स्पोर्टस काम्पलेक्स का विकास, भारत सरकार के मानकों/दिशा–निर्देशों से आच्छादित होने एवं केन्द्र सरकार से धनराशि की व्यवस्था होने पर किया जा सकेगा।

योजना के अन्तर्गत ब्लाक, जनपद तथा प्रदेश स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिये जाने की जानकारी

06–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 40 लाख पात्रों को 2014–2015 में 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया था ? क्या सरकार द्वारा 2014–2015 के समस्त पात्र व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत कुल 33,35,274 पात्र व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

आगरा में इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना का प्रकरण

07–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश के विश्वविख्यात शहर आगरा में इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा में इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी खेल अवस्थापनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी दिशा–निर्देश में मात्र सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक, सिन्थेटिक हाकी मैदान, सिन्थेटिक फुटबाल मैदान एवं बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। उक्त दिशा–निर्देश में इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद चन्दौली में खेल स्टेडियम बनाया जाना

08–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत जनपद स्तरीय कोई भी खेल का मैदान या स्टेडियम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों के हित में जनपद चन्दौली में खेल स्टेडियम बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद चन्दौली में खेल विभाग का कोई स्टेडियम नहीं है।

जनपद चन्दौली में स्पोर्टस स्टेडियम एवं भूमि क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 200.00 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक उत्सर्जन के प्रदूषण को प्रभावी रूप से रोके जाने विषयक

09–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में औद्योगिक उत्सर्जन के लिये निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितने नमूनों की जांच की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक उत्सर्जन के प्रदूषण को प्रभावी रूप से रोकने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वित्तीय वर्ष 2014–15 में औद्योगिक उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण एवं विश्लेषण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1887 के विरुद्ध 999 औद्योगिक उत्सर्जन के नमूनों की जांच की गई है।

जी हां।

औद्योगिक उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु प्रदेश में स्थित समस्त वायु प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का नियमित सर्वेक्षण कराया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि समस्त इकाइयों में समुचित वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थायें स्थापित एवं संचालित हो। दोषी उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मंत्रीगणों व विधायकों की सुरक्षा में लगे गार्डों को विश्राम व रुकने हेतु विश्रामालय बनाने विषयक

10–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मंत्रीगणों व विधायकों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डों को विधान सभा परिसर में रोक होने के कारण परिसर के

बाहर उनके विश्राम/बैठने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके बैठने व विश्राम हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मा0 मंत्रीगण व मा0 विधायकगण सचिवालय परिसर में सचिवालय भवन के गेट नम्बर–1, 5, 7 व 9 से प्रवेश करते हैं। सचिवालय परिसर स्थित प्रवेश/निकास द्वारों के चारों तरफ व्यस्ततम सड़क होने तथा स्थान की अनुपलब्धता के कारण मा0 मंत्रीगण एवं मा0 विधायकगण की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डों हेतु परिसर के बाहर उनके विश्राम/बैठने की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हाथरस में कस्बा–हसायन में हो रहे गुलाब के उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उठाये गये उपाय

11–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में कस्बा–हसायन में हो रहे गुलाब के उद्योग को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारसनाथ यादव–

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योनान्तर्गत राज्य औद्यानिक मिशन योजना जनपद–हाथरस में क्रियान्वित है। योजना के अन्तर्गत गुलाब की खेती में प्रोत्साहन हेत सामान्य कृषकों को रु0–10,000 प्रति हे0 एवं लघु सीमान्त कृषकों को रु0–16,000 प्रति हे0 का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद हाथरस के कस्बा हसायन क्षेत्र में 30 हे0 कृषक खेतों पर गुलाब की खेती को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के अन्तर्गत ग्राम भरतपुर में नवयुवकों के शारीरिक विकास एवं खेलकूद का बढ़ावा देने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराने का प्रकरण

12–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के अन्तर्गत ग्राम–भरतपुर में नवयुवकों के शारीरिक विकास एवं खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तरीय स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0ए0) योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर भारत सरकार के मानकों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है।

उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में ग्रुप सी तथा डी में कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को भरा जाना

13–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में ग्रुप सी तथा डी में कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से कितने पद अभी तक रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के अन्तर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' के कुल 2105 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 995 पद रिक्त हैं।

राजकीय मुद्रणालय के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप रिक्त पदों में से 517 पदों पर भर्ती नहीं किया जाना है। शेष 478 पदों में से 229 पद सीधी भर्ती के हैं, जिन्हें मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्राविधिक सेवानियमावली 1995 में आवश्यक संशोधन के उपरान्त भरा जा सकेगा। पदोन्नति श्रेणी के 249 पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्रवाई की जा रही है।

जनपद अलीगढ़ में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत (आर0जी0के0ए0) खेल मैदान विकसित कराये जाने के सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

14–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत (आर0जी0के0ए0) खेल मैदान विकसित कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10606175 दिनांक 13–4–2015 द्वारा कार्यवाही कराने का आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में खेल मैदान विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0ए0) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मानकों/दिशा–निर्देशों से आच्छादित होने पर।

भारत सरकार के मानकों/दिशा–निर्देशों से आच्छादित होने एवं धनराशि की व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ क्षेत्र बरौली, में ब्लाक स्तर पर स्पोर्टस हाल तथा आउट डोर खेल मैदान विकसित किये जाने सम्बन्धित पत्र

15–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में ब्लाक स्तर पर स्पोर्ट्स हाल तथा आउट डोर खेल मैदान विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10606180, दिनांक 13–4–2015 द्वारा कार्यवाही कराने का आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र में उल्लिखित ब्लाक मुख्यालय चण्डौस, जवा, लोधा पर स्पोर्ट्स हाल तथा आउट डोर खेल मैदान विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0ए0) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मानकों/दिशा–निर्देशों से आच्छादित होने पर।

भारत सरकार के मानकों/दिशा–निर्देशों से आच्छादित होने एवं धनराशि की व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रीगणों एवं विधायकों के नये सरकारी आवास निर्माण हेतु एक समिति का गठन

16–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के मंत्रीगणों एवं विधायकगणों के नये सरकारी आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके क्षेत्रफल के अनुमोदन हेतु मंत्रीगणों एवं विधायकगणों की एक समिति बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश सरकार के मंत्रीगण एवं विधायकगण के लिए नये सरकारी आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन किये जाने के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

17–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24–03–2015 जो जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सक्षम स्तर पर अनुमोदनार्थ विचार करने हेतु उक्त ग्रामों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

18–श्री मनीष असीजा–

ख1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

कानपुर महानगर के क्षेत्र महराजगंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित पांच क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

19–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर, कानपुर महानगर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित पांच क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–88 आ0स0/2015, दिनांक 14–05–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में अंकित 05 नग मार्गों में से सम्पर्क मार्ग नरवल–टौंस मार्ग से टीकरा चौहान मार्ग का निर्माण कार्य मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित शेष 04 नग मार्गों की मरम्मत हेतु सर्वे करा लिया गया है। मण्ड समिति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कानपुर को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

20–श्री दलवीर सिंह–

खदिनांक 18–08–2015 को उत्तरित,

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ग्राम लक्ष्मणपुर से वजीदापुर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण किया जाना

21–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ग्राम–लक्ष्मणपुर से वजीदापुर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण एवं गुनारा सम्पर्क मार्ग (गल्ला मण्डी के पूर्वी गेट से फर्रुखाबाद मार्ग तक) लम्बाई एक कि0मी0 का मरम्मत कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता (जोन–3) के द्वारा मुख्य अभियन्ता, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ को पत्रांक–अधी0अभि0–3/आगणन/2014, दिनांक 7–10–2014 भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में नवीन सम्पर्क मार्ग मद में समुचित बजट प्राविधान न किये जाने के कारण प्रश्नगत मार्ग ग्राम–लक्ष्मणपुर से वजीरापुर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने में कठिनाई है।

मण्डी समिति, जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा कुल 45 नग सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है, जिनमें से कतिपय मार्ग अत्यधिक आवागमन एवं समयान्तराल के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक मार्ग सिकन्दरपुर से देवरनिया सम्पर्क मार्ग लम्बाई 5.15 किमी0 लागत रु0 117.93 लाख की मण्डी विकास निधि से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं शेष मार्गों हेतु धनाभाव के कारण मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन पात्रता वाले वृद्धों को बजट के अभाव में न देने का प्रकरण

22–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ऐसे कितने वृद्ध नागरिक हैं जिनके वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन–पत्र माह मई, 2015 तक स्वीकृत एवं पात्रता श्रेणी में होने के बावजूद बजट अभाव के कारण वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ? क्या सरकार इन वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने हेतु बजट धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत माह मई, 2015 तक बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित पात्रता की श्रेणी में आने वाले किसी भी आवेदक का कोई आवेदन पत्र बजट के अभाव में भुगतान हेतु लम्बित नहीं है।

उक्त स्थिति में योजनान्तर्गत भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, गभाना, अलीगढ़ में बी0एड0, एल0एल0बी0, एम0ए0 की कक्षायें संचालित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

23–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना स्थित मान्यवर कांशीराम डिग्री कालेज में छात्र व छात्राओं हेतु बी0एड0, एल0एल0बी0, एम0ए0 की कक्षाएं संचालित न होने से छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कक्षाएं आरम्भ कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, गभाना, अलीगढ़ में बी0एड0, एल0एल0बी0, एम0ए0 की कक्षाएं संचालित किये जाने की कोई योजना नहीं है। स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत आस–पास संचालित महाविद्यालयों में उक्त पाठयक्रम में अध्ययन हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत गांव कबूलपुर से नगला शिशीया तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

24–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव कबूलपुर से नगला शिशीया तक मण्डी परिषद् निर्मित सड़क में जगह–जगह गहरे गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। जनपद आगरा के 90, ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कबूलपुर एवं नगला शिशिया को जोड़ने हेतु मण्डी परिषद् द्वारा सम्पर्क मार्ग ग्वालियर रोड से कबूलपुर नगला शिशीया होते हुए ककरारी तक का निर्माण दो भाग में क्रमशः लम्बाई 3.16 कि0मी0 एवं 0.87 कि0मी0 कुल 4.03 कि0मी0 में वर्ष 1989–90 में कराया गया था। सम्पूर्ण लम्बाई में वर्ष 2005–06 में मरम्मत कार्य भी कराया गया है। प्रश्नगत मार्ग समयान्तराल के कारण वर्तमान में मरम्मत योग्य है।

मरम्मत हेतु जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय मण्डी समिति के पास धन उपलब्ध होने की स्थिति में प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में कतिपय तीन स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

25–श्री अजय कुमार 'लल्लू'

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में कतिपय तीन स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10474240/2014, निदेशक, कृषि मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मण्डी समिति कुशीनगर की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण मार्गों की स्वीकृति में कठिनाई है।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री सुरेश राणा–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

जनपद फिरोजाबाद के आलू उत्पादकों की सुविधा एवं प्रोत्साहन के लिये कोई विशेष कार्य योजना का विवरण

27–श्री मनीष असीजा–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जनपद फिरोजाबाद के आलू उत्पादकों की सुविधा एवं प्रोत्साहन के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव–

जी हां।

निदेशालय कृषि सांख्यकीय एवं फसल बीमा, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में वर्ष 2014–15 में 129.86 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ, जिसमें जनपद फिरोजाबाद में 13.47 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है।

सरकार द्वारा आलू किसानों के लिए जनपदवार कोई योजना नहीं बनायी जाती है।

प्रदेश के आलू उत्पादक कृषकों हेतु शीतगृह निर्माण एवं आलू निर्यात से सम्बन्धित कार्य योजना पूर्व से संचालित है।

प्रदेश में बढ़ते हुए आलू उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए आलू भण्डारण के लिए शीतगृहों के निर्माण एवं भण्डारण क्षमता के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 121.24 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है, जिसमें जनपद फिरोजाबाद में उपलब्ध क्षमता 13.71 लाख मीट्रिक टन की है, जो जनपद के आलू उत्पादन से अधिक है।

आलू निर्यात के प्रोत्साहन हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0प्र0 स्तर से उ0प्र0 पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसायटी के सदस्यों द्वारा देश से बाहर आलू निर्यात किये जाने की दशा में ब्राण्ड प्रमोशन सहायता हेतु रु0 0.50 प्रति किलोग्राम तथा परिवहन अनुदान रु0 02.00 प्रति किलोग्राम की दर से अनुमन्य कराया जा रहा है।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद स्थित दाऊदयाल स्टेडियम में एक ओलम्पिक स्तर के तरणताल का निर्माण की मांग

28–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तैराकी को बढ़ावा देने के लिये जनपद फिरोजाबाद स्थित दाऊदयाल स्टेडियम में एक ओलम्पिक स्तर के तरणताल के निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण एवं प्रशिक्षक/जीवन रक्षक के पद स्वीकृत न होने के कारण जनपद फिरोजाबाद के स्टेडियम में एक ओलम्पिक स्तर के तरणताल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत का उत्सर्जित गन्दा पानी खकरा एवं साडा नदी में बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल बरखेड़ाकलां आदि का गन्दा पानी नदियों में शुद्ध करके डाले जाने का प्रकरण

29–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की कोई योजना नदियों में चीनी मिलों द्वारा उत्सर्जित गन्दा पानी के प्रवाह को रोकने की है ? यदि हां, तो क्या एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत का उत्सर्जित गन्दा पानी खकरा एवं सडा नदी में, बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल बरखेड़ाकलां एवं नोवेल शुगर इकाई बरखेड़ाकलां का उत्सर्जित गन्दा पानी दियोहा एवं अमेड़ी नदी में बजाज चीनी मिल मकसूदापुर (शाहजहांपुर) के उत्सर्जित पानी को नदी खन्नौत में एवं डालमियां चीनी मिल का उत्सर्जित गन्दा पानी कमुआ एवं कटना नदी में प्रवाहित किये जाने पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मै0 एल0एच0 शुगर, पीलीभीत चीनी इकाई में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसके माध्यम से उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप उपचारित कर पुनः प्रयोग किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में इसका निस्तारण साण्डा नाले के माध्यम से देवहा नदी में किया जाता है।

मै0 बजाज हिन्दुस्तान, बरखेड़ा, पीलीभीत चीनी इकाई में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसके माध्यम से उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप उपचारित कर पुनः प्रयोग किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में उत्प्रवाह का निस्तारण स्थानीय नालों द्वारा अमेड़ी नदी में किया जाता है जो कि देवहा नदी में मिलती है।

मै0 नोवल शुगर लि0, बरखेड़ा, पीलीभीत (खाण्डसारी इकाई) में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसके माध्यम से उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप उपचारित कर पुनः प्रयोग किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में इसका निस्तारण स्थानीय नाले द्वारा अमेड़ी नदी में किया जाता है, जो कि देवहा नदी में मिलती है।

मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, मकसूदापुर, शाहजहांपुर चीनी इकाई में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसके माध्यम से उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप चारित कर, पुनः प्रयोग किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में इसका निस्तारण नाले द्वारा खन्नौत नदी के माध्यम से गर्रा नदी में किया जाता है।

मै0 डालमियां चीनी मिल्स, निगोही, शाहजहांपुर चीनी मिल इकाई में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसके माध्यम से उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप उपचारित कर, पुनः प्रयोग किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में इसका निस्तारण कैमुआ नाले द्वारा कटना नदी के माध्यम से गर्रा नदी में किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित चीनी/खण्डसारी इकाइयों को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 25/26 के अन्तर्गत वर्ष 2015 तक सहमति (जल) प्रदत्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र में पर्यावरण विभाग से एन0ओ0सी0 लिये बिना भी क्रेशर मशीन चलाये जाने के प्रकरण में कार्यवाही किया जाना

30–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में पर्यावरण विभाग से एन0ओ0सी0 लिये बिना भी क्रेशर मशीन चलाये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद सोनभद्र में बिना एन0ओ0सी0 (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) के कार्यरत 26 स्टोन क्रेशर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर बंदी आदेश जारी कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र स्थित हिण्डालको रेणु सागर पावर प्लान्ट से निकलने वाले राख का निस्तारण का मामला

31–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र स्थित हिण्डालको रेणु सागर पावर प्लान्ट से निकलने वाले राख का निस्तारण सिंगरौली रोड पर एक काश्तकार की जमीन पर बिना पर्यावरण विभाग से एन0ओ0सी0 लिये ही भारी भराव किया जा रहा है, जिससे जन–जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? क्या सरकार उक्त पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

मैसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 (रेनूसागर पावर डिवीजन), रेनूसागर, सोनभद्र की विछडी स्थित ऐश डास्क से निकलने वाली राख को उद्योग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–एफ0 45997/सी0–9/शिकायती–5/हिण्डालको इण्ड/14, दिनांक 14–7–2014 द्वारा अनुमति प्राप्त कर सिंगरौली रोड पर मिट्टी एवं राख द्वारा भूमि के समतलीकरण का कार्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नेत्रहीन/विकलांगों का समूह ग में भर्ती का बैकलाग पूरा किया जाना

32–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समूह ग के पदों पर नेत्रहीन/दृष्टिबाधित विकलांग जन के बैकलाग पूर्ण करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नेत्रहीन/विकलांगों का समूह ग में भर्ती का बैकलाग पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां।

जी हां।

अभियान चलाकर बैकलाग पूर्ण कराने हेतु शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 बीज विकास निगम में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जाना

33–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 बीज विकास निगम में स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध एक ही स्थान पर 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक ही स्थान पर दस वर्षों से अधिक समय से तैनात समूह 'क' में कोई अधिकारी नहीं है। समूह 'ख' में 03 अधिकारी हैं, जिसमें एक अधिकारी मुख्यालय के एक मात्र पद सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर कार्यरत हैं तथा वह गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हैं, दूसरे अधिकारी अपने पद के दायित्वों के साथ–साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय) का भी कार्य वर्ष 2008 से देख रहे हैं, तीसरे अधिकारी नवम्बर, 2016 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो दो वर्ष से कम अवधि के हैं। इसलिये इनके स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं।

समूह 'ग' में कुल 37 स्थानान्तरण किये गये हैं, जो दस प्रतिशत से अधिक हैं। इससे अधिक स्थानान्तरण करने पर निगम को अधिक वित्तीय व्यय भार वहन करना होगा।

समूह 'घ' में दस वर्ष से अधिक की तैनाती की कोई नीति नहीं है। इसलिये इनके स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं। निगम की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत 10 प्रतिशत से अधिक स्थानान्तरण किये जाने पर निगम द्वारा व्यय भार वहन करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

34–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

ख1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद पीलीभीत में क्षेत्र पंचायत विलसण्डा व नगर विलसण्डा में उपमण्डी अधिष्ठापित करने विषयक

35–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की, कृषि उत्पादों का सघन क्रय–विक्रय होने वाले स्थलों पर उप मंडिया अधिष्ठापित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद पीलीभीत में क्षेत्र पंचायत विलसण्डा मुख्यालय व नगर विलसण्डा में धान मिलों की बाहुल्यता एवं कृषि उत्पादन में क्रय–विक्रय का केन्द्र होने के कारण उप मण्डी अधिष्ठापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रकरण में उपयुक्त भूमि का चयन प्रक्रियान्तर्गत है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को दिया जाने वाला अनुदान तथा अनुदान की प्रति कुन्तल धनराशि की जानकारी

36–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के किसानों को किन–किन बीजों पर अनुदान देती है और अनुदान की प्रति कुन्तल धनराशि क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत जायद/खरीफ में धान, उर्द, मूंग, अरहर, तिल एवं मूंगफली तथा रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर के प्रमाणित बीजों पर तथा खरीफ में धान, मक्का एवं बाजरा एवं रबी में राई के संकर बीजों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है और वर्ष 2015–16 में अनुदान की प्रति कुंतल धनराशि निम्नवत् है :–

फसल		अनुदान धनराशि (रु0 / कुं0)	केन्द्रीय अनुदान (रु0 / कुं0)
धान गेहूं	10 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	400	रु0 1000 प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। (चयनित जनपदों में)
	10 वर्ष से 15 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	200	शून्य
जौ	10 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	400	रु0 1500 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
	10 से 15 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	200	शून्य
दलहन	10 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	800	रु0 2500 प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत (15 वर्ष तक की प्रजातियों पर) जो भी कम हो।
	10 से 15 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	600	––
तिलहनी फसल	10 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	800	रु0 1200 प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत (15 वर्ष तक की प्रजातियों पर) जो भी कम हो।
	10 से 15 वर्ष तक अधिसूचित प्रजातियों के बीज	600	––
तिल	वर्ष 2015–16 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में तिल की समस्त प्रजातियों के बीजों पर विशेष अनुदान	8000	––
संकर बीज	धान	8000	रु0 5000 प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत (10 वर्ष तक की प्रजातियों पर) जो भी कम हो।
	मक्का	5000	रु0 5000 प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत (10 वर्ष तक की प्रजातियों पर)

फसल		अनुदान धनराशि (रु0/कुं0)	केन्द्रीय अनुदान (रु0/कुं0)
			जो भी कम हो)
	बाजरा	5000	–
	ज्वार	–	–
	संकर तिलहन फसल	–	रु0 2500 प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत (15 वर्ष तक की प्रजातियों पर) जो भी कम हो।

बस्ती मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों को पुनः मरम्मत/निर्माण कराना

37–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बस्ती मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2002 के पहले जिन–जिन सड़कों का निर्माण कराया गया था वर्तमान में सभी सड़कें जर्जर एवं आवागमन योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2002 के पूर्व बस्ती मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों को पुनः मरम्मत/निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मण्डी समिति बस्ती की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनकी देखरेख/उपचार हेतु विकलांग पेंशन दिया जाना

38–श्री मनीष असीजा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनकी देखभाल/उपचार आदि के चलते सरकार विकलांग पेंशन प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

18 वर्ष से कम आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के लालन–पोषण हेतु उनके माता अथवा पिता, जो समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हों, को समाजवादी पेंशन दिये जाने का निर्णय दिनांक 20.05.2014 को राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हिण्डाल की रेणुसागर पावर प्लान्ट द्वारा निकलने वाली राख को बन्द ट्रकों में ले जाना

39–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिण्डालको रेणुसागर पावर प्लान्ट द्वारा प्लान्ट से निकलने वाली राख की ढुलाई खुली ट्रकों से किये जाने के कारण सड़कों पर बिखर जाती है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक , यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

मैसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 (रेणुसागर पावर डिवीजन) रेणुसागर, सोनभद्र में शुष्क राख एकत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा राख की ढुलाई बन्द ट्रकों के माध्यम से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में एक लेदर पार्क स्वीकृत के अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाना

40–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में 900 बीघा में एक लेदर पार्क स्वीकृत हुआ था जिसका लगभग आधा कार्य हो गया है बाकी निर्माण बन्द पड़ा है। क्या सरकार अपूर्ण लेदर पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यूपीएसआईडीसी, द्वारा जनपद आगरा में लेदर पार्क की स्थापना हेतु 111.039 हैक्टेयर/274.377 एकड़ भूमि अर्जित की गई। उक्त भूमि पर लेदर पार्क की स्थापना हेतु विकास कार्य कराये जा रहे थे। परन्तु मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली ने श्री रामेश्वर सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य सम्बन्धी पी0आई0एल0 ओ0ए0 सं0–125/2013 में दिये गये निर्देश दिनांक 30–05–2013 में लेदर पार्क योजना में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हैं तत्क्रम में योजना का कार्य स्थगित है।

प्रश्नगत परियोजना में उपरोक्त कारणों से यथास्थिति बनी हुई है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति देने हेतु आर्थिक सीमा के अन्तर्गत नीति बनाना

41–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु आर्थिक सीमा के साथ ही साथ उच्च तकनीकी शिक्षा में मेरिट को भी आधार बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों और वह नीति क्या होगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु।

उपरोक्तानुसार।

गेहूं व धान पर वैट समाप्त करने की मांग

42–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 के चुनाव घोषणा–पत्र में उन्होंने गेहूं व धान पर वैट कर समाप्त करने का वादा किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

समाजवादी पार्टी के घोषणा–पत्र में खाद्यान्न को व्यापार कर से मुक्त किया जाना शामिल था।

ज्वार एवं बाजरा वैट से मुक्त है। शेष पर कार्रवाई सरकार की प्राथमिकताओं में है।

प्रश्न नहीं उठता।

43–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव फरह व राया के 15 ग्रामों के विकास के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

44–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव फरह व राया के 15 ग्रामों के विकास हेतु जनेश्वर मिश्र ग्रामीण विकास योजना में चयन करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 02–06–2014 तथा दिनांक 09–08–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों को सूचीबद्ध किया गया था, किन्तु इनके चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में राया व बल्देव ब्लाकों की भूमि के अधिग्रहण के निर्णयानुसार गांवों में आने–जाने के लिये एक्सप्रेस–वे के नीचे सर्विस रोड का निर्माण कराया जाना

45–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्ष पूर्व दिल्ली–नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं कंशैसनायर मे0 जेपी इन्फाटैक

लि0 द्वारा यमुना एक्सप्रेस–वे के निर्माण के समय जनपद मथुरा में राया व बल्देव ब्लाकों के भूमि अधिग्रहण करते समय यह सुनिश्चित किया गया था कि क्षेत्रीय जनता के आवागमन एवं अपने गांवों में आने–जाने के लिये एक्सप्रेस–वे के नीचे (बराबर) सर्विस रोड का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सर्विस रोडों का निर्माण कब तक सुनिश्चित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। डी0पी0आर0/कंशैसन अनुबन्ध के प्रस्तर–7.3.2 के प्राविधानों के अनुसार कुल 41.900 किमी0 सर्विस रोड बनाई जानी थी।

उक्त प्राविधानों के अनुसार राया ब्लाक में 3.29 किमी0 तथा बल्देव ब्लाक में 1. 24 किमी0 सर्विस रोड बनाई जानी थी, जिसके सापेक्ष मई 2013 तक कुल 65 किमी0 लम्बाई में सर्विस रोड बनाई जा चुकी है, जिसमें से 3.54 किमी0 सर्विस रोड राया ब्लाक में तथा 1.24 किमी0 लम्बी रोड बल्देव ब्लाक में बनाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के 5 गांवों का विकास करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

46–श्रीमती सीमा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर में जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम योजना में शामिल किये जाने हेतु 5 गांवों का प्रस्ताव विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5/226744, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्नगत पत्र वित्तीय वर्ष 2015–16 में नही बल्कि 2014–15 में प्राप्त हुआ था।

पत्र प्राप्त होने के समय वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में ग्रामों के चयन का लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

हिन्डालको रेणुसागर पावर प्लान्ट से निकलने वाली राख को सिंगरौली रोड पर डालने से फैल रहे प्रदूषण को रोका जाना

47–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्डालकों रेणुसागर पावर प्लान्ट से निकलने वाली राख को सिगरौली रोड पर खुले में डाले जाने से नालों के माध्यम से वह रिहन्द जलाशय में जा रही है जिससे रिहन्द जलाशय का पानी प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर प्रतिबन्ध लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2015–16 में समाजवादी पेंशन योजना द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का प्रकरण

48–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015–16 में समाजवादी पेंशन योजना द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर कितने गरीब परिवारों को लाभान्वित किये जाने की योजना है ? क्या सरकार तत्सम्बन्धी विवरण उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

वर्ष 2015–16 में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर 45 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।

समाजवादी पेंशन योजना से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 14–05–2015 *संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित बिना भवन के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण की सरकार की योजना की जानकारी

49–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित बिना भवन के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु कोई प्राविधन/व्यवस्था नहीं है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के जर्जर 08 मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

50–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29–04–2015 एवं दिनांक 10–06–2015 जो जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के जर्जर 08 मार्गों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में था, निदेशक, मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* (नत्थी 'क' देखिये आगे पृष्ठ–209–216 पर।)

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 29–04–2015 में उल्लिखित मार्ग मण्डी समिति धामपुर क्षेत्रान्तर्गत आते हैं। मण्डी समिति, धामपुर की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण मार्गों की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है। पत्र दिनांक 10–06–2015 में उल्लिखित मार्गों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में निर्मित हो रहे उत्पादों को हैण्डीक्राफ्ट की श्रेणी में लाते हुए वैट मुक्त करने की मांग

51–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हैण्डीक्राफ्ट की नई परिभाषा में यह कहा गया है हैण्डीक्राफ्ट उसे माना जायेगा, जिसमें मानव हस्त कौशल के उपयोग के अलावा मशीन के प्रयोग से भी उसमें नया कलात्मक आयाम जोड़ा जाता हो ? यदि हां, तो फिरोजाबाद में हाथ से बने छोटे–बड़े उत्पाद जैसे माउथ ब्लोइंग ग्लास, फूलदान, पेपरवेट आदि विभिन्न उत्पाद बिना बिजली के हस्तचलित प्रेस द्वारा निर्मित होते हैं परन्तु विभाग द्वारा वैट वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद में निर्मित हो रहे उपरोक्त उक्त उत्पादों को हैण्डीक्राफ्ट की श्रेणी में लाते हुये वैट मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मा0 उच्चतम न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विभाग के संज्ञान में नहीं है।

उल्लिखित उत्पादों पर वैट वसूला जाता है, क्योंकि ये उत्पाद हैण्डीक्राफ्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण से उत्पन्न खतरे को रोकने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना की जानकारी

52–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त के लिये कोई कार्य योजना बनाएगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या होगा ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय गुणता में सुधार लाने एवं प्रदूषण नियंत्रण किये जाने के उद्धेश्य से गाजियाबाद, नोयडा, कानपुर, सोनभद्र, आगरा, वाराणसी–मिर्जापुर, लखनऊ में पर्यावरण सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई गई है, जो क्रियान्वित है। कार्ययोजना के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रमुख कार्य जैसे– उद्योगों में उपर्युक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना, वाहनों हेतु उपलब्धता के आधार पर स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति किया जाना, हरित पट्टिका का विकास किया जाना, निर्माण कार्यों में जनित डस्ट का नियंत्रण किया जाना, विद्युत की सुचारू आपूर्ति किया जाना आदि सम्मिलित है।

वाहन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बरेली, मथुरा एवं फिरोजाबाद शहरों में सी0एन0जी0 की आपूर्ति की जा रही है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 20 शहरों की परिवेशीय वायु गुणता का नियमित अनुश्रवण 54 चिन्हित स्थलों पर किया जाता है, जिसके परिणामों के अनुसार शहरों की परिवेशीय वायु गुणता में सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड लगभग समस्त अनुश्रवण स्थलों पर मानकों के अनुरूप पाये गये हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा समस्त अनुश्रवण स्थलों पर मानकों से अधिक पाई गई है।

प्रदेश में धान उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों के धान उपज की लागत कम करने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

53–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 में धान की फसल का उत्पादन लक्ष्य कितना था ? क्या सरकार के पास धान उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों के धान उपज की लागत कम करने हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (चावल घटक) 23 जनपदों यथा अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, संतकबीरनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, अमेठी, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती में लागू है। उक्त के अतिरिक्त पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना (बी0जी0आर0ई0आई0) 14 जनपदों यथा इलाहाबाद, कौशाम्बी, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र, भदोही, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर एवं गोण्डा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के अन्तर्गत 'एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम' चावल (आई0सी0डी0पी0) योना शेष 38 जनपदों यथा सहानपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, एटा, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बिजनौर, सम्भल, अमरोहा,

फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, खीरी लखीमपुर एवं बाराबंकी में लागू है, इन योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान पर उन्नतिशील प्रजातियों के बीज/संकर बीज, कृषि रक्षा रसायन/बायोएजेण्ट, विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्र, सिंचाई प्रबन्धन के लिए पम्प सेट तथा पानी ले जाने हेतु पाईप उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अधिकतर स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को कम वेतन का भुगतान तथा अन्य सुविधाओं से वंचित किये जाने की दशा में उन्हें सुविधायें दिलाया जाना

54–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23–08–2011 को जारी शासकीय पत्र संख्या 2218/सत्तर–2– 2011–16(409)/2010 में यह माना गया है कि उच्च शिक्षा के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को अत्यन्त कम वेतन का भुगतान हो रहा है और उन्हें कतिपय अन्य सुविधायें भी प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा उसमें उक्त समस्या के निराकरण हेतु मार्गदर्शन दिशा–निर्देश निर्गत करे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद प्रदेश के अधिकतर स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को आज भी अत्यन्त कम वेतन का भुगतान तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों को सुविधायें दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक 23–08–2011 द्वारा दिशा निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त शासनादेश में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के सभी विकलांगजनों को विकलांग पेंशन स्वीकार किया जाना

55–श्री मनीष असीजा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में ऐसे कितने विकलांगजन हैं, जो पात्रता श्रेणी में स्वीकृत होने के बावजूद बजट के अभाव में विकलांग पेंशन की सुविधा से वंचित हैं ? क्या सरकार इनके लिये तत्काल बजट जारी कर उक्त जनपद के सभी विकलांगजनों को विकलांग पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जनपद फिरोजाबाद में 809 पात्र पेंशन आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं।

विकलांग पेंशन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन बजट के अभाव में भुगतान न होने का मामला

56–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में ऐसे वृद्धजन जिनके वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन–पत्र पात्रता श्रेणी में स्वीकृत होने के बावजूद बजट के अभाव में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कराने हेतु तत्काल बजट का प्राविधान कर सभी पात्रता श्रेणी के वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित पात्रता की श्रेणी में आने वाले किसी भी आवेदक का कोई आवेदन–पत्र बजट के अभाव में भुगतान हेतु लम्बित नहीं है।

उक्त स्थिति में योजनान्तर्गत भुगतान हेतु बजट प्राविधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित 12वीं एवं इसके आगे की कक्षा के छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रेल लिपियुक्त लैपटाप निःशुल्क वितरित करने की संचालित योजना

57–श्री मनीष असीजा–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित 12वीं एवं इसके आगे की कक्षा के छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रेल लिपियुक्त लैपटाप निःशुल्क वितरित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्बिका चौधरी–

विकलांग जन विकास विभाग के अन्तर्गत लैपटाप वितरित किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

लागू नहीं।

58–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

जनपद–चन्दौली, वि0ख0 नियमताबाद की ग्राम सभा–पटनवां में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 राजस्व औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड–वाराणसी द्वारा दी गई मकानों को नोटिस के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

59–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली, वि0ख0 नियमताबाद की ग्राम सभा–पटनवां में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 राजस्व औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड–वाराणसी द्वारा 40 से 50 वर्षों से उक्त ग्रामसभा में मकान बना कर रह रहे

लोगों को जबरदस्ती हटाने की नोटिस उनके मकान पर चस्पा कर दिये जाने के प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0 321614, दि0 23–06–2015, जिलाधिकारी जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

कतिपय ग्रामीणों द्वारा गांव सभा भूमि से अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र की भूमि सड़क आदि पर घुसपैठ कर अवैध कब्जा किया गया है। इस समबन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस दी गयी है।

जी हां।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार चन्दौली से जांच करायी गयी, जिसके अनुसार कतिपय ग्रामीणों द्वारा गांव सभा भूमि से अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, सड़क आदि पर घुसपैठ कर अवैध कब्जा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

60–श्री राजकुमार रावत–

खदिनांक 18–08–2015 को उत्तरित,

जनपद–बलरामपुर में कार्यरत उप कृषि निदेशक के द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार युक्त कार्यों के विरुद्ध मा0 विधायक का पत्र

61–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलरामपुर में कार्यरत उप कृषि निदेशक के द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार युक्त कार्यों के विरुद्ध मा0 विधायक, सदर–बलरामपुर का पत्र दिनांक 29–06–2014, श्री राम कुमार यादव, महासचिव, समाजवादी पार्टी, बलरामपुर का पत्र दिनांक 13–06–2014 तथा श्री आदिल हुसैन, जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का पत्र दिनांक 08–07–2014 प्रमुख सचिव कृषि, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13/2015/1152/12–1–15–200(4)/2015 टी0सी0, दिनांक 03–07–2015 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार शाही, उप कृषि निदेशक, बलरामपुर का स्थानान्तरण केन्द्र अध्यक्ष, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मऊरानीपुर, झांसी के पद पर किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद क्षेत्र रूदौली की नौ ग्राम पंचायतों को जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

62–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद की नौ ग्राम पंचायतों को जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित किये जाने के

सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29–05–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायतों को चयनित कर आधारभूत सुविधाओं हेतु कब तक धन आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। पत्र में नौ ग्राम पंचायतें नहीं बल्कि दस ग्राम पंचायतें अंकित हैं।

पत्र में अंकित ग्रामों को सूचीबद्ध किया गया था, किन्तु इनके चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन नहीं प्राप्त हो सका। अतः धन आवंटित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

63–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या– 578985/7726, दिनांक 22–06–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। प्रस्तावित ग्रामों के चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण

64–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर के ग्राम भानपुर बाबू में मौजा जोगिया में राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भानपुर के द्वारा स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु जमीन युवा कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0एम0) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मानकों/दिशा–निर्देशों से आच्छादित होने एवं धनराशि की व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0जी0सी0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में चल रहे 8 फर्जी विश्वविद्यालयों को बन्द किया जाना

65–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0जी0सी0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में चल रहे 8 फर्जी विश्वविद्यालयों को बन्द कराने हेतु सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

फर्जी विश्वविद्यालयों को बन्द कराने के सम्बन्ध में समय–समय पर शासनादेश निर्गत किये हैं तथा गृह विभाग के अधीन गठित एस0आई0टी0 द्वारा भी जांच की रही है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21–07–2015 के साथ यू0जी0सी0 द्वारा अपने वेबसाइट पर जारी की गयी फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उ0प्र0 राज्य में 09 फर्जी विश्वविद्यालयों का उल्लेख है। उक्त पत्र के क्रम में शासनादेश दिनांक 10–08–2015 द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक, विशेष अनुसंधान दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है। फर्जी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा इसके सम्बन्ध में जन सामान्य को अवगत कराने हेतु प्रचार–प्रसार करने के लिये शासन के पत्र दिनांक 10–08–2015 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिर पर मैला ढोते बाल्मीकि समाज के उत्थान हेतु सरकार की अलग से बनाई गई कार्य योजना की जानकारी

66–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाल्मीकि समाज के जो लोग आज भी मैला सर पर ढोते हैं उनके उत्थान के लिये सरकार द्वारा कोई अलग से योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उक्त योजना को कब तक व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

प्रदेश में बाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की मैनुअल स्कैवेन्जरों (हाथ से मैला उठाने वाले स्वच्छकार) के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना संचालित है। संचालित योजनान्तर्गत चिन्हित स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को रु0 15.00 लाख तक की लागत की योजनायें स्वरोजगार हेतु वित्त पोषित की जाती है, जिसमें अधिकतम रु0 3.25 लाख अनुदान दिया जाता है। इस योजना में 4 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है, फलस्वरूप बैंक ब्याज दर के अन्तर की

धनराशि ब्याज अनुदान के रूप में उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

उक्त योजना में चिन्हित स्वच्छकारों को रु0 40,000/– एकमुश्त सहायता की धनराशि उनके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 02 वर्ष निर्धारित है। प्रशिक्षण अवधि में रु0 3,000/– मासिक वृत्तिका भी प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति की गरीब कन्याओं के शादी अनुदान की स्कीम को पुनः चालू किया जाना

67–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति की गरीब कन्याओं के लिये शादी अनुदान की स्कीम को सरकार पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद–

अनुसूचित जाति के गरीब कन्याओं हेतु संचालित शादी–अनुदान योजना बन्द नहीं हुई है। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अत्यन्त कम बजट प्राविधान होने के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

अनुसूचित जनजाति के गरीब कन्याओं हेतु संचालित शादी–अनुदान योजना चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

68–श्री मनीष असीजा–

खाले शुक्रवार के अता0 प्र0सं0–134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

प्रदेश के ग्रामों का विकास जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामों में विकास हेतु जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत ग्रामों के चयन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/15–16/ख–5सं0–578996/ 7734, दिनांक 24–06–15, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। प्रस्तावित ग्रामों के चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजकीय महिला इण्टर कालेज परिसर में अर्धनिर्मित कार्य को पूर्ण किया जाना

70–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जौनपुर मुख्यालय पर स्थित राजकीय महिला इण्टर कालेज परिसर में वर्षों से अर्धनिर्मित महिला महाविद्यालय को पूर्ण कराते हुये महाविद्यालय का संचालन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद जौनपुर मुख्यालय पर स्थित राजकीय महिला इण्टर कालेज परिसर में राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण ग्राम्य विकास द्वारा केन्द्र सरकार से वित्तपोषित राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत लागत रु0 325.00 लाख के सापेक्ष रु0 242.16 लाख अवमुक्त कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराया गया। रु0 150.97 लाख की धनराशि व्यय की गयी। रु0 13.55 लाख की धनराशि अन्य परियोजना को स्थानान्तरित किया गया। रु0 77.64 लाख की धनराशि अवशेष है। राष्ट्रीय समय विकास योजना को बन्द करते हुए भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि नामक योजना प्रारम्भ की गयी जिसे भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 से डि–लिंक कर दिया गया है, अतः इस योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि भारत सरकार से प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं होगी।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण सम्भव न होने के कारण।

जनपद उद्यान विभाग परिसर में डास्प योजना के अन्तर्गत स्थापित उपकरणों का प्रयोग तथा सेन्टर को संचालित किया जाना

71–श्री नदीम जावेद–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर उद्यान विभाग परिसर में डास्प के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों से स्थापित पोस्ट हार्वेस्ट सब–सेन्टर पर करोड़ों की लागत के आधुनिक उपकरण आकर निष्प्रयोज्य पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उनके माध्यम से न तो किसी प्रकार का उत्पादन किया जा रहा है और न ही किसी किसान को प्रशिक्षित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त सब–सेन्टर को संचालित करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ? उक्त सेन्टर को कब तक संचालित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव–

डास्प योजना के अन्तर्गत स्थापित उपकरणों का प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

इस केन्द्र पर 100 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 14 दिवसीय ढाबा फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को

प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि उन्हें स्वरोजगाकर स्थापित करने में सहायता मिल सके और निजी क्षेत्र के उद्योगों में कार्य करने का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो सके।

उक्त के अतिरिक्त अधिक मात्रा में फल–सब्जी संरक्षण के सामुदायिक कार्य भी इस केन्द्र पर सम्पन्न होते हैं जिसमें उपलब्ध मशीनों का उपयोग किया जाता है।

सेन्टर संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में रसोई गैस संकट दूर करने हेतु बाटलिंग प्लांट को शीघ्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 दिलाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने विषयक

72–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रसोई गैस संकट को दूर करने के लिये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 38 एकड़ भूमि पर आई0ओ0सी0 के नये बाटलिंग प्लांट लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? आई0ओ0सी0 के बाटलिंग प्लांट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एन0ओ0सी0 अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार रसोई संकट के निवारण हेतु बाटलिंग प्लांट को शीघ्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 दिला कर निर्माण कार्य शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

मेसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लाण्ट स्थापित करने हेतु स्थापना से पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) प्राप्त करने के लिए दिनांक 17–12–2014 को आन लाईन आवेदन–पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त स्थापना पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) सशर्त संवेदनशील शर्तों के अनुपालन हेतु रुपया 10.0 लाख मात्र की बैंक गारन्टी प्राप्त करने के उपरान्त निर्गत करने का निर्णय लिया गया है जिसकी सूचना मै0 इण्डियन आयल कार्पो0 लि0 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17–06–2015 द्वारा दे दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय कालोनी अशोक नगर, लखनऊ का अनुरक्षण/मरम्मत कार्य कराने की मांग

73–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सचिवालय कालोनी अशोक नगर, लखनऊ की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य वर्ष 1990 से नहीं

कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी का अनुरक्षण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। उक्त कालोनी के आवासों में मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान हित में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ किसान बीमा या क्रेडिट कार्ड धारकों को देने की योजना हेतु उठाये गये कदम की जानकारी

74–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ किसान बीमा या क्रेडिट कार्ड धारकों को ही मिल रहा है ? क्या सरकार किसान हित की इस योजना के विकल्प के रूप में कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के 10 जनपदों यथा मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रायबरेली व फैजाबाद में मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। योजना के प्राविधानों के अनुसार इन जनपदों के ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर एवं गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर आच्छादित किये जाने का प्राविधान है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उक्त 10 जनपदों के गैर ऋणी कृषकों को अपनी इच्छानुसार मौसम आधारित फसल बीमा योजना अथवा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना में सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध है।

जी नहीं।

संचालित योजना को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

किसानों को उन्नति किस्म के शोधित बीज कृषि उपकरण जैविक व रासायनिक खाद के साथ–साथ सिंचाई से सम्बन्धित आधुनिक उपकरण उपलब्ध करने की सरकार की योजना की जानकारी

75–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उन्नति किस्म के शोधित बीज कृषि उपकरण जैविक व रासायनिक खाद के साथ–साथ सिंचाई से सम्बन्धित आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

(1) किसानों को उन्नत किस्म के शोधित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सीड रोलिंग प्लान तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत किसानों को अनुदान पर उन्नत किस्म के शोधित बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(2) प्रदेश के किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3) प्रदेश के किसानों को राइजोवियम, इजोटोवैक्टर एवं फास्टफोटिका जैव उर्वरक अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(4) सबमिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, राष्ट्रीय मिशन आयल सीड एवं आयल पाम योजना और कीट रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2014–15 में समाजवादी पेंशन हेतु पात्रों के चयन में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार विषयक–पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

76–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 08–07–2015 जो 2014–15 में इलाहाबाद में समाजवादी पेंशन हेतु पात्रों के चयन में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार विषयक तथा 2015–16 में उसी अनियमितता प्रक्रिया को दुहराने संबंधी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत सत्यापनोपरान्त पात्र पाये गये 109893 लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई। वर्ष 2015–16 में भी निर्धारित लक्ष्य 11231 के सापेक्ष सत्यापनोपरान्त पात्र पाये गये लाभार्थियों की ही पेंशन स्वीकृत की जा रही है। किसी अनियमित प्रक्रिया का दोहराव नहीं हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, गोरखपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 में पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का विवरण

77–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, गोरखपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 में कितने पात्रों के फार्म जमा हुये तथा इनमें से कितने पात्रों को सहायता उपलब्ध कराई गई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बुलन्दशहर की मंजू देवी पत्नी स्व0 जयकिशन, निवासी रसूलपुर, तह0 शिकारपुर, अलीगढ़ की कमलेश पत्नी स्व0

राजवीर, निवासी ग्राम फजलपुर, तहसील अतरौली तथा गोरखपुर की रजवती देवी पत्नी स्व0 राम अचल मदारखास, पो0 बढ़वा पार (तह0 खजनी) के प्रकरण में अभी तक आर्थिक सहायता क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई ? क्या सरकार उक्त प्रकरण का निस्तारण शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अवधेश प्रसाद–

जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, गोरखपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 में पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष	कुल पात्र आवेदन–पत्र	स्वीकृत आवेदन–पत्र
1	2	3	4	5
1	बुलन्दशहर	2013–14	1448	1378
		2014–15	1449	1365
2	अलीगढ़	2013–14	1635	1635
		2014–15	2555	2555
3	गोरखपुर	2013–14	1970	1970
		2014–15	2095	2095

जनपद बुलन्दशहर में मंजू देवी पत्नी जयकिशन, नि0 रसूलगढ़, विकास खण्ड पहासू, तह0 शिकारपुर का आर्थिक सहायता हेतु आवेदन–पत्र वर्ष 2013–14 व 2014–15 में प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

जनपद अलीगढ़ में श्रीमती कमलेश पत्नी स्व0 राजवीर निवासी ग्राम फजलपुर, तहसील अतरौली को योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

जनपद गोरखपुर में श्रीमती रजवती देवी पत्नी स्व0 राम अचल, मदारखास, पो0 बढ़यापार, तहसील खजनी को माह मार्च, 2015 में योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

78–श्री जय प्रकाश निषाद–

खदिनांक 18–08–2015 को उत्तरित,

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की गरीब एवं पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह अनुदान देने विषयक

79–श्री मनीष असीजा–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की गरीब एवं पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु रु0 10,000/– (दस हजार) की अनुदान धनराशि प्रदान करने की योजना समाप्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2014–15 में कितनी बालिकाओं को अनुदान प्रदान किया गया है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की योजना सीमित संसाधनों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या– 490/64–2–2015, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्थगित कर दी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को आलू में मुनाफा हेतु कोल्ड स्टोरेज के किराये में सब्सिडी देने सम्बन्धी प्रकरण

80–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में आलू की कीमत बहुत कम होने के कारण किसान को मुनाफा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को कोल्ड स्टोरेज के किराये में कोई सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव–

प्रदेश में आलू के वर्तमान बाजार भाव बहुत कम नहीं हैं।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये बाजार भाव के अनुसार दिनांक 03 अगस्त, 2015 को प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में आलू के थोक बाजार भाव न्यूनतम रु0 470/– एवं अधिकतम रु0 960/– प्रति कुन्तल के मध्य हैं।

जी नहीं।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना, सिद्धार्थनगर कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार की सेवावधि में मृत्यु होने से मृतक आश्रित को नौकरी व अन्य देयों के देने की मांग

81–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना, सिद्धार्थनगर में कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार के पद पर तैनात श्री ढोढे का देहान्त दिनांक 01–09–2013 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनके ज्येष्ठ पुत्र को मृतक आश्रित में समायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मृतक की पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाने लगा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी नहीं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के परिनियम में मृत सेवकों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्राविधान नहीं है।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित पारिवारिक पेंशन प्रस्ताव दिनांक 16–07–2015 को प्राप्त हुआ है, जो प्रक्रियान्तर्गत है।

पारिवारिक लाभ योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

82–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारिवारिक लाभ योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0 प0/ज0हि0/2014–15/ख–5नं0–148987/7120,दि0 29–07–2014, जिला अधिकारी को सम्बोधित मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0–500744/2014, दि0 23–08–2014, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

जिलाधिकारी, बहराइच के पत्रांक 146–47, दिनांक 01 मई, 2015 के साथ संलग्न[४] जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच की आख्या के अनुसार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अनतर्गत श्रीमती रानी पत्नी स्व0 श्री बड़कऊ, ग्राम–चूंटीपुरवा, ग्राम पंचायत–शम्भू टिकरी, वि0ख0–पयागपुर, जनपद–बहराइच का आवेदन–पत्र जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त उक्त प्रार्थिनी श्रीमती रानी पत्नी स्व0 श्री बड़कऊ को चेक संख्या 35210812 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा रु0 30,000/– (रु0 तीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता राशि ई–पेमेन्ट के माध्यम से उनके इलाहाबाद, यू0पी0 ग्रामीण बैंक शाखा–पयागपुर में खुले खाता संख्या 13460100017240 में अन्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

83–श्री मनीष असीजा–

स्थगित शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0–133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

जनपद बहराइच के क्षेत्र पयागपुर के मुख्य ग्राम पयागपुर एवं सोहरियाना के विकास हेतु चयनित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच के मुख्य ग्राम पयागपुर एवं सोहरियाना को श्री जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित किये जाने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5नं0–148464, दिनांक

[४] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ–217 पर।)

19–08–2014 पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0–503694, दि0 28–08–2014 निदेशक, मण्डी, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित कराकर विकास कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी में मिलने वाली अनुदान राशि बन्द होने से हो रही परेशानी को देखते हुए पुनः दिलाने की मांग

85–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी में मिलने वाली अनुदान राशि बन्द कर दिये जाने से अनुसूचित जाति के गरीब व बेसहारा लोगों को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि को पुनः दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु संचालित शादी–अनुदान योजना बन्द नहीं हुयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत अत्यन्त न्यून बजट प्राविधान होने के कारण योजना का संचालन नहीं हो पा रहा है।

राज्य के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत योजना में आवश्यकतानुसार बजट व्यवस्था नहीं हो पायी है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम/उद्योगों की दशा सुधारने हेतु सरकार की विशेष कार्य योजना की जानकारी

86–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा कितने सार्वजनिक उपक्रम/उद्योग कार्यरत/ संचालित हैं और उनमें से कितने लाभ में है तथा कितने घाटे में एवं कितने बन्द चल रहे हैं ? क्या सरकार ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों/उद्योगों की दशा सुधारने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2012–13 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन कुल 41 उपक्रम/निगम कार्यरत हैं जिनमें से 26 उपक्रम/निगम लाभ में एवं 15 उपक्रम/निगम घाटे में चल रहे हैं। 23 उपक्रम/निगम बन्द चल रहे हैं। घाटे में चल रहे उपक्रमों/निगमों की दशा सुधारने के लिए कार्य योजना से सम्बन्धित सूचना उपक्रमों/निगमों के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों से मांगी गयी हैं।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2014–15 में समाजवादी पेंशन लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन दिया जाना

87–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2014–15 में समाजवादी पेंशन देने का कितना लक्ष्य निर्धारित था, क्या लक्ष्य के सापेक्ष सभी पात्र अभ्यर्थियों को पेंशन प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो शेष बचे पात्र अभ्यर्थियों को पेंशन प्रदान करने हेतु सरकार आवश्यक बजट आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

वर्ष 2014–15 में समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद का लक्ष्य 37580 था, जिसके सापेक्ष 31047 लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की गयी है।

लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2015–16 में लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

किसानों को उनकी फसलों में मार्ग–दर्शन प्रदान करने हेतु उनके कार्य–कलापों के अनुश्रवण की व्यवस्था की जानकारी

88–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी फसलों में मार्ग–दर्शन प्रदान करने के लिये जिला कृषि अधिकारियों सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों से सम्पर्क कर उन्हें मार्ग–दर्शन देने विषयक उनके कार्य–कलापों के अनुश्रवण की कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में कृषकों को उनके फसलोत्पादन में मार्ग–दर्शन प्रदान करने में कृषि विभाग के विभिन्न अनुभागों यथा कृषि, कृषि प्रसार, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण एवं शोध आदि से सम्बन्धित कार्यों के लिए जनपदों, मण्डलों एवं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी तैनात हैं, जो विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हुए उनका क्रियान्वयन एवं कृषकों का मार्ग–दर्शन करते है।

इन समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उनके उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तर पर समय–समय पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कतिपय गांवों के सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

89–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कतिपय गांवों के सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं0–578987 एवं सं0–578984, दिनांक 22–06–15 को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मात्र पत्र सं0 578984 दिनांक 22–6–2015 प्राप्त हुआ है।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। यदि प्रस्तावित ग्रामों के चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होता है, तो अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु सौर ऊर्जा के सभी यंत्रों पर लगने वाले टैक्सों को जनहित में समाप्त कर उन्हें टैक्स फ्री करने विषयक

90–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु सौर ऊर्जा के सभी यंत्रों पर लगने वाले टैक्सों को जनहित में समाप्त कर उन्हें टैक्स फ्री करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अधिसूचना

संख्या–क0नि0–2–905 / ग्यारह–9(65) / 15–उ0प्र0अधि0–5–08–आदेश–135–2015, दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा सोलर इनर्जी डिवाईसेस, सोलर इनर्जी इक्विपमेंट्स एवं उनके पार्ट्स को कर मुक्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोयडा, आगरा एक्सप्रेस–वे के बराबर नीचे सर्विस रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

91–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्यमंत्री के आदेश सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10589916 / 2015, दिनांक 04–03–2015 जो नोयडा, आगरा एक्सप्रेस–वे के (बराबर) नीचे सर्विस रोड का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्विस रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस–वे के अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार यथा आवश्यक 65.00 किमी0 लम्बाई में सर्विस रोड का निर्माण मई 2013 में पूर्ण कर लिया गया था।

जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली सहित जनपद की अन्य तहसीलों से किसान दुर्घटना बीमा के प्राप्त दावे का सम्पूर्ण विवरण

92–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा किसान दुर्घटना बीमा संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली सहित जनपद की अन्य तहसीलों से किसान दुर्घटना बीमा के अब तक कुल कितने दावे प्राप्त हुए और उनमें से कितनों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा कितने निरस्त किये गये ? क्या सरकार उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मण्डी परिषद् द्वारा समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना संचालित की जा रही है। किसान दुर्घटना बीमा योजना का संचालन मण्डी परिषद् द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नाबार्ड–18 योजनान्तर्गत जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड में फसलोत्पादन हेतु उत्तम बीज की व्यवस्था कराने के विवरण की जानकारी

93–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नाबार्ड–18 योजनान्तर्गत जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड मवई की ग्राम पंचायत जैसुखपुर, रामपुर जनक, सुल्तानपुर, नौगवां डीह रानीमऊ, बिहारा, मल्लाहनपुरवा, सैमसी, जखवा में फसलोत्पादन हेतु उत्तम बीज की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कुल कितने हेक्टेयर भूमि के लिये किसानों को बीज का वितरण किया गया ? क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कुल 306.20 हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों को बीज का वितरण किया गया है।

जी हां। आर0आई0डी0एफ0–18 योजनान्तर्गत जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई एवं अमानीगंज में फसलोत्पादन का विवरण वर्ष 2015–16 (परिशिष्ट–'क') [४]संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में उद्यान विभाग की अतिमहत्वपूर्ण नई तकनीक से पानी की बचत करने वाली योजना–सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट को संचालित किया जाना

94–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

---

[४] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ–218 पर।)

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में उद्यान विभाग की अतिमहत्वपूर्ण नई तकनीक से पानी की बचत करने वाली योजना–सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट धनाभाव के कारण शुरू नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जन उपयोगी पानी की बचत करने वाली उक्त सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट योजना हेतु धन निर्गत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव–

वर्ष 2014–15 में फलों के समन्वित विकास हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट स्थापना की योजना भारत सरकार द्वारा 11 सितम्बर, 2014 को अनुमोदित की गयी एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा प्रदेश के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की संशोधित कार्य योजना में परिव्यय का प्राविधान किया गया। वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में पूंजीगत पक्ष में निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित धनराशि का प्राविधान न होने के कारण वित्तीय वर्ष के अन्त तक धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु बजट का प्राविधान है। धनराशि अवमुक्त कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की मण्डी परिषद्, सीतापुर तथा लालपुर बाजार द्वारा मण्डी परिषद् में संग्रहीत धनराशि से किसानों व ग्रामीणों के सुगम यातायात हेतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना

95–श्री रामहेत भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की मण्डी परिषद्, सीतापुर तथा लालपुर बाजार द्वारा मण्डी परिषद् में संग्रहीत धनराशि से किसानों व ग्रामीणों के सुगम यातायात हेतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों में विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र हरगांव सहित जिले के समस्त विधायकों के प्रस्ताव से किन–किन गांवों को शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर, एफ0एन0जी0 रोड में प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि के बदले भू–खण्ड/अन्य को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

96–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर, एफ0एन0जी0 रोड में प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि के बदले भू–खण्ड/अन्य को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10599392/ 2015, दिनांक 28–03–2015, प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र पर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आख्या प्राप्त की गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त आख्या के आधार पर पत्र संख्या–1723/77–4–15–सी0एम0 35/15, दिनांक 05–08–15 द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में औषधीय पेड़ों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना

97–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में औषधीय पेड़ों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आयुष मिशन की शासी निकाय की बैठक, दिनांक 01–06–2015 में वर्ष 2015–16 की कार्य योजना (उद्यान घटक) अनुमोदित हुई है, जो भारत सरकार को स्वीकृतार्थ राज्य आयुष मिशन द्वारा प्रेषित की गयी है, जिसमें जनपद बुलन्दशहर में औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित नहीं है। राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश वर्ष 2015–16 में राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना प्राविधानित नहीं है।

मथुरा स्थित स्व0 मोहन पहलवान जनपदीय स्टेडियम में सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराके मरम्मत आदि का कार्य कराया जाना

98–श्री प्रदीप माथुर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा स्थित स्व0 मोहन पहलवान जनपदीय स्टेडियम में बहुउद्देश्यीय हाल बरसात में टपक रहा है तथा कुश्ती का हाल सुविधाओं के अभाव में बेकार पड़ा है, रनिंग ट्रैक टूटा पड़ा है एवं स्टेडियम में स्थित स्वीमिंग पुल सुविधाओं के अभाव में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

स्टेडियम में सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराके मरम्मत कार्य हेतु शीघ्र धन आवंटित कर कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि स्टेडियम मथुरा में उपलब्ध समस्त खेल अवस्थापनाओं का उपयोग जनपद के खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है।

जनपद फैजाबाद स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों का विनियमितीकरण किया जाना

99–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के विनियमितीकरण हेतु 18 अगस्त, 2004 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा के क्रम में कितने मजदूरों का अब तक विनियमितीकरण किया गया ? क्या सरकार शेष दैनिक मजदूरों का विनियमितीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 2550/– नियत वेतन दिये जाने की घोषणा की गयी थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर अब तक 75 दैनिक श्रमिकों को नियत वेतन रु0 2550/– तथा मा0 उच्च न्यायालय के ही आदेश पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति, जो शासन द्वारा अनुमोदित है, के आधार पर अब तक 167 दैनिक श्रमिकों का विनियमितीकरण किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति, जो शासन द्वारा अनुमोदित है, के अन्तर्गत आने वाले दैनिक श्रमिकों का पद की उपलब्धता के अनुसार विनियमितीकरण ससमय किया जाता है।

जनपद फैजाबाद स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कैम्पस में स्थित पशुपालन महाविद्यालय में प्रवेश पुनः आरम्भ किये जाने विषयक

100–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कैम्पस में स्थित पशुपालन महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश किन कारणों से बन्द है ? क्या सरकार उन कारणों को दूर करते हुए प्रवेश पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कैम्पस में स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली द्वारा शिक्षकों की कमी एवं अन्य कमियों के कारण प्रवेश पर रोक लगाये जाने से शिक्षण सत्र 2012–13 एवं 2013–14 में उक्त महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया गया था। शिक्षण सत्र 2014–15 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ से 40 छात्र स्थानान्तरित होकर उक्त महाविद्यालय के बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हैं।

शिक्षकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष जो पद रिक्त थे उन पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के मानक के अनुसार जिन अतिरिक्त पदों की आवश्यकता थी, उन पदों का भी सृजन किया जा चुका है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कराया जा चुका है और शिक्षण सत्र 2015–16 में प्रवेश की अनुमति दिये जाने का प्रकरण भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के स्तर पर विचाराधीन है।

जनपद बहराइच के वि0स0 क्षेत्र पयागपुर में जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गांव के विकास हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के वि0स0 क्षेत्र पयागपुर में जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गांव के विकास हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08–07–2015, मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र–247 विश्वनाथगंज में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण कराया जाना

102–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र 247, विश्वनाथगंज में राजकीय डिग्री कालेज न होने के कारण छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु लगभग 40 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज 247 के अन्तर्गत 04 स्ववित्तपोषित महिला महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित है। अतः छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

जनपद प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–मान्धता में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना किया जाना

103–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मान्धाता जो 101 ग्राम सभाओं का विकास खण्ड है, जिसमें कोई भी राजकीय महिला डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा सरायदेवराय या नागापुर या सराय–नाहर राय जिसमें राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित किये जाने हेतु पर्याप्त ग्राम सभा की जमीन राजस्व भू–अभिलेखो में दर्ज है, में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड–मान्धाता में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 04 सहशिक्षा तथा 01 महिला महाविद्यालय संचालित हैं। इस प्रकार विकास खण्ड–मान्धाता के छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

प्रदेश में जैविक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये योजना तथा उसके परिणाम

104–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जैविक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनायें चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो उन योजनाओं का क्या परिणाम है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जैविक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

यह योजना इस वर्ष से ही प्रारम्भ की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लखनऊ द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

105–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लखनऊ द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–1180/ने0वि0द0/2014, दिनांक 19–11–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 09–01–2015 द्वारा नियुक्ति विभाग से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के अधीन अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत जवानों को वीरता पुरस्कार प्रोत्साहन राशि देने की प्रदेश सरकार की नीति

106–श्री रविन्द्र जायसवाल–

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के अधीन अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत जवानों को जो कि वीरता पुरस्कार जैसे पुलिस मेडल फार

गैलेन्टरी और प्रेसीडेन्ट पुलिस मेडल फार गैलेन्टरी से सम्मानित हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु जिस प्रकार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड तथा दिल्ली राज्य सरकारों की भांति भूमि और प्रोत्साहन राशि देने की प्रदेश सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये बनाई गई नीति की जानकारी

107–श्री अजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा कोई खेल नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर नगर में बैडमिन्टन खेल को प्रोत्साहित करने के लिये रतन लाल शर्मा स्टेडियम, किदवई नगर में एक डबल कोर्ट इण्डोर स्टेडियम बनवाने एवं बाबूपुरवा कालोनी स्थित नया सेण्टर पार्क/मैदान में फुटबाल स्टेडियम बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्टेडियम खेल विभाग के अधीन न होने के कारण खेल विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

जनपद जौनपुर में स्थित सतहरिया इण्डस्ट्रियल एरिया नये उद्योगों की स्थापना हेतु योजना की जानकारी

108–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में स्थित सतहरिया इण्डस्ट्रियल एरिया में कितने उद्योग वर्तमान समय में चल रहे हैं ? क्या सरकार बेरोजगारी को देखते हुए जौनपुर में नये उद्योगों की स्थापना हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कुल 141 औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया जौनपुर में उत्पादनरत् हैं।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश नीति–2012 प्रचलित है।

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में ही 34 भूखण्ड आवंटन हेतु रिक्त हैं।

जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के लिये टैक्स में दी जा रही छूट की भांति खुर्जा में भी व्यापारियों को टैक्स में छूट देने सम्बन्धी

109–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुर्जा जनपद–बुलन्दशहर में अडानी ग्रुप द्वारा गैस की अनियमित सप्लाई की जा रही है परन्तु टैक्स अन्य जगहों से अधिक लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के लिये टैक्स में दी जा रही छूट की भांति खुर्जा में भी व्यापारियों को टैक्स में छूट देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में प्राकृतिक गैस पर निर्माता/आयातकर्ता के बिन्दु पर कर की दर 21 प्रतिशत है। अडानी ग्रुप द्वारा प्रान्त के भीतर कर प्रदत्त खरीद के उपरान्त गैस की आपूर्ति की जाती है तथा कर प्रदत्त माल की बिक्री होने के कारण क्रेताओं से कोई कर नहीं लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कर प्रदत्त माल की बिक्री होने से क्रेताओं से कोई कर वसूल नहीं किये जाने के कारण कर से छूट दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के उपनगर रूधौली में उप मण्डी स्थल को ठीक कराया जाना

110–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के उपनगर रुधौली में किसानों की सुविधा के लिये सरकार द्वारा उप मण्डी स्थल का निर्माण किया गया, परन्तु निर्माण के बाद न तो किसी सचिव/कर्मचारी आदि की ही नियुक्ति की गई और न ही मण्डी स्थल के रख–रखाव पर कोई ध्यान न दिये जाने के कारण मण्डी स्थल क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रुधौली उप मण्डी स्थल को संसाधनों सहित मरम्मत कराकर तथा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सचिव आदि की नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मण्डी समिति, बस्ती क्षेत्रान्तर्गत उप मण्डी स्थल रूधौली का निर्माण वर्ष 2003 में कराया गया था। मण्डी समिति, बस्ती में सचिव तैनात हैं और उप मण्डी स्थल रूधौली उन्हीं के कार्य क्षेत्र में है। उप मण्डी स्थल, रूधौली में मण्डी समिति के दो नियमित कर्मचारी और सुरक्षा हेतु दिनांक 01–08–2015 से 03 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं।

उप मण्डी स्थल, रूधौली की दुकानों के आवंटन हेतु पूर्व में प्रयास किया गया था किन्तु दुकानों का आवंटन नहीं हो सका। दिनांक 31–07–2015 को 08 दुकानों का आवंटन किया गया है। समयान्तराल के कारण रंगाई पुताई एंव मरम्मत की आवश्यकता है।

मण्डी समिति, बस्ती की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने से मरम्मत आदि कार्य कराये जाने में कठिनाई है। उप मण्डी स्थल में कर्मचारी तैनात है तथा नियमानुसार उप मण्डी स्थल में सचिव की तैनाती नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

यमुना एक्सप्रेस–वे के टोल टैक्स की बढ़ी दरों को वापस लेने का प्रकरण

111–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य एक्सप्रेस–वे के मुकाबले यमुना एक्सप्रेस–वे पर अधिक टोल टैक्स लिया जाता है तथा अभी हाल ही में पुनः

यमुना एक्सप्रेस–वे के टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यमुना एक्सप्रेस–वे के टोल टैक्स की बढ़ी दरों को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यमुना एक्सप्रेस–वे परियोजना के कंशैसनायर एवं ताज एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण (वर्तमान में यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के मध्य निष्पादित अनुबन्ध एवं उ0 प्र0 एक्सप्रेस–वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) निमयावली, 2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक्सप्रेस–वे पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 के पश्चात् टोल टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

112–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

113–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

114–श्री मनीष असीजा–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

115–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

116–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–05 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

117–श्री सतीश महाना–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

118–श्री दलवीर सिंह–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–07 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

119–श्री नीरज (कुशवाह) मौर्य–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–08 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

120–श्री डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–09 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

121–श्री रविन्द्र भड़ाना–

ख्2सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

122–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्3सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

123–श्री मनीष असीजा–

ख्3सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

124–श्री सतीश महाना–

ख3सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

125–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख3सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

126–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख3सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–05 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

127–श्री डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख3सरे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

128–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख4थे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

129–श्री मनीष असीजा–

ख4थे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

130–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख4थे गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

131–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख5वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

132–श्री मनीष असीजा–

ख5वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

133–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख5वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

134–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख6वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

135–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख6वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

136–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख7वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

137–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख8वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

138–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख9वें गुरूवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद रायबरेली में केन्द्र द्वारा प्रस्तावित पेपर मिल को जमीन उपलब्ध कराकर पेपर मिल स्थापित किया जाना

139–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली में केन्द्र द्वारा प्रस्तावित पेपर मिल को प्रदेश सरकार द्वारा जमीन न उपलब्ध कराये जाने के कारण उसे अन्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कागज मिल के लिए जमीन न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त मिल हेतु जमीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

केन्द्र द्वारा जनपद रायबरेली में पेपर मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–रायबरेली में पेपर मिल हेतु भूमि आवंटित करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद जालौन में उरई स्थित गांधी महाविद्यालय में शिक्षा सत्र 2014–15 में बिना कारण पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की छात्रवृत्ति रोकने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

140–श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जालौन में उरई स्थित गांधी महाविद्यालय में शिक्षा सत्र 2014–15 में बिना कारण पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की छात्रवृत्ति रोकने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30–07–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां।

प्रश्नकर्ता का उक्त पत्र निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए निदेशालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या–1143/पि0व0क022015–16, दिनांक 18–8–2015 द्वारा वस्तुस्थिति से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–फैजाबाद में विकलांगजनों को पेंशन/अनुदान की वित्तीय स्वीकृति देने, जिला मुख्यालय पर ही विकलांग प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

141–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद में विकलांग जनों को पेंशन/अनुदान की वित्तीय स्वीकृति देने, जिला मुख्यालय पर ही विकलांग प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र की छाया प्रति सहित निदेशक का विकलांग जन विकास, उ0प्र0, लखनऊ का आदेश पत्रांक/सी 3910/वि0क0/लो0शि0/2014–15/लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 जिला विकलांग जन विकास अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जनपद फैजाबाद में वर्तमान में कुल 10467 विकलांगजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। जनपद में 478 नवीन पात्र विकलांग पेंशन के आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें से 100 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में लाभान्वित किया जायेगा। शेष लाभार्थियों को आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लाभान्वित किया जा सकेगा। जहां तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर विकलांगजनों की पेंशन हेतु बजटीय व्यवस्था कराने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकलांग पेंशन का जनपदवार लक्ष्य जनगणना के आधार पर न होकर जनपदों में प्राप्त पात्र पेंशन के आवेदन–पत्रों एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जिला विकलांग जन विकास अधिकारी फैजाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या–498 दिनांक 21–02–2015 के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी फैजाबाद को पत्र प्रेषित कर विकलांग बोर्ड में आडियोमेट्री की मशीन एवं मानसिक रोग चिकित्सक की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

मूकबधिर विकलांगजन को विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदत्त किये जाने हेतु आडियोमेटरी रिपोर्ट एवं मानसिक मंदित विकलांगजनों को विकलांग प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु मानसिक रोग चिकित्सक की रिपोर्ट हेतु मेडिकल कालेज लखनऊ को रिफर किया जाता है। रिपोर्ट के आधार पर संबन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हैं।

लागू नहीं।

राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत स्पोर्टस काम्पलेक्स की स्थापना करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

142–श्री रामचन्द्र यादव

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत स्पोर्टस काम्पलेक्स की स्थापना हेतु 06 से 07 एकड़ एकजाई भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी (प्रा0वि0द0अनुभाग) फैजाबाद के पत्रांक सं0–2030/प्रा0वि0द0/भूमि/2014–15, दिनांक 07–08–2014 द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद फैजाबाद को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

तहसील फैजाबाद सदर के पूरा ब्लाक के अन्तर्गत वैंसिहं ग्राम सभा एवं तहसील रूधौली के मवई ब्लाक के सिपैहिया कोटवा के प्रस्ताव हैं।

तहसील सोहावल, मिल्कीपुर एवं बीकापुर में 6–7 एकड़ भूमि नहीं मिली है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा व अटनियां ब्लाक में स्टेडियम बनाने की योजना

143–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा ब्लाक स्तर में एक खेल के मैदान के लिये काम्पलेक्स स्टेडियम बनाने की योजना के अन्तर्गत जनपद–बुलन्दशहर के खुर्जा व अटनियां ब्लाक में स्टेडियम बनाने की योजना है ? यदि हां, तो स्टेडियम का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0ए0) योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड खुर्जा में भूमि का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा विकास खण्ड अर्निघ्या में ग्राम पंचायत अर्निया खुर्द में ब्लाक स्तरीय काम्पलेक्स का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि सेना योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई फैजाबाद के क्षेत्र रूधौली में वित्तीय वर्ष 2012–13 से अब तक कुल कितने हैक्टेयर का चयन किया गया तथा इस योजना से हो रहे लाभ का प्रकरण

144–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि सेना योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई फैजाबाद द्वारा विधान सभा क्षेत्र रूधौली में वित्तीय वर्ष 2012–13 से अब तक कुल कितने हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया तथा कुल क्षेत्रफल में बागवानी सहित अन्य योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। भूमि सेना योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक (दिनांक 15–08–2015 तक) कुल 723.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया गया है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक कुल 658.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी सहित अन्य भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों का निष्पादन कराते हुए कृषकों को लाभान्वित किया गया है। अवशेष 65.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यों का निष्पादन प्रस्तावित है।

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। भूमि सेना योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक (दिनांक 15–8–2015 तक) कुल 723.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया गया है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–2015 तक कुल 658.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी सहित अन्य भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों का निष्पादन कराते हुए कृषकों को लाभान्वित किया गया है। अवशेष 65.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कार्यों का निष्पादन प्रस्तावित है।

जी हां। भूमि सेना योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक कराये गये/प्रस्तावित कार्यों का [४]विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चमरौली से सौ फुटा फतेहाबाद रोड से नगला वादामी (तौरा) को जाने वाले रास्ते की मरम्मत कराया जाना

145–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चमरौली से सौ फुटा फतेहाबाद रोड से नगला वादामी (तौरा) को जाने वाले रास्ते में गहरे–गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। जनपद आगरा की मण्डी समिति आगरा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1997–98 में एवं मरम्मत कार्य वर्ष 2004–05 में कराया गया था, जो समयन्तराल के कारण वर्तमान में मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति, आगरा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अध्यक्ष, मण्डी परिषद् द्वारा अनुमोदित जनेश्वर मिश्र ग्रामों के वित्त पोषण के पश्चात मण्डी समिति आगरा की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ख12.22, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं।

(श्री सुरेश राणा सहित कुछ मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे, ये 301 की सूचनाएं ले लेने दें। रूको न, अब बैठ जाइए। अभी जब विषय आएगा जीरो आवर का, तभी बताना।

श्री वीरपाल राठी–

मा0 अध्यक्ष जी, ख्गगग गगग गगग,

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम में बोल रहे हैं यह तो बताओ। कोई नियम है ? इसे नियमों में लाओ। जिसकी जब मर्जी होती है तब बोलते हैं यह लिखा नहीं जायेगा। बैठिए। कल कंडोलेंस के कारण हमने सदन को स्थगित कर दिया था लेकिन 301 की सूचनाएं जो कल स्वीकृत की गयी थीं उसे मैं पढ़ दे रहा हूं। आज की सूचनाएं आज ली गयी हैं।

---

[४] (देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ–219–220 पर)।

नोट :– ख , यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कल दिनांक 19–08–2015 को नियम–301 के अंतर्गत कुल 56 सूचनाएं प्राप्त हुयी, जिनमें से 17 सूचनाएं स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर स्थित विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर से निभापुर होते हुये जंघई मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के खेमकरनपुर–गढ़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के किसान इंटर कालेज खानपुर विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में अध्यापकों के रिक्त 14 पद भरे जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला अन्तर्गत आराजी संख्या–428 सड़क खाम (ग्राम समाज) की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अवर अभियंता कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड मन्धाता बाजार में किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में दिनांक 13–14 अगस्त, 2015 की रात्रि में महिला के साथ किये गये बलात्कार के आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में हैं। नवीं सूचना श्री प्रभूदयाल वाल्मीकी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर गंगा नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की प्रदेश के जनपदों में विकास खण्डों के अनुपात में इंडिया मार्का–2 हैण्डपम्प निर्गत करने की नीति निर्धारण कराये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के अंतर्गत ग्राम सभा जेठरा से ग्राम सभा सिगावर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री राम सिंह की उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, जवाहर भवन, लखनऊ में कार्यरत वसूली सहायक और मण्डल प्रभारी के क्रिया–कलापों की जांच कराये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग में की गयी भूमि की अवैध नीलामी की जांच कराये जाने के संबंध में है। पंद्रहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ संचालित कम्पोजिट विद्यालय में अवैध कब्जा बरकरार रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी महानगर में सफाई दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की नोएडा में बदहाल सफाई कर्मियों को आवश्यक सुविधा दिये जाने के संबंध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विधन सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद के अन्तर्गत शालीमार गार्डेन, शहीदनगर, डी0एल0एफ0 कालोनी, राजेन्द्र नगर, वसुन्धरा, वैशाली, लाजपतनगर, श्याम पार्क एवं नन्दग्राम की सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जीवन अस्त–व्यस्त हो गया हैं आये दिन सड़कों के खराब होने से सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

अतः सदन के माध्यम से जनहित मे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जौनपुर स्थित विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर से निभापुर होते हुये जंघई मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा–

ख्मान्यवर, जनपद जौनपुर स्थित विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर से निभापुर होते हुए जंघई मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। इसकी सूचना मेरे द्वारा बार–बार जिला प्रशासन को, विगत सत्र में विधान सभा में उठाये जाने के बाद भी आज तक मार्ग का कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। उक्त मार्ग 25 गांवों में आने–जाने का एकमात्र रास्ता है। दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं जिसमें दो लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। ग्रामीणों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। जनमानस में त्राहि–त्राहि मची हुई है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण तत्काल कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के खेमकरनपुर–गढ़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के खेमकरनपुर–गढ़ा मार्ग की अनुमानित लम्बाई 7.5 कि0मी0 है जिसके अन्तर्गत 10वीं ग्राम पंचायत इस मार्ग से आवागमन करते हैं जिसकी मरम्मत न होने से आवागमन बाधित रहता है तथा आये दिन दुर्घटना होती रहती हैं तथा समय का अपव्यय भी होता है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रोड का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण की मांग करती हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के किसान इण्टर कालेज, खानपुर, विकास खण्ड, सिकन्दराबाद में अध्यापकों के रिक्त 14 पद भरे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

नोट :– रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, किसान इण्टर कालेज खानपुर विकास खण्ड सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में हाई स्कूल तक के अध्यापकों के वर्षों से 14 पद रिक्त हैं तथा वर्तमान में मात्र एक अध्यापक रह गया है तथा उस पर भी प्रधानाचार्य का चार्ज है। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, शासन तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग को अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनेक पत्र लिखने के उपरान्त भी आयोग द्वारा पिछले कई वर्षों से वहां पर एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है। जिसके कारण उक्त विद्यालय में विद्याध्ययन कर रहे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुय आयोग द्वारा वहां कम से कम 10 अध्यापक शीघ्र नियुक्त करने की आवश्यकता है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।,

जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला अन्तर्गत आराजी संख्या–428 सड़क खाम (ग्राम समाज) की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ब्लाक गोला में ग्राम मदरिया तत्पप बरहज परगना धुरियापार, तहसील गोला के आराजी नं0–428 जो कि ग्राम समाज की भूमि है पर पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गयी जिस पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा एवं अन्य न्यायालयों के आदेश के बावजूद भी अवैध रूप से कब्जे किये जा रहे हैं। जनहित में ग्राम समाज की भूमि पर किये जा रहे कब्जे पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं अवैध कब्जा को तत्काल हटाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अवर अभियन्ता, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

ख्मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि डा0 के0बी0 जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच, श्री राम कुशल वर्मा, अवर अभियन्ता कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच तथा लिपिक/लेखालिपिक श्री शशीकान्त, वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच ने जान–बूझकर अनुचित तरीके से सरकारी धन का

नोट :– ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुरुपयोग करते हुये तकनीकी स्वीकृति एवं आगणन के अनुसार कार्य न कराके घोर वित्तीय अनियमितता करते हुए राजकीय धन की क्षति पहुंचायी गयी और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लम्बित बिलों का भुगतान वर्ष 2014–15 हेतु आवंटित बजट से किया गया। बजट का डायर्वजन कर कराये गये कार्यों के सापेक्ष अधिक धन का भुगतान कर स्वयं को एवं सम्बन्धित ठेकेदार मेसर्स मन्शाद अहमद मोहल्ला–काजीपुरा बहराइच को बिना निविदा के एक लाख रुपये भुगतान किया गया तथा मेसर्स अदीब टेडर्स मो0 काजीपुरा बहारइच को बिना कार्य के प्रा0स्वा0के0–शिवपुर में रु0 186000.00 का तथा सामु0स्वा0के0–कैसरगंज को रु0 50000.00 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। जोकि आपस में साठ–गांठ की ओर इंगित करता है और घोर वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है। डा0 के0वी0 जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच, श्री राम कुशल वर्मा अवर अभियन्ता कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच तथा स्थापना लिपिक/लेखालिपिक श्री शशीकान्त, वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये घोर वित्तीय अनियमितता की है और राजकीय धन का दुरुपयोग किया है। इस सम्बन्ध में डा0 शिवप्रताप यादव माननीय राज्यमंत्री जन्तु उद्यान के शिकायती–पत्र दिनांक 22–03–2015 व 25–02–2015 पर गठित जांच समिति ने उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोषी पाया किन्तु अभी तक उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध उक्त कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड मन्धाता बाजार में किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद–प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मन्धाता बाजार में प्रायः जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। यह बाजार विकास खण्ड की सबसे पुरानी एवं मुख्य बाजार है। इसी बाजार से होकर जिला मुख्यालय में कटरा गुलाब सिंह मार्ग निकलता है जो आगे चलकर इलाहाबाद जनपद अन्तर्गत कल्यानपुर–सोरांव मार्ग के रूप में इलाहाबाद की तहसील–सोरावं को जोड़ता है। इस तरह से इसकी कुल लम्बाई लगभग 45 कि0मी0 हो जाती है और यह मार्ग इलाहाबाद–प्रतापगढ़ के लिए एक बाईपास के रूप में भी कार्य करता है। मन्धाता बाजार में जल निकास की समुचित व्यवस्था न होने और सड़क पर अतिक्रमण होने से प्रायः जल–भराव और जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे क्षेत्रवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण एवं जल निकास की व्यवस्था कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

---

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में दिनांक 13–14 अगस्त, 2015 की रात्रि में महिला के साथ किये गये बलात्कार के आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मड़ियान, जनपद–मिर्जापुर एक अति–पिछड़ा एवं नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनता मजदूरी करके जीविकोपार्जन करती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम–उत्तरी देवरी, थाना–लालगंज, जनपद–मिर्जापुर की निवासिनी पीड़ित महिला उम्र 27 वर्ष अपने परिवार व बच्चों के साथ दिनांक 13 एवं 14 अगस्त, 2015 की रात घर में सो रही थी। बगल की ग्राम सभा का एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष यादव है जो कि दबंग एवं सरहंग व आपराधिक प्रवृत्ति का है। अपनी मोटर साइकिल से आया और उसके घर में घुस गया और पीड़ित महिला के साथ जोर–जवर्दस्ती करके बलात्कार किया। जब वह उसके हाथों से छूटी तो शोर मचाया। उसके घर के लोग हल्ला सुनकर जाग गये और सुभाष यादव को पकड़ लिया। लेकिन वह अपनी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल मौके पर छोड़कर भाग गया । जब महिला अपने परविार के साथ थाना–लालगंज, जनपद–मिर्जापुर पहुंचती है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। उस पीड़ित परिवार द्वारा मुझे फोन पर सूचना दी गयी और मैं उस पीड़ित महिला एवं उसके परिवार तथा गांव वालों के साथ थाने पर पहुंचा उसके कई घण्टे बाद लालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज हो पायी, जिसका मु0अ0सं0–1060/2015 धारा 376 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट दर्ज की गयी है। पीड़ित महिला गरीब एवं आदिवासी महिला है। वह मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन–पोषण एवं शिक्षा ग्रहण कराती है। आज हीन भावना से ग्रसित होकर घर में पड़ी हुई है और अपराधी सुभाष यादव जो कि खुलेआम घूम रहा है। अपने आपको सरकार का प्रतिनिधि समझता है। और थाना–लालगंज का उसको पूरा समर्थन प्राप्त है जिससे आदिवासी समुदाय में एक भ्रम व्याप्त है। अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती हैं तो समाज में भय व्याप्त है और जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इसलिए अविलम्ब सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो और उस महिला के साथ–साथ आदिवासी एवं गरीब जनता को न्याय मिल सके।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर गंगा नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभूदयाल वाल्मिकी–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद मेरठ में हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र में

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतिवर्ष गंगा के बाढ़ का भारी प्रकोप आता है जिसकी वजह से हजारों बीघा फसलें, व जान–माल की हानि होती है। जिससे किसान त्राहि–त्राहि कर रहे हैं।

अतः लोकमहत्व के इस विषय पर गंगा नदी पर पत्थरों के ठोकरें लगाये जाने/बांध बनाये जाने हेतु सदन से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

प्रदेश के जनपदों में विकास खण्डों के अनुपात में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प निर्गत करने की नीति निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

ख्मान्यवर, मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि समय–समय पर सरकार द्वारा री–बोर हेतु 50–50 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प प्रत्येक विकास–खण्ड को निर्गत करने की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ ग्रामों का विकास खण्ड एवं उसी जनपद के 30 ग्रामों का विकास खण्ड में असमानता रहती है। अर्थात अनेक ग्राम रि–बोर की उपलब्धि से वंचित रह जाते हैं जो न्यायोचित नहीं है।

अतः मैं माननीय सदन से मांग करता हूं कि सरकार द्वारा रि–बोर हेतु हैण्डपम्प जनपद में विकास खण्डों के ग्रामों की संख्यानुसार एक सामान्य नीति निर्धारित करने की कृपा करायें ताकि उक्त योजना का लाभ समस्त ग्रामों को प्राप्त हो सके।,

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–गोरखपुर की तहसील गोला विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में बिजली की आपूर्ति अत्यन्त दयनीय है। वहां बिजली के न रहने से महिलाओं, बच्चों, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों, छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वहां की महिलायें दो शिफ्टों में कम से कम 10 से 4 दिन में और 10 से 4 रात में बिजली आपूर्ति को लेकर कई बार आमरण अनशन भी कर रहीं हैं। छात्र एवं नवजवान बड़ी संख्या में लगातार आन्दोलित हैं। जिससे कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतएव आपके माध्यम से क्षेत्र में व्याप्त इस गम्भीर बिजली की समस्या का निदान कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम सभा जेठरा से ग्राम सभा सिगावर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैइया–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा, तहसील–धौरहरा के विकास खण्ड–ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम सभा जेठरा से ग्राम सभा सिगावर तक (ल0 लगभग 4.0 कि0मी0) की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उक्त क्षतिग्रस्त सड़क में जगह–जगह पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं, जो कि वर्षा के समय तालाब का रूप धारण कर लेते हैं। यह क्षतिग्रस्त सड़क कई ग्राम सभाओं को जोड़ने का कार्य करती है। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहनों का आवागमन होता है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने जाने की अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन राहगीरों के साथ सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं राहगीर घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में जिला–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा, तहसील–धौरहरा के विकास खण्ड–ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम सभा जेठरा से ग्राम सभा सिगावर तक (ल0 लगभग 4.0 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।

उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, जवाहर भवन, लखनऊ में कार्यरत वसूली सहायक और मण्डल प्रभारी के क्रिया–कलापों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह–

ख्मान्यवर, मैं आपका ध्यान उ0प्र0 अल्प संख्यक वित्त विकास निगम जवाहर भवन, लखनऊ के वसूली सहायक और मण्डल प्रभारी के कार्य कलापों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि उनके द्वारा वर्ष 2015 एवं 2016 जुलाई तक कुल कितनी धनराशि की वसूली की गयी व उनके वेतन व अन्य सुविधाओं पर कितनी–2 धनराशि व्यय की गयी। मण्डल प्रभारियों को सुविधायं देकर मुख्यालय में रोकने के क्या कारण हैं उन्हें जनपदों में कब तक भेज दिया जायेगा।

उक्त निगम के कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है इनको छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गयी हैं अल्प संख्यकों का विभाग होने के पश्चात भी इन्हें उनके मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा रहा है।

उक्त दोनों प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु एक उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु नियम–301 में उठाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के गांव सैदपुर बुजुर्ग में की गई भूमि की अवैध नीलामी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग में स्थित 3.757 हेक्टेअर करोड़ों रुपये की भूमि की फर्जी नीलामी दिखाकर मात्र 12550/–रु0 में नीलाम कर वर्ष 2015 में मात्र 950–रु0 के स्टाम्प पर विक्रय पत्र जारी करने एवं डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2 बरेली द्वारा फर्जी नीलामी को सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्नगत प्रकरण की एक उच्चस्तरीय जांच निम्न बिन्दुओं पर किया जाना भी आवश्यक है।

1. प्रकरण में भूमि की नीलामी दिनांक 21–05–1979 को की गई और आर0सी0 दिनांक 11–06–1999 को जारी की गई प्रश्न चिन्ह लगता है ?
2. न्यायालय मुंसिफ अष्टम् बरेली के वाद सं0 171/1979 में श्री सुरेश चन्द्र बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व के निर्णय में एक लाट, प्लाट सं0–156 दूसरी लाट, प्लाट सं0–48, 50, 52 व 53 को माना है।
3. डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2 बरेली के पत्र दिनांक 26–02–2015 में एक लाट गाटा सं0–156, 48, 50, 52 व 53 दूसरी लाट गाटा सं0–157, 154, 159, 160 से 170 तक एवं 176–182, 199 व 200 को शामिल किया गया है। ऐसा क्यों प्रश्न चिन्ह लगता है ?
4. उक्त कार्यालय के पत्रांक 30 सूचना का अधिकार/2012–13 एडी0कमि0ग्रे0–1 वा0क0व0 दिनांक 3 अप्रैल, 2013 में उत्तर आया है।

   ;पद्ध प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित कोई आदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

   ;पपद्ध प्रश्नगत मामले में अभिलेख पर कोई विवरण आदेश उपलब्ध नहीं है।
5. उक्त कार्यालय के दिनांक 26–05–2015 के सवाल–नकल की प्रमाणित प्रति में प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराया गया है किः–

   ;पद्ध सेल कम्फर्मेशन का आदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

   ;पपद्ध दिनांक 21–05–1979 की नीलामी की बिटशीट कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

   ;पपपद्ध फार्म–73, फार्म–74 इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
6. नीलामी की कितनी–2 धनराशि किस–किस रसीद संख्या से किस–किस दिनांक को कोषागार में जमा करायी गयी, उसका कुल योग कितना बनता है ? (प्रश्न चिन्ह लगता है)।
7. कार्यालय में अभिलेख आदेश नीलामी के उपलब्ध नहीं है तो उक्त कार्यालय के पत्रांक 539 दिनांक 07–07–1979 द्वारा न्यायालय आयुक्त बरेली मण्डल को नीलामी की पत्रावली प्रेषित की गयी है जबकि यहां कोई वाद चल ही नही रहा था। प्रश्न चिन्ह लगता है।

मैं चाहता हूं कि उक्त फर्जी नीलामी के प्रकरण पर डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2 बरेली श्री महेश गिडवानी को हटाते हुए एक उच्च स्तरी जांच नितान्त आवश्यक है ताकि भू–स्वामी को फर्जी नीलामी के प्रकरण का निराकरण हो सके।

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस लोक महत्व के प्रकरण पर नियम 301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ संचालित कम्पोजिट विद्यालय में अवैध कब्जा बरकरार रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे श्याम जायसवाल–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के अधीनस्थ संचालित कम्पोजिट विद्यालय अम्बेडकरनगर क्षेत्र सीतापुर जनपद सीतापुर के ग्राउण्डफ्लोर को एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प द्वितीय के संचालन हेतु दिया गया था जिसकी अवधि मई, 2015 में समाप्त हो चुकी है। उक्त कैम्प संचालक की मिली भगत से अब भी कब्जा विद्यालय के पठन कक्ष, रसोई घर व शौचलाय आदि पर है जिससे छात्र, छात्राओं को काफी असुविधा होती है जिसकी लिखित शिकायत उक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी चौरसिया ने जिला अधिकारी व बी0एस0ए0 सीतापुर से किया जिससे नाराज होकर प्रमोद गुप्ता जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वारा छेड–छाड़ व अमर्यादित आचरण किया। यही नहीं अपने रिवाल्वर से जान से मारने की भी धमकी दी। स्थानीय अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। मुकदमा भी पंजीकृत है, शिक्षिका की जान को खतरा है। प्राथमिक उच्च विद्यालय अम्बेडकर नगर के छात्रों के साथ भी अमर्यादित आचरण प्रमोद गुप्ता द्वारा किया गया जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। तत्काल शौचालय का ताला खुलवाया जाय, अभद्रता करने की जांच करायी जाय।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

वाराणसी महानगर में सफाई दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–(दादा)–

ख्मान्यवर, वाराणसी नगर एक महत्वपूर्ण नगर के साथ हेरीटेज सिटी और स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है लेकिन नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु कोई भी नियोजित कार्यक्रम न अपनाये जाने से आम जनता के साथ ही देश विदेश से आने वाले पयर्टकों में भी चर्चा का विषय बना रहता है। विगत अनेक दिनों से डोर–टू–डोर सफाई और कूड़ा कलेक्शन प्रारम्भ किये जाने के बाद सिर्फ समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती है। जो सफाई कर्मचारी नियुक्त है। उनमें से भी अनेंकों कर्मचारी प्रायः विभाग की कृपा से अनुपस्थित रहते हैं। अनेकों क्षेत्रों में सप्ताह में, 15 दिन में और कही माह में एक दिन झाडू लग पाता है और कूड़ा उठने में अगले कई दिन बीत जाते है। सीवर जाम की समस्या भी गम्भीर है। प्रदूषित जलापूर्ति के कारण जनता परेशान है। आवश्यक संख्या में

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सफाई कर्मचारी न होने से लोग सफाई चौकी शिकायत लेकर दौड़ते रहते हैं। लोकहित में अति आवश्यक है कि उक्त समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक प्रभावी कदम अविलम्ब उठाये जायें।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।,

नोएडा में बदहाल सफाई कर्मियों को आवश्यक सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान–

ख्मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा महानगर में लगभग 25 वर्षों से कार्यरत हजारों सफाई कर्मियों की हालत अच्छी नहीं है। साथ–साथ अधिकारियों, नेताओं के घरों पर लगभग 5–5 सफाईकर्मी तैनात हैं। सरकार शासनादेशों के अनुसार न वेतन है न ही यूनीफार्म, मेडिकल, मकान, बच्चों की शिक्षा आदि प्राप्त नहीं है। सभी सफाई कर्मी आवश्यक सुविधाओं से आज 25 साल बाद भी वंचित हैं। यह सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण, हजारों दलितों से जुड़ी है। मैं इस सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।,

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गयीं–श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री सुरेश बंसल, श्री गेंदालाल चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री सुभाष पासी, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री बावन सिंह, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री राजीव गुम्बर, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री विजय कुमार पासवान, श्री अनीसुर्रहमान, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री काली चरण सुमन, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री उमाशंकर सिंह, श्री लोकेश दीक्षित, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री पूरन प्रकाश, श्री दलवीर सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री सतीश महाना, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री हाजी परवेज अहमद टंकी, श्री राजकुमार रावत, श्री विजय बहादुर यादव, श्री गुटियारी लाल दुबेश, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द।

आज दिनांक–20–08–2015 को नियम–301 के अंतर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या–15 अंतर्गत भूड भारत नगर में चावला से सी0एस0डी0 कैंटीन तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला अंतर्गत क्षतिग्रस्त आंवला–कुमारगांव मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के कतिपय जीर्ण–शीर्ण मार्गों

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री राजीव गुम्बर की सहारनपुर महानगर में बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु बाई–पास का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। पांचवी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद वाराणसी के कैंट विधान सभा क्षेत्र में बरसात के गंदे पानी की निकासी हेतु रविदास गेट, लंका में सीवर का बड़ा चैम्बर बनाये जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली के हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय धानापुर में विज्ञान वर्ग के सम्पूर्ण विषयों की पढ़ाई आरम्भ कराये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्रीमती रजनी तिवारी की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अंतर्गत ग्राम खरगापुर में पैंटून पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री ममतेज शाक्य की जनपद एवं विकास खण्ड कासगंज के ग्राम व ब्लाक रामपुर स्थित मण्डी समिति द्वारा निर्मित लिंक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की जनपद बदायूं समेत सम्पूर्ण प्रदेश के ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिये जाने में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर की बंद पढ़ी चीनी मिलों को पुनः चालू कराये जाने एवं गांगनौली शुगर मिल जो बंद होने के कगार पर है, उसे बंद होने से रोके जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा अपनी सूचना पढ़ी गयी।)

श्री अध्यक्ष–

बारहवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय सम्पर्क मार्गों पर पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र हिन्दुस्तान एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स के गोमतीनगर, लखनऊ स्थित समाचार–पत्रों के कार्यालय पर 18 अगस्त को हुए हमले एवं फोटोग्राफर पर हुए प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में है।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ दें।

(मा0 सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ी गयी।)

श्री अध्यक्ष–

चौदहवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

पंद्रहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की दिनांक 18 अगस्त, 2015 को जनपद शामली में समाचार–पत्रों के कार्यालयों में हमला किये जाने के आरोपियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ दें।

(श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ी गयी।)

(सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा सदन के समक्ष पढ़ी गयी एवं पढ़ी हुई मानी गयी सूचनायें संलग्न हैं।)

जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या–15 अन्तर्गत भूड भारत नगर में चावला से सी0एस0डी0 कैंटीन तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नम्बर–15 भूड भारत नगर में एक सड़क जो चावला होटल से सी0एस0डी0 कैटीन तक जाती है, पूर्णतयः क्षतिग्रस्त है। यह एक मुख्य सड़क है, जिसमें काफी संख्या में लोगों/वाहनों का आवागमन रहता है, इस सड़क पर जगह–जगह गड्ढे हो चुके हैं व बरसात के दिनों में गन्दा पानी भरा रहता है जिसके कारण यहां के निवासियों को बड़ी असुविधा है व गम्भीर बीमारी फैलने का भी भय रहता है।

अतः मैं जनहित में सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराने की मांग करता हूं।,

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला अन्तर्गत क्षतिग्रस्त आंवला–कुमारगांव मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह–

ख्महोदय, आंवला विधान सभा क्षेत्र जनपद बरेली के अन्तर्गत आंवला–कुमारगांव मार्ग से ग्राम पनवड़िया, तुमड़िया, खरगपुर तक का निर्माण कराया गया है जो जीर्ण–शीर्ण होकर खराब हो चुकी है। इसलिये आवागमन बाधित है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग बरेली द्वारा करवा दिया जाय।,

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के कतिपय जीर्ण–शीर्ण मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कई मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं जिस कारण स्थानीय जनता को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग पूर्ण रूप से गड्ढे में परिवर्तित हो चुकी है। ग्रामीणों का चलना दूभर है। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। जिसमें कई लोग घायल हो चुके।

1–करनैलगंज–कटरा–कौड़िया–आर्य नगर मार्ग लम्बाई 25 कि0मी0

2–करनैलगंज से हुजूरपुर मार्ग लम्बाई 12 कि0मी0

3–तिवलका से चन्दवतपुर मार्ग लम्बाई 9 कि0मी0

4–कटरा से दुबहा मार्ग लम्बाई 7 कि0मी0

5–भेड़ियाघाट से करौली जमथर मार्ग लम्बाई 5 कि0मी0

6–करनैगंज हुजूरपुर से सेवहरी देवापसिया मार्ग 14 कि0मी0

7–दुबहा से कटुआनाला मार्ग 10 कि0मी0

8–कौड़िया से बेलवा बाजार मार्ग 3 कि0मी0

9–गोण्डा लखनऊ रोड से पतिसा मार्ग 6 कि0मी0

10–गौसिहा–उसरैना सम्पर्क मार्ग लम्बाई 5.0 कि0मी0

बारिश के समय इन मार्गों पर चलना और भी दुष्कर हो जाता है। ग्रामीण जनता द्वारा इन मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में कई बार स्थानीय स्तर पर अनुरोध किया गया है परन्तु कोई सुनवायी नहीं हुई। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त समस्त मार्गों का निर्माण तत्काल कराये जाने की मांग करता हूं।,

सहारनपुर महानगर में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु बाई–पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सहारनपुर नगर के अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

सहारनपुर नगर व आस–पास के क्षेत्रों में आये दिन गम्भीर दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे रोजाना कोई न कोई मृत्यु हो रही है। यदि विगत 6 माह के आंकड़े देखे जायें तो कम से कम 50 मौतें हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त भी कई मौतें हुई हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहारनपुर तीन राज्यों–हरियाणा, हिमांचल एवं उत्तराखण्ड से लगा हुआ है। धार्मिक नगरी हरिद्वार आने–जाने हेतु पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर आदि राज्यों का एक मात्र रास्ता सहारनपुर से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड एवं हिमांचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर आने–जाने हेतु पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली का एक मात्र रास्ता सहारनपुर होकर गुजरता है। उत्तराखण्ड के औद्योगिक क्षेत्र देहरादून, हरिद्वार, ज्वालापुर, रुड़की, भगवानपुर में आने–जाने हेतु उपरोक्त राज्यों का एक मार्ग भी सहारनपुर होकर जाता है। हरियाणा के जमुनानगर में प्लाई के बहुत बड़े–बड़े उद्योग स्थित हैं जिसके कच्चे माल की सप्लाई सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर व मेरठ से होती है जिसके कारण रोजाना हजारों की संख्या में ट्रैक्टर–ट्रालियां भी गुजरती हैं।

सहारनपुर का मुख्य मार्ग कम चौड़ाई वाले हैं जिस कारण दूसरे राज्यों से आने–जाने वाले भारी व हल्के वाहनों की आवाजाही से उन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है और आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित हो रही है। सहारनपुर का ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून स्थित बनकर तैयार है लेकिन अब तक वहां पर ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है जिस कारण ट्रांसपोर्ट का सारा कार्य शहर के अन्दर से संचालित किया जा रहा है।

रोजाना घटित होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सहारनपुर जनपद में दिल्ली रोड से अम्बाला रोड तक व अम्बाला रोड से देहरादून रोड तक बाई–पास का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद सहारनपुर में बाई पास निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।,

जनपद वाराणसी के कैंट विधान सभा क्षेत्र में बरसात के गन्दे पानी की निकासी हेतु रविदास गेट, लंका में सीवर का बड़ा चैम्बर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्महोदय, वाराणसी के कैण्ट विधान सभा में गन्दे बरसाती पानी की निकासी अधिकांशतः नालों द्वारा होती है। ज्यादातर जगहों पर जहां सीवर लाइन नहीं है वहां सीवर लाइन का काम भी नालों से लिया जाता है। अनेक जगहों पर नालों को पाइप में डाला जा रहा है। जैसे सरायनन्दन में लेकिन उन पाइपों को या तो जोड़ा नहीं गया या जोड़ा भी गया तो पाइप से पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप सरायनन्दन की सड़क जहां बड़ा नाला है सरायनन्दन से सुन्दरपुर, नरिया तक जहां–जहां आबादी के इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है और आये दिन घरों में घुस रहा है। सड़े पानी का दुर्गन्ध घरों में जा रहा है। जल निगम की राय थी कि रविदास गेट के पास एक बड़ा चेम्बर बना दिया जाय जो नालों द्वारा आने वाले पानी को निकाल देगा इससे सारे क्षेत्र की समस्या हल हो जायेगी लेकिन यह अभी तक बना नहीं है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।,

जनपद चन्दौली के हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय धानापुर में विज्ञान वर्ग के सम्पूर्ण विषयों की पढ़ाई आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह–

ख्महोदय, जनपद चन्दौली में शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय धानापुर की स्थापना 1979 में हुई थी और कला वर्ग की मान्यता मिली थी तथा वर्ष 1996 में विज्ञान वर्ग की मान्यता मिली। लेकिन आज तक विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषय के अध्यापकों की शासन द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गयी जिससे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत ग्राम खरगापुर में पैंटून पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रजनी तिवारी–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत ग्राम खरगापुर अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर बड़ागांव अर्जुनपुर के मध्य पी0डब्लू0डी0 द्वारा पैटून पुल लगभग 25 वर्षों से बनाया जा रहा है। परन्तु वर्ष के दिनों में लगभग 4 माह सम्पूर्ण क्षेत्र दो भागों में बटकर अव्यवस्थित हो जाता है। रामगंगा नदी के किनारे पर बसे क्षेत्रवासियों के जनपद मुख्यालय हरदोई तक लगभग 100 कि0मी0 तक का सफर वाया फर्रुखाबाद मार्ग से तय करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त पैटून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण करने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों और प्रशासन से अनुरोध किया गया परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पैटून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद एवं विकास खण्ड कासगंज के ग्राम व ब्लाक रामपुर स्थित मण्डी समिति द्वारा निर्मित लिंक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद कासगंज के विकास खण्ड कासगंज स्थित ग्राम व ब्लाक रामपुर स्थित मण्डी समिति द्वारा निर्मित लिंक मार्ग की जर्जर हालत की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवगत कराना है कि उक्त लिंक मार्ग का निर्माण मण्डी समिति द्वारा कराया गया था किन्तु जबसे इसका निर्माण किया गया है तब से न तो उक्त मार्ग की मरम्मत कराई और न ही कभी लेपन कार्य ही हुआ है। परिणामस्वरूप उक्त मार्ग अब अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है। जिस कारण स्थानीय निवासियों को आवागमन में अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं उक्त लिंक मार्ग की अविलम्ब मरम्मत कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।,

जनपद बदायूं समेत सम्पूर्ण प्रदेश के ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिये जाने में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिनोद कुमार शाक्य–

ख्महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि **जनपद बदायूं समेत सम्पूर्ण प्रदेश के ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिये जाने में व्यापक रूप से अनियमिततायें की जा रही हैं।** उल्लेखनीय है कि पीड़ित किसानों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे जनता एवं किसानों में अत्याधिक रोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पीड़ित किसानों को समुचित सहायता राशि दिये जाने एवं सहायता राशि वितरण में की जा रही अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर की बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू कराये जाने एवं गांगनौली शुगर मिल जो बन्द होने के कगार पर है, उसे बन्द होने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के गन्ना किसानों के सामने लगातार संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि सबसे पहले विडवी शुगर मिल बन्द हो गयी। इसके पश्चात् शुगर मिल गागलहेड़ी और शुगर मिल टोडरपुर बन्द हो चुकी हैं और अब शुगर मिल गांगनौली बन्द होने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में किसान बुरी तरह से त्रस्त है, न तो किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान पूर्णरूप से हुआ है, इसके साथ–साथ जो किसानों को ओलावृष्टि में भारी नुकसान हुआ है उसमें सभी किसानों को मुआवजा नहीं

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिला। ऐसी परिस्थिति में गन्ना किसानों के सामने इस बढ़ते हुए संकट को देखते हुए बन्द हुयी चीनी मिलों को शीघ्रातिशीघ्र चलाया जाय।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी में वर्ष 2014 माह नवम्बर में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय लोक निर्माण खण्ड कानपुर के द्वारा जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न सड़कों के मरम्मत/निर्माण हेतु दो करोड़ रुपये शासन द्वारा पास होने की सूचना देते हुए विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिये प्रस्ताव की मांग की गयी। जिसमें मेरे द्वारा श्यामनगर की कई सड़कें बताई। वह सड़कें जनता के साथ मिलकर नपवाई गई परन्तु 02–11–2014 को अधिशासी अभियन्ता हमारे आवास पर आये और उन्होंने कहा कि यह सड़कें नहीं हो रही हैं चूंकि यह सड़कें सोसाइटी क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से वह सड़कें नहीं बन सकती हैं और उन्होंने निवेदन करते हुए कहा कि अगर आप जल्द दूसरा प्रस्ताव नहीं देते हैं तो आवंटित धनराशि शासन के द्वारा वापस ले ली जायेगी और उन्होंने हमसे अपने माफिक जो पी0डब्लू0डी0 की सड़कें आती थीं उनको भी उसमें चिन्हित कर प्रस्ताव लिखवाया। जिसमें उन्होंने तीन सड़कें–टाट मिल चौराहा से किदवई नगर, पुराना गंगा नहर के निचले डेट मार्ग, पुराना गंगा नहर के निचले व ऊपरी डेट एप्रोच रोड पर टाइल्स आदि मरम्मत कार्य के लिये लिखाकर बढ़वाया। लगातार सम्पर्क करने के बाद इनके कार्यालय द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी।

इसके बाद मेरे द्वारा दिनांक 26–02–2015 को जब मेरे द्वारा पत्र लिखकर सूचना मांगी गयी तो 28–02–2015 को इनके कार्यालय के पत्रांक सं0–2835 का0क्षे0/वी0आई0पी0/2015 द्वारा अवगत कराया गया कि टाट मिल चौराहा से किदवई नगर चौराहे तक मार्ग सुधार कार्य हेतु 159.11 लाख का आगणन एवं पुराने गंगा पुल के निचले डेक मार्ग के सुधार कार्य हेतु 31.80 लाख का कार्य स्वीकृत तथा पुराने गंगा पुल के निचले व ऊपरी डेक एप्रोच रोड पर टाइल्स एवं अन्य सुधार कार्य हेतु 34.89 लाख के आगणन गठित किये जाने की जानकारी दी गयी तथा शेष चार मार्गों को नगर निगम स्वामित्व मार्ग का उल्लेख करते हुए कार्य नहीं कराये जाने का जवाब दिया गया। परन्तु अभी तक उक्त पत्र के सन्दर्भ में यह नहीं पता चल पा रहा है कि क्या कार्य हुआ और कितना धन कहां–कहां खर्च किया गया। इस प्रकार से हमेशा धन गबन करके गलत तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने जनता के लिये मांगी थी कार्यों की भीख मिला लोक निर्माण मंत्री का प्यार लेकिन अधिकारियों ने डाला डाका जनता हो गयी बेहाल।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा स्वीकृत धनराशि से मेरे प्रस्ताव के अनुसार कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय सम्पर्क मार्गों पर पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान–

ख्मान्यवर, जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु, जनपद–सिद्धार्थनगर में निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों पर पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है :–

1–विकास खण्ड–नौगढ़, ग्राम–कोडरा ग्रान्ट चौराहे से बचड़ा–बचड़ी तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई–1.5 कि0मी0।

2–विकास खण्ड–नौगढ़, ग्राम–पं0 हरदासपुर, दयानगर पिच मार्ग से ग्राम–मेहरनिया तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई–1.25 कि0मी0।

3–विकास खण्ड–नौगढ़, ग्राम–पं0 रामपुर पिच रोड से पूरब सुकरौली होते हुए उमरा नगर तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई–03 कि0मी0।

अतः मैं आपके माध्यम से जनहित के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए उपर्युक्त पिच मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र हिन्दुस्तान एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार के गोमतीनगर, लखनऊ स्थित कार्यालय पर कतिपय दबंगों द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2015 को हुए प्राणघातक हमले पर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्महोदय, हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र हिन्दुस्तान एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्र के गोमतीनगर, लखनऊ स्थित समाचार–पत्रों के कार्यालय पर 18 अगस्त, 2015 को लगभग प्रातः 11 बजे जबरदस्त हमला किया गया जिससे कई वरिष्ठ पत्रकार एवं फोटोग्राफर घायल हो गये। जब घायल पत्रकार एवं फोटोग्राफर डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज कराने गये तो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अन्दर पत्रकारों पर पुनः हमला किया गया। लखनऊ में विभूति खण्ड थाने में घटना की रिपोर्ट लिखाई गयी है। लोकतंत्र के चौथे खम्भे मीडिया पर हुआ हमला लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये प्रेस मीडिया को मजबूत करना होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये यह आवश्यक है कि पत्रकार की कलम बिना किसी डर, बिना किसी दबाव व बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से चले।

कृपया नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य देने के साथ मांग करता हूं कि हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र हिन्दुस्तान एवं अंग्रेजी दैनिक

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाचार–पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स के कार्यालय एवं पत्रकारों तथा फोटोग्राफर पर हुए प्राण घातक हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्यवाही हो ताकि भविष्य में कभी कोई पत्रकारों, फोटोग्राफरों एवं समाचार–पत्र के कार्यालयों में हमला करने का दुस्साहस न कर पाये।,

दिनांक 18 अगस्त, 2015 को जनपद शामली में समाचार–पत्रों के कार्यालयों में हमला किये जाने के आरोपियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक–

ख्महोदय, श्रीमान जी कल दिनांक 18 अगस्त, 2015 समाजवादी पार्टी के खाद्य सम्बन्ध आवश्यक वस्तु निगम के चेयरमैन रियासत राणा निवासी ग्राम जहानपुरा, भाग–कैराना, जिला शामली ने अपने पुत्रों समरयाब व बिलाल व कई दर्जन गुण्डों के साथ अवैध हथियारों से लैस होकर हमारे समाचार–पत्रों के कार्यालयों पर जान लेवा हमला करते हुए तोड़–फोड़ की जिसकी सूचना पीड़ित पत्रकारों ने थाना कैराना में दर्ज करायी। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से जांच कराकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने व रियासत राणा को पद मुक्त करके पत्रकारों के सम्मान व जान–माल की सुरक्षा की जावे।

श्रीमान् लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ माने जाने वाले मीडिया पर होने वाला इस प्रकार का हमला लोकतंत्र पर हमला है इस तरह के लोकतंत्र के विरोधियों को पद पर बने रहने का मतलब है लोकतंत्र के सम्मान को ठेस पहुंचाना है। ये लोग मीडिया को दबाव में लेना चाहते हैं अगर मीडिया अगर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पायेगी। तो यह लोकतंत्र के लिये एक झटका होगा।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन लोकतंत्र के विरोधियों को तुरन्त बर्खास्त किया जाये तथा गिरफ्तार कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री रवि शर्मा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री विजय बहादुर यादव, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री काली चरण सुमन, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री बृजेश वर्मा, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री गेंदालाल चौधरी, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री लोकेश दीक्षित, श्री गोरख पासवान, श्री उदयराज, श्री

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री गुटियारी लाल दुबेश, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द।

ख12.35, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 19 अगस्त, 2015 एवं दिनांक 20 अगस्त, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 12 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की वर्तमान विधान सभा के गठन के साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यही सूचना सुनी जायेगी और शेष नहीं सुनी जायेंगी।

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, कल नियम–300 की मेरी एक सूचना थी, वह क्या हो गई ?

श्री अध्यक्ष–

अभी ये कल वाली सूचनायें ही तो हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कल मेरी भी तो सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना क्रम सं0–6 पर है।

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की विधान सभा में मा0 सदस्य एवं भूतपूर्व मा0 सदस्यों के निधन की सूचना जिलाधिकारियों के माध्यम से समय से प्राप्त न होने और उनका अन्तिम संस्कार भी राजकीय सम्मान से न किये जाने तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की सरकार द्वारा दिनांक 17–11–2014 को नियम–51 में दी गई सूचना पर दिनांक 25–11–2014 को वक्तव्य में दिये गये आश्वासन तथा जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद के सीमा विस्तार की प्रक्रिया अन्तिम चरण में होने पर भी उसमें शामिल होने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की उ0प्र0 सेतु निर्माण निगम इकाई–प्रथम झांसी के उप परियोजना प्रबन्धक प्रमोद कुमार वर्मा के क्रिया–कलापों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री सतीश महाना की सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के बावजूद भी मा0 सदस्यों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने तथा मा0 मुख्य मंत्री के कार्यालय में दिये गये पत्रों पर हुई कार्यवाही की प्रगति की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छठी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रदेश के सभी जनपदों से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का बाजार मूल्य से अधिक मूल्यों पर प्राक्कलन तैयार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के बावजूद भी मा0 सदस्यों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बिना अनुमति के जनहित याचिकायें दाखिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सचिवालय भवनों का नामकरण केन्द्र एवं महाराष्ट्र की भांति मंत्रालय किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की प्रदेश के मण्डल/जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में जन प्रतिनिधियों के बैठने हेतु कार्यालयों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की विधान सभा एवं विधान परिषद् की विभिन्न समितियों में विकलांगों के कल्याण हेतु कोई समिति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, सरकारी अधिकारी विपक्ष में बैठे हुये सभी सदस्यों की बात नहीं सुनते हैं और हालात बहुत खराब हो चुके हैं।

ख12.38, विधान सभा के गठन के साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम–300 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आर्टिकल–178 में एक संवैधानिक व्यवस्था है कि विधान सभा में एक उपाध्यक्ष का पद होगा और 1952 से या उससे पहले जब से यह विधान सभा बनी और जहां तक मेरी जानकारी है कि हमेशा विधान सभा में उपाध्यक्ष का चुनाव होता रहा, कुछ समय को छोड़कर 2007 से लेकर 2012 तक। नियमावली के नियम–9 में यह प्रोविजन भी है और निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से निर्वाचन होगा लेकिन 2007 से 2012 तक एक सरकार यहां पर रही जिसने 5 साल के कार्यकाल में

उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कराया। मान्यवर, एक तरफ तो ये सरकार यह कहती है कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे और दूसरी तरफ जो परिस्थितियां हैं उनसे ऐसा लगता है कि आज पूरी तरह से साढ़े तीन बरस बीत जाने के बाद भी आपको कभी–कभी पूरे दिन बैठना पड़ता है प्रातः काल 11 से लेकर सायं काल तक इसलिये यह बहुत आवश्यक है और चूंकि संवैधानिक व्यवस्था भी है। संवैधानिक व्यवस्था का आदर न किया जाए। अगर सरकार संवैधानिक व्यवस्था का आदर नहीं कर रही है, तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर कानून का, संविधान का गंभीरता से पालन इस सरकार द्वारा नहीं होगा तो बाकी समाज इसको किस तरह से लेगा, बाकी लोग किस तरह से लेंगे और दूसरी बात परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि जिसके आधार पर उपाध्यक्ष का निर्वाचन जरूर होना चाहिए। पिछले सत्र में ग्राम सभा से लेकर और जिला पंचायत तक सरकार ने यह माना कि उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए उसके लिए सरकार व्यवस्था बनाने जा रही है ग्राम सभा से लेकर जिला पंचायत तक उपाध्यक्ष के पद की उपयोगिता और आवश्यकता सरकार समझती है लेकिन विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद क्यों नहीं होगा क्योंकि एक परम्परा चली आ रही है कि अभी तक सबसे बड़े दल को, सबसे बड़ा दल जो विपक्ष में हो उसको उपाध्यक्ष का पद दिया जाता रहा है। मान्यवर, पहले हम नियमों से चलते हैं, फिर परम्पराओं का अनुकरण करते हैं, तो इस सदन में एक तरफ तो संवैधानिक व्यवस्था है, नियमावली में उसके निर्वाचन की व्यवस्था है, परम्परा यह रही है कि सबसे बड़े विपक्षी दल को वह पद दिया जाता रहा है। पिछले वर्ष चुनाव क्योंकि नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से, तो इस वर्ष नहीं होगा, यह सरकार ने मन बनाया हुआ है। नहीं तो साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद जब ग्राम सभा से लेकर जिला पंचायत तक उपाध्यक्ष की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, तो मान्यवर विधान सभा में उपाध्यक्ष क्यों नहीं होना चाहिए ? इसलिए तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, परम्पराओं को, नियमावली को और संविधान को भी रखते हुए उपाध्यक्ष का निर्वाचन शीघ्र कराया जाए और हमारी आपसे प्रार्थना है कि इसके लिए समय और तिथि घोषित कर दें ताकि उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद–178 में जिसका उल्लेख अभी माननीय खन्ना साहब ने किया है उपाध्यक्ष के पद का प्राविधान है और हमारी नियमावली में नियम–9 में मान्यवर इसका प्राविधान है। श्रीमन्, खन्ना साहब तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अच्छी तरह से जानते हैं सारी बातों को, उन्होंने जिन तथ्यों का उल्लेख किया, उन तथ्यों को मैं फिर दोबारा दोहराऊ इसकी आवश्यकता तो नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की जो सम्पूर्ण प्रक्रिया है, इसमें सरकार का क्या लेना–देना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आप जब भी उचित समझे श्रीमन् आप नेताओं की बैठक कर लें और खन्ना जी की राय जान लें। मैं दूसरी बात यह इसलिए कहना चाहता हूं कि खन्ना जी को यह सवाल कब उठाना चाहिए था, यह तय करना उनका काम है, लेकिन

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने जो व्यवस्था थी कि उपाध्यक्ष के न रहते हुए भी मान्यवर, पिछली बार हमने जिन कठिनाइयों को झेला कि तमाम ऐसी समितियां हैं विधान सभा की, जिन समितियों के पदेन सभापति उपाध्यक्ष होते हैं और पदेन सभापति के न रहने की स्थिति में भी उन समितियों को काम इतना प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ कि नहीं हो सकता था, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने सदस्यों को सम्पूर्ण संरक्षण देते हुए और जो महत्वपूर्ण समितियां हैं विधान सभा की या उपाध्यक्ष के जो बाकी के कृत्य हैं, उनकी वजह से एक दिन भी इस सदन का कार्य या किसी सदस्य का कोई अधिकार प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं हुआ। आपने सारी कमेटीज की फंक्शनिंग को भी इतना सुचारु रूप से बनाये रखने की श्रीमन् आपने व्यवस्था की कि उसमें किसी के अधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा है और सरकार या हमारी ओर से इसमें कोई रोक नहीं लगायी गई है, कि हम इसकी रोक लगाते हो। मान्यवर, यह आपका विषय है, खन्ना जी से आप बात करके और माननीय नेताओं से बात करके जो भी निर्णय लेंगे वह स्वीकार होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अगर सरकार के दो चेहरे नहीं हैं, तो हम यह प्रस्ताव करते हैं कि आज ही इसकी तिथि और तारीख तय कर दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने सरकार पर जो आक्षेप किया है और नियमावली भी उनके सामने, उनके हाथ में, जो मैं देख पा रहा हूं, उसमें पुनः देख लें, उसमें सरकार की ओर से किसी प्रस्ताव की कोई आवश्यकता है क्या आप नियमावली का नियम–9 देखें। मैं पढ़ता हूं। मुझे पढ़ने दे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी नियमावली का एक भी शब्द अगर इसमें सरकार की ओर से किसी प्रस्ताव के किये जाने की बाध्यता करता है तो मै अभी तुरन्त प्रस्ताव करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं नियमावली पढ़ता हूं, उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जिसे अध्यक्ष नियत करे और प्रमुख सचिव प्रत्येक स्थिति की सूचना भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप तो सारी बातें जानते हैं आपने प्रश्न उठाया हम उसमें नेताओं और माननीय नेता सदन से बात करेंगे। अब बाजपेयी जी का है।

ख12.44, विधान सभा के मा0 सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से समय से न प्राप्त होने तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने 2 दिन पूर्व माननीय पूर्व विधायकों के निधन के निर्देश के अन्तर्गत उनके बारे में विवरण से बताते हुए शोक प्रस्ताव के माध्यम से सदन

की औपचारिक कार्यवाही को पूरा किया। उस समय जब आपने उल्लेख किया श्री वासुदेव सिंह, बुलन्दशहर का निधन 17–11–2000 को हुआ था, श्री ध्रुव कुमार, बुलन्दशहर का निधन 27–09–2001 को हुआ था श्री लक्ष्मीचन्द्र जी बुलन्दशहर का निधन 15–11–2009 को हुआ था श्री उबेदुर्रहमान, बलरामपुर का निधन 10–12–2013 को हुआ था श्री राजा गजनफर अली खां, बिजनौर का निधन 30–12–2014 को हुआ था। इस सत्र का अन्तिम 26 मार्च था और 26 मार्च के निधन की बाद की यदि कोई सूचना है तो मैंने 4 शासनादेशों का उल्लेख किया है शासनादेश संख्या–14/1/7/1988–सी0एक्स(1), दिनांक 23–03–92, शासनादेश संख्या–1520/सात–सं0–1–2006–64 सं/84 दिनांक 23–06–2006, शासनादेश संख्या–756(2)/90–सं–1–10–64सं/84, दिनांक 24–05–2010 और शासनादेश संख्या–195/90 सं–1–10–64सं0/84, फरवरी 2013 इन 4 शासनादेशों में समय–समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया कि 48 घण्टे के भीतर माननीय विधायकों के निधन की सूचना सदन को माननीय अध्यक्ष जी को आनी चाहिए लेकिन उन्होने नहीं भेजी। साथ ही साथ उसमें उल्लेख है कि इनका अन्तिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। जिन जिलाधिकारियों ने उनके निधन की सूचना माननीय अध्यक्ष जी को नहीं दी तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार तो क्या हुआ होगा और एक बात और उल्लेख कर दूं यह भी सूचना तब आती है जब आपने कृपापूर्ण तरीके से सरकार की सहमति से विधायकों के पूर्व विधायकों के परिवार को पेंशन अनुमन्य की तब उनकी पत्नियों द्वारा आपके कार्यालय को यह सूचित किया गया कि हम फलां विधायक जो दिवंगत हो चुके हैं, की पत्नी हैं और हमको अभी तक पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है। यह हिम्मत इसीलिए हो रही है यह उपेक्षा इसीलिए हो रही है मान्यवर कि हमने उन शासनादेशों में सूचना न देने वाले जिलाधिकारी के लिए कोई दण्ड या किसी प्रकार की शास्ति की चर्चा नहीं की है। यह सदन अपने कार्य का मास्टर बना हुआ है। यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है तब इस प्रकार की उपेक्षा सदन के माननीय सदस्यों या पूर्व सदस्यों के प्रति यदि जिले के प्रशासन के अधिकारियों में है और यह सदन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का संचालन करने के नियमों को बनाने को अधिकृत है तब मेरा उल्लेख है कि इतनी बड़ी उपेक्षा कि 2000 और 2014 के बीच में मृत माननीय 05 पूर्व विधायकों की सूचना उनकी पत्नियों के द्वारा पेंशन के प्राविधान के अन्तर्गत आपको प्राप्त होती है इससे पहले जिले का प्रशासन नहीं देता है। इनका पालन जिले में बैठे अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है इस नियम–300 के औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कि आप ऐसी कोई व्यवस्था दे कि यह जो 4 शासनादेशों की भावना है इनका पालन सख्ती से हो और जो पालन न करे उस पर आपकी एक व्यवस्था आये। एक और सूचना हैं आपके माध्यम से सरकार के माध्यम से कि अब तक के इस सदन के माननीय सदस्य जो भी रहे हों, उनकी जानकारी एक बार जिले का प्रशासन एकत्र करके आपको दे दे जिससे कि अपडेट हो जाय और यह सदन अपने माननीय पूर्व सदस्यों के प्रति शोक प्रकट न कर सका हो तो वह शोक प्रकट कर ले। भविष्य में जो जिलाधिकारी इसकी सूचना न दे उसके लिए दण्ड का भी प्राविधान होना चाहिए क्योंकि यह विषय पक्ष और विपक्ष का

नहीं है। आज हम विपक्ष में है कल पक्ष में होंगे और पक्ष वाले विपक्ष में होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर आपसे कि नियम–300 के इस औचित्य के इस प्रश्न के माध्यम से आपकी स्पष्ट प्रभावी और परिणाममूलक व्यवस्था चाहता हूं इतना ही मुझे इसमें कहना था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने जो विषय औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है श्रीमन्, वह अत्यन्त गम्भीर है। इस सदन का सदस्य चुन करके आना अपने आप में बहुत सम्मान की बात है और इस सम्माननीय स्थिति में आने के बावजूद सरकार के बार–बार निर्देशों के बावजूद, आपकी स्वयं की चिन्ता के बावजूद अगर इसमें किसी भी स्तर पर अवहेलना होती है तो यह मान्यवर, चिन्ता का विषय है और इसमें कोई आपत्ति सरकार को नहीं होगी आप कोई भी शास्ति अगर देंगे किसी भी स्तर पर सरकार कोई आपत्ति नहीं होगी।

हम अनुरोध दूसरा करना चाहते हैं कि 2000 या 2000 के पूर्व से या इतने समय से जिन लोगों की सूचना नहीं थी उनके बारे में तो लम्बी अवधि ऐसी हो जायेगी कि जिस अवधि को ढूंढने में व्यावहारिक रूप से इस बात की जो चीज तत्काल घटित हुई हो उसमें लापरवाही को पकड़ना ज्यादा आसान है और 20 साल की या 15 साल की लापरवाही को ढूंढने में इतने लोगों को ढूंढ पाने में व्यावहारिक कठिनाई ज्यादा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को जरूर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बड़ा निर्णय लिया कि माननीय पूर्व सदस्यों की जो पत्नियां हैं उनको पेंशन दी जाय या उनको पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाय इसके कारण यह बात पता चली। वाजपेयी जी ने इसका उल्लेख किया इसका उनको धन्यवाद करता हूं कि मुख्य मंत्री जी का सदाशयता का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी जैसे 2014 में राजा गजनफर के जो देहावसान की तिथि है और 2014 की तिथि की सूचना 2015 के अगस्त में प्रारम्भ होने वाले सत्र में अगर दी जा रही है तो निश्चित रूप से इसमें जो जिम्मेदार हैं उसके विरुद्ध गम्भीर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वह इस सदन के सदस्य भी रहे हैं, मंत्रि–परिषद् के सदस्य भी रहे हैं और मंत्रि–परिषद् का सदस्य कोई हो या न हो, इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। संयोग की बात मैं आपको उल्लेख कर दूं कि राजा गजनफर अली का जब देहान्त हुआ तो वह सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य थे तो पक्ष विपक्ष की बात जो आपकी है इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इस सदन में चुन करके आना और उसकी जो गरिमा है मान्यवर, इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किसी भी सदस्य के दुःखद देहान्त की स्थिति में तत्काल सूचना आनी चाहिए पूर्व सदस्य की सबकी, इसलिए मान्यवर, आप इस सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था देंगे सरकार उसका सम्पूर्ण रूप से अनुपालन करायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है। विधान सभा के सचिवालय में अपने पूर्व सभी सदस्यों की सूची है एक बार जनपदवार उस सूची को हम कलेक्टर को भेज दें मय पते के और कलेक्टर की यह जिम्मेदारी लगायें कि वह अपने

एस0डी0एम0/तहसीलदार से इनके बारे आज क्या जानकारी है वह बतायें, अगर दिवंगत हो गये हैं तो कब दिवंगत हुए हैं इसकी सूचना सदन को उपलब्ध करा दें माननीय अध्यक्ष जी के सचिवालय को उपलब्ध करा दें तो अच्छा रहेगा और हम एक बार इस सदन में माननीय दिवंगत सदस्यों के प्रति सम्मान प्रकट करने का जो अपना कर्तव्य है उसका पालन कर सकेंगे इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री संजय कपूर–

मान्यवर, रामपुर में सन् 1967 में स्वतंत्र पार्टी से विधायक रहे और मंत्री भी रहे अख्तर अली खां साहब उनका निधन अभी एक महीने पहले हुआ है, डेढ़ महीने पहले और उनकी सूचना अभी तक नहीं आई है यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

मैंने माननीय वाजपेयी जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना मैं इसमें शासन से आग्रह करूंगा कि जिन जिलाधिकारियों ने इसमें विलम्ब किया है उनकी जांच कराई जाय और भविष्य में इस तरह का कृत्य कोई करता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।

ख12.54, प्रदेश के सभी जनपदों से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, आपकी सूचना वोटर लिस्ट से संबंधित है, इसमें चुनाव का मामला है, तो नियम–300 में इसका औचित्य कैसे बनेगा। आप इसको जीरो आवर में लेकर क्यों नहीं आते हैं ?

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जीरो आवर के बजाय यहां पर इसलिये ले रहा हूं, क्योंकि यह जो नियमावली है इसमें सीधे लिखा है ''औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है।'' मान्यवर, आपके संज्ञान में मैं यह लाना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत यानी कोई भी पंचायत उसके लिए संविधान की इस पुस्तिका के पेज–106 पर आर्टिकिल 243 'क' जिसके मुताबिक विधान मण्डल द्वारा नियम कानून बनाये जाते हैं, ग्राम पंचायतों से संबंधित हो या कोई भी पंचायत हो उसके लिए नियम समय–समय पर विधान मण्डल द्वारा बनाये जाते हैं और मान्यवर, इसी भारतीय संविधान के पेज–4 पर और आर्टिकिल–5 में यह दिया है कि भारत के राज्य में रहने वाले यहां के नागरिक होंगे और साथ ही साथ इसी भारतीय संविधान के पेज–163 पर आर्टिकिल 326, 61वां संविधान संशोधन दिनांक 28–03–1989 द्वारा मताधिकार 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके पूर्व मताधिकार 21 वर्ष पर था। इस संशोधन के माध्यम से मताधिकार 18 वर्ष कर दिया गया। देश तथा देश के सभी प्रदेशों में चुनाव कराने की प्रक्रिया के संबंध में संसद कानून बनाती है और प्रदेश के अंदर होने वाले सभी पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया तथा

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायतों से संबंधित नियमावली विधान मण्डल बनाती है। प्रत्येक वयस्क यानी 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। मान्यवर, प्रदेश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तमाम प्रतिनिधियों ने अपने–अपने यहां निर्वाचन अधिकारियों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश हैं और जब उनसे कहा गया कि लिखित कोई आदेश दिखाइये तो वह न प्रदेश सरकार का कोई आदेश दिखाते हैं और न केन्द्र सरकार का कोई आदेश दिखाते हैं तथा न ही निर्वाचन आयोग का कोई आदेश दिखाते हैं। एक ओर तो निर्वाचन आयोग इस बात का निर्देश देता है कि मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम बढ़ाओ और दूसरी तरफ मतदाता सूची में नाम काटने का काम बी0एल0ओ0 स्तर से, बी0डी0ओ0 स्तर से, एस0डी0एम0 के स्तर से, जिलाधिकारी के स्तर से जो स्थानीय स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में काम करते हैं, इनके द्वारा बड़े पैमाने पर नाम काटने का धन्धा चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि नियम कानून विधान मण्डल बनाता है, यह सदन बनाता है, इस सदन की बनाई गई व्यवस्था को यदि कोई चकनाचूर करता है तो नियम–300 की सूचना का अपने आप औचित्य बन जाता है। इसलिये यह सूचना मैं आपके माध्यम से यहां पर लाया हूं। तमाम सत्ता पक्ष के विधायक एवं विपक्ष के विधायकों ने इस बात का अनुरोध किया कि इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर ली जाये, लेकिन जब शासन ने कोई आदेश नहीं दिया, तो माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करने का कोई औचित्य नहीं है और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाया हूं कि यदि निर्वाचन आयोग से इस बात का कोई निर्देश है तो इस विधान मंडल का सत्र चल रहा है, विधान मंडल की तरफ से निर्वाचन आयोग को एक प्रतिवेदन जाना चाहिये कि किस आधार पर मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। अगर यह हमारा भारतीय संविधान हर नागरिक को मताधिकार देता है, भारतीय संविधान के अनुसार यह मताधिकार हमें मिला हुआ है और 18 वर्ष पूरा होने पर मताधिकार सूची में हमारा नाम गया है तो नया नाम शामिल करना तो दूर, जो पहले से उसमें नाम हैं, उनको भी काटा जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि तमाम ग्राम प्रधान, जो पिछले चुनाव में निर्वाचित हुये हैं, तमाम सदस्य, क्षेत्र पंचायत जो पिछले चुनाव में निर्वाचित हुये हैं, तमाम सदस्य जिला पंचायत, जो पिछले चुनाव में निर्वाचित हुये हैं, उनके भी नाम मतदाता सूची से काट दिये गये हैं और यही नहीं, पिछले चुनाव में तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो चुनाव लड़े हैं, हारे हैं या जीते हैं, यह बात दीगर है, लेकिन उनके भी नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। मान्यवर, यह बड़े पैमाने पर निर्वाचन कार्यालयों का मनमानीपन चल रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिये इस सदन के माध्यम से कोई न कोई कारगर कदम उठाया जाना चाहिये जिससे कि मतदाता सूची से मताधिकारों का नाम न काटा जाय और जो मताधिकार है, उस पर हथौड़ा न चलाया जाय। उनके हकों की रक्षा की जाय उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाय इसीलिये मान्यवर, इस नियम–300 के अन्तर्गत सूचना लगा करके हमने मतदाता सूची से जो बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं, इसे औचित्य प्रश्न के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और मैं मान्यवर, आपके माध्यम से

व्यवस्था चाहूंगा कि इस पर कड़े से कड़े ऐसे फैसले लिये जायें जिससे कि मतदाता सूची से जो नाम काटे जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय औचित्य प्रश्न के माध्यम से उठाया है, यह विषय निश्चित रूप से गंभीर है। अगर एक व्यक्ति को भी जिसे संविधान मतदाता होने का अधिकार देता है और उसको उसके अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह संविधान की भावना की अवहेलना है। जब व्यस्क मताधिकार दिया गया और संविधान ने यह अधिकार दिया तो यह मान्यता है कि एक भी व्यक्ति, अगर वह वैध मतदाता है तो उसको उसके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि जब हमने भारतीय संविधान को 26 जनवरी, 1950 को स्वीकार किया, तब से हमने सबसे प्रमुखता से यही बात मानी कि जो वयस्क होगा, जिसकी 18 साल की उम्र हो जायेगी, 21 साल का घटाकर 18 साल किया तो उसे मत देने का अधिकार मिल जायेगा। इसलिये इसको किसी भी हालत में अगर डिनाई किया जाय तो यह बात मुनासिब नहीं है। जहां तक इसे नियम–300 में उठाने का सवाल है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का बहुत आदर करता हूं लेकिन मान्यवर, संयोग से वह ऐसे दल के नेता हैं, जिसका नियम, संविधान इन सबों से कोई लेना देना नहीं है और उसके आदर सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिये अगर वह नियमों के विपरीत जाकर भी कोई बात कहें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन श्रीमन्, बात बहुत गंभीर है और एक मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सरकार की ओर से ऐसे कोई निर्देश मतदाता सूची में कटौती करने के जारी नहीं किये गये हैं, यह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई निर्देश कहीं मतदाता सूची में कटौती करने के नहीं दिये गये हैं, अगर राज्य निर्वाचन आयोग ने कहीं इस प्रकार का कोई आदेश दिया है, वैसे हमारे पास इस तरह का अभी कोई संज्ञान नहीं है तो वह संवैधानिक संस्था है, हम किसी प्रस्ताव के माध्यम से विधान सभा से यह नहीं कह सकते, किसी संवैधानिक संस्था को हम यहां से इस तरह करें तो यह मुनासिब नहीं है। किन्तु आप हम सब लोगों के संरक्षक हैं और इसलिये आप इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करते हुये अपने स्तर पर विचार कर लेंगे और इस विषय में जो कुछ भी किये जाने की आवश्यकता होगी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं आश्वस्त करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, इस पर व्यक्तिगत रूप से विचार कर लेंगे और जैसा उचित समझेंगे, इसके लिये समुचित कदम उठाया जाना चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो बात उठाई, यद्यपि वह नियम–300 में नहीं आती, लेकिन हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार के वक्तव्य का भी स्वागत करते हैं । इन्होंने आज जिस सदाशयता से जवाब दिया, हमने पहली बार इनको ऐसा सुना, यह स्वागत योग्य है। पूरा सदन इससे चिन्तित है, मतदाता सूची में भयंकर गड़बड़ियां हैं। मैं माननीय नेता विरोधी दल को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया और माननीय अध्यक्ष जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने

नियमों से इतर जाकर इसको सुना और मान्यवर, सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब आया, उसका संज्ञान लेकर इस काम को जरूर करना चाहिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, अब आप हमें भी कुछ कहने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब देते हुए सभी चीजों को स्वीकारते हुए यह कहा कि यह नियम–300 में नहीं आता यह तो व्यवस्था आपके द्वारा दी जायेगी। दूसरी चीज उन्होंने यह कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो क्या विधान मण्डल असंवैधानिक संस्था है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

संवैधानिक संस्था चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे विधान मण्डल और चाहे संसद, यह सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं और सभी भारतीय संविधान के तहत चलती हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त कानूनों से परे यदि कोई संवैधानिक संस्था चलती है तो उस पर उंगली उठेगी चाहे वह संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग हो, विधान मण्डल हो, चाहे संसद हो। मान्यवर, हम इस बड़ी पंचायत में बैठे हैं जहां कानून बनता है और कानून बनाने का दो संस्थाओं को ही अधिकार है या तो संसद को अधिकार है या फिर विधान मण्डल को अधिकार है और उसी कानून के तहत निर्वाचन आयोग चलता है और अन्य संवैधानिक संस्थाएं चलती हैं इसलिए मा0 मंत्री जी का उत्तर बहुत ही बचकाना है लेकिन इसके बावजूद मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि इस पर आपकी तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश जाये जिससे कि मतदाता सूची में जो 35 प्रतिशत नाम काटे जा रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, यह हमारी मांग है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया या फिर मा0 मौर्या जी ने जानबूझ करके दूसरी तरह की टिप्पणी की है। मैंने संवैधानिक संस्था के बारे में जो बात कही थी उसे फिर से दोहराता हूं कि एक संवैधानिक संस्था को अपनी लिमिट क्रास करके दूसरी संवैधानिक संस्था के कार्यों में सीधे प्रस्ताव करके दखल दिये जाने का प्रावधान नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में यहां से दखल नहीं देते और वह हमारी वर्किंग में वहां से दखल नहीं दे सकते। हम पार्लियामेंट की वर्किंग में यहां से दखल नहीं दे सकते और पार्लियामेंट वहां से हमारी वर्किंग में दखल नहीं दे सकता। संविधान में सबके कार्य क्षेत्र बिल्कुल डिफाइन हैं और इसीलिए जो तीनों लिस्टें बनी हैं स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट,

उसमें कौन क्या करेगा यह परिभाषित है। मेरा यह तात्पर्य है कि विषय की गम्भीरता को मा0 मौर्या जी कम ना करें, आपने एक गम्भीर विषय उठाया और मैंने उसे सरकार की तरफ से स्वीकार किया है तो विषय की गम्भीरता को डाइल्यूट करना मुनासिब नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, आप इस पर स्वयं विचार कर लेंगे और यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, अब इस पर कितने लोग बोलेंगे, यह कोई चर्चा नहीं है कि सभी इस पर बोलें। अब मुझे भी कहने दीजिए, इसमें पूरी बात आ गई है, इसके बारे में सभी मा0 सदस्य जानते हैं क्योंकि वह अपने–अपने क्षेत्रों में जाते हैं। आज बहुत विषय हैं इसलिए आप लोग शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके स्तर से एक ऐसा आदेश जाए जिससे कि इस पर रोक लगे।

'श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं इस पर जोड़ते हुए एक चीज और कहना चाहता हूं, यह बहुत गम्भीर विषय है और चुनाव आयोग यह कह रहा है जो जनगणना है ग्राम सभा की उस जनगणना का मतदाता 65 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें तकनीकी प्रकरण है, जो जनगणना हुई थी वह जहां जो उपस्थित है उस समय उसके हिसाब से जनगणना हुई थी लेकिन जो मतदाता सूची बनती है, गांव में सामूहिक परिवार है, सबकी खेती है, सबका घर है लेकिन कोई बगल के कस्बे में रहता है और कोई जिला हेडक्वार्टर पर रहता है लेकिन वोट देने के लिए अपने घर आता है। इस कारण से जो चुनाव आयोग जनगणना के आधार पर कटवा रहा है उस पर तो हम निर्देश दे ही सकते हैं कि मतदाता का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, कोई मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहने पाये जिसकी खेतीबारी या ज्वाइन्ट एकाउण्ट है तो यह निश्चित होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं के मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 बूथ ऐसे हैं कि जिसमें विधान सभा के चुनाव में जितने वोट पड़े थे उन वोटों से कम आज उनकी मतदाता सूची हो गई है। विधान सभा के वोट से परफेक्ट वोटिंग कोई नहीं होती है क्योंकि वोटर लिस्ट में भी फोटो लगता है, वोटर कार्ड पर भी फोटो लगता है। यह एक विडम्बना है कि जो वोट विधान सभा के चुनाव में पड़ा था उससे कम वोटर सूची हो गई है ग्राम समाज के पंचायतों की। यह बहुत गम्भीर विषय है आप इस पर फैसला दें नहीं तो इससे अराजकता फैलेगी।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अगर सब लोग इसी पर बोलते रहेंगे तो कैसे होगा। मा0 बाजपेई जी आप बैठ जाएं, सारी बातें आ गई हैं।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात आ गयी। बाजपेयी जी अब बैठ जाइये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, देश में निर्वाचन कराने वाली जो संवैधानिक संस्थायें हैं वह एक मतदाता सूची हो इस तरफ वह बढ़ रही हैं और जब उत्तर प्रदेश विधान सभा और लोक सभा के निर्वाचन की एक मतदाता सूची एक्जिस्ट कर रही है तब कहीं न कहीं इससे साम्यता तो करे स्थानीय निकाय राज्य निर्वाचन आयोग। इससे साम्यता न करके उसमें अगर 100 वोट हैं तो उसको आप 30 कर रहे हैं तो यह गैर संवैधानिक कार्य है और इस सदन की आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है इस पर आप गंभीरता से विचार करें। निर्णय आज दें या कल दें। लेकिन गम्भीरता से विचार करके मतदाता सूची से मतदाताओं के कटने की प्रक्रिया को रोकने की कृपा करें। इतना ही आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है।

श्री अध्यक्ष–

यह गम्भीर प्रश्न है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक विधान सभा के जो सदस्य होंगे अपने–अपने क्षेत्र में गये होंगे तो इसकी जानकारी सबको हुई होगी। मुझको भी अपने क्षेत्र के नाते, मैं भी एक विधायक हूं इसकी जानकारी है। यह एक गम्भीर विषय है। मैं इस पर नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी आ जांए, पंचायती राज मंत्री जी आ जांए, मा0 नेता विरोधी दल रहेंगे, सबके साथ बैठकर इसका कोई अच्छा सा तरीका निकाला जाए कि जो मतदाता है वह वोट देने से वंचित न रहने पाये। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आज तमाम सूचनायें हैं कब तक चलेगा ? अभी बहुत सारे मामले हैं अभी बिजली पर चर्चा करेंगे, गन्ने पर चर्चा करेंगे। माथुर जी आपने बता दिया कि अधिकारी नहीं सुनते, मैं मान गया। सरकार की तरफ से बार–बार मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। अब क्यों उसी को बार–बार कह रहे हैं ? चलिये बोलिये, 10 बजे तक बैठना पड़ेगा।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद–159 के अंतर्गत विधान सभा का गठन होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने जो व्यवस्था दिया उसी संदर्भ में एक बात मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि जिलों में जो निर्वाचन कार्यालय हैं जहां मतदाता सूची बनती है। आज उन्होंने अंतिम दिन रखा है।

श्री अध्यक्ष–

मतदाता सूची के प्रकाशन पर 20 तारीख तक उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है। गांव में जिनका नाम मतदाता सूची से कटा है उसका ऑब्जेक्शन लिया है अब वह इधर

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निस्तारण करेंगे। तो कल मुख्य मंत्री जी रहेंगे उनसे बात करके कोई न कोई तरीका निकाला जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

मतलब इसका भी आप संज्ञान ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

हां, इसका संज्ञान है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मेरा नाम है इसलिए पहले मुझे अवसर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, मैंने प्रदीप माथुर जी को बुला लिया है। आप भी बोल लीजिएगा। एक ही बात क्यों बार–बार दोहरा रहे हो। (श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के खड़े होने पर) सोलंकी जी, आपका नहीं बनता है, आप बैठिये।

ख01.10, शासनादेशों के बावजूद भी मा0 सदस्यों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ से समय–समय पर दिशा–निर्देश होते रहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी निर्देश देते हैं परन्तु आज स्थिति यह हो गयी है कि अधिकारी शिष्टाचार का निर्वहन नहीं करते हैं। चाहे वह प्रदेश स्तरीय सचिव हों, चाहे वह केन्द्रीय स्तर का अधिकारी हो, चाहे वह जिला स्तर का अधिकारी हो–जिलाधिकारी, एस0एस0पी0, एस0पी0 सिटी, आज तो हालत यह हो गयी है कि एस0ओ0 भी फोन नहीं उठाते हैं। आज या तो यह सत्तापक्ष के इशारे पर यह काम हो रहा है कि विपक्ष के सदस्यों का फोन न उठाओ। यह मामला बहुत गम्भीर है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, जो अधिकारी इस विधान सभा का सम्मान न करे, इसके सदस्यों का सम्मान न करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी अब बैठिये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने पीठ से एक बात कही थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी कह चुके हैं, यह सुना, बड़ी गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष–

यह मैंने कहां कहा है ?

'श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आपने कहा है।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं जो कहता हूं मुझे याद रहता है। आप अपनी बात कहिये, आपको जो कहना है अपनी बात कहिये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मान की बात तो हमने किनारे छोड़ दी है। विषय काम की बात। जहां पर सम्मान की बात है सारे सदस्य हैं मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा एक सत्तादल के माननीय सदस्य ने एक अधिकारी के बारे में मुझसे पूछा कि उनकी तुम्हारे से बात होती है।

श्री अध्यक्ष–

अपनी जो बात कहनी है कहिये। आप किस्सा क्यों सुना रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं इस विधान सभा का सदस्य हूं, अपनी बात बता रहा हूं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि हां बात होती है। उन्होंने कहा कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सत्ता पक्ष का एक विधायक अगर मेरे को कहे कि तुम्हारी उस अधिकारी से बात होती है तुम सौभाग्यशाली हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सतीश महाना–

अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है यदि हम लोगों का सम्मान ही नहीं रहेगा मान्यवर, तो यहां पर बैठने का भी कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री सतीश महाना–

अध्यक्ष जी, सम्मान की बात तो किनारे छोड़िये। हम काम की बात करते हैं हम लोग जो चिटिठ्यां लिखकर दें उसका जवाब नहीं आता है तो जो विधान सभा में हम लोग बैठे हैं आपके आदेशानुसार हम लोग जनता के काम कराने के लिये चिट्ठी लिखकर दें और मान्यवर उसका जबाव न आये और वह ऐसे ही पड़ी रही तो मान्यवर, यह भी अवमानना है। प्रोटोकाल के विपरीत है। मैं प्रोटोकाल केवल उसी को नहीं मानता कि वह हमारा सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोटोकाल मान्यवर, उसको भी मानता हूं कि जो यहां पर बैठे माननीय सदस्य लिखकर दें अधिकारी उसका जवाब जरूर दें। मान्यवर, आपके स्पष्ट निर्देश चाहते हैं।

(दो तीन सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य में नहीं आता है। आप लोग बैठिये। यह प्रोटोकाल का विषय है। माननीय मंत्री जी जवाब दें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महाना जी की नोटिस आपके सम्मुख होगी। माननीय महाना जी वरिष्ठ सदस्य हैं और नियमों के जानकार भी हैं। माननीय महाना जी की नोटिस आपके सम्मुख है मैं उल्लेख करता हूं। इन्होंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र का जवाब तो मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होता है परन्तु विभागों से नहीं होता है। मान्यवर, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देशित करके किसी विभाग को भेज दिया तो अब उस विभाग के उस सेक्शन से भी पत्र जारी हो तो इस तरीके का न तो मान्यवर प्रोटोकाल में इन्स्ट्रक्शन्स हैं न यह व्यावहारिक तौर पर सम्भव है कि जिस सेक्शन में पत्र जाय। (शोर) अरे बोलने दीजिये, सुन लीजिये। आप अच्छी बात करते हैं मैं आपसे सीख रहा हूं। यह अगर सेक्शन में इस टेबिल से उस टेबिल पर फाइल है, उस टेबिल से दूसरी टेबिल पर गई फिर यह हुआ फिर वह हुआ। तो न तो यह व्यावहारिक है और न प्रोटोकाल के इन्स्ट्रक्शन्स हैं। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने अपनी सूचना में इस बात का उल्लेख कर दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से उनको यह पत्रोत्तर प्राप्त होता है तो यह नियमों का पूरी तरह से परिपालन सरकार में हो रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है, इसके लिये उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं और यह औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता। जहां तक माथुर साहब ने बात कही किसी भी स्तर पर अगर कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी को छोटे या बड़े को फोन करता है, अधिकारियों को सी0यू0जी0 फोन इसीलिये दिया गया है सरकार उसका पैसा देता है, उसको उठाने की उसकी जिम्मेदारी है। निर्देश दिये गये हैं और अगर विशिष्ट रूप में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न औचित्य में नहीं आता। (दो, तीन माननीय सदस्यों के बोलने पर) अब छोड़िये कुशवाहा जी, अब आप लोग क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं और भी विषय हैं। अब बैठिये। उन्होंने कहा निर्देश दे दिये गये हैं। अनुग्रह जी, आप आज कहेंगे इस पर, आज बहुत समय हो गया है। कहना चाहते हैं कह लें। सोलंकी जी, बैठिये, इस पर औचित्य नहीं बनता है। हम आपको समझा देंगें बैठिये। कुशवाहा जी बैठिये, आपका नामकरण का है वह आप जो कह रहे हैं नामकरण मंत्रालय करने का। वह मैं जानता हूं वह कोई विषय नहीं, यह कोई औचित्य नहीं बनता। आप बैठिये। अनुग्रह जी आप दो मिनट में बोलिये।

ख01.16, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बिना अनुमति के जनहित याचिकायें दाखिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न औचित्य के साथ ही साथ बहुत ही अति आवश्यक है। औचित्य का प्रश्न इसलिये है कि नियम–300 में कहा गया है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है निर्वचन या परिवर्तन के सम्बन्ध में होगा और इसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष जी के संज्ञान में हो। मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया है कि भारतीय संविधान में इसके भाग 6 के अध्याय दो में कार्यपालिका का विवरण है। अध्याय–3 में विधायिका का प्राविधान है और भाग–5 में न्यायपालिका का प्राविधान है। आज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह लोकतंत्र के स्तम्भ हैं और यह इसको चलाते हैं, लेकिन इस समय प्रदेश में घोर प्रशासनिक और संवैधानिक अराजकता का दौर चल रहा है। कार्यपालिका के लोग न्यायपालिका पर ऊंगली उठा रहे हैं। कार्य पालिका के लोग विधायिका पर ऊंगली उठा रहे हैं एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे लगता है कि पूरे देश प्रदेश में कोई संवधिान नहीं है, कोई कार्यप्रणाली नहीं है। इस संबंध में मान्यवर हम दो–तीन चीजें आपके समक्ष रखना चाहते हैं एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी वह विधायिका पर सवाल उठाते हैं। हम लोगों का विधान मंडल दल संविधान के अन्तर्गत है। संविधान के अनुच्छेद–187 में राज्य के विधान मण्डल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारिवृंद हो, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं उसमें चाहे हमारे कर्मचारीवृंद हों, मार्शल हों और जितने भी यहां सचिवालय से जो संबंधित हैं वह नियुक्ति हमारे अनुच्छेद–187 के उप नियम (2) के अनुसार राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, राज्य के विधान–मंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा।'' इसे हम लोग करते हैं इसी के साथ साथ न्याय पालिका भी है जो हम विधान बनाते हैं उसका पालन सही ढंग से हो रहा है उसमें जो प्राविधान है वह संविधान के अनुसार है आदि उसका आंकलन न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका जो हम विधान बनाते हैं उसका कार्य संचालन करती है। उसमें जो अधिकारी हैं, उसमें राज्य सेवा के हैं और दूसरे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ''अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के अनुसार उनकी कार्यपद्धति है उसके अनुसार वह कार्य करते हैं। लेकिन मान्यवर लगभग दो–तीन सालों से एक संयुक्त निदेशक नागरिक सुरक्षा, कार्यरत आई0पी0एस0 अधिकारी हैं, आई0जी0 रैंक के यह लगातार जितनी भी सरकार की कार्य प्रणाली है या हमारे जो राजनैतिक लोग है जो अपनी सेवा दे रहे हैं इस प्रदेश में, उनके खिलाफ जनहित याचिकायें दाखिल करते रहते हैं। 2012 में उन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल की थी अमिताभ ठाकुर एण्ड अदर्स वर्सेज ऑनरेबुल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी उन्होंने पार्टी बना दिया, यह अपनी सेवा नियमावली से बद्ध है। उनकी नियमावली के अनुसार बिना सरकार की अनुमति के, अगर उनकी कोई शिकायत है उनको कोई पीड़ा है तब तो वह सरकार की अनुमति से याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जनहित याचिका नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि आप यहां के जो एडवोकेट हैं जो हड़ताल करते हैं उनको रोकिए। यह सरकार नहीं कह रही है, वह सरकार का एक अधिकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पार्टी बनाकर कह रहा है। मान्यवर, इलाहाबाद उच्च

न्यायालय की खण्डपीठ के मा0 न्यायमूर्तिगण में थे मा0 न्यायमूर्ति श्री सुनील अम्बानी और मा0 न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय जी उन्होंने उसको बहुत गम्भीरता से लिया और उस पर उन्होंने सात पेज का अन्तरिम निर्णय दिया। उन्होंने कहा है कि यह ऐसे आई0पी0एस0 अधिकारी हैं इन्होंने जनहित में बीस याचिकायें दायर की हैं, 2012–14 में, और इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अभिकथन करते हैं, उन्होंने अपना अभिकथन किया है। मान्यवर, कोई भी अधिकारी 24 घंटे के लिए अधिकारी होता है। वह बीच में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है।

लेकिन वह अपना काम छोड़कर, जो नागरिक सुरक्षा का उनका काम है उस काम को छोड़कर वह न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं, अपने कर्तव्य पालन से विमुख होकर वह जनहित की याचिका कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ वह और उनकी पत्नी पार्टनर बनकर जनहित याचिकाएं करते हैं। इसके विषय में उन्होंने एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की थी 9–4–2014 को जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात चिन्ताजनक हैं इसकी एक वजह यहां की नकारा पुलिस भी है आप आई0जी0 रैंक के अधिकारी हैं लेकिन समाज के प्रति कर्तव्य निभाने के बजाय इस बात में ज्यादा मशगूल रहते हैं कि कैसे कोई जनहित याचिका दाखिल कर सरकार के लिए निर्देश जारी कराएं। आप खुद भी उसी सरकार का एक हिस्सा हैं। लेकिन अखबारों में नाम छपने और लोकप्रियता के लिए पी0आई0एल0 दाखिल करते रहते हैं। इस पर न केवल रोक लगनी चाहिए बल्कि इसे गलत आचरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह निर्णय उन्होंने 9 अप्रैल, 2014 को दिया और निर्देश दिया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार को इस सम्बंध में सूचित किया जाय कि यह बिना सरकार की अनुमति के पी0आई0एल0 दाखिल कर रहे हैं और इनका आचरण गलत है और मिस कंडक्ट के लिए सरकार इनके खिलाफ कार्यवाई करे। लेकिन न तो केन्द्र सरकार ने न राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की। उसी का परिणाम है कि जब 11 मार्च 2015 को अभी इलाहाबाद में वकील नबी अहमद की हत्या कर दी गई उसमें हत्या आरोपी एक दरोगा बनाया गया उस दरोगा के पक्ष में इन्होंने बयान दिया और स्वयं 17 मार्च, 2015 को इलाहाबाद में आकर कहा कि इस दरोगा की पत्नी की सहायता की जाय उसकी सहायता के लिए एक दिन का वेतन उन्होंने खुद दिया और इसके साथ ही साथ सोशल साइट्स पर अपने पुलिस वालों से भी अनुरोध किया कि सब लोग इस दरोगा के लिए एक–एक दिन का वेतन दें। मान्यवर, यह आल इंडिया पब्लिक सर्विस कंडक्ट सर्विस रूल के नियम–10 के खिलाफ है। नियम–10 कहता है कि सेवा का कोई भी सदस्य सरकार या उसके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना चाहे जो भी उद्देश्य हो अंशदान, सहयोग अंशदान चन्दा के लिए कहेगा या स्वीकार करेगा या अपने आपको किसी निधि या अंशदान नगद या किसी अन्य प्रकार का हो उगाहने में अपने आपको संलिप्त नहीं करेगा। यह मान्यवर, उसका खुला खुला उल्लंघन है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हत्यारोपी के लिए हमारी पत्नी इसका मुकदमा लड़ेंगी। मान्यवर उनकी जो पत्नी हैं इसी रूल के दो–बी में लिखा है सेवा के सदस्य के रिश्तेदार के रूप में सम्मिलित हैं पति या पत्नी जो भी हो, उसके साथ रहती या रहते हैं या नहीं रहते हों किन्तु इसमें वह पति या पत्नी सम्मिलित नहीं हैं जो किसी प्राधिकृत

न्यायालय के आदेश से अलग हो गए हों। मान्यवर, इन लोगों का कोई जूडिशिएल सेपरेशन नहीं हुआ है। यह लोग साथ रहते हैं। उनका भी वही कर्तव्य है जो एक अधिकारी का है, उसकी निष्ठा उसकी ईमानदारी सरकार के प्रति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक अधिकारी की होती है। उन्होंने वहां पर मुकदमा किया यह हम लोगों की इस सदन की बात है कि जो पुलिस बल है उसको उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया, लोकतंत्र में यह कानून कहां है कि हत्या का आप अपराध करके भी आएंगे तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। चाहे न्यायालय में या बाहर हम उसकी आर्थिक रूप से या अन्य रूप से। इस तरह से पुलिस बल को उकसाने का उनको उत्प्रेरित करने का भी इसमें आरोप बनता है जो पुलिस इनसाइटमेंट ऐंड डिसएफेक्शन ऐक्ट है पुलिस बल विद्रोह अधिनियम सेक्सन दो की धारा के अन्तर्गत आता है। इसकी धारा–2 में कहा गया है इस अधिनियम में पुलिस बल का सदस्य पद से अभिसूचित एवं निर्दिष्ट किसी अधिनियम अधिनियमित के अधीन पुलिस के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त या भर्ती किया गया। धारा–3 इसी में है, द्रोह आदि उत्पन्न करने जो कोई भारत की विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति पुलिस बल के सदस्यों में सोद्देश्य द्रोह उत्पन्न करेगा या द्रोह उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा या पुलिस बल के किसी सदस्य को सेवाओं से विरत रहने के लिये अथवा अनुशासन भंग करने के लिये उत्प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करने का प्रयास करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उसका उत्प्रेरित होना संभाव्य हो तो वह कारावास जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, जुर्माना 200 रुपया हो सकेगा या दोनों से उसको दण्डित करेगी। मान्यवर, इस प्रकार इनका यह जो कार्य है वह इस सरकार के खिलाफ है और यह केवल इसलिये होता जा रहा है कि यह सरकार उनको कहीं रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। अगर मान लीजिये कि दिल्ली पर हमला होना है। हम यहां लखनऊ से चले तो जब सरकार को मालूम हो गया है तो हमको लखनऊ में रोकने की कोशिश करे। उस दिन हम लोगों का धरना–प्रदर्शन था तो हम लोगों को वहीं रोक लिया गया।

लखनऊ मेला मैदान से ही लाठीचार्ज करके भगा दिया गया, लेकिन मान्यवर, उनको चलते जाने दिया गया। उसका नतीजा यह है कि वह हमारे एक सम्मानित नेता हैं, हम लोगों से वैचारिक असहमति हो सकती है। मा0 मुलायम सिंह यादव जी जो यहां के चार बार मुख्य मंत्री रहे हैं। आज उत्तर भारत में जो समाजवाद है उसके वह नेता हैं। लोहिया जी, राजनारायण जी और मधुलिमये जी आदि के न रहने के बाद उन्होंने अपना एक संगठन बनाकर समाजवाद को जीवित रखा है। सरकार भी बनी है। उनके खिलाफ भी उनका फोन टेप कर लिया जबकि इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट के अन्तर्गत किसी का फोन आप टेप नहीं कर सकते। आधिकारिक तौर पर नहीं कर सकते, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं कर सकते। यहां तक कि जो जासूस होते हैं जो जासूसी करते हैं अगर किसी का फोन भी टेप करना है उसके लिये गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन मान्यवर, उसको भी टेप कर लिया। उनके खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज करा दिया। तो मान्यवर, यह एक व्यक्ति जो पूरे संविधान के सारे प्राविधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो सबसे दुखद बात है। मान्यवर, हम लोग आपके जीवन को जानते हैं जब हम लोग इस विधान सभा सदन में पहली बार आये थे

तो हम लोगों के आप सीनियर थे। जिस तरह से सादा जीवन और उच्च विचार आपके रहे हैं। राज्यपाल के यहां शिकायत कर दिया जबकि यह सारा अधिकार सदन का है। कौन नियुक्त होगा, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है यह देखना सदन का काम है, लेकिन उसमें भी हस्तक्षेप। मान्यवर, अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो संविधान के सभी प्राविधानों की धज्जियां उड़ाकर सभी पर हमला करता हुआ जा रहा हो, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये यह जरूरी है कि कठोर से कठोर कदम उठाये जायें और अगर नहीं उठाये जायेंगे तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था में, राज्य के संचालन में जो विपत्तियां–विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं यह लोकतंत्र के लिये खतरा हैं। आज राजनीतिक रूप से जो भी राजनीति में भाग ले रहा है चाहे वह सक्रिय हो, एम0एल0ए0/एम0पी0 हो जाये या न हो जाये, सब पर यह उंगलियां उठ रही हैं कि यह लोग निष्क्रिय हैं, निकम्मे हैं और केवल कुछ अधिकारी जो चुनकर आते हैं वही ठीक है। समाज में भी ऐसे तमाम लोग हैं, यहां अपने डाक्टर साहब हैं। तमाम डाक्टर आई0ए0एस0 हो गये, लेकिन यह आई0ए0एस0 में नहीं गये, यहां पर रह गये। सभी पर उंगलियां उठ रही हैं इससे लोकतंत्र बहुत कमजोर हो रहा है।

यह लोग लोकतंत्र को पता नहीं किस दिशा में ले जा रहे हैं। यह अमेरिका और दूसरे देशों में जाते हैं और प्रशिक्षण लेकर पढ़कर आते हैं और यहां पर आन्दोलन शुरू कर देते हैं इसी की यह प्रवित्त है कि यह पूरी की पूरी सरकार को अव्यवस्थित करते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि एक अधिकारी थे अभी यूपीए की सरकार में गृह सचिव व जब डी0एम0के0 ने अपना समर्थन वापस लिया। उसी दिन उन्होंने वहां करूणानिधि जी के घर पर सी0बी0आई0 रेड करा दिया कि इनके यहां विदेश से अवैध गाड़ियां आती हैं। उनके यहां रेड हो गयी और न तो गृह मंत्री को मालूम और न केन्द्र सरकार को मालूम और रेड होने के बाद पूरे देश–दुनिया में फैल गया कि यूपीए सरकार अगर कोई उनसे समर्थन वापस लेता है तो उनके यहां सी0बी0आई0 रेड करा देती है। उसके बाद जब नौकरी से सेवानिवृत्त हो गये तो मान्यवर, वह बिहार से एम0पी0 होकर चले आये। मान्यवर, तो यह जो प्रवृत्ति है, लोग पल–पल, रगड़–रगड़ कर जनता की सेवा करके यहां तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ साजिश करके, एक हवाई छलांग लगाकर कुछ लोग पहुंच रहे हैं। इस कुत्सित प्रवृत्ति से लोकतंत्र कमजोर बनेगा, इसलिए मेरा आपसे इस सूचना के माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और संगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करके उनके खिलाफ कार्यवाई की जाय।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस प्रसंग का जिक्र मा0 अनुग्रह नारायण जी ने किया है और संविधान के जिन अनुच्छेदों का हवाला दिया है, उसका उल्लेख करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उनका उल्लेख जिस किसी सन्दर्भ में किया हो। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि एक अधिकारी के जिस आचरण का उन्होंने उल्लेख किया और आचरण नहीं, उसके जिन कृत्यों का अलग–अलग आपने उल्लेख किया है, उनका सम्पूर्ण रूप से जिनका आपने उल्लेख किया, उनका संज्ञान

लिए जाने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर भी लिए जाने की आवश्यकता है और सरकार इसका संज्ञान निश्चित रूप से लेगी। आपने जिसका उद्धरण दिया है, उनका संज्ञान सरकार लेगी और समुचित कार्यवाही इस सम्बन्ध में जो भी होनी है, वह की जायेगी किन्तु मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। औचित्य के प्रश्न के रूप में उन्होंने इसे सदन में उपस्थित किया। जो एक विषय हमसे सम्बन्धित, इस सदन से सम्बन्धित है, मान्यवर, सदन की गरिमा पर प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार का आक्षेप करने की अगर कोशिश की जाती है तो हमारी पहली चेष्टा यह है, मान्यवर, सरकार पर तो आक्षेप होते रहते हैं, राजनीति है, कोई और करता है तो उसकी कार्यवाही तो हम करेंगे लेकिन सदन की गरिमा पर अगर कहीं से कोई आक्षेप करता है, उस पर कहीं से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह किसी हालत में क्षम्य नहीं है। मान्यवर, दो घटनाएं हैं, उल्लेखनीय बात यह है कि इस सदन का जो सदस्य है, डा0 वकार अहमद साहब हम लोगों के मित्र हैं, कोई सदस्य बीमार है, किसी भी कारण से, कठिनाई है तो हम सब लोग दर्दमंदी के साथ, पूरी सहानुभूति के साथ अपने किसी साथी के साथ मजबूती से खड़े हैं और उसके बारे में भी प्रतिकूल ढंग से टिप्पणी करके और दूसरे ढंग की बात करने की कोशिश करना और श्रीमन्, स्वयं अध्यक्ष जी के अधीन उनका जो सचिवालय चलता है, सचिवालय पर भी टिप्पणी परोक्ष रूप से मान्यवर, वह पीठ की ओर है। इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना और उसके लिए अखबारों में बयानबाजी करके, चाहे वह राजभवन हो या कोई भी जगह हो, वहां जाकर कोई इस तरह का कृत्य किया जाता है, मान्यवर, तो उसके विरुद्ध आपको निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं कि आप इसका संज्ञान लीजिए और जो समुचित कार्यवाही आप इसमें करेंगे, उसमें पूरा सदन श्रीमन्, आपका आभारी रहेगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने उनके यहां जो प्रार्थना–पत्र इस सन्दर्भ में गया था, जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने किया है, उसके बारे में एक सूचना आयी कि वह इसकी पड़ताल करायेंगे या जांच करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 04 दिन बाद इसको संशोधित करते हुए ठीक कर लिया और उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई तात्पर्य नहीं है, विधान सभा की फंग्सनिंग में महामहिम राज्यपाल का कोई दखल नहीं है, ऐसा माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा, मैं उनको भी धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने यह बात ठीक से समझ ली कि विधान सभा की कार्यवाही में दखल देने की उनकी कोई भूमिका नहीं है और श्रीमन्, इसमें जो भी आप कार्यवाई करेंगे, समस्त सदन आपका आभारी होगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सरकार की तरफ से जवाब दे दिया है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने शुरू में एक बात उठायी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लोकतंत्र के यह तीन मुख्य स्तम्भ हैं, बाद में पत्रकारिता भी उसमें जुड़ गया। तो नियम–300 के अन्तर्गत मा0 सदस्य ने जो उठाया, उसमें शुरू में ही उन्होंने कहा कि एक–दूसरे के दायरे का अतिक्रमण हो रहा है और लोगों पर उंगली उठ रही हैं, श्रीमन्, यह बात सही है। उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से देश में आगे रहा है,

लोकतांत्रित दृष्टि से देश की आजादी की लड़ाई में, दूसरी भी लड़ाइयां हुईं, उसमें भी, जय प्रकाश जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई, सब में आगे रहा है। यह समय है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में काम करे, इसके विषय में एक दिन सदन में गंभीरतापूर्वक चर्चा हो सकती है और उत्तर प्रदेश विधान सभा इसमें किसी ठोस नतीजे पर जाय। श्रीमन्, एक मखौल बन कर रह गया है और किसी पर किसी का विश्वास नहीं रह गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 सदस्य इलाहाबाद को सुना, मा0 मंत्री जी को भी सुना। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि जो विषय है मैं उसको दिखवाऊंगा। अगर किसी भी तरह से विधान सभा पर कोई आक्षेप है और कोई प्रिविलेज बनता है तो उसकी कार्यवाही की जाएगी। यह नियम–300 में नहीं आता है मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अब नियम–300 खत्म हो गया।

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे नहीं, वह नहीं आता, निदेश का मामला है।

ख01ण38, उत्तर प्रदेश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों (संस्तुति संख्या–53 एवं 55) पर राज्य सरकार का संशोधित कार्यवाही–ज्ञापन[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों (संस्तुति संख्या–53 एवं 55) पर राज्य सरकार का संशोधित कार्यवाही–ज्ञापन को सविंधान के अनुच्छेद–243 (आई)(4) एवं 243 (वाई)(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2015 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2015 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 (दिनांक 18–02–2015 से 26–03–2015 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण[४४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 (दिनांक 18–02–2015 से 26–03–2015 तक) में उत्तर प्रदेश

---

[४] छापे नहीं गये।

[४४] छापा नहीं गया।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 इसमें कुछ नहीं है।

जनपद वाराणसी में स्थित मारकण्डेय महादेव के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं परिसर का विकास कराये जाने विषयक श्री विनोद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री त्रिभुवन राम–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी में स्थित मारकण्डेय महादेव जी के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं परिसर का विकास कराये जाने विषयक श्री विनोद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ। मान्यवर, जनपद वाराणसी में भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिर के साथ–साथ, शहर से 30 किमी0 की दूरी स्थित मारकण्डेय महादेव जी के मंदिर का भी विशेष महत्व है।

श्री अध्यक्ष–

याचिका नहीं पढ़ी जाती है। यह लिया जाता है कि फलां के द्वारा याचिका प्रस्तुत करता हूं। याचिका तो वहां जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–07 इसमें कुछ नहीं है।

ख01ण41, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 अगस्त, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 अगस्त, 2015 से 26 अगस्त, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

<u>अगस्त, 2015</u>

19 बुधवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

(2) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

2–नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित

आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवनजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुं0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री अखिलेश सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अजय कुमार 'लल्लू', डा0 मो0 मुस्लिम, श्री मुख्तार अंसारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री सुरेश राणा, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 मार्च, 2013 को सदन में प्रारम्भ की गई चर्चा पर, एक घण्टे की अग्रतर चर्चा–जारी।

3–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर अग्रतर चर्चा :–

''पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

4–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश की जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।''

20 गुरुवार

1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

2–डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधे–आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

(1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू–गर्भ जल–स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में

यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रोद्योगिकी नगर (आई0टी0 हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

3–डा0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस–पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

4–श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध, तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

5–श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चत मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

6–श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद–देवरिया के

नगर पंचायत क्षेत्र–रुद्रपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु रुद्रपुर कस्बे के चारों तरफ एक रिंग रोड अथवा रुद्रपुर–करहकोल मार्ग होते हुए नगवां मार्ग तक बाईपास का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाय।''

7–श्री अगयश राम सरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को प्राथमिकी पंजीकृत करने, विवेचना करने, आदेशों के निष्पादन करने तथा सुरक्षा जैसी चारों शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय।''

8–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी किसानों की जोत के हिसाब से उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाय और किसान अपनी आवश्यकतानुसार खाद खुले बाजार से क्रय करें।''

21 शुक्रवार — असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 14 अगस्त, 2015 के स्थान पर)।

22 शनिवार
23 रविवार
24 सोमवार
} बैठक नहीं होगी।

25 मंगलवार — विधायी कार्य।

26 बुधवार — विधायी कार्य।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 इसमें कुछ नहीं है।

ख01ण46, एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015४

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015४

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

---

[४] दिनांक 7–9–2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख01.48, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2015 को श्री काली चरन सुमन, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–75 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168 (2) के अन्तर्गत संशोधन उत्तर

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री काली चरन सुमन, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2015 के प्रथम गुरुवार दिनांक 19 फरवरी, 2015 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–75 के उत्तर के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या–168 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 11 मार्च, 2015 के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168(2) के अन्तर्गत कृत कार्रवाई का विवरण एवं ''संशोधित उत्तर'' सदन को देता हूं। सूचना के लिए देखिए नत्थी (ग)।

ख01.49, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20–8–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं, दिनांक 19–08–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत प्राप्त 34 सूचनायें एवं दिनांक 18–08–2015 की 06 सूचनाओं को मिलाकर कुल 64 सूचनाओं में से शलाका के आधार निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है :–

क्र0	नाम	विषय
1	2	3
1	(1) श्री स्वामी प्रसाद मौर्या श्री शमशेर बहादुर उर्फ शैरू भईया	प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध से बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

1	2	3
	श्री मो0 इकबाल श्री अली युसुफ अली श्री त्रिभुवन राम श्री रामहेत भारती श्री ममतेश शाक्य श्री मो0 गाजी श्री इन्द्रजीत सरोज श्री लोकेश दीक्षित श्री अनिल कुमार श्री ओम कुमार श्री इन्द्रपाल सिंह श्री राधे लाल रावत श्री कालीचरन सुमन श्री चन्द्रभान सिंह पटेल श्री संतराम कुशवाहा श्री गुटियारी लाल दुबेश श्री अयोध्या प्रसाद श्री उदय लाल मौर्य श्री भगवान सिंह कुशवाहा	(दिनांक 18–08–2015 को प्राप्त)
	(2) श्री सुरेश कुमार खन्ना श्री अगयश राम सरन वर्मा श्री रविन्द्र भड़ाना श्री मुकुट बिहारी वर्मा श्री धर्मपाल सिंह श्री रवि शर्मा श्री लोकेन्द्र सिंह श्री आशुतोष टण्डन श्रीमती विमला सिंह सोलंकी श्रीमती बिमला बाथम श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया श्री सलिल विश्नोई श्री बावन सिंह श्री राजीव गुम्बर	(दिनांक 18–08–2015 को प्राप्त)

1	2	3
	श्री पंकज गुप्ता श्री सत्यदेव पचौरी	
	(3) श्री प्रदीप माथुर श्री विवेक कुमार सिंह प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी श्री संजय कपूर श्री गजराज सिंह श्री प्रदीप चौधरी श्री बंशी सिंह पहाड़िया श्री दलजीत सिंह श्रीमती उमाकान्ती श्री संजय प्रताप जयसवाल श्री राधेश्याम श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' श्री अनुग्रह नारायण सिंह श्री पंकज कुमार मलिक श्री अखिलेश प्रताप सिंह श्री गयादीन अनुरागी श्री दिलनवाज खां श्रीमती माधुरी वर्मा श्री ललितेशपति त्रिपाठी श्री अजय राय श्री नदीम जावेद	(दिनांक 18 एवं 19–8–15 को प्राप्त)
	(4) श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (5) श्री योगेन्द्र उपाध्याय श्री जगन प्रसाद गर्ग (6) श्री गुटियारी लाल दुबेश (7) डा0 धर्मपाल सिंह (8) श्री मनीष असीजा (9) श्री रामचन्द्र यादव	(दिनांक 18–8–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–8–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–8–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–8–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–8–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–8–2015 को प्राप्त)
2	(1) श्री स्वामी प्रसाद मौर्या श्री शमशेर बहादुर उर्फ शैरू भईया श्री अली युसुफ अली	प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

1	2	3
	श्री रामहेत भारती श्री ममतेश शाक्य श्री इन्द्रजीत सरोज श्री त्रिभुवन राम श्री इन्द्रपाल सिंह श्री कालीचरन सुमन श्री चन्द्रभान सिंह पटेल श्री संतराम कुशवाहा श्री अयोध्या प्रसाद श्री भगवान सिंह कुशवाहा श्री मुसर्रत अली बिट्टन श्री गुटियारी लाल दुबेश श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा श्री उमेश पाण्डेय श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू श्री राजेन्द्र श्री हरमिन्दर कुमार उर्फ रोमी साहनी श्री वहाब श्री शाह आलम गुड्डू जमाली श्री मो0 आसिफ श्री वेदराम भाटी श्री रोशन लाल वर्मा श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी (2) डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (3) श्री प्रदीप माथुर श्री अनुग्रह नारायण सिंह श्री दलजीत सिंह	(दिनांक 19–08–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–08–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–08–2015 को प्राप्त)
3	(1) पं0 सुदेश शर्मा श्री वीरपाल राठी श्री त्रिलोकी राम	प्रदेश में किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

1	2	3
	(2) श्री पंकज मलिक (3) श्री सुरेश राणा (4) श्री प्रदीप चौधरी	(दिनांक 18–08–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–08–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–08–2015 को प्राप्त) (दिनांक 19–08–2015 को प्राप्त)
	(ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)	
4	श्री रामचन्द्र यादव (दिनांक 20–8–2015 को प्राप्त)	जनपद फैजाबाद में दिनांक 13–8–2014 को श्री ध्रुवचन्द्र निवासी गोगांवा की थाना कोतवाली रूदौली में पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दिनांक 19–08–2015 को निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं :–

क्रम	नाम
1	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई
2	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
3	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
4	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
5	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
6	श्री सलिल विश्नोई
7	श्री मुकेश श्रीवास्तव
8	श्री उमाशंकर सिंह
9	श्री बब्बन सिंह चौहान
10	श्री आर0 के0 वर्मा
11	श्री अनीसुर्रहमान
12	श्री संजय प्रताप जयसवाल
13	श्री सतीश महाना
14	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
15	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
16	श्री सिनोद कुमार शाक्य
17	श्री रामवीर उपाध्याय
18	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
19	श्री राजेश त्रिपाठी
20	श्री जय प्रकाश निषाद
21	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य
22	डा0 अरुण कुमार
23	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द

दिनांक 20–08–2015 को निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं :–

क्रम	नाम
1	श्री राजीव गुम्बर

क्रम	नाम
2	(1) श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' (2) श्री रमेश चन्द्र बिन्द
3	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
4	श्री सतीश महाना
5	श्री अगयश राम सरन वर्मा
6	श्री मनीष असीजा श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव
7	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
8	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)
9	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
10	डा0 अरुण कुमार
11	श्री बृजेश कुमार
12	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
13	श्री बब्बन सिंह चौहान
14	श्री अनुग्रह नारायण सिंह
15	श्री प्रदीप चौधरी
16	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप
17	डा0 धर्मपाल सिंह
18	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
19	श्री रोशन लाल वर्मा
20	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
21	श्री गुटियारी लाल दुबेश

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना जो कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में हैं, आज इसको सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी आज नहीं हैं, उन्होंने आग्रह किया था, कल वह रहेंगे, इस चर्चा को स्वयं सुनेंगे, इसलिए इसको मानते हुए दो घण्टे की चर्चा मैं इसमें निर्धारित करता हूं, जो कल होगी।

अब दूसरी सूचना जो विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में है, इसको ले लेते हैं।

(सदस्य सुदेश शर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अभी बैठिये न। आप अभी बोलियेगा, आपका नम्बर आ रहा है। आप बैठिये, अभी आपका आयेगा। आप जिद न करो कि कौन पहले लिया जायेगा, यह मेरा विषय है कि कौन सा पहले लेंगे, कौन सा नहीं। अब मैंने विद्युत ले लिया है। आपका गन्ने का न लें तब कहना, बैठो।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आप क्या चाहते हैं, आप ग्राह्यता पर करिये, इसी पर चर्चा करा लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग बोल लें। अगर ग्राह्यता है तो फिर दो ही लोग बोल पायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप इस पर कितनी देर की चर्चा चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग बोल लें बिजली पर।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, फिर बोल लें सब, थोड़ा–थोड़ा बोल लें, बहुत ज्यादा न करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ठीक है, दो–दो मिनट बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा–थोड़ा बोलेंगे, संक्षेप में सब लोग बोल लेंगे। ऐसा है कि ये विद्युत विभाग का है तो ग्राह्यता पर बोलने से अच्छा है कि थोड़ा–थोड़ा सभी सदस्य इधर के सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी अपनी राय इस पर रख दें, कुल मिलाकर इस पर एक घण्टे की चर्चा हो जाये।

(एक सदस्य द्वारा दो घण्टे की चर्चा की मांग करने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं–नहीं दो घण्टे की नहीं हो पायेगी। एक घण्टे की चर्चा होगी। मौर्य जी, आप शुरू करें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है जिससे पूरे प्रदेश की जनता अंधेरे में रहने के लिये मजबूर है। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने विद्युत आपूर्ति हेतु एक नहीं अनेक बार इस सदन के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे से लेकर 18 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे से लेकर 24 घण्टे बिजली देने की घोषणा की। यहां तक कि कई बार विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में भी सरकार का यही बयान आया लेकिन हकीकत में आज ग्रामीण क्षेत्रों में एक घण्टे भी नियमित बिजली नहीं आ

रही है। कहने के लिये 16 घण्टे–18 घण्टे, सरकारी कागज पर 7 घण्टे, व्यावहारिक रूप में 3 घण्टे लेकिन 01 घण्टे भी नियमित बिजली नहीं आ रही है। अनेकों बार कटौती करके 10 मिनट के लिये, कभी 15 मिनट के लिये, कभी 20 मिनट के लिये बार–बार कटती है, आती है, जाती है जिससे किसान अपना ट्यूबवेल भी बिजली की कटौती के कारण संचालित नहीं कर पा रहा है। ऐसे हालात में जब पिछली बार की फसलें दैवीय आपदा के चलते बरबाद हो गईं, किसान तबाह हो गया, प्रदेश के तमाम जिलों को दैवीय आपदा क्षेत्र भी घोषित किया गया। सरकार ने सहायता देने के लिये तमाम योजनायें भी चलाईं लेकिन कोई भी योजना व्यावहारिक रूप न ले सकी, अन्तिम नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। अभी पिछली बार दैवीय आपदा से पीड़ित कुछ ही किसानों को राहत सहायता राशि मिली ही थी कि तब तक दूसरे सूखे का आगाज हो गया। यद्यपि कि अभी लगातार दो तीन दिन से वर्षा अच्छी हो रही है लेकिन फसलों की रोपाई से लेकर के खरीफ की फसलों की बुआई तक जिस तरीके से पूरा प्रदेश अवर्षा का शिकार हुआ, उचित वर्षा नहीं हुई उसके नतीजे ये रहे कि किसानों की फसलें जो कुछ थोड़ा–बाड़ा नहर या ट्यूबवेल से या थोड़ी अल्प पानी की वर्षा से तैयार थी वह भी सूखे की भेंट चढ़ने जा रही है। ऐसे हालात में किसान अपनी उन फसलों को बचाने के लिये ट्यूबवेल के सहारे हरा–भरा करने का प्रयास करता रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जब 10 मिनट–15 मिनट के लिए बिजली आती है तो जो दो बिसवां, पांच बिसवां खेत की सिंचाई रहती है, वही हर दस–पन्द्रह मिनट के बाद पानी पहुंचता है, खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी नहीं पहुंच पाता जिससे कि आज पूरे प्रदेश का किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यही नहीं शहरी क्षेत्रों में भी आज बड़े पैमाने पर बिजली की कटौतियां हो रही हैं। यहां तक की उत्तर प्रदेश के महानगर लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ जैसे महानगर भी दर्जनों बार बिजली कटौती से प्रभावित हो रहे हैं। जो जनपद के मुख्यालय हैं, वहां पर भी 7–8 घंटे बिजली मिलना मुश्किल हो गई है। ऐसे हालात में मान्यवर, आज न केवल खेती की सिंचाई प्रभावित हो रही है, बल्कि दुकान, रोजगार, व्यवसाय और उद्योग–धन्धे भी प्रभावित हो रहे हैं। विद्यालयों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और मान्यवर, हम भी लखनऊ में दर्जनों बार कटौती के खुद प्रत्यक्ष गवाह हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि प्रदेश की जनता से 16 घंटे–18 घंटे बिजली देने का सरकार का वादा है, घोषणा है तो उसको अमलीजामा भी देने का प्रयास करना चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी का रटा–रटाया जवाब आयेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम 16 घंटे–18 घंटे बिजली देते हैं। ये आपकी घोषणा हो सकती है, आपकी बिजली आपूर्ति की समय–सारणी हो सकती है, चूंकि हम सभी गांवों से जुड़े हैं, खेत और खलिहान से जुड़े हैं, इसलिए मान्यवर, व्यावहारिक सत्य यह है कि नियमित, लगातार एक घंटे बिजली नहीं आती, टुकड़ों में 10–10, 15–15 मिनट के लिए आती है और कुल मिलाकर 3 घण्टे गांवों में और 7 घण्टे शहरों में आती है। मान्यवर, जबकि बिजली विभाग में जो मनमानापन चल रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। अभी यह सरकार बिजली आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रही है इसकी तह में नहीं जाना चाहते। अगर लाइन हानियों को रोका जाए, तो बड़े पैमाने पर बिजली

आपूर्ति सरकार अपनी समय–सारणी के मुताबिक दे सकती है। जैसाकि मान्यवर, अभी कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लाइन हानियों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार को 1447 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। मान्यवर, यही नहीं आज यह सरकार तमाम ट्रान्सफार्मर सप्लाई करने वालों पर मेहरबान है, जितने पैसे का उन्होंने ट्रान्सफार्मर दिये, उससे 17.40 करोड़ ज्यादा भुगतान कर दिया। यही नहीं मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो मनमानापन चल रहा है, उसके चलते 222.59 करोड़, जो बड़े–बड़े पूंजीपतियों, बड़े–बड़े मिल कारखानों के ऊपर बकाया है, उनसे मिलीभगत मात्र 12.64 करोड़ का बिल बनाकर अपना हाथ और पल्ला झाड़ लिया। यानि आज गरीबों पर, बड़े पैमाने पर कहर बरपा कर राहत दिया जा रहा है और वही पर दूसरी ओर बड़े मिल मालिक कारखाने के पूंजीपतियों पर सरकार की मेहरबानियां बरस रही हैं। यही नहीं मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि ये बड़े–बड़े पूंजीपतियों से जिस तरीके से इनकी मिलीभगत है, कैग ने भी इस बात को अपनी आख्या में दिया है कि 200 करोड़ रुपये का बिजली विभाग को राजस्व का घाटा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज सरकार की अदूरदर्शिता के चलते, बिजली पर गंभीरता न होने के चलते, अपनी जवाबदेही के प्रति गंभीर न होने के चलते यह समाजवादी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चार–चार बार बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी। एक ओर तो बिजली आपूर्ति में कटौती दूसरी ओर बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी एक बार नहीं, दो बार नहीं तीन बार नहीं चार–चार बार बिजली दरों में बढ़ोत्तरी हुई। मान्यवर घरेलू बिजली में 17 प्रतिशत की वृद्धि कर दिया। घरेलू बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का 27 प्रतिशत का वृद्धि किया। घरेलू शहरी उपभोक्ताओं का 17 प्रतिशत का वृद्धि कर दिया और 56 लाख उपभोक्ता का 53 प्रतिशत की वृद्धि किया। चार बार की वृद्धि में अब तक 50 से लेकर 55 प्रतिशत तक वृद्धि बिजली के बिलों में इस सरकार ने किया और यही नहीं मान्यवर चारों बार का जोड़ लिया जाये तो अब तक 73 प्रतिशत बिजली बिलों के दाम में वृद्धि हुई है। यही नहीं हमारी सरकार 125 रु0 प्रति कनेक्शन के हिसाब से मात्र 125 रु0 लिया जाता रहा लेकिन आज प्रति किलोवाट 180 रु0 यानी अगर कोई 2 किलोवाट प्रयोग करता है तो उसे 360 रु0 देने पड़ते हैं। जिस तरीके से आज दोहरी मार जनता पर पड़ रही है एक ओर कटौती का भार दूसरी ओर बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी का भार। माननीय अध्यक्ष जी इससे आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बड़े पैमाने पर परेशान है, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह के लोग बुरी तरीके से बिजली कटौती से प्रभावित हैं। इसलिए मान्यवर आज इतनी अत्यन्त महत्वपूर्ण इस सूचना पर जो आपने चर्चा करने का मौका दिया मान्यवर आपके माध्यम से सरकार को इस बात पर संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार अपने वादे, अपनी जवाबदेही, अपनी घोषणा, अपने समय–सारणी को सुनिश्चित करने के लिए कोई न कोई कठोर और प्रभावशाली कदम उठाये जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलाया जा सके और यही नहीं जो बिजली विभाग में आज मनमानापन चल रहा है जिस तरीके से वहां पर थैलीशाहों को बड़े पैमाने पर उन पर मेहरबानिया की जा रही हैं, ठेकेदारों को ज्यादा भुगतान करके उनको उपकृत किया जा रहा है और राजस्व में बड़े पैमाने पर सरकार को घाटा हो रहा है यही नहीं आज बड़े पैमाने पर जिस तरीके से लाइन हानियों के चलते 1447 करोड़

का नुकसान हुआ इनका भी संज्ञान ले और प्रभावी कार्यवाही करके उत्तर प्रदेश को बिना कटौती के बिजली देकर इस सूखे के दौर में किसानों को राहत देने का काम करें वही पर अंधेरे में रहने वाली प्रदेश की जनता को प्रकाश देने का काम करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जाहिद बेग–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बिजली पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग विरोध के लिए विरोध करना यह ठीक नहीं है। आज सदन के अन्दर और सदन के बाहर जो भी हो वह सदन के सामने सही आना चाहिए। अभी नेता विरोधी बोल रहे थे कि बिजली नहीं आती है, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सी0सी0 कैमरा इनकी विधान सभा में इनके घर में लगवा दीजिये और जांच कमेटी बना दीजिये। मान्यवर, 10 घण्टे का शिड्यूल है 10 घन्टा बिजली मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इन हालातों से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं भदोही जिले में अपनी विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूं। 100 से 250 केवीए का ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि 8, 63 से 100 केवीए क्षमता वृद्धि 10, 25 से 100 केवीए क्षमता बिजली 2, 160 से 250 केवीए क्षमता बिजली 4 और नये 100 ट्रांसफार्मर 100 केवीए के 23 लगाये गये हैं और 250 केवीए के 4 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं। नई लाइन 11 हजार की 7.82 कि0मी0 खीची गयी है, ए0बी0सी0 कन्डक्टर 62.7 कि0मी0 खीची गयी है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इण्डस्ट्रियल फीडर से व्यापारियों को कार्पेट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 10 कि0मी0 लम्बी लाइन खीची गयी है जिससे व्यपारियों को 24 घण्टे बिजली मिल रही है। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी शनिवार को 33 के0वी0ए0 का शिलान्यास मैं करने जा रहा हूं। मिश्रानपुर में 33/11 केवी के सब–स्टेशन का शुभारम्भ हो चुका है और करियांव में 33 केवीए का सब–स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है जो शीघ्र चालू होने वाला है और सुरियांवा से ही नई बिजली लाइन खींचने की स्वीकृति हो गयी है 20 कि0मी0 लम्बी लाइन खींची जायेगी। एमडी साहब का पत्र हमारे पास है इसे मैं दे दूंगा। सुरियांवा में 132 केवीए का सब–स्टेशन प्रस्तवित है इसका शीघ्र शिलान्यास होने वाला है। मान्यवर, अमेरिका से अभी 2 राजदूत कल आये थे मैंने पेपर में पढ़ा था। आज दूसरे देशों के राजदूत हमारे यहां आ रहे हैं वह यहां की स्थिति देखकर आ रहे हैं। बिजली व्यवस्था जो खराब थी वह सुधर गयी है और आगे जो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है वह पूरा होगा और सामने वाले का सच झूठ का फैसला हो जायेगा। मान्यवर, एक अच्छा माहौल बन रहा है। मैं कहूंगा कि यह लोग जनता को भ्रमित न करें सही चीज विधान सभा के माध्यम से आनी चाहिए।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

समय बहुत सीमित है।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मैं बहुत कम समय लूंगा एक घण्टे में खत्म कर दूंगा। एक घण्टा आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष–

एक घण्टा पूरा है। देखिये मौर्य जी ने आज इतिहास कायम किया है 10 मिनट में खत्म कर दिया तो आप इतना समय कैसे लेंगे ? 2–4 मिनट में अपनी बात कह लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, 2–4 मिनट में क्या होता है ?

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। माननीय विद्युत राज्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं मुझे विश्वास है कि जो मुद्दे हम लोग यहां पर लेंगे उसे वह गम्भीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह पहला 15 अगस्त था कम से कम मेरी जानकारी में, जहां सुबह 6.00 बजे नागरिकों को बिजली नही मिली। जी हां, 6 बजकर 40 मिनट पर मैंने आपके पावर कापरपोरेशन के एमडी साहब को फोन किया। मैं आभार प्रकट कर सकता हूं 6 बजकर 44 मिनट पर उनका जवाब आया व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है मेरा प्रश्न दूसरा है जो सरकार यह दावा करती है कि हम रमजान में बिजली दे देंगे, दशहरा, दीपावली में बिजली दे देंगे, जो सरकार विधान सभा में यह जवाब देती है कि हम रोस्टर के हिसाब से बिजली दे रहे हैं इस सरकार की जवाबदेही बनती है कि सरकार यह बताये कि उसने कौन सा रोस्टर बनाया है जिसमें देश का नागरिक प्रदेश का नागरिक 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय त्योहार है हर बच्चे को हर कर्मचारी को अपने घर से निकल करके तैयार हो करके कार्यालय मे विद्यालय में जाना है और यह सरकार उस समय भी 6.00 से 8.00 बजे तक की बिजली कटौती करने को मजबूर है। हम लोगों ने फोन किया बिजली आई एक अलग विषय है। माननीय एमडी साहब ने फोन सुना तुरन्त कार्यवाही की एक अलग विषय है, रोस्टर तो था इसका मतलब सरकार की मजबूरी थी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सचमुच कितनी खराब हो गयी है आज स्थिति यह है गोरखपुर का अगर मैं जिक्र करूं मैं तो गोरखपुर का जिक्र करके चला था 8–8 घटे बिजली कटौती होती है और 8–8 घण्टे लोकल फाल्ट में चले जाते है। मैने यहां आ करके अपने साथियों से पूछना शुरू किया तो अपने आगरा के विधायक माननीय योगेन्द्र जी कहते हैं कि 10 घन्टे भी बिजली नहीं मिलती।

(इस समय 2 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए)

बनारस में मैंने सुना था कि 24 घण्टे बिजली मिलती है। माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी बैठे हैं, उनका कहना था कि वहां 04 घण्टे, 06 घण्टे आई और फिर कब आयेगी, कब चली जायेगी पता नहीं। हर विधान सभा क्षेत्र की एक ही कहानी है और अध्यक्ष महोदय हो क्यों नहीं। आपने हो–हल्ले के साथ अनपरा–डी शुरू किया, आपने 500 मेगावाट का कारखाना लगाया, 7000 करोड़ आपकी लागत लग गई, सरकार को बताना

चाहिये कि कौन से वो कारण थे, किस प्रकार की आप फैक्ट्री लगा रहे थे कि इधर अनपरा–डी चली नहीं कि उधर खराब हो गई। आज अनपरा–डी से विद्युत उत्पादन नहीं के बराबर है। अनपरा–सी की 650 मेगावाट की क्षमता थी, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है ? सरकार को बताना होगा कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार। बहुत हल्ला करके शुरू किया था ललितपुर, आज उसकी यह स्थिति है कि ललितपुर की इण्डस्ट्री बन्द पड़ी है। जब आपके राज्य क्षेत्र में निजी विद्युत उत्पादनकर्ता इण्डस्ट्रीज जितनी भी हैं, सब बंद रहेंगी तो आखिर आप बिजली पायेंगे कहां और बिजली देंगे कैसे। अध्यक्ष महोदय, आंकड़े बहुत साफ हैं जो कुछ हम लोगों ने निकाले हैं, ग्रिड में बिजली पड़ी हुई है, भारत सरकार के पास बिजली की कमी नहीं है, 277000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, आपके पास लेने की क्षमता नहीं है। आपका पूरा का पूरा ट्रान्समिशन ग्रिड कुल मिलाकर 6200 मेगावाट बिजली ले सकता है, उससे अधिक बिजली अगर आप केन्द्र से ले भी लें, उससे अधिक बिजली अगर आप एनर्जी एक्सचेंज से खरीद भी लें, उससे अधिक बिजली अगर आप बाइलेट्रल ट्रेड के माध्यम से ले भी लें तो आपके पास वह क्षमता नहीं है कि बिजली को उठाकर आप अपने प्रदेश के विभिन्न एरियाज में बांट पाये। इसलिये क्योंकि आपने अपनी प्राथमिकता तय नहीं की है। नये–नये एम0ओ0यू0 साइन किये गये, वर्ष 2011 में भी एम0ओ0यू0 साइन किये गये, वर्ष 2011 से लेकर आज 2015 हो गया है, करीब–करीब आज पांच साल पूरे हो रहे हैं, एक ललितपुर को छोड़ दीजिये जो अब बन्द पड़ी है, जो एम0ओ0यू0 थे किसी में आज तक विद्युत उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। बाजार में सस्ती बिजली उपलब्ध है और फिर भी हम एग्रीमेण्ट करके बैठे हैं छः रुपये–साढ़े रुपये प्रति यूनिट बिजली के लिए। सवाल यह है कि अगर बिजली बाजार में एक रुपये पैंसठ पैसे में मिल रही है, अगर दो रुपये चौहत्तर पैसे में मिल रही है, अगर तीन रुपये सत्तर पैसे में मिल रही है तो कौन सा कारण है, कौन सी मजबूरी है या क्या निहित स्वार्थ हैं जिसके तहत हम मंहगी बिजली का समझौता करके बैठे हैं। इसके पीछे कौन वो लोग हैं, जो इस प्रकार के काम को करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, कृपया अब आप समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं कि बहुत सारे माननीय विधायक इस विषय पर बोलना चाहते हैं। मैं इस सदन में हूं तो सिर्फ एक आग्रह के साथ कि गांव में बिजली की जरूरत है खेती के लिए। इसका एक समय है, शहर का नागरिक बिजली चाहता है रात के लिए, रात में सोने के समय पर। वह रात में 09 बजे घर पहुंचा, आपने बिजली काट दी, फिर बिजली दी, फिर काट दी, रात में 02 बजे फिर दी तब सोचा की अब बिजली आयेगी, लेकिन 04 बजे आपने फिर काट दी। आपको कुछ अंदाज है कि आपके इस आचरण से शहर का नागरिक आपसे कितना नाराज हो रहा है। आप ऐसे ही काटते चलिये, आप अपने आपको खुद काट कर खत्म कर लेंगे। इस समय नागरिकों में इतना आक्रोश बिजली कटौती को लेकर है और यह किसी एक क्षेत्र में नहीं है, चार–पांच विधान सभाओं को छोड़ दिया जाये, तो पूरे प्रदेश में

एक ही हालत है। यहां तक कि आगरा, बनारस हर जगह कटौती से लोग पीड़ित हैं। दूसरी चीज, दस साल से मैं सुन रहा हूं ए0पी0डी0आर0पी0 के बारे में, न जाने कितना पैसा ए0पी0डी0आर0पी0 में जनपदों में भेज दिया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि कहां गया वह पैसा ? गोरखपुर में बहुत पैसा ए0पी0डी0आर0पी0 में गया होगा, लेकिन स्थिति क्या है ? 07 घण्टे आफिसियल कटौती और 09 घण्टे फाल्ट कौन है इसके लिए जिम्मेदार। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर आपका सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपके ब्रेकर नहीं काम कर रहे हैं, अगर आपकी बैट्री फ्यूज हो रही है, अगर आप हैण्डिल से चार्जर लगाकर बैट्री से चार्ज करते हो, अगर आपका रिले सिस्टम काम नहीं करता है, अगर आपके तार टूट करके एल0टी0 पर गिर जा रहे हैं और ढ़ेर सारे मकानों में सारे विद्युत उपकरण फुंक जा रहे हैं, तो मेरा प्रश्न बहुत साफ है। दस सालों के अंदर आपने ए0पी0डी0आर0पी0 में कितना पैसा दिया और आपके इस ए0पी0डी0आर0पी0 के पैसे का उपयोग क्या किया गया। आज भी सप्लाई की स्थिति जहां की तहां है, मैं पूरे प्रदेश की बिजली की बात कर रहा हूं, रात्रिकालीन कटौती की बिजली की बात कर रहा हूं और साथ में एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि इन 10 सालों में गोरखपुर के अंदर ए0पी0डी0आर0पी0 में कितना पैसा गया, कहां–कहां खर्च हुआ और आज भी फाल्ट की वही स्थिति क्यों बनी हुयी है। इस सरकार को इसकी एक उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिये और इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी रहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो कम से कम रात्रिकालीन कटौती के बारे में और गोरखपुर में ए0पी0डी0आर0पी0 में हुये घोटाले के बारे में अपनी बातें खुलकर रखेंगे।

'श्री मो0 इरफान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बिजली के समर्थन में बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। हमारे बहुत ही काबिल मुख्य मंत्री जी ने ऊर्जा के मामले में जो बजट प्रस्तावित किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनुपूरक बजट में जो प्रावधान किये हैं, उसका भी स्वागत करते हुये धन्यवाद देना चाहता हूं कि 202 करोड़ 88 लाख 32 हजार रुपये एफ0आर0सी0 के तहत कम्पनियों को भुगतान के लिये जो प्रस्तावित किया है, वह स्वागत योग्य है। पूरे प्रदेश में जितने राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम हैं, वह इतने पिछड़े गांव थे, इन सब गांवों में इस समय विद्युतीकरण का काम चल रहा है और एक बहुत भारी भरकम रकम 60 करोड़ रुपया इसके लिये प्रस्तावित किया है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये 136 करोड़ 91 लाख की व्यवस्था की गयी है, यह भी अत्यन्त सराहनीय कदम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष तौर पर नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अलग–अलग बिजली घर स्थापित किये हैं उससे नगरपालिकाओं में प्रत्येक नगरपालिका, प्रत्येक तहसील पर नया सिस्टम लगाने से बिजली के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है शैडूल जो तहसीलों पर निर्धारित है, जो नगरपालिकाओं पर निर्धारित है, उसमें हर मुमकिन कोशिश बिजली के

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये की जा रही है। चूंकि पुराने 5 साल का जो समय गुजरा था, उसमें कोई नया उत्पादन संयंत्र नहीं लगाया गया और न उत्पादन का कोई काम हुआ, इसलिये दिक्कत आई थी, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले 3 साल में बेइन्तहा मेहनत करके इसमें सुधार लाने की कोशिश की है चूंकि जरूरत बहुत बड़ी है और यह लगातार बढ़ती रही है, इस समस्या के निस्तारण के लिये मुख्य मंत्री जी का प्रयास सराहनीय है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो सामने वाले लोग बैठे हैं, हमारे साथी जो लोग हैं, वह यकीनी तौर पर केवल इस बात पर नहीं, कि केवल एक ही पहलू पर विरोध करें बल्कि हमेशा इस बात की तारीफ की जानी चाहिये कि जो काम सराहनीय हुआ है, उसका जिक्र भी आना चाहिये। इसमें सुधार की जरूरत है, इसमें किसी की दो राय नहीं है लेकिन जितना काम हुआ है, उतना इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। मैं पुनः मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिजली के क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किया है, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की इस चर्चा में जिसकी वजह से पूरा प्रदेश जिस जबरदस्त तरीके से त्रस्त है, मैं नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के डा0 अग्रवाल साहब के विचारों से अपने आपको सम्बद्व करता हूं। मान्यवर, पूरा प्रदेश बिजली की जबरदस्त कटौती से त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहा है। चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे रूहेलखण्ड हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो, इतनी भारी कटौती की जा रही है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं,, एम0ओ0यू0 साइन करते हैं और बड़ी बातें करते हैं, अच्छा हुआ बातें करते हैं, परन्तु जमीन पर क्या हो रहा है, इस बात की हकीकत उनको बताने वाला कोई नहीं है। आज ऐसा लगता है कि चश्मा चढ़ गया है, समाजवादी पार्टी की सरकार में और उन्हें हकीकत नजर नहीं आ रही है कि जमीन पर क्या हो रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, यह खाली बिजली का ही मामला नहीं है। आज शहरों में जहां बिजली आनी चाहिये, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टी0टी0जेड में जहां 24 घन्टे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिये, वहां 4–4, 5–5 घन्टे बिजली आती है, वह भी लगातार नहीं आती है, बीच में गैप करके बिजली आती है। देहातों में आपने वायदा किया था 15 से 16 घन्टे बिजली देने के लिये, लेकिन वहां दो–ढाई घन्टे बिजली आती है। किसान पर तो दोहरी मार पड़ रही है ना ही उनके नलकूप चलते हैं और सूखा अलग से पड़ रहा है। आज उद्योग धन्धे बिल्कुल बरबाद हो गये हैं। ताज ट्रिपेजियम जोन में जेनरेटर बिल्कुल प्रतिबन्धित है और आपकी बिजली उन्हें अनवरत् रूप से मिलती नहीं है इससे सारा का सारा प्रोडक्शन बरबाद हो जाता है और वह जिद पकड़े बैठे हैं कि कैसे उद्योग चलें। एक तरफ तो आप पूंजीनिवेश की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। आज इतनी भारी कटौती के बावजूद नियामक आयोग के निर्देश पर सरकार बराबर दाम बढ़ाती चली जा रही है। घरेलू बिजली में 80 प्रतिशत का इजाफा दाम में हो गया है पिछले तीन सालों में जब से यह सरकार आई है, जो फिक्स चार्जेज हैं वह 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं। इससे दोहरी मार जनता झेल रही है, इसी तरह से कनेक्शन के ऊपर 180 प्रति किलोवाट का जो दाम लिया जा रहा है उससे तो कन्ज्यूमर की कमर

टूट चुकी है। उसके बाद बिजली की चोरी हो रही है और चोरी में संलिप्तता बिजली विभाग के लोगों की होती है। बड़े–बड़े उद्योगपतियों से चोरी कराई जाती है और उनसे बिलों पर सेटलमेंट किया जाता है। बिलों की स्थिति यह है कि जो बिल होते हैं उनको बढ़ा करके भेजा जाता है यदि पांच हजार का बिल है तो उसे 50 हजार रुपए कर दिया जाता है, यदि 10 हजार का बिल है तो उसे 1 लाख का कर दिया जाता है, उसके बाद जे0ई0, ए0ई0 और एक्स0ई0एन0 लेबिल पर सेटलमेंट होता है और कन्ज्यूमर तंग आ करके उनको कुछ दे ले करके पीछा छुड़ाता है अन्यथा वह रिकवरी निकाल देते हैं। इसी तरह से एक विभाग है जो लखनऊ से जा करके छापा मारता है उनका काम भी ब्लैकमेलिंग करना रह गया है। आज स्थिति यह है कि आम आदमी इस विभाग से ही त्रस्त है। स्थिति आप देखिये कि औद्योगिक फीडर में ही पूरे समय बिजली नहीं आती है जबकि सरकार ने वायदा कर रखा है कि औद्योगिक फीडर पर वह लगातार बिजली देंगे उद्योगों को चलाने के लिए लेकिन जब आज बिजली है ही नहीं तो बिजली कहां से दे देंगे। आज स्थिति यह है कि थर्मल पॉवर प्लान्ट भी ठप पड़े हुए हैं, जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से कोई भी नया पॉवर प्लान्ट इन्होंने नहीं लगाया। दादरी के लिए इन्होंने वर्ष 2005 में एग्रीमेंट किया था वह भी रद्द कर दिया। आज इंटेंशन क्या है सरकार का, एक तरफ सब्जोबाग, एक तरफ हसीन सपने, हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि फैक्ट बता रहे हैं आपको। भाजपा ने तो गलत–सलत कर ही रखा है लेकिन आप उसमें भागीदार मत बनिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

बाईदबे कांग्रेस की सरकार गई कब से ?

श्री प्रदीप माथुर–

हम एम0एल0ए0 थे 1985 से 1989 में, आपको पता क्या है आप बच्चे थे उस समय। तब की स्थिति यह है कि हम ही लोग छोड़ करके गये थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, उसके बाद आपने तो बेचे हैं। भाजपा के हाथों देश तो बरबाद हो ही रहा है प्रदेश भी बरबाद हो जायेगा। मान्यवर, ए0पी0डी0आर0पी0 के बारे में बताना चाहता हूं, ए0पी0डी0आर0पी0 के लिए 360 करोड़ रुपए हमने अपनी यूपीए सरकार से अन्डरग्राउण्डिंग और केबलिंग के लिए दिलवाया था। हम कहते–कहते हार गये, हमने मुख्य सचिव से कहा, मा0 मुख्य मंत्री जी से कहा उन्होंने प्रमुख सचिव, ऊर्जा से बोला, आज पूरा मथुरा–वन्दावन खुदा पड़ा है और रोज हजारों–लाखों तीर्थयात्री वहां आते हैं और एक्सीडेंट होते हैं उसके बावजूद भी दक्षिणांचल विद्युत निगम के प्रबन्ध निदेशक के कान पर जूं नहीं रेंगती, वह मीटिंग नहीं बुलाते।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 माथुर साहब, अब आप समाप्त कर दें क्योंकि काफी मा0 सदस्यों को अपनी बात कहनी है।

श्री प्रदीप माथुर–

तमाम अधिकारी काफी समय से अपने स्थान पर बने हुए हैं उनका स्थानान्तरण करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर हालात गम्भीर हैं इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी को

सजग होना पड़ेगा और डंडा हाथ में ले करके काम कराना पड़ेगा वरना यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने से काम चलने वाला नहीं है। पॉवर ना होने की वजह से प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है जब बिजली ही नहीं होगी तो निवेशक कहां से आयेंगे, जब कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो लोग एम0ओ0यू0 कैसे साइन करेंगे। आपने दुनिया भर के एम0ओ0यू0 साइन कर रखे हैं कितने एम0ओ0यू0 को अमलीजामा पहनाया है यह देखने वाली बात है। मा0 अधिष्ठाता जी, मामला बहुत गम्भीर है जहां 24 घण्टे का वायदा था टी0टी0जेड0 क्षेत्र में वहां तीन–चार घण्टे बिजली और जहां ग्रामीण क्षेत्र में 15–16 घण्टे बिजली देने की बात थी वहॉ दो–ढाई घण्टे बिजली दी जा रही है और वह भी सप्लाई अनवरत् रूप से नहीं हो रही है। उद्योग–धन्धे बिल्कुल चौपट हो गये हैं किसान बरबाद हो रहा है, आम शहर का व्यक्ति त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहा है, छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं वह पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि लाइट नहीं रहती है। इसलिए मान्यवर, इस गम्भीर मामले पर जब चर्चा हो रही है तो इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि इस बात पर दिशा–निर्देश जारी करें और सख्ती से कार्रवाई करें।

श्री अधिष्ठाता–

इस मुद्दे पर काफी सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया जो भी वक्ता हों, मात्र दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें तो सुविधा होगी।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत देर से सुन रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, कोई कह रहा है कि 04 घण्टे बिजली आ रही है, कोई कह रहा है कि 12 घण्टे शहर में आ रही है। भाई, हम शहर में भी रहते हैं कानपुर में रहते हैं। भदौरिया साहब गवाह हैं, बताओ भदौरिया साहब एक भी आदमी कानपुर में बिजली के लिए सड़क पर उतरा हो, कोई भी नहीं उतरा। पूरे 24 घण्टे बिजली आयी है। (श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के अपने स्थान से खड़े होकर कुछ कहने पर) आप बैठ जाइये। अब झूठ बोलना हो तो अलग बात है लेकिन सच बात यह है कि मई, जून की भयानक गर्मी में हर बार धरना–प्रदर्शन कुछ न कुछ होता था लेकिन इस बार कानपुर को चौबीसों घण्टे बिजली मिली है और एक भी व्यक्ति सड़क पर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि बिजली से कोई समस्या है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्य मंत्री जी की यह योजना है और हमारे ऊर्जा मंत्री जी की योजना है। हम खाली शहर में ही नहीं रहते, हम देहात से भी जुड़े हुए हैं। (श्री प्रदीप माथुर द्वारा यह कहने पर कि आपकी मजबूरी है तारीफ करना।) हमारी कोई मजबूरी नहीं है माथुर साहब। मजबूरी तो आपकी होगी, जहां आप बैठे हैं वहां से भी पैदल, यहां से भी पैदल तो मजबूरी तो आपकी है। आपको तो कहना है। लेकिन यह बात सही है हम जहां देहात से भी जुड़े हैं हमारा देहात महाना जी के क्षेत्र में है। महाना जी अगर यह बात कहें कि साहब बिजली नहीं आ रही है तो हम तो इसलिए नहीं मानेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे फार्म हाउस में बिजली आती है और इतनी बिजली आती है, मेरा मानना है कि 10 घण्टे से कम तो कतई

बिजली नहीं आती है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम शहर और देहात दोनों में रहते हैं। हमारे ब0स0पा0 के साथियों को बहिर्गमन करने की बहुत आदत है। इनके यहां परम्परा है बहिर्गमन करने की, जैसे ही बहिन जी चुनाव हारती हैं बहिर्गमन कर जाती हैं और दिल्ली में रहती हैं तो यह सही है उस परम्परा को यह भी निभाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि बिजली की व्यवस्था अगर खराब हुई तो खराब करने वाले ये ही लोग हैं, ये ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ट्रांसफार्मर खरीदे रद्दी और घटिया, पैसे दिये ज्यादा। हमारे मा0 मुख्य मंत्री और मंत्री जी ने ट्रांसफार्मर खरीदे तो उसकी क्वालिटी ऐसी है कि आज लगा दो तो महीनों चलते हैं, खराब तो होते ही हैं लेकिन महीनों चलते हैं। अब वह स्थिति ट्रांसफार्मर की नहीं रह गयी है और उसके बाद भी हमारी यह व्यवस्था है कि अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो ट्राली ट्रांसफार्मर जाकर वहां पर तुरन्त लगता है।

श्री अमर पाल शर्मा–

यह बिल्कुल गलत है।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

शर्मा जी, ऐसा नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम यह बात कहना चाहते हैं कि इल्जाम लगाने की बात है वह अपनी जगह पर है, अब यह जहां बैठे हैं वहां रहते नहीं है इल्जाम ही लगाना है। लेकिन यह सही बात है ईमानदारी की कि जितनी बढ़िया बिजली हमारी सरकार में मिली है उतनी बढ़िया बिजली कभी किसी सरकार में नहीं मिली है और जहां तक बात रह गयी लाइन–लॉस की। तो लाइन–लॉस बहुत ज्यादा थी इसके लिए पूरा उसका नेटवर्क बदला जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि नई लाइनें डाल करके लाइन–लॉस को भी कम किया जाए। जहां तक बात रह गयी सप्लाई को सुचारु करने की, फीडर चेंज किये जा रहे हैं और नये–नये सब–स्टेशन बनाये जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कानपुर में कई नये सब–स्टेशन बनाये गये और हमारे क्षेत्र में ही ले लें तो अभी परसों शनिवार को 22–08–2015 को सब–स्टेशन का शिलान्यास होना है। तो मेरा यह मानना है कि पूरे के पूरे शहर में जिस तरीके काम हो रहा है, हमारे यहां व पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। हमारे और साथी यहां बैठे हैं इन लोगों के यहां काम हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके यहां भी हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिजली की जितनी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था इससे पहले किसी सरकार ने नहीं की है। इसलिये विपक्ष के हमारे साथी जैसे कांग्रेस के माथुर साहब जी बोलते–बोलते आगरा से मथुरा पहुंच जाते हैं और अभी चले भी गये। सही बात तो यह है कि बिजली की सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे विपक्षी साथी हैं जिन्होंने इसके लिये कभी कुछ नहीं किया है। इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कहीं कोई कमी है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगले साल से जहां 10–12 घंटे बिजली दे रहे हैं वहां 16 घंटे बिजली दी जायेगी। शहर में तो 24 घंटे बिजली दी ही जा रही है, हमारे यहां तो दी जा रही हैं। जहां कहीं शहर में 24 घंटे नहीं दी जा पा रही है वहां के लिये हम दावा करते हैं कि अगले साल से वहां 24 घंटे बिजली दी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता लोकदल, आप बोलें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा नाम लिया है, केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

जब आपका नम्बर आयेगा, तब अपनी बात कहियेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, निगम साहब ने अपने फार्म हाउस पर जो 16 घंटे बिजली आने की बात कही है वह यह यहां सदन में ही कह सकते हैं। अगर यही बात यह वहां जनता के सामने कहें तो मैं मान जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता–

महाना जी, बैठ जायं। निगम साहब आप भी बैठें।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, बिजली बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे बहुत से साथी बिजली की समस्या के सम्बन्ध में बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए चार–छः बातें कह कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसे लाइन लॉस की बात है। लाइन लॉस होता है लेकिन जो जेन्यून उपभोक्ता है। लाइन लॉसेज का खर्चा उन जेन्यून उपभोक्ताओं का बिल बढ़ाकर उनसे चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि सरकार ने किसानों के 2015 तक के जो नार्मल नलकूप थे वह ले लिये। यह अच्छा काम किया कि नार्मल नलकूप 2015 तक के ले लिये। माननीय मंत्री जी आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। आप लोगों की सरकार का इस पूरे फंग्शन में केवल एक ही काम है कि 2015 तक के जो नार्मल नलकूप थे वह टेक अप किये। लेकिन उनके लिये पर्याप्त मात्रा में न आप ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा पा रहे हैं, न तार उपलब्ध करा पा रहे हैं, न पूरी व्यवस्था करा पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन हैं अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से कि आपने उनको टेक–अप तो कर लिया यह अच्छा काम किया लेकिन उनके लिये पर्याप्त व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी सप्लाई को मेन्टेन करने का काम कासिमपुर पावर हाउस करता है। 660 मेगावाट का बिजलीघर माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां के लिये स्वीकृत किया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन उसके काम में कोई प्रगति आगे नहीं बढ़ रही है। उसके काम को बहुत तेजी से कराया जाय। इसके साथ–साथ 660 मेगावाट का एक और बिजलीघर बनाया जाय जिससे कि नादर्न इंडिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था सुचारू ढंग से कराई जा सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना का संचालन किया गया था उसके कई बार प्रस्ताव आये और कई बार उसके प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई। तभी यह सरकार आ गई। इन्होंने उसका नाम बदलने की कोशिश की। किसी ने कुछ बदलने की कोशिश की किसी ने कुछ। इसीलिये भ्रम में यह योजना खटाई में पड़ी है। मैं आपके माध्यम से आपके बड़े अधिकारी संजय अग्रवाल और

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिश्रा जी भी यहां बैठे हैं, कहना चाहता हूं कि यह उस पर ध्यान दें और शीघ्रता से उसको पूरा करवायें। (सत्ता पक्ष से यह कहने पर कि लॉबी का संज्ञान नहीं लिया जाता) ठीक है, लॉबी का संज्ञान नहीं लिया जाता। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े अधिकारी भी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से उस योजना को शीघ्रता से लागू करायें। आपका डेढ़ वर्ष चुनाव का रह गया है। अभी हमारे विद्वान साथी डाक्टर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डाला। बिजली की कीमत बहुत डाउन है। बिजली लेने वाला कोई है नहीं। पिछला एग्रीमेंट 6 रुपया 7 रुपया हो गया था उसे जाने दीजिये भाड़ में। अभी डेढ़ साल आपका चुनाव का है। आप बिजली क्रय कर सकते हैं, इन डेढ़ सालों में बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिये। तो जैसा यह बता रहे हैं मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है। उसमें खरीद कर बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। जितने भी आपने वर्कशाप में ट्रांसफार्मर सही कराने की व्यवस्था की है जहां आपके सरकारी वर्कशाप काम कर रहे हैं तो सरकारी वर्कशाप में कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं चाहे टेण्डर करें चाहे प्राइवेट पार्टियों को दें ट्रांसफार्मर बहुत तेजी से ठीक कराने की व्यवस्था करें। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे ट्रांसफार्मर की व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता–

समय का ध्यान रखें।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, अलीगढ़ मण्डल है आपने वहां चीफ इंजीनियर तैनात कर दिया, चीफ इंजीनियर को कोई अधिकार नहीं है हमारे सारे काम आगरा से होते हैं वहां के अधिकारी आई0ए0एस0 अधिकारी हैं, जब तक यहां से हमारी फाइल जाती है तब तक कुछ नहीं करते हैं मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं। अलीगढ़ मंडल इन्डिपेंडेंट मंडल है वहां आपने चीफ इंजीनियर तैनात कर रखा है आगरा से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए अलीगढ़ मंडल को अलग से पैसे की व्यवस्था करवा दें इन्डिपेंडेंट मंडल की हैसियत से आप पैसा दिलवा दें। पैसे की व्यवस्था जो आगरा से होती है उसको इन्डिपेंडेंट रूप से करवाइए। ट्रांसफार्मर की स्थिति बहुत खराब है बिजली की चोरी खूब हो रही है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिजली की चोरी खूब हो रही है सरकार कोई भी आ जाए वह इसे नहीं रोक सकती है व्यवस्था ही इस तरह की बनी हुई है। जंगल में कौन सी सरकार देख रही है बिजली की चोरी को, मैंने कई बार कहा है कि अन्य मदों में आप बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं पार्कों पर करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह–

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपने अगर आपने किसानों के बिजली के कर्जे माफ कर दिए तो इसमें सरकार को कोई हानि नहीं

है और सरकार की भी बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राकेश कुमार वर्मा, डा0 आर0के0 वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे विद्युत पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने जनपद की बात तो इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे जनपद की तारीफ यही लोग किए रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं मैनपुरी के, गम्भीरता इतनी है कि विद्युत जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है और एक भी दल का नेता मा0 दलवीर सिंह जी को छोड़कर, एक भी दल का नेता नहीं है मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने कई विधायकों को यह कहते हुए सुना है कि साहब हमारे यहां बिजली ठीक हो गई लेकिन सदन में आते ही लेकिन, किन्तु, परन्तु लगाने लगते हैं। मान्यवर, टी0टी0जेड0 की बात आई। मैं टी0टी0जेड0 में रहता हूं मा0 धर्मपाल जी बैठे हैं बताइए आगरा में कौन सा आन्दोलन हुआ, मथुरा की बात आई मुड़ियापुर का मेला लगा। करोड़ों लोग वहां आए, आस्था का सैलाब उमड़ा विद्युत की कहां अव्यवस्था रही आप हमें बतायें ? टी0टी0जेड0 में तीन घंटे की बात आप कर रहे हैं वह पूरी आलू की बेल्ट है आलू में पांच–पांच पानी लगाने पड़ते हैं अगर बिजली पूरी नहीं मिली तो बताइए कहीं आन्दोलन हुआ। मैं अनुरोध करूंगा कि सदन में जो भी बोलें तथ्यात्मक बोलें, उसका सर्वे कराकर बोलें, जितना काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है वही विभाग है वही अधिकारी हैं रात दिन एक करके तीन साल में जितना काम हुआ है उतना पांच साल की सरकार में नहीं हुआ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

आपने जो किया उसको हम झेले। मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था अपने रास्ते पर धीमे–धीमे सुचारु रूप से आ रही है। 2016 का लक्ष्य दिया है विद्युत विभाग के अधिकारी हमारे मुख्य मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, हमारी पूरी सरकार उस लक्ष्य को पूरा करेगी। धन्यवाद

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

बहुत–बहुत शुक्रिया माननीय अधिष्ठाता महोदय जी आपने मुझे विद्युत व्यवस्था की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका आभारी हूं। मान्यवर, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिन्दु हमारे अग्रज नेताओं ने माननीय सदस्यों ने सदन के संज्ञान में लाए हैं मैं उन सबको रिपीट नहीं करना चाहता। सबसे महत्वपूर्ण बात आज बिजली के बगैर जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे रोजगार हैं, वह बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार ने यह वायदा किया था कि ग्रामीण अंचल में हम 14–18 घंटे बिजली पहुंचाने का काम करेंगे शहरों में 20 से 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। आज हाल यह है कि ग्रामीण अंचल में 4 घंटे बमुश्किलन बिजली मिल पाती है।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको प्रमाण देता हूं आपने कब वायदा किया और हमारे यहां सप्लाई क्या है। अगली बार आप कहिएगा या कल कहिएगा तो मैं विद्युत रोस्टर का डाटा आपके यहां लाकर दे दूंगा हमारे यहां लागबुक की जो इंट्री है वह मैं

लाकर आपको दे दूंगा कि कितने घंटे बिजली सप्लाई होती रही है। लोकल कितना फाल्ट में काटी गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को और सरकार को बताना चाहता हूं कि आज का यह हाल है कि रोज ट्रांसफार्मर खराब होता है मेरे पास रिकार्ड है कि एक महीने के अन्दर चार बार ट्रांसफार्मर बदले गए। चार बार ट्रांसफार्मर बदले जाने के बावजूद भी चार घंटे की विद्युत सप्लाई नहीं हो सकी है। इसका रिकार्ड मेरे पास है सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं अगर उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहती है तो मैं रिकार्ड लाकर दे दूंगा कि एक महीने में चार बार ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं, फिर भी 4 घण्टे यह विद्युत सप्लाई नहीं मिली है। वह कौन सी व्यवस्था है कौन से लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं, कौन सा मैटीरियल उसमें इस्तेमाल किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

मान्यवर, जिसमें चार घंटे की विद्युत सप्लाई नहीं हो पाती है। आज निश्चित रूप से यह हम सबके लिए पीड़ा का विषय है पूरे गांव में जाकर देखिए लोगों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है मान्यवर नहर से सिंचाई करने का आप वायदा करते हैं 18 प्रतिशत की सिंचाई आपकी नहर से हो रही है लेकिन बिजली की सिंचाई पर 82 प्रतिशत का भार रहता है अगर बिजली की सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं होगी तो किसान उससे प्रभावित होगा मजदूर उससे प्रभावित होगा आज बुनकरों का क्या हाल है ?

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0 के0 वर्मा–

इस खराब विद्युत व्यवस्था की वजह से बुनकरों का रोजगार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है मैं सदन से मांग करता हूं आज डाक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने भी सदन के बीच में इस बात को लाया है कि अनपरा डी पर सात हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन आज उसके उत्पादन का परिणाम क्या रहा है सरकार सदन के बीच में अनपरा का उत्पादन परिणाम सरकार बताने का कष्ट करे। उसका परिणाम शून्य रहा है। आज जो विद्युत की सप्लाई की व्यवस्था है उसको जैसा सरकार ने वायदा किया था उसके अनुसार विद्युत की सप्लाई करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री आरिफ अनवर हाशमी–

अधिष्ठाता जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि बिजली जैसे अहम मुहकमे की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया माननीय अधिष्ठाता जी इस चर्चा को मैं बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था। नेता विरोधी दल डाक्टर साहब पटेल जी लोक दल के नेता और अपने साथियों की बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मुझे पिछले दिनों की बात याद आती है जब एक सरकार अदूरदर्शी सरकार यहां बैठी थी और उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं के साथ–साथ बिजली व्यवस्था भी ध्वस्त हो गयी थी। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि सारे जो बिजलीघर चल रहे थे, आधी इकाइयां बैठ गयीं। केन्द्र के पूल से जो बिजली ली जा रही थी वह भी बन्द हो गयी और जो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सप्लाई किये गये वह डुप्लीकेट कम्पनी से लाकर सप्लाई किये गये। इधर रखे जाते थे और उधर जल जाते थे। मैं इस सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसके मुखिया मा0 मुख्य मंत्री जी को कि उनकी दूरदृष्टि, कर्मठता, योग्यता और मेहनत से उत्तर प्रदेश की बागडोर जब यहां की बहादुर जनता ने उनके हाथ में सौंपा तो उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, उसके साथ–साथ बिजली के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया। आज यह स्थिति है कि जो इकाइयां ठप्प पड़ी थीं, जो निर्जीव हो गयी थीं, वह जवान हो गयी हैं। उनमें ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया और उत्तर प्रदेश में किसानों को और उद्योगपतियों को, उद्योगों को, बुनकरों को, ग्रामीण क्षेत्र को बिजली मिलने लगी और बिजली से किसानों की सिंचाई हो रही है। इसलिये इस सरकार पर विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें कुछ भेद है। डाक्टर साहब, आपको याद होगा कि लोक सभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से ही माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं बनारस से सांसद हैं। वह अपने भाषणों में कहते थे कि उत्तर प्रदेश के निवासियों, गांव में बिजली आती है कि नहीं आती है। मान्यवर, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उसने उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में कोई योगदान नहीं किया और न ही बिजली के क्षेत्र में काम किया है। इसलिये मैं इस सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जो 'किसान वर्ष' घोषित किया है और बिजली के क्षेत्र में जो अच्छा से अच्छा काम किया है। मैं तो आंकड़ा देख रहा था कि आजादी के बाद सब–स्टेशनों का 132 के0वी0ए0 स्टेशनों का जितना काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन साल में किया है, गांव का जितना काम किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। मान्यवर, आपने चर्चा में भाग लेने के लिये हमें समय प्रदान किया इसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 श्री राजेश त्रिपाठी जी।

श्री राजेश त्रिपाठी–

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें प्रदेश की बिजली जैसी गम्भीर समस्या पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं अपनी बात को मा0 नेता प्रतिपक्ष ने और मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी ने जो बिजली के बारे में बातें रखीं, उससे सम्बद्ध करता हूं और विपक्ष के तमाम विधायकों ने जो बातें बिजली के कटौती के रखीं हैं उससे सम्बद्ध करते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के विधायकों की मजबूरी है कि वह जहां बैठे हैं तो वह सत्ता के पक्ष में ही बोलेंगे और हमारी स्थिति यह है कि जनता के बीच में रहते हैं ऐसे में जो कमियां हैं, जो उनके दर्द हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको यहां तक लाना यह हमारी प्राथमिकता है। बिजली आपूर्ति की जो परिस्थिति है मान्यवर, वह यथावत् है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं इस बात के लिये साधुवाद देना चाहता हूं कि तीन साल बाद ही सही कम से कम 'देर आये दुरुस्त आये' की तर्ज पर उन्होंने पिछली ब0स0पा0 सरकार में जो एम0ओ0यू0 साइन किया गया था और बाद में इस सरकार ने उसे रोक दिया था कि हम इस पर काम नहीं करेंगे, तीन साल बाद उन्हें लोक सभा चुनाव के बाद यह अहसास हुआ कि बिना बिजली के हम जनता का दिल नहीं जीत सकते और उन्होंने पिछले बजट में सक्रियता दिखायी। मैं इस बात को कहना

चाहता हूं कि काश, ऐसा हुआ होता कि पिछली सरकार में जो एम0ओ0यू0 साईन हुये थे इस सरकार ने आते ही उस पर यदि ध्यान दिया होता तो आज 2014 तक हम बिजली पा रहे होते। मगर ऐसा नहीं हुआ। आप कहते हैं कि बिजली मिल रही है, लेकिन सच यह है कि जो सरकार का दावा है कि 10 से 12 घण्टे गांव को बिजली देंगे, वह पूरी तरीके से फ्लाप है। 3 घण्टे, 4 घण्टे, 5 घण्टे बिजली आती है, वह भी कटौती करके आती है, कोई उसका रोस्टर नहीं है। कम से कम इतना तो तय हो जाना चाहिए, मा0 मंत्री जी कि आप बिजली कब तक देंगे, यह पता हो कि बिजली कब आयेगी, कब जायेगी, आप दो घण्टे ही दीजिए, बता तो दीजिए कि कब देंगे ? आप कहते हैं कि बिजली 10 बजे आयेगी, बिजली 12 बजे आती है, आप कहते हैं कि बिजली 2 बजे रात को आयेगी, बिजली 4 बजे भोर में आती है। आप बताइये कि आप बिजली देना कब चाहते हैं, आप बताइये, आप श्वेत–पत्र ले आइये कि मेरे पास बिजली नहीं है, मैं केवल 2 घण्टे ही प्रदेश को बिजली दे पा रहा हूं, जनता 2 घण्टे में ही अपने को एडजेस्ट करना शुरू कर देगी, उसे मालूम हो जायेगा कि उसे 2 घण्टे ही बिजली मिलेगी, 22 घण्टे बिजली नहीं रहेगी। मान्यवर, पता तो हो कि बिजली कब आयेगी ? हम इन्तजार करते हैं, रात के 01 बजे तक कि बिजली आयेगी, मोटर चलायेंगे। पता लगता है कि बिजली का पता नहीं, पूरी रात इन्तजार में बीत जाते हैं। मेरी आपसे विनती इतनी है, माना कि आपके पास बिजली नहीं है, मुझे पता है आप बहुत तनाव में हैं, आपके पास खर्च ज्यादा होगा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, आप ? जो भी कर पा रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप बिजली का रोस्टर तय कर दीजिए, एक दिन पहले जनता को बता दीजिए अखबार के माध्यम से कि कल बिजली इतने बजे आयेगी और इतने बजे कट जायेगी, हम संतुष्ट हो जायेंगे कि बिजली नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करूं क्योंकि पूरे प्रदेश की बात हमारे और साथी लोग करेंगे। अगर मैं अपने चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, अधिकारियों के निर्देश के बावजूद बिजली का कोई रोस्टर तय नहीं हुआ। आज बिजली का रोस्टर कुछ और होता है, कल कुछ और होता है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। वह कौन से लोग हैं जो मंत्री और अधिकारियों के कहने के बावजूद भी रोस्टर तय नहीं करते हैं और बिजली नहीं देते हैं। मैं एक और बात मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र की गोला तहसील में तहसील मुख्यालय पर एक सब–स्टेशन बन रहा है, वह पूर्ण अवस्था की स्थिति में है, मगर वह ज्यों का त्यों पड़ा है और यह कहा जा रहा है कि भुगतान नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, हम काम कैसे करें, पूरा कैसे करें। आप उसे दिखवा लें कि मामला क्या है? अगर मा0 मुख्य मंत्री जी की तहसील मुख्यालयों पर बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने की व्यवस्था थी तो यह होना चाहिए था। मान्यवर, खखाइजवारे एक गांव है, मैं चाहूंगा कि उसका भी संज्ञान आप ले लें। वहां पर पिछले 4–5 साल से वहां सब–स्टेशन बन रहा है, उसमें 25–30 परसेण्ट भी काम नहीं हो पाया है। कई बार मैंने इसको सदन में भी उठाया, अधिकारियों तक भी बात पहुंचायी थी, कुछ काम तेज हुआ, लेकिन फिर बन्द हो गया। इसी प्रकार रतनपुरा में भी सब–स्टेशन बन रहा है, वैसे ही खण्डहर पड़ा हैं मैं चाहूंगा कि सरकार उसका

संज्ञान ले। अगर सरकार के पैसे से यह सब–स्टेशन बन रहे हैं तो वह अधूरे क्यों हैं ? जो जर्जर तार और पोल हैं, मैं उसकी बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें इतना बड़ा खेल हो रहा है कि तार और पोल के नाम से आप बहुत पैसा भेजते हैं, मगर निचले स्तर पर उसमें खेल किया जाता है और तार तथा पोल वैसे ही रह जाते हैं और उनका पेमेण्ट शायद आप लोग कर दिया करते हैं, इसको जरूर दिखवाइये। मैं इसी के साथ चाहूंगा कि बिजली की समस्या जो आज जनता की सबसे बड़ी समस्या है, उसको आप देखिए और जनता को कम से कम 10 से 4 दिन में दें और 10 से 4 रात में बिजली दिलवाइये। उसको आप देखिये। एक और बात मा0 मंत्री जी से कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, अभी कहा गया कि फलां जगह जनता आन्दोलित रहे नहीं है, इसलिए कि वहां बिजली है। मेरा यह कहना है कि जो लोग शरीफों की तरह रहें या जो लोग दर्द पीने के आदी हों या जो लोग ज्यादा सहनशक्ति वाले हैं, जो लोग सड़क पर नहीं उतरते, उसका मतलब यह तो नहीं होता कि उनके अन्दर दर्द नहीं है। तकलीफ नहीं है उनके जो बिजली है, यह मत कहिए कि जब लोग सड़क पर आयेंगे तभी आप मानेंगे कि बिजली नहीं आ रही है, यह बयान न दिया करिए, वरना पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति बन जायेगी। धन्यवाद।

नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना की चर्चा का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अध्यक्ष जी ने यह चर्चा एक घण्टे के लिए स्वीकार की थी। एक घण्टे का समय समाप्त हो गया, आधे घण्टे के लिए इस चर्चा को और बढ़ा दें, यह आपसे अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

'श्रीमती रूबी प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन को बताना चाहती हूं कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए। मैं इसलिए बताना चाहती हूं कि प्रत्येक वर्ष जनता की डिमाण्ड बढ़ती ही जाती है लेकिन पिछली सरकार ने कोई भी पावर प्लांट लगाने का काम नहीं किया। इसकी वजह से हमारी सरकार को थोड़ी सी परेशानियां झेलनी पड़ीं। हम जनपद सोनभद्र के अंतर्गत दुद्धी विधान सभा क्षेत्र से आते हैं। दुद्धी तहसील एक ऐसी तहसील है जहां अनपरा–सी, अनपरा–डी, ओवरा–सी, ओवरा–डी, शक्ति नगर, बीजपुर सारे पावर प्लांट हमारी तहसील में है। निश्चित तौर पर मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने अनपरा–डी जो वर्षों से लम्बित और पूरे भारत में एक ऐसा पावर प्लांट है, जो राख पर पिलर फाइलिंग किया गया है, बनाया गया है। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐश पर पावर प्लांट निर्माण किया गया हो। मा0 नेता जी ने अनपरा–डी का शिलान्यास किया था और मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक मार्च को इसका उद्घाटन किया था। कतिपय कुछ टेक्नीकल फाल्ट के कारण अनपरा–डी थोड़े दिन के लिए बाधित हुआ फिर निश्चित रूप से सुचारू रूप से अनपरा–डी से 500 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि निश्चित तौर पर जो लैण्ड लॉड गांव में होते हैं ज्यादातर लोग जो अवैध कटिया मार बिजली चलाते हैं उसके लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया है कि यदि गांव के 90 प्रतिशत लोग विद्युतीकरण कर लें, कनेक्शन लें तो निश्चित रूप से 15 से 16 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को दी जायेगी। हमारी तहसील दुद्धी एक नक्सल प्रभावी क्षेत्र है। दुद्धी उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम विधान सभा क्षेत्र 403 है। हमारे यहां भी गांवों में 10 से 12 घण्टे बिजली मिलती है यह कोई कहने की बात नहीं है। चूंकि मैं वहां से विधायक हूं मैं जानती हूं कि जब मेरे जैसे पिछड़े क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घण्टे बिजली दी जाती है तो हमारी सरकार ने सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। क्योंकि जब तक हम पावर प्लांट नहीं लगाएंगे जैसे रोजा पावर प्लांट, अनपरा–डी पावर प्लांट ललितपुर में तब तक हम बिजली की प्रतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी से इसके लिए बहुत गंभीर है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि बिजली को सुचारु रूप से चलाने के लिए उन्होंने सौर ऊर्जा पर भी काम किया। हमारे यहां दुद्धी विधान सभा में जाम पानी में सौर ऊर्जा हब बनाने का काम किया। दूसरी बात तहसील स्तर पर मा0 मुख्य मंत्री जी फीडर सैपरेशन का एक महत्वपूर्ण काम किया और उन्होंने तहसील स्तर पर फीडर सैपरेशन पर काम करने का काम किया निश्चित रूप से वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने जनपद का जिक्र करूं तो हमारे विधान सभा दुद्धी में 1580 ऐसे मजरे टोले हैं, जो आजादी के बाद से विद्युतीकरण से वंचित थे और मा0 मुख्य मंत्री जी की पहल पर 1580 मजरे को विद्युतीकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह क्रांतिकारी कदम है और हमारी सरकार इसके लिए ठोस कदम उठा रही है। निश्चित तौर पर इसके लिए हम पिछली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को कोल ब्लाक आवंटन जो कोल लिंकेज है वह प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण, कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पर अब बिजली का काम बहुत तेजी से हो रहा है। पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं और उसमें सुधार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता 2016 में गांवों में 15 से 20 घण्टे बिजली और शहरों में 20 से 22 घण्टे बिजली पाएगी। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्रीमती सीमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ऐसी समस्या पर बोलने का अवसर दिया है जिस समस्या को लेकर पूरा प्रदेश चिंतित है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लेकिन अभी जिस तरह से हमारे विपक्ष के विधायक बोल रहे थे जाहिद साहब बैठे हैं, और आप लोग भी पढ़े–लिखे बैठे हैं, मुझे एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही थी, अगर आपको याद होगा 'सचिव बैद्य गुर तीनी जौं प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगिहिं नास'। मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और यह अपनी पीठ अपने आप

थपथपा रहे हैं। यह विपक्ष नहीं बोल रहा है। यह उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है कि बिजली की क्या दुर्दशा है। अभी आपने कहा कि 24 घण्टे लाईट मिलती है। कहीं किसान आन्दोलन नहीं हुआ। आन्दोलन तो वह खड़ा हुआ है, वह 2017 का चुनाव आपको बताएगा कि जनता के बीच में किस प्रकार का आन्दोलन खड़ा हुआ है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)–

2014 वालों की 2017 में क्या हालत होगी यह जरा पूछ लीजिएगा।

श्रीमती सीमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इनको कुछ लेने का सहूर तो है नहीं। हमारी दिल्ली की सरकार इनको देना चाहती है और यह ले नहीं पा रहे हैं। इतने ज्यादा ना समझ लोग बैठे हैं।

श्री योगेश प्रताप सिंह (योगेश भईया)–

क्या देना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं। और लेने का तरीका क्या है, यह हम लोगों को बता दीजिए।

श्रीमती सीमा–

लेने का तरीका यही है जो आप समझते हैं और आप जानबूझकर भी नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है ?

श्री योगेश प्रताप सिंह (योगेश भईया)–

खुलकर बोलिये।

श्रीमती सीमा–

जब आप खुलकर बोलेंगे तो हम खुलकर बोलेंगे। अगर वहां के लोग बोलना शुरू कर दें कि सही में लाईट नहीं मिल रही है। तो हम भी खुलकर बोलना शुरू कर देंगे।

श्री योगेश प्रताप सिंह (योगेश भईया)–

कहीं से तो अच्छी शुरूआत होगी। आप ही कर दीजिए।

श्रीमती सीमा–

मा0 मंत्री जी आप भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समय आधा घण्टा बढ़ाया गया है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, यह अच्छी परम्परा नही है। एक माननीय सदस्य बोल रही हैं तो उन्हें सुनना भी चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

साढ़े तीन बजे चर्चा समाप्त करा दी जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग व्यवधान न डालें। कार्रवाई चलने दें। सीमा जी अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सीमा–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम कहना चाहते हैं कि अभी हमारे मा0 सदस्य डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने अनपरा–डी के बारे में एक बात कही। मैं खुद भी सरकार से यह सवाल करना चाहती हूं कि अनपरा–डी शुरू होने के बाद बंद कैसे हो गयी। उसमें खराबी क्यों आ गयी। क्या यह प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं है। क्या यह विचारणीय बिन्दु नहीं है कि जिस अनपरा–डी को लेकर आप इतना बड़ा ढोल पीटते थे, और मुझे याद है जब मायावती जी की 2007 में सरकार थी तो यहां पर हमारे ऊर्जा मंत्री जी कहा करते थे कि 2012 में हम प्रदेश की जनता को 24 घण्टे बिजली देंगे। और अब आज यह कहते हैं कि अगले साल हम 24 घण्टे बिजली देंगे, प्रदेश की जनता को 24 घण्टे बिजली देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सीमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दो–तीन बिन्दुओं में अपनी बात कहना चाहूंगी। महोदय, मेरा जनपद जौनपुर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद होने के बाद भी आज भी यह ग्रुप सी में क्यों पड़ा हुआ है, ग्रुप बी में क्यों नहीं आ जाता। जब भी विधान सभा चलती है तो हम विधान सभा में बार–बार यह कहते हैं कि हमारे जनपद को ग्रुप बी में शामिल कर दिया जाये तो शायद बिजली की समस्या कुछ ठीक हो जाये। आप 18 घण्टे बिजली की बात कहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुगरा बादशाहपुर एक नगर पालिका है। आपने कहा कि नगर पालिका को हम 18 घण्टे बिजली देते हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)–

हमने यह नहीं कहा।

श्रीमती सीमा–

कल आप बोल रहे थे मैंने नोट किया था। हमने सुना था। अब आप बदल गये होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस बात की जांच करा लें कि विधान सभा मुगरा बादशाहपुर में 4 घण्टे से ज्यादा क्या लाईट मिलती है ? अगर मिलती है तो किस समय मिलती है। यह मान्यवर कोई समय है। रात को तीन बजे लाईट आती है सुबह सात बजे चली जाती है। दोपहर में शाम को पांच बजे लाईट आती है शाम को सात बजे चली जाती है। यह कोई शिड्यूल नहीं है। हमारी विधान सभा को आप भले ही 12 घण्टे लाईट दें लेकिन शेड्यूल तय कर दें। हमको सुबह दस बजे लाईट देकर के शाम को तीन बजे काट लें। और फिर रात्रि को दस बजे से सुबह तीन बजे तक लाईट दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्रीमती सीमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, मेरी विधान सभा में उकनी एक पावर हाऊस बना हुआ है और वह पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन किन कारणों से वह चालू नहीं हो पाया है, यह मैं सरकार से जानना चाहूंगी, अगर इसको आप चालू करा देते हैं, तो इससे जनता को बहुत लाभ होगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ऊर्जा व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव में चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, महोदय मैं अपनी बात शुरू करता हूं बी0एस0पी0 के शासनकाल के अन्धकार युग से, मुझे याद है 2012 चुनाव के पहले जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे उस समय चाहे दिन हो चाहे रात हो, लाईट का कुछ अता–पता नहीं रहता था, कहीं रोस्टर का पता नहीं रहता था, कहीं कोई नया विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो रहा था, कहीं कोई नए सब–स्टेशन नहीं लगाये जा रहे थे। ऐसे–ऐसे प्रकरण सामने आते थे कि ट्रान्सफार्मर जल गया, कब का जला है भाई, डेढ़ महीने, दो महीने तक के ऐसे–ऐसे प्रकरण आते थे कि दो–दो, तीन–तीन महीने के ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं और बदले ही नहीं गये हैं और अगर बदले जाते थे मान्यवर तो स्थिति यह होती थी कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन के अन्दर फिर कब वह फुंक जाय भरोसा नहीं, यह स्थिति आ जाती थी। मान्यवर, अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि तीन घण्टे, एक घण्टे, सात घण्टे तमाम तथ्यों से वह वर्णन कर रहे थे, हम तो समझते हैं कि अभी भी वह हैं गोवर की स्थिति में हैं, अपने ही शासनकाल की स्थिति को याद कर के बोल रहे हैं, वही उनको याद है, इसके अलावा उनको नहीं दिख रहा है कि प्रदेश किस स्तर पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वह मैट्रो हो, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो मान्यवर, पिछले दो वर्षों से कुछ ऐसी स्थिति यह भी आई कि केन्द्र में जाने कौन साहेब बैठ गये हैं कि भगवान भी रूठ गया है, बारिश नहीं हो रही है, अब जब बारिश नहीं हो रही है, मुझे याद है कि जब 2012 में सरकार बनी थी तो दो साल इतनी अच्छी वर्षा हुई थी, लेकिन जैसे ही जाने कौन से साहब आ गये कि भगवान भी रूठ गया, बारिश नहीं हो रही है, इस कारण भी इस समय थोड़ी सी दिक्कत है, कृषि क्षेत्र में भी जिस तरह से इतना ज्यादा ट्यूबवेल और उसका उपयोग हो रहा है कि हो सकता है कहीं न कहीं कमी हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मान्यवर कि जो कुछ भी अमूल–चूल सुधार किया गया है, वह मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है और इसके लिए मैं अपनी सरकार को और अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को हृदय से आभार, धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, यह तस्वीर इस संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश का जो ऊर्जा पूल है वह छः हजार मेगावाट का है और अमूमन ट्वीटर पर भी मा0 मुख्य मंत्री जी और गवर्नमेण्ट की तरफ से यह मैसेज आता है कि आज साढ़े तीन हजार मेगावाट केवल दिया गया, कभी चार हजार मेगावाट दिया गया, आप केन्द्र की सरकार

हमको जो हमारे पूल का है, छः हजार मेगावाट वह भी नहीं देती है मान्यवर और यहां पर बात करते हैं, अभी हमारे आदरणीय विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य यह कह रहे थे, आदरणीय निगम जी ने बहुत अच्छे तथ्यों से बात रखी, उन पर यह कह रहे थे कि आप सदन में तो कह सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर आप यह चीज नहीं कह सकते हैं मान्यवर इसी पर मैं कहना चाहूंगा कि सदन के बाहर तो आप भी नहीं कह सकते हैं, आप की स्थिति तो चौराहों पर खड़े होकर बोलने लायक नहीं है, क्योंकि जो आपने 2014 में फूल सुंघाया, उसका नशा जो चढ़ा था, वह 25 परसेण्ट तो दिल्ली विधान सभा में ही उतर गया, केजरीवाल जी ने नशा उतार दिया, 25 परसेण्ट आपका नशा बिहार में उतर जायेगा और जो कुछ बचा नशा है वह आगे उतर जायेगा, आप खुद कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और रही बात हमारे मुख्य मंत्री जी की वह तो जिस तरह से काम कर रहे हैं निचले स्तर से रिक्शा चालकों के बारे में समाजवादी सरकार सोंच रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में सोंच रही है, बाहरी निवेश के क्षेत्र में सोंच रही है, चौतरफा प्रदेश का विकास हो रहा है। मान्यवर और अभी मैं एक समाचार–पत्र का भी उल्लेख करना चाहूंगा, अभी समाचार–पत्र में आया कि भिवण्डी में जो वहां पर कताई मिलें हैं,

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बीच में चर्चा में व्यवधान न डालें और जो पीठ के निर्देश हों, उनका अनुपालन करें। एक सदस्य सत्ता पक्ष का और एक सदस्य विपक्ष का बोलाया जा रहा है और इस तरह से लगातार टीका–टिप्पणी करना कतई ठीक बात नहीं है।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मान्यवर, अभी समाचार–पत्र में आया कि भिवण्डी में जो कतई मिल चल रही हैं, वह पूरी तरह से बन्द हो चुकी हैं और भिवण्डी कौन सा प्रदेश है वहां पर कौन सी सरकार है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, यदि मैं अपने जनपद इलाहाबाद की बात करूं तो हमारे जनपद में विद्युत आपूर्ति शहर में 21 घण्टे हो रही है जो सराहनीय है। हमारे क्षेत्र सोरांव अन्तर्गत टाउन एरिया मऊआइमा में 12 से 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है। वहीं ग्रामीण फीडर में स्थानीय समस्याओं के कारण कहीं–कहीं शिकायतें हैं जिसका तत्काल निवारण करने का प्रबन्ध किया जाता है। मा0 मुख्य मंत्री जी जहां एक ओर 300 से अधिक नये विद्युत उपकेन्द्रों का पूरे प्रदेश भर में न सिर्फ निर्माण अपितु लोकार्पण भी कर चुके हैं वहीं दूसरी ओर मेजा और करछना में बिजली घर बनकर तैयार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, टाण्डा विद्युत केन्द्र का विस्तारीकरण किया गया है। साथ ही ललितपुर एवं अनपरा–डी आदि द्वारा व्यापक विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। हमारी सरकार और हमारे नेता मा0 मुख्य मंत्री जी ऊर्जा के क्षेत्र के प्रति बहुत गम्भीर हैं जिसके फलस्वरूप हमारी सरकार द्वारा गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाये जाने के लिये आमूल–चूल प्रयास किये गये हैं और इस हेतु सरकार ने जो 500 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें विभिन्न सौर ऊर्जा

इकाइयों ने उत्साहवर्धक निवेश किया है जिसके परिणामस्वरूप आज 500 मेगावॉट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इस हेतु मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मान्यवर, केवल एक मिनट, एक मिनट में अपनी बात कह लूंगा। अधिष्ठाता महोदय, अन्त में मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि बढ़ती ऊर्जा की मांग को देखते हुये प्रदेश में नरौरा के पश्चात् कुछ नये परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित किये जाने अति आवश्यक हैं। साथ ही मैं पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि सन् 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 20 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और इस हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध है। अन्त में मैं सम्पूर्ण ऊर्जा विभाग सहित मा0 ऊर्जा मंत्री श्री यासर शाह एवं मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे सराहनीय एवं क्रान्तिकारी कदमों की प्रशंसा करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे ऊर्जा विभाग की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है और मैं एक–दो

(इस समय 03 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

सवाल कर रहा हूं। मैंने 31 मार्च, 2013 को 9 लाख रुपये गोपालपुरा एक गांव है वहां के ट्रांसफार्मर के लिये दिया और हरौली के ट्रांसफार्मर के लिये 2013 में 31 मार्च को विद्युत विभाग में पैसा पहुंच गया था लेकिन आज शायद लगभग 15, 16 महीने हो रहे हैं उस गांव में अभी तक विद्युत ट्रांसफार्मर, मेरी निधि से जो हमने पैसा दिया था, नहीं रखा गया है। पिछली गर्मी की फसल में मैंने अपनी माधौगढ़ विधान सभा में कम से कम 22–25 गांव में तूफान के कारण लाइट के खम्भे टूट गये जिसके लिये मैंने जिलाधिकारी को एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत को एक बार नहीं चार–चार बार लिखकर दिया लेकिन वह लाइन आज तक नहीं बनी। अध्यक्ष जी, इसी तरह से पिछले सदन में हमने 6–7 महीने पहले आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध किया था कि उरई नगर के पास दौलतपुरा गांव है वहां मनीष द्विवेदी नामक एक व्यक्ति ने अपने ट्यूबवेल के लिये लगभग 5 साल पहले विद्युत विभाग के नलकूप का जो एस्टीमेट होता है उसको जमा कर दिया। सैकड़ों बार जिलाधिकारी के आदेश करने के बाद भी आज भी उसमें विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरह से सरकार विपक्ष के किसी भी सदस्य के बोलते समय हमेशा यह कहने लगती है कि सरकार बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, बिजली विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि माधोगढ़ विधान सभा में लगभग 8 महीने से

विद्युत लाइन टूटी पड़ी हैं, 20 गांव में आप जांच करा लें और यह भी बता दें कि कितने दिन में ठीक करा देंगे। दूसरा, 15 महीने हो गये, मैं अपनी निधि से पैसा दिया है आज तक उन गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है और उसके विद्युत बिल आज भी आ रहे हैं, जबरन वसूली की जा रही है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों में भले ही आपका रोस्टर 48 घण्टे का है लेकिन एक–एक वर्षों से जिन गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं हैं, जिनमें खम्भे नहीं हैं उन गांवों में विद्युत बिल आ रहे हैं तो क्या आप उनको खत्म करायेंगे। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले सदन में भी यही बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि 7 महीने हो गये लेकिन हमारी विधान सभा के 20 गांवों में जो तूफान के द्वारा विद्युत पोल टूटे पड़े हैं न तो वे ठीक हुये और न ही 15 महीने पहले अपनी निधि से जो मैंने पैसा दिया था ट्रांसफार्मर के लिये वे ही लगे हैं और विद्युत बिल बराबर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन बिलों के लिये कुछ व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

(कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक साथ खड़े होकर बोलने के प्रयास से व्यवधान की स्थिति)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, चर्चा का समय और बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

हमने आधा घण्टा बढ़ा दिया था अब एक घण्टा हो गया। अब इससे ज्यादा कितना समय बढ़ा दें। [४]एक चीज हम यह करा देंगे आप लोग लिख कर दे दें मैं चर्चा में जुड़वा दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आधा घंटा और बढ़ा दें। इधर से दो और उधर से एक सदस्य बोल ले।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जिद न करिए अब बहुत हो जायेगा। डा0 अयूब जी दो मिनट बोल लें। अभी गन्ना पर भी बोलना है, आप लोग उस पर बोल लीजिएगा।

'डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बिजली पर चर्चा करने के लिए समय दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिजली एक तो जीवन यापन के लिए जरूरी है दूसरे विशेषकर बुनकर जो रोजगार देता है, बुनाई जो रोजगार देती है, दस्तकारी जो रोजगार देती है, कृषि के बाद सबसे बड़ा यह रोजगार देता है और बुनाई तथा दस्तकारी बिना बिजली के हो नहीं सकती है, ये बिजली पर आधारित हैं। मान्यवर, ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग प्रदेश के इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं और रोजगार भी देते हैं। ऐसे में

---

४ (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ–221–231 पर)

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें 2 घण्टे 4 घण्टे में जो बिजली मिलती है तो बिजली की रोशनी न मिलने के साथ–साथ वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से इस पर सरकार का संज्ञान चाहता हूं। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी लकड़ी के खंभे पर बिजली की सप्लाई हो रही है, उदाहरण के रूप में हमारे अपने विधान सभा में खलीलाबाद मगहर और जूरी गांव में लकड़ी के खंभे पर बिजली सप्लाई हो रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट करता हूं। आपूर्ति की जहां तक बात है, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, हमारे विधान सभा क्षेत्र में, बहुत सारे मजरे हैं, उनमें आजादी के 68 साल हो गए, मगर उनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन मजरों में बिजली दिला दी जाए। मैं बिन्दुवार, एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं और बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं माननीय अध्यक्ष जी, जहां उन्होंने एप्लीकेशन दी है, प्रार्थना–पत्र दिया है, बिजली कनेक्शन के लिए और उस प्रार्थना–पत्र के आधार पर उनका बिल तो आ रहा है, लेकिन उन्हें बिजली अभी तक नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं, जिनका बिजली का बिल आ रहा है, मगर उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी जो सबसे बड़ी समस्या है कि 2012 में हमने अपनी विधायक निधि से बिजली लगवाने के लिए बिजली डिपार्टमेण्ट को जो पैसा दिया हुआ है। तीन गांवों के लिए अभी भी 2012 का पैसा दिया हुआ, लेकिन उनमें अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं आया है। इसके मुतल्लिक हमने विद्युत विभाग को और मंत्रालय को पत्र लिखा है, पर अभी तक वहां पर बिजली नहीं लग पायी है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जहां न्यूट्रल के तार लोहें के लगे हैं, इससे पूरे गांव में यदि बिजली सप्लाई हो भी रही है तो उन्हें प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। एक और आखिरी बिन्दु है, हम बहुत समय नहीं लेंगे मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि लोहिया चयनित गांव हैं, वर्ष 2013–14 और 2014–15 जो लोहिया ग्राम चयनित भी हुये हैं, उनमें भी बिजली का कोई काम नहीं हुआ है, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि कम से कम जो लोहिया ग्राम चयनित हुए हैं, उनमें बिजली का काम हो जाए। आपने मुझे बिजली पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

एक घण्टे की चर्चा थी, एक घण्टे से बढ़ाकर डेढ़ घण्टा किया और एक घण्टा 25 मिनट चर्चा हो गयी अब मंत्री जी बोलेंगे। जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, वह लिख कर दे दें मैं प्रोसीडिंग में जुड़वा दूंगा और कल छप जायेगा फिर आप अपना दिखा लीजियेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी आपसे यह अनुरोध है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मात्र आधे घण्टे के लिए और बढ़ा दीजिये। अति कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोलेंगे प्रोसीडिंग में लिखा जायेगा। मैं कह रहा हूं कि[४] आप लिखकर दे दीजिये प्रोसीडिंग में लिखवा दूंगा तो इसमें बहुत लोग दे सकते हैं, सारे लोग दे देंगे, मैं लिखवा दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर आधा घण्टा दे दें और आधे घण्टे के बाद जो बचें उनका लिखवा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्तर पर एक आदमी बहुजन समाज पार्टी से एक आदमी भारतीय जनता पार्टी से और एक आदमी कांग्रेस का बोल ले।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि इसमे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इसीलिए मान्यवर, सदस्यों की रुचि है कि इसी बहाने उनके क्षेत्र की जो समस्या है वह आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में चली जायेगी इसलिए अति कृपा होगी यदि आधे घण्टे का समय और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष–

आधे घण्टे का बढ़ायेंगे तो 15 मिनट उसमें मंत्री का भाषण होगा और 15 मिनट आपका होगा।

'श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सीधे–सीधे अपनी बात बिन्दुवार रखूंगा और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह इसको गम्भीरता से देंखें। माननीय मंत्री जी हमारे यहां आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत अवस्थापना का काम चल रहा है, 169 करोड़ रूपये का यह काम है। बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां जो सामान लग रहा है वह सामान जिस जगह लगना चाहिए और जहां अपेक्षित स्थान है उसकी जगह आपस में मेल जोल मिलाकर भ्रष्ट आचरण करते हुए जो निजी फायदे की जगह हैं वहां पर यह सामान स्थापित कराया जा रहा हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि एक उच्च स्तरीय जांच करा दें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा नगर फिरोजाबाद टी0टी0जेड0 एरिया में आता है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 24 घण्टे निर्वात विद्युत आपूर्ति के लिए आदेशित है लेकिन इसके बाद भी आप जानकारी ले लें कि दिन में 03 घण्टे और रात्रि में 03 घण्टे की विद्युत कटौती हो रही है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के प्रतिकूल है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारा फिरोजाबाद नगर अतिभारिता, ओवर लोडिंग का शिकार है। 220 के0वी0 का सब स्टेशन है आफसाबाद वहां 100 एम0वी0ए0 के 03 ट्रान्सफार्मर लगे हुए हैं उसमें से 160 एम0वी0ए0 के दो ट्रान्सफार्मर का आर0ई0सी0 हो गया है। डिजाइन सर्किल से यह अलाटमेन्ट होना बाकी है अगर यह दो

---

४ (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ–221–231 पर)

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्रान्सफार्मर आ जायेंगे तो विद्युत आपूर्ति ठीक हो जायेगी। हमको राजस्व की प्राप्ति होगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नगर फिरोजाबाद में विद्युत चोरी अभियान के नाम पर विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारी निजी लोगों को साथ रखते हुए जनता का बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं। हद तो यह है कि रात्रि के समय भी अनेक स्थानों पर अकेली महिलाओं के घर रहते जबरन घरों में घुसकर चेकिंग करी गयी और संगठित रूप से एफ0आई0आर0 का भय दिखाकर जनता से अवैध वसूली की जा रही है। मैं तत्काल ऐसी दोषी अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच की मांग करता हूं एवं इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं। मान्यवर इसके अतिरिक्त 13वें पारेषण प्लान में फिरोजाबाद जिलें में 03 बिजली घरों की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है जिसमें नगर फिरोजाबाद के लिए 400 के0वी0 क्षमता, टुंडला के लिए 220 के0वी0 क्षमता एवं नारखी के लिए 132 के0वी0 क्षमता के बिजली घर स्वीकृत हुए हैं परन्तु इनके लिए अभी तक भूमि चयनित नहीं हुई है तत्काल इनकी भूमि उपलब्ध करायी जाये जिससे कि कार्य आगे बढ़ सके। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारे फिरोजाबाद में टुण्डला उसायनी में 132 के0वी0ए0 के सबस्टेशन की स्थापना हो रही है लगभग 50 प्रतिशत का काम पूरा हो चुका है इसमें फाउण्डेशन का काम लगभग 70 प्रतिशत हो चुका है अभी हमें बिजली घर के लिए चैनल पीटी, सीटी, एलए जो सामान है उसकी आपूर्ति और टावर पार्ट जो विद्युत की लाइने हैं सामान की भी अगर आपूर्ति हो जाती है तो जनपद की विद्युत व्यवस्था सुधारने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। सिरसागंज में जो 220 केवीए का सबस्टेशन हमारे यहां स्थापित हो रहा है वह पूरा बिजली घर बनकर तैयार है और उसमें अगर कोई कमीं हैं तो वह फाउंडेशन का काम पूरा हो गया है, बस लाइनों की कमीं हैं। लाइनपार्ट अभी अधूरा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि सिरसागंज के बिजली घर के लिए भी लाइनपार्ट की व्यवस्था करा दें। इसके अतिरिक्त एक ऐसी समस्या आपको बताना चाहता हूं जनपद फिरोजाबाद में और प्रदेश में यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो आउटरस्कट है जो शहर की बाहरी आबादी है वहां के विद्युत अधिकारी विद्युत अवस्थापना का कार्य नहीं करा रहे हैं कारण बताया जाता है कि वहां अनएथराइज कालोनी है। मंत्री जी मैं आपका ध्यान चाहता हूं अनएथराइज कालोनी के नाम पर वहां काम नहीं हो रहा है विकास प्राधिकरण कोई कालोनी नहीं बना रहा है, कोई योजनाबद्ध ढंग से विकास हो नहीं रहा है। लोगो ने अपने निजी प्लाट काटकर अपने रहने का साधन बनायें हैं उन इलाको में बांस बल्ली से या लम्बी केबिल खीचकर विद्युत आपूर्ति होती है तो वहां अवस्थापना का काम यह कहकर नहीं करा जाता है कि यह कालोनी अनएथराइज है। आपसे मेरा अनुरोध है कि इसके लिए एक नियमावली बना दें तथा नगर फिरोजाबाद के साथ–साथ प्रदेश के लाखों नागरिकों को बिजली आपूर्ति के लिए सुचारु एवं उपयुक्त अवस्थपना की सुविधा उपलब्ध करा दें। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

श्री नीरज कुशवाहा मौर्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जो नियम–56 पर मैने सूचना दी थी उसे स्वीकार मुझे उस पर बोलने का

अवसर प्रदान किया। मान्यवर, पूरे डेढ़ घन्टे से आज इस सदन में यह चर्चा चल रही है चर्चा में निकल कर आया है कि पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुधारने की सख्त आवश्यकता है और इसमें विशेष करके जो जर्जर लाइने हैं किसानों के लिए अलग से फीडर के साथ–साथ उनकी लाइने भी अलग से बनाई जायें तभी सही मायने में सुधार आने की गुंजाइश नजर आयेगी। हम अपने क्षेत्र के बारे में कुछ आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं हमारे तहसील जलालाबाद में विद्युत सप्लाई ठीक नहीं आती जबकि शाहजहांपुर में बिजली उत्पादन भी होता है। शाहजहांपुर में रोजा के अन्दर वहां पर बिजली उत्पादन भी हो रहा है लेकिन जलालाबाद के अन्दर जो रोस्टर सरकार ने फिक्स किया है उस रोस्टर के मुताबिक भी आज लाइट नहीं आ रही है और जो यह बात निकलकर आई कि जो रोस्टर आप निर्धारित करते हैं अगर वह 4 घंटे का है दो बार में है तो कहीं 4–4 घंटे का दो बार में है तो कम से कम सरकार यह सुनिश्ति कराये कि जो रोस्टर आपने तय किया है उसके बीच में कटौती नहीं की जायेगी लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो पा रहा है इसमें सरकार को बहुत गम्भीरता से दिखवाने की आवश्यकता है। दूसरा जो विषय है ट्रान्सफारमर का अभी तमाम लोगों ने कहा कि ट्रान्सफारमर नहीं आ रहे है उधर साथियों ने कहा कि हमारे यहां ट्रासफारमर 24 घन्टे में लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां एक इस्लामगंज गांव है इसमें डेढ़ दो महिने से वहां के लोग कई बार धरना कर चुके कई बार तहसील का घेराव कर चुके लेकिन ट्रान्सफारमर बदलने का काम नहीं किया जा रहा है। जब मैंने वहां इसमें अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफारमर की क्षमता कम है और वहां पर कनेक्शन ज्यादा है इसलिए वह जल जाता है तो हमने कहा कि आप उसकी क्षमता बढ़ा दीजिए तो क्षमता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कोई न तो प्रयास किया और न सही उत्तर दिया इससे ऐसा लगता है कि सरकार का कहीं पर बिजली विभाग में ऐसा अंकुश नहीं है कि जो बात यहां सदन में कही जा रही है उसको अक्षरशः जमीन पर लागू कराया जाय। जनपद शाहजहांपुर में बिजली बन रही है और उसके बाद भी चूंकि जर्जर लाइने हैं, पुरानी लाइने हैं इसलिए नगर के अन्दर सुचारु रूप से विद्युत व्यवस्था नहीं चल पा रही है। मैं आपके माध्यम से जो आपने चर्चा कराई है मैं चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लेते हुए विद्युत व्यवस्था सही कराई जाय। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री प्रदीप चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे विद्युत जैसे महत्वपूर्ण मुददे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं लम्बी–चौड़ी बात न करते हुए सीधे–सीधे जो मसले हैं, उनके संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गंगोह विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं। गंगोह विधान सभा आर0ए0पी0डी0आर0जी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ। वहां पर बहुत सारे ट्रांसफारमर लगे, तार और खम्भे लगे, लेकिन वहां पर जितना काम पूरा होना चाहिये था, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। गंगोह के अन्दर अभी भी ऐसे स्थान हैं, जिन स्थानों में खम्भे लगने थे, तार बदले जाने थे, लेकिन वहां पर खम्भे और तार पूरी तरीके से बदले नहीं गये हैं। सबसे पहले

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह खम्भे तार जिस आर0ए0पी0डी0आर0जी0 योजना के अन्तर्गत आ रहे थे और बदले जाने थे, तो उसको पूरा कराया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगोह के अंदर 132 के0वी0 का बिजली घर बना हुआ है। नानौती गंगोह तक 132 की लाइन जो जानी थी, वह बहुत दिनों से पेण्डिंग पड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, उस लाइन का काम पूरा नहीं किया गया है, कृपया इस काम को पूरा करा दिया जाये। तीसरी बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे किसानों ने कनेक्शन के लिए जो आवेदन किये हैं, वह लम्बित पड़े हुये हैं, लम्बे–लम्बे समय का लक्ष्य अभी भी बाकी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो लक्ष्य पेण्डिंग पड़ा है अतिशीघ्र उस लक्ष्य को बढ़ाकर उनके कनेक्शनों की पूर्ति कराई जाये। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर क्योंकि बिजली का सीधा सम्बन्ध विकास और जन जीवन से होता है, ऐसे विषय पर मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, अभी माननीय अधिष्ठाता जी आसन पर थे, तब इस पक्ष की ओर से कई बार यह बात आई कि प्रदेश में बिजली रोस्टर के हिसाब से ही जा रही है, 24 घण्टे दी जा रही है, रोस्टर–ओस्टर के विषय में मैं नहीं जाता। मैं टी0टी0जेड0 एरिया से आता हूं, आगरा से आता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि 24 घण्टे आगरा को बिजली सप्लाई की जाये, लेकिन इनका कथन सत्य नहीं है। एक कहावत है कि एक सत्य की जगह असत्य होता है और उससे बड़ा सफेद असत्य होता है और अगर इससे भी ऊपर का दर्जा किसी को दिया जाये तो उसे समाजवादी पार्टी का असत्य कहना चाहिये।

(श्री योगेश प्रताप सिंह एवं सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर टोका–टाकी करने पर)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, समाजवादी असत्य, समाजवादी असत्य और समाजवादी असत्य। सुन लीजिये, मैं तथ्यों से कहूंगा इसको। तथ्य सुन लीजिये। मान्यवर, आगरा में यह एस0एम0एस0 मेरे मोबाईल में है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के एस0एम0एस0 आते हैं। जिनमें आगरा में एक–एक दिन में कई बार तीन–तीन, चार–चार घण्टों की बिजली कटौती के संदेश होते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आप इसको खुद दिखवा लेंगे। हम इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते है। मुझे लगा यह शब्द आपत्तिजनक है। कृपया इसे आप दिखवा लीजिये और कार्यवाही से इसको निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

हम इसको दिखवा लेंगे और अगर आपत्तिजनक है, तो इसको निकलवा देंगे। श्री उपाध्याय जी, कृपया आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आगरा की एक घटना का उल्लेख करते हुए कहूंगा कि आगरा में तीन घण्टे लगातार बिजली न आने के कारण एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा के चिल्ड्रेन वार्ड की आई0सी0यू0 में तीन बच्चों की डेथ हो गई। अगर बिजली आ रही होती, तो मत्यु कहीं होती। आगरा में बिजली न आने का यही कह रहा हूं। अगर बुरा लगता है तो निकालिये और अच्छा लगता है तो रखिये। सुधार करिये, इसलिये मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है। अब श्री अमर पाल शर्मा जी आप संक्षेप में अपनी बात रखिये। इसके बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे। सदन को गुमराह न कर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार करें।

'श्री अमर पाल शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता। मैं आपके माध्यम से मानीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी बात पर गौर करें, संबंधित अधिकारी भी यहां बैठे हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, साहिबाबाद विधान सभा पूरे देश की सबसे बड़ी विधान सभा है। अभी कौन क्या कह रहा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हमारे नेता ने सारी बात रखी है, मैं तो अपने क्षेत्र की बात कहना चाह रहा हूं कि आप अपने अधिकारियों से जानकारी कर लें कि वहां कितनी बिजली और किस तरीके से मिलती है। कल मैं एम0डी0 साहब से भी मिला था और वहां का रोस्टर मैंने जानना चाहा, वहीं उनके सामने टेलीफोन मिलाकर बात कराई कि यहां का रोस्टर क्या है। वहां की स्थिति यह है कि ज्यादातर 10 मंजिल, 12 मंजिल, 8 मंजिल की बिल्डिंगे हैं, अगर वहां बिजली नहीं आती तो पानी नहीं मिलता है क्योंकि उस क्षेत्र में हैण्डपंप नहीं हैं। वहां की स्थिति यह है कि चार–चार दिन में कभी दो घन्टे, कभी एक घन्टे बिजली आती है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के अंदर कुछ कालोनियां हैं, जिनमें कुछ अधिकारियों के द्वारा खुलेआम लूट मचाई जा रही है। मेरे क्षेत्र की बात आप गौर से सुन लें, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। एक अधिकारी वहां पर अमित कुमार, एस0डी0ओ0 हैं, जो खुलेआम अपना प्राइवेट लड़का रखता है और पहले मीटर चेक कराकर वह मीटर में प्लास से कट मारकर आते हैं, दुबारा से वह पुलिस को साथ लेकर जाता है और फिर कहता है कि आपके मीटर में कट है, या तो आप 50 हजार रुपया दीजिये नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा और कहीं न कहीं 10 से 15 हजार पर समझौता हो जाता है। इस प्रकार आम जनता और जो कालोनियों में रहने वाले लोग हैं, इस वातावरण से बड़ी त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। इस अधिकारी से मैंने भी दो–तीन बार बात की, उसका व्यवहार इतना गलत है, माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारे साथ उसका इतना गलत व्यवहार होगा तो आम जनता के साथ वह अधिकारी क्या करता होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी वहां की कालोनियां हैं, उसमें

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो यह सिस्टम चल रहा है कि प्राइवेट लोग रखकर के इस तरह का काम किया जा रहा है, ऐसे सब लोगों को हटाया जाय और मिलेट्री के जो रिटायर्ड मेम्बर्स हैं, उनको रखा जाय, यह अधिकारी प्राइवेट लोगों के साथ वहां पर खुलेआम लूट मचा रहे हैं और चौकी की 1–2 पुलिस इनके साथ होती है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें। जहां तक बिजली की बात है, गाजियाबाद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देता है और गाजियाबाद की स्थिति क्या है, कहने की जरूरत नहीं है। आपमें से भी बहुत सारे लोग जब वहां जाते होंगे तो हकीकत अपने आप पता लग जाती होगी। मैंने धरना–प्रदर्शन की बात की तो वहां पर रोज मटके फूटते हैं। रोज वहां पर आन्दोलन होते हैं। हर आदमी ने गाजियाबाद को एक ऐसा अड्डा बना लिया है, मैं तो अधिकारियों से यह कहना चाहूंगा कि वहां पर पिकनिक मनानी है और फिर वहां जाना है, ट्रांसफर पोस्टिंग करानी है और फिर वहां से पैसा कमाकर लाना है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जब गाजियाबाद सबसे ज्यादा राजस्व देता है और वहां का चाहे राजेन्दर नगर हो, शालीमार गार्डेन हो, वसुन्धरा हो, वैशाली हो, वहां पर आपने 24 घन्टे बिजली देने का वायदा किया था। यह बिजली आप दें ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब चर्चा शुरू हुयी तो कुछ कहने से पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग और ऊर्जा आज हमारी मूलभूत सुविधा और हमारी मूलभूत जरूरत है और बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं हो सकता है और इस बात को समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि बिना ऊर्जा के प्रदेश का विकास कतई नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बधाई हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की है कि ऊर्जा विभाग का जो बजट 8 हजार करोड़ का था, उसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ का किया गया है, इससे ज्यादा बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। कुछ भी कहने से पहले माननीय अध्यक्ष जी, इस बात की तस्दीक होनी चाहिये कि इतनी गंभीर ऊर्जा विभाग के प्रति और प्रदेश की जनता को ऊर्जा देने के प्रति यह प्रदेश की सरकार है, इसके पहले और कोई अन्य सरकार इतनी गंभीर नहीं रही। मैं यह नहीं चाहता कि बहुत लम्बा भाषण हो, क्योंकि भाषण तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा, मुझे आता भी नहीं है और मैं पहली बार आपके सामने बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने सभी के प्वाइंटस नोट किये हैं जो कुछ आप लोग कह रहे थे, एक बड़ा विषय जो इस समय हाउस में कन्फ्यूजन क्रियेट कर रहा है, कभी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य, कभी भाजपा के सदस्य, कभी काग्रेंस के सदस्य और कभी किसी और पार्टी के सदस्य खड़े होते हैं और वह बताते हैं कि हमने 16 घन्टे लाइट कही थी, 18 घन्टे कही थी, हमने 20 घन्टे कही थी, हमने नगरपालिकाओं में 18 घन्टे कही थी, ऐसा हमारी बहन ने प्वाइंट आउट किया। हमारे आदरणीय नेता विपक्ष खड़े हुये और उन्होंने बहुत अच्छी–अच्छी बातें कही और बड़ी संजीदगी से उन्होंने यह बताया कि उन्हें प्रदेश में ऊर्जा की कितनी चिन्ता है, उनको कितनी चिन्ता है कि कितने ट्रांसफारमर जल रहे हैं, उन्हें कितनी चिन्ता है कि कितने

घन्टे सप्लाई मिल रही है। उनको कितनी चिन्ता है कि कितनी विद्युत चोरी हो रही है, समस्या यह नहीं है मा0 अध्यक्ष जी कि उनको चिन्ता है मुझे पता है कि इनको चिन्ता होगी लेकिन समस्या यह है कि इनको चिन्ता साढ़े तीन साल बाद हुई अगर यही चिन्ता और यही दर्द इनको साढ़े तीन साल पहले होता तो शायद ये यहां से वहां ना जाते। मैं आपकी आज्ञा से एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं और वह है कि प्रदेश सरकार का रोस्टर कितने घण्टे बिजली आपूर्ति करता है। ग्रामीण अंचलों में 10 घण्टे, तहसीलों में 12 घण्टे, जनपदों में 15 घण्टे, बुन्देलखण्ड में 15 घण्टे, मण्डल हेडक्वार्टर में 18 घण्टे, महानगरों में 20 घण्टे तथा उद्योग, टी0टी0जेड0 एवं अन्य क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है रोस्टर के अनुसार। इस विद्युत आपूर्ति के लिए जो मैक्सिमम हमारा लोड होता है जो रिस्ट्रिक्टेड आर0डी0एम0 होता है वह होता है 12 हजार 500 मेगावाट, जो कि करीब 275 मिलियन यूनिट के आसपास जाता है। इसके विरुद्ध हमें आज की तारीख में निम्न स्रोतों से विद्युत प्राप्त होती है वह भी रिस्ट्रिक्टेड डिमाण्ड को पूरा करने के लिए, वह स्रोत हैं केन्द्र सेक्टर से आयात होता है करीब 5 हजार मेगावाट, प्रदेश में जलीय और तापीय से जो अपना उत्पादन होता है वह है करीब साढ़े तीन हजार मेगावाट के आसपास है, प्रदेश में स्थापित आई0पी0पी0 जैसे लैन्को, बजाज, रोजा, अलकनन्दा, इनके द्वारा करीब ढाई हजार मेगावाट और एनर्जी एक्सचेंज बैंकिंग और द्विपक्षीय जो समझौते होते हैं उनसे क्रय किया जाता है करीब 14 सौ मेगावाट के आसपास। कुल मिलाकर जो हमारी विद्युत जरूरत है 12 हजार 500 मेगावाट के सापेक्ष हम लगभग 12 हजार 500 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति इन स्रोतों से कर पाते हैं। इस उपलब्धता से प्रदेश में इन्हीं शिड्यूल के आधार पर आपूर्ति कराई जाती है जो मैंने आपको बता दिया है। नगर पालिकाओं में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए तो कभी सरकार द्वारा कहा ही नहीं गया था, ना तो कल कहा गया और ना ही आज कहा जा रहा है। आप चाहेंगे तो यह शिड्यूल मैं आपको भेज दूंगा यह आपके काम आ जायेगा। मान्यवर, जो प्रदेश में प्रतिबन्धित मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस उपलब्धता को पूरा करने के लिए विद्युत चाहे जहां से खरीदनी पड़ती हो, हम उसे खरीदते हैं चाहे वह मंहगी बिजली हो चाहे सस्ती हो। इसके अलावा जो अन्य त्यौहारों के दिन होते हैं जो राष्ट्रीय पर्व के दिन होते हैं उसमें हम 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराते हैं। मा0 अग्रवाल जी का एक कष्ट था उस पर भी मैं आता हूं। मान्यवर, यह तो शिड्यूल हो गया क्योंकि बार–बार एक चर्चा होती है कि हम लोग कौन सा शिड्यूल कहां पर दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अभी एक बात कह रहे थे ट्रांसफारमर के बारे में तो मैं उनकी जानकारी के लिए सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जब 2012 और 2013 में हमारी सरकार आई तो सरकार के आते ही उस वर्ष हमने डेढ़ लाख ट्रांसफारमर बदलवाये। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रदेश सरकार ने 2012 में इस प्रदेश को 25 हजार करोड़ रुपए के घाटे में छोड़ा हो, जिस प्रदेश सरकार ने इतने घटिया किस्म के कमीशन खा करके ट्रांसफारमर लगवाये हों कि डेढ़ लाख ट्रांसफारमर 6–7 महीने में ही जल गये हों उस सरकार के नेता आखिर दुहाई कैसे देते हैं जनता से हमदर्दी की। ट्रांसफारमर जलने की जो बात हुई मान्यवर, वह इतने घटिया और दो नम्बर के ट्रांसफारमर थे कि जब हमारी सरकार आई तो बहराइच जैसे छोटे से जिले में, जहां कुल

परिवर्तियों की संख्या करीब 14 सौ है वहां पर एक साल में 635 ट्रांसफारमर जल गये, जिन्हें हम आज भी बदलवा रहे हैं। यही कमोबेश हाल पूरे प्रदेश में था, जब डेढ़ लाख ट्रांसफारमर बदलवाये गये तब जा करके स्थिति कुछ बेहतर हो पाई और आज भी स्थिति यह है कि जब ट्रांसफारमर जलते हैं और जब उन्हें देखा जाता है कि कब के लगे हैं तो पता चलता है यह 2012 में लगे थे। यही कष्ट का विषय मा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का था, आपको बहुत तकलीफ हुई इसके लिए क्षमा चाहता हूं लेकिन हमारे अधिकारियों ने तुरन्त आपकी सुनी इसके लिए आपने धन्यवाद तो किया ही होगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

सदन में धन्यवाद दिया था।

श्री यासर शाह–

आपके धन्यवाद को मैं स्वीकार करता हूं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। यही ट्रांसफारमर की परिस्थिति थी, यही लोकल फाल्ट थी जिसकी वजह से सुबह 6.40 पर आपको फोन करना पड़ा जबकि उस दिन पूरे प्रदेश में अनवरत् विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। 24 घण्टे बिजली पूरे प्रदेश में दी जा रही थी और इस बात की तस्दीक आप कर सकते हैं कि यदि आप लोकल फाल्ट को हटा दीजिए तो 15 अगस्त के दिन पूरी विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में की गई। अनपरा, ललितपुर के लिए आपने बहुत चिन्ता दिखाई है, मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी इसका लोकार्पण करके आये थे। जब वह यूनिट चलने लगी तो उस यूनिट में कुछ लोकल फाल्ट आयी। वहीं की फाल्ट थी। बी0एच0ई0एल0 जो केन्द्र सरकार की कम्पनी है उसके द्वारा फाल्टी इन्जीनियरिंग की वजह से ब्वायलर ट्यूब लीकेज हुआ और अब जाकर हम उसको संभाल पाये हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक विद्युत आपूर्ति करने लगेगी तथा ललितपुर भी इस महीने के अंत तक प्रदेश को विद्युत आपूर्ति पूरी करने लगेगी। आपने अभी कहा कि विद्युत बहुत ज्यादा है। मुझे यह पता है कि किसकी भाषा बोली जा रही है माननीय अध्यक्ष जी, यह केन्द्र सरकार की भाषा है। वही केन्द्र सरकार जो 2014 से लेकर अभी तक अदृश्य सपने दिखाती है और वह अदृश्य सपने समाजवादी पार्टी नहीं दिखा सकती। हम प्रदेश की जनता को सिर्फ वही वायदा करेंगे और वही चीज पूरी करने को कहेंगे जो प्रदेश की जनता को दे सकते हैं। (डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के खड़े होने पर) आप बीच में टोकिये मत, अगर आप चाहें तो मैं बैठ जाऊं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह गलत कह रहे हैं, 1500 मेगावाट बिजली भारत सरकार देने के लिए तैयार है लेकिन यह ले नहीं रहे हैं। दूसरे, ट्रांसमिशन लाइन में अगर कैपासिटी नहीं है तो यह गलती भारत सरकार की कहां से हो गयी ? यह कार्य तो प्रदेश की सरकार का है। भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपया और शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए 4 हजार करोड़ रुपया दिया है।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी आप जवाब सुन लीजिए।

श्री यासर शाह–

आप जवाब सुनिये, जवाब सुनने की हिम्मत न हो तो कोई बात ही नहीं है। जो विषय बाजपेयी जी ने उठाया है वही विषय केन्द्र सरकार के मंत्री जी कई बार उठा चुके हैं कि प्रदेश सरकार आखिर बिजली लेती क्यों नहीं है ? हमारे पास इतनी बिजली है हम 1500 मेगावाट और 21000 मेगावाट बिजली देने को तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम लेने को तैयार हैं, समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि टोटल ट्रांसमिशन कैपासिटी जो कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को एलाट की है वह 6000 मेगावाट है आज से पांच दिन पहले हम लोग दिल्ली जाकर 700 मेगावाट बढ़वाकर लाये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

गलतबयानी की जा रही है, जो बता रहे हैं यह गलत है।

श्री अध्यक्ष–

भारत सरकार का जवाब आप देंगे।

श्री यासर शाह–

बीच में मत बोलिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इतनी सारी बातें कही गयी। एक–एक आक्षेप की तरह से बातें कही गयी और चुपचाप सरकार की ओर से सुन करके अब उत्तर आ रहा है तो सुन लीजिए उसको। आपकी बात सुनी गयी। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और जानकारी के लिए दे रहे हैं, आक्षेप भी नहीं कर रहे हैं। जानकारी है इसलिए सुनिये।

श्री यासर शाह–

टोटल ट्रांसमिशन कैपासिटी उत्तर प्रदेश की 6000 मेगावाट है। हम लोगों ने आज से पांच दिन पहले 700 मेगावाट बढ़वायी उसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी टोटल ट्रांसमिशन कैपासिटी बढ़ायी लेकिन 10 साल बाद बढ़ायी और आज भी उत्तर प्रदेश का जो इण्ट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है वह इस हालत में नहीं है कि वह 6700 मेगावाट के ऊपर बिजली अन्य प्रदेशों से ले पाये। आप लोग कह देते हैं और टी0वी0 पर भी कई बार आ चुका है कि हमारे यहां बिजली उपलब्ध है लेकिन ले नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग बिजली लेने के लिए तैयार हैं लेकिन जो तकनीकी दिक्कतें हैं, समस्यायें हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। केन्द्र सरकार से पिछले 08 महीने से यह कोशिश कर रहे हैं, उनसे यह डिमाण्ड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो राज्य पॉवर सरप्लस स्टेट हैं जो राज्य ऐसे हैं जहां पर बिजली उनकी आवश्यकता से ज्यादा है उनसे हमको परमीशन दी जाए बिजली खरीदने की तो 08 महीने से परमीशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। अगर हमको परमीशन आज मिल जाए तो हम 1000 या 1500 मेगावाट आज क्रय कर सकते हैं। (सत्तापक्ष की तरफ से शेम, शेम की आवाजें आयी।) पॉवर सरप्लस स्टेट से हमको आज बिजली खरीदने की परमीशन दे दी जाए तो हम बिजली खरीद सकते हैं और प्रदेश की जनता को बिजली मुहैया करा सकते हैं लेकिन वह परमीशन पिछले एक साल से नहीं मिली है। जो

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के बारे में अभी बात हुई, आर0जी0वाई0 के विषय में कई बार बात हुई। मैं इस सरकार की तरफ से डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को और सभी विपक्ष के साथियों और सत्तापक्ष के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर0ए0पी0, डी0आर0पी0 योजना और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कुछ गांव बच गये हैं करीब 581 या 619 गांव हैं, वह काम दिसम्बर, 2015 तक हर हाल में पूर्ण करा लिये जायेंगे और आप लोग इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिये। प्रदेश सरकार आपसे ज्यादा इस बात के लिए चिंतित है। इस बात के लिये कि प्रदेश की जनता को चाहे वह एक एक गांव हो, कोई मजरा हो कहीं पर भी हो उसको विद्युत आपूर्ति की जाय क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि प्रदेश की जनता का विकास सिर्फ और सिर्फ तब ही हो सकता है जब विद्युत आपूर्ति और मूलभूत सुविधाएं उसके पास पहुंचे और वह उसको इस्तेमाल कर सके। माथुर साहब हैं नहीं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों को हाउस के बाहर बहुत समझाते हैं मैं उनसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो दिनांक तारीखें होती हैं उसमें गोल–मोल न करें। प्रदेश सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि वह 2012 में, 2013 में, 2014 या 2015 में बिजली दे देगी 24 घंटे शहरों में और 16 से 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रदेश सरकार पहले दिन से यह कह रही है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

फिर से इसको दोहरा दीजिये। हम समझ नहीं पाये। मेरे पास समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है। आपने वायदा किया था या नहीं किया था।

श्री अम्बिका चौधरी–

किया था। सुन तो लीजिये।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मेरे पास समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है मान्यवर, और मैं इसे पढ़ देता हूं और माननीय मंत्री जी को याद दिला देता हूं कि इन्हानें बिजली...

(सदस्यों व माननीय मंत्री जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

अरे माननीय मंत्री जी को वाक्य पूरा करने दीजिये। अध्यक्ष जी, यह गलत बात है। उनका वाक्य पूरा होने दीजिये। नहीं मान्यवर, यह गलत हो रहा है। उनका सेन्टेन्स पूरा होने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अरे सरोज जी, उनको बोल लेने दीजिये। बाद में बताइयेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी, पूरी बात आने दीजिये। यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक सेकेन्ड। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय इन्द्रजीत सरोज जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मंत्री हैं। मैं अनुरोध दूसरा करना चाहता हूं। वाक्य अगर सिर्फ वह पूरा सुन लेते तो शायद उनको यह बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि कभी 2012 में इतनी बिजली की गारन्टी उन्होंने नहीं दिया। वह तिथि बता रहे हैं आपको। डेट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अरे मंत्री जी अपनी बात कहिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक मिनट अध्यक्ष जी, उन्होंने तो कहा, कार्यवाही दिखवा लीजिये। अरे सुन लीजिये, आप सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा। अगर आप पहले से मन बनायें हैं तो क्यों सुनें। सुन तो लें उसके बाद उठ जाइयेगा। उन्होंने यह कहा कि हमने कभी यह नहीं कहा था कि 2012 में दे देंगे, 2013 में दे देंगें। घोषणा–पत्र 5 वर्षों का होता है। और वह अभी अपनी बात बता रहे थे कि कब हम 24 घंटे के लिये कह हैं वह यही बात बताने जा रहे थे और यह 2016 की बात है।

श्री यासर शाह–

आपका व्याकुल होना हम समझ सकते हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है कि हमारा घोषणा–पत्र सरोज जी अपने दिल से लगा कर रखे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब सुनिये तो सही।

श्री अम्बिका चौधरी–

कम से कम घोषणा पत्र कोई चीज होती है यह आपको महसूस हुआ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बातें न करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी, यह घोषणा–पत्र हमारा देख कर के ही सही अगर साहस हो तो कभी आगे घोषणा पत्र ले करके आइयेगा।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री यासर शाह–

प्रदेश सरकार का जनता से वायदा यह है कि 2016 में हम ग्रामीण अंचलों में 16 से 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करेंगे। यह हम कहते चले जा रहे हैं। कृपया करके तारीखों में तोड़–मरोड़ न करें। यह व्याकुलता जो हमारे सम्मानित सदस्यों के अन्दर दिख रही है वह व्याकुलता की एक वजह है। वजह यह है कि जब 2012 में हमने कहा कि हम 2016 तक 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करेंगे तो सबने हमारा मजाक उड़ाया। क्यों उड़ाया ? इसकी वजह बता दूं आपको। इतना ज्यादा बर्बाद करके चले गये थे, इतना ज्यादा लूट कर चले गये थे कि इनको

विश्वास ही नहीं था कि कोई ऐसी सरकार भी आ सकती है जो दो साल, तीन साल के अन्दर विद्युत आपूर्ति को पटरी पर जाना शुरू कर देगी। इसीलिये यह व्याकुलता है, इसीलिये इतना परेशान है। व्याकुलता इसलिए है इसलिए इतना परेशान हैं कि कहीं ऐसा न हो कि समाजवादी पार्टी द्वारा किया हुआ वायदा 2016 में पूरा हो जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश जी को इस बात की बधाई दूंगा, मान्यवर, एक शेर है अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं–

मुख़ालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है,
मैं दुश्मनों का भी एहतिराम करता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री जी का आप जितना विरोध करना चाहें कर लीजिए, हमारे प्रदेश की सरकार का जितना विरोध करना चाहें कर लीजिए। हम तो वह हीरा हैं जितना तराशोगे उतना चमकेंगे। आप लोग बिल्कुल चिन्ता मत कीजिए, हमारा 2016 का वायदा है, था और रहेगा। (शोर) पूरी बात कह लेने दीजिए ठाकुर दलवीर सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनकी बात सुनी बहुत अच्छा लगा सुन करके, एक ऐसे सदस्य भी हैं जो हमारे अच्छे कामों की तारीफ करते हैं और बुरे कामों की आलोचना बड़े होने के नाते करते हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने एक बात लाइन लॉसेस की कही, तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको एक बात बताते हुए बहुत प्रसन्नता है मुझे, लाइन लॉस 2012–13 में लगभग 44 प्रतिशत था पूरे प्रदेश में, और आज की तारीख में वह लगभग 32 प्रतिशत रह गया है 12 प्रतिशत लाइन लॉस कम हुआ है। अगले एक साल में हम लाइन लॉस और दस प्रतिशत कम करके दिखायेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

अभी बात हुई थी हरदुआगंज की, काशीपुर पावर प्लान्ट की, मा0 सदस्य हैं नहीं अभी, उन तक सूचना पहुंच ही जाएगी। जो हरदुआगंज का पावर प्लान्ट है उसका टेण्डर हो गया है वह कैबिनेट में जा रहा है, कैबिनेट में जाते ही उसमें काम शुरू हो जाएगा। जो ट्यूबबैल्स के बारे में और भी बहुत सी बातें कही थीं आदरणीय दलवीर सिंह जी ने, मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है, आपके दिल में हमारे लिए आशीर्वाद है, आपका प्यार हम लोगों को मिलता रहता है। जो आपकी बातें थीं उनको हमने सुना और उसको हम पूरा करेंगे और इस बात का हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हर तरह से प्रदेश सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कुछ चन्द बातें अध्यक्ष जी ऐसी हैं जो इस प्रदेश सरकार ने पहली बार करी हैं जो पहले कभी नहीं हुई थीं किसी ने पहले कभी सोची भी नहीं थीं। एस0टी0एन0एस0 कंडक्टर जो कि हाई कैपिसिटी ट्रांसमीशन लाइन होती है चार सौ और 220 की, और एक 132 की, उसकी कैपिसिटी की पूरे प्रदेश में, एक लिमिट होती है, उसमें करंट प्रवाह नहीं कर सकते हैं अगर करंट प्रवाह करते हैं तो टैम्प्रेचर बढ़ता है और लाइन गलकर गिर जाती है। पूरे प्रदेश में किसी भी सरकार ने एस0टी0एन0एस0 की लाइन जो जा रही थी उसकी कैपिसिटी बढ़ाने का काम नहीं किया है। मान्यवर, 684 किलोमीटर कैपिसिटी समाजवादी की सरकार बढ़ाने जा रही है। उसका टेण्डर हो गया है और उसमें ट्रिपिल सी कंडक्टर मंगाकर लगवाए जाएंगे। उससे जो कैपिसिटी आज तीन सौ एम्पियर की थी आने वाले

दिनों में वह कैपिसिटी आने वाले सात–आठ महीनों के अन्दर 600 एम्पियर की हो जाएगी हमें उसमें नये टावर नहीं लगाने हैं नये तार नहीं खींचने हैं कुछ नहीं करना है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इतनी अच्छी सोच उन्हीं की थी जो बुलाकर उन्होंने हमसे कहा। मान्यवर, अनपारा डी की यूनिट, शिकायत सब बहुत कर रहे हैं, कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उद्घाटन करके आए हैं लोकार्पण करके आए थे उसका प्रोडेक्शन शुरू नहीं हुआ, कामर्शियल लोड पर नहीं लाए, तो आप सबको बता दूं कि आप सबकी चिन्ता बहुत जल्दी दूर होने वाली है और तीस तारीख तक, इस महीने के अन्त तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आनपारा डी ऑन लाइन आ जाएगी। मा0 अध्यक्ष जी केवल मैं इतना कहूंगा कि जिन बातों को जिन समस्याओं को हमारे विपक्ष के मा0 सदस्यों ने कहा है उन सबके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है और सिर्फ एक बात कहकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। आपकी जो भी समस्यायें हैं मनीष असीजा जी बैठे हुए थे अभी चले गए, उन्होंने नोट करवाया था, आपने भी कहा, कई लोगों ने अपनी बातें नोट करवाईं उनको पर्सनली देखूंगा और एक बात और बता दूं लोकल प्वाइन्ट के बारे में, धूप, जाड़ा, गर्मी बरसात, आंधी, तूफान, जलजला कोई भी काम हो कोई भी दैवी आपदा हो, कोई भी परेशानी हो जिस धूप में हम लोग अपनी ए0सी0 गाड़ियों से निकलना पसन्द नहीं करते हैं। उस धूप में जून के महीने में वह लाइन मैन खड़ा होकर के हमारी विद्युत विभाग की टीम खड़ी हो करके चाहे जितनी बड़ी फाल्ट हो गई हो उसको सही करता है। उसके लिए वह बधाई के पात्र भी हैं लोकल फाल्ट हो सकती है लेकिन इंसान की एक लिमिट होती है और प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि हर चीज को ऑटोमेट किया जाए और इस बात की तारीफ की जाए जो मेहनत विद्युत विभाग करता है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में प्रदेश सरकार अपने वायदों को पूरा करे। धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर एक मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। यह सभी सदस्यों से सम्बंधित है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा यहां बहुत सारे अधिकारीगण बैठे हैं मान्यवर, प्रायः हम सब सदस्यगण अपने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से पैसा देते हैं गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए लेकिन प्रायः हम लोगों की चर्चा होती है कि इतने वर्ष से पैसा दिए पड़े हैं आज तक विद्युत विभाग विद्युतीकरण नहीं कर पा रहा है अब 2017 चुनावी वर्ष आने वाला है दो–दो, तीन–तीन साल से पैसा लिए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बंध में मैं बताता हूं। इस संदर्भ में विधायकों की भावनाओं को देखते हुए इनके चेयरमैन अग्रवाल साहब और एम0डी0 साहब सब आए थे सबके सामने मैंने यह बात रखी थी कि हम लोग जब पैसा दे देते हैं तो यह दो–दो साल तक काम नहीं होता और पैसा पता नहीं यहां से कहॉ जाता है उसी दिन शायद उन्होंने आर्डर भी कर दिया था और हमको सूचित भी किया था कि अब यह जो आप पैसा जमा करेंगे।

श्री यासर शाह–

मान्यवर, आदेश हो गया है कि जो सांसद और विधायक निधि अब जाती है उसका विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है यह स्थानीय लेबिल पर अब टेंडर हो जाएगा और विधायक और सांसद निधि का तुरन्त काम वहीं पर हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

यह अब हो गया है इसमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। मौर्या जी अभी गन्ना पर है और तमाम विषय हैं इसलिए अब इस पर ज्यादा न चलाइए। यह बजट की चर्चा नहीं है यह तो कार्य–स्थगन है। अब इस पर बात हो गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी मौर्य जी के बोलने के बाद दो मिनट मुझे भी सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने संजीदगी से उत्तर देने का प्रयास तो किया लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अध्यक्ष महोदय जी हमने चर्चा में बोलते वक्त सीधे मंत्री जी से कहा था कि आपकी समय सारणी क्या है उस पर मैं कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाता मैंने केवल इतना कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में तीन घण्टे, चार घण्टे, पांच घंटे, सात घण्टे जो भी बिजली आप देते हैं वह नियमित दीजिए समय सारणी आपने 16 घंटे, 14 घंटे कर दी उससे मतलब नहीं है नियमित बिजली दीजिए जो 10–10, 15–15 मिनट के लिए बिजली जाती है अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके उसको सुनिश्चित कराइए जिससे किसानों के ट्यूबवेल संचालित हों। दूसरी चीज अभी माननीय सरोज जी ने विधायक निधि से विद्युतीकरण की बात उठाई आपके संज्ञान में मैंने पिछली बार भी नियम–51 की सूचना के माध्यम से इस मामले को उठाया था विगत विधायक निधि से मैंने अपनी विधायक निधि का 98 लाख रुपए लगभग 23 गांवों के विद्युतीकरण के लिए दिया इतने लम्बे समय में उन 23 गांवों में एक भी गांव का विद्युतीकरण आज तक नहीं हुआ मैं नेता विरोधी दल हूं मैं शर्म के मारे किसी मंत्री से बात नहीं कर सकता आपसे मैंने एक बार वेदना व्यक्त की उसके बाद बात नहीं की आपके पास सूचना लगाने के बाद मैंने अपेक्षा की थी कि सरकार इस पर गम्भीर होगी कम से कम नेता विरोधी दल की सूचना पर सरकार और अधिकारी उसको कार्यान्वित करेंगे उन 23 गांवों में 4–5 गांव छोड़कर बिजली तो एक भी गांव में नहीं पहुंची हमने यहां के एम0डी0 से बात की पूर्वाचल के एम0डी0 से बात किया दोनों एम0डी0 से बात करने के बाद इस एक महीने में चार–पांच गांवों में केवल सामान गया है अभी वह भी खम्भे में तार नहीं खिंचे और शेष गांव में अभी भी सामान नहीं पहुंचा है। इस तरीके से आपका विभाग है मैं इसकी आलोचना करने की नीयत से नहीं तमाम माननीय विधायकों के विधायक निधि से विद्युतीकरण करने के लिए पैसे दिए गए हैं इसमें तो विभाग को खुश होना चाहिए कि आपके विभाग को विधायक निधि से पैसा जा रहा है जल्दी काम कराएं जिससे और भी कोई विधायक या सांसद काम कराना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी 98 लाख देने के बावजूद भी दो–दो साल तक काम नहीं कराएंगे तो विधायक पर उंगली उठती है कि लगता है कि विधायक गांव वालों से झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1250

मेगावाट है। 1250 हो या 1500 मेगावाट हो जाये, हम केवल इतना चाहते हैं कि आपने जो समय सारिणी तय की है आप दो घंटे–तीन घंटे कम कर दीजिये, लेकिन नियमित बिजली दीजिये, एक चीज मान्यवर। दूसरी चीज, आपने बताया कि डेढ़ लाख ट्रांसफार्मर हमनें बनवाये। सरकार एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत चलती रहती है। जो भी सरकारें आती हैं अपने उत्तरदायित्व से बाहर नहीं जाती हैं। आप छोड़कर जायेंगे तो हम बनवायेंगे। हम छोड़कर जायेंगे तो आप बनवायेंगे और हमारे भाईयों को कभी मौका मिलेगा वह बनवायेंगे। जो भी सरकार में आयेगा वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, लेकिन आपने तो यह कह दिया कि हमनें डेढ़ लाख ट्रांसफार्मर बनवाये। डेढ़ लाख ट्रांसफार्मर बनवाये, उन लोगों के खिलाफ यदि कोई अनियमितता हुई तो कितने एफ0आई0आर0 कराये और उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं से जो आपूर्तिकर्ता हमारी सरकार में ट्रांसफार्मर दे रहे थे उन्हीं सभी आपूर्तिकर्ताओं से आज भी ट्रांसफार्मर लिये जा रहे हैं जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वह ट्रांसफार्मर अगर उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं से लिया जा रहा है तो इसका मतलब सरकार का यह आरोप बेबुनियाद है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्या जी, अब आप समाप्त करें। आपने एक घंटा कहा, लेकिन दो घंटा पन्द्रह मिनट हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, 15 मार्च, 2012 को आपकी सरकार बनी। दो साल में आपने बिजली देने की बात की। 15 मार्च, 2014 को दो साल पूरे भी हो गये और तीसरा भी पूरा हो गया।

(सदस्य श्री रामकरन आर्य द्वारा खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 रामकरन आर्य जी, आप बैठ जाईये। मा0 मौर्य जी, दो घंटे से ज्यादा हो गये, अब समाप्त करें। भाषण तो आप दे चुके हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नियमिति और सुनिश्चित समय सारिणी के मुताबिक बिजली की आपूर्ति करने के लिये क्या मा0 मंत्री जी बाहर से भी बिजली खरीदेंगे ? मान्यवर, यह कहते तो हैं, लेकिन केन्द्र सरकार से बिजली खरीदने के लिये कोई बात नहीं की।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्य जी, अब आप समाप्त करें। आप नेता विरोधी दल हैं। आपके सम्मान में कुछ कहा नहीं जाता तो आपको खुद इसका ध्यान रखना चाहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इन्होंने एक शेर कहा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, इन्होंने भी सुना होगा कि झूठ बोले कौव्वा काटे ऐसे झूठे से डरिये। बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गयी, आप सफाई देते रहिये। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि इस समाजवादी सरकार ने सही

उत्तर न देकर के किसानों के साथ धोखा किया इसलिये बहुजन समाज पार्टी इस सदन से बर्हिगमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री अध्यक्ष–

आप पहले चले गये होते तो हमारा समय बच गया होता।

श्री अम्बिका चौधरी–

उन्होंने शेर पढ़ा कि झूठ बोले कौव्वा काटे, लेकिन उन्होंने दूसरा बिना कहे हुये कर दिया कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो।

श्री अध्यक्ष–

आपने डेढ़ घंटे कहा, लेकिन दो घंटा पन्द्रह मिनट हो गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार सही नहीं बोल रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जब बोल चुके हैं। सरकार से स्पष्टीकरण पूछा जाता है वक्तव्य नहीं होता है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, यह कार्य–स्थगन था यह बजट पर चर्चा नहीं है। कार्य–स्थगन पर क्या कभी ऐसा हुआ है ? यह बजट भाषण नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, अगली मद लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। 32 परसेन्ट लाईन लॉस सरकार कर रही है और 55 परसेन्ट दाम तीन साल में बढ़ा दिये। मान्यवर, सरकार को बिजली देना चाहिए। केन्द्र सरकार बिजली देने को तैयार है, पूरा सहयोग देने को तैयार है, लेकिन यह अपनी अक्षमता छिपाने के लिए केन्द्र सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। सरकार की इस नीति के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों सहित सदन से वहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष–

जब वहिर्गमन ही करना था तो क्यों इतनी देर रुके रहते हैं ?

अब गन्ना पर मा0 सुदेश शर्मा। सुदेश शर्मा जी जल्दी करें। संक्षेप में आप कहेंगे, कुल आधा घण्टा इस पर टाइम है।

'श्री सुदेश शर्मा–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ने पर नियम–56 के तहत् बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों की दुर्दशा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर शायद ऐसा दौर कभी नहीं गुजरा। इधर सरकार कहती है कि यह किसानों की सरकार है। कल भी मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि यह किसानों की सरकार है लेकिन इसी किसानों की सरकार के होते हुए उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 07 हजार करोड़ रूपया किसानों का बकाया है जिसमें मा0 अध्यक्ष जी, मैं मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र से चुन करके आता हूं, वहां के किसानों का 170 करोड़ रुपया बकाया है और मात्र 22 दिन का भुगतान यानी कि 11 प्रतिशत भुगतान मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के किसानों का हुआ है, मोदी शुगर मिल के ऊपर। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं कि जहां पर मात्र 11 प्रतिशत भुगतान हुआ हो किसानों का, वहां के किसानों की बहन–बेटियों की शादियां कैसे हो रही होंगी, वहां के किसानों के बच्चों की क्या दुर्दशा होगी, वहां के किसानों के बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे होंगे, वहां के किसान किस तरीके से अपना जीवनयापन कर रहे होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 170 करोड़ रुपया यह कम बड़ी राशि नहीं होती है, किसी एक मिल के ऊपर और माननीय अध्यक्ष जी, यहीं तक केवल बात नहीं रुक जाती है, ऐसा साल पहली बार हुआ है कि जो किसानों को देरी से भुगतान मिलता था, उस पर ब्याज दिया जाता था, लेकिन इस सरकार ने उस ब्याज को भी माफ कर दिया और जो 2012–13 में किसानों को जो ब्याज का भुगतान हो चुका है, वह भी उसके तहत् किसान को वापस करना होगा। यह फैसला उन्हीं मिल मालिकों के दबाव में सरकार ने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कल मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने मिल मालिकों के ऊपर सख्ती की है, सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाई की गई ? हाईकोर्ट ने आदेश दिए, मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी कितने मिल मालिकों की हुई, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। हमारे यहॉ मोदी शुगर मिल के मालिक, उमेश कुमार मोदी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, 420, 3/7, बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पिछले साल भी मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी भी मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उमेश कुमार मोदी को तो छोड़िए, किसी एक छोटे–मोटे कर्मचारी या मैनेजर की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त भी वहीं उसी मिल की कुर्सी पर बैठकर के अपने कार्य को चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। कानून का जहॉ मजाक उड़ाया जा रहा है, वहीं जो आज किसान की दुर्दशा है, मैं समझता हूं कि यदि इसी तरीके से दुर्दशा रही तो गन्ना किसान भी आत्म–हत्या करने को मजबूर हो जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार यह सुनिश्चित करे कि वह हाईकोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं करा पा रही है, उसके गन्ने का भुगतान नहीं करा पा रही है तो आखिर इस सरकार को बने रहने का क्या अधिकार रह जाता है। सरकार यह बताये कि वह कब तक गन्ना किसानों का भुगतान कराने का काम करेगी ? मान्यवर, मात्र 11 प्रतिशत का भुगतान, कहां से किसान अपना खर्चा चलायेगा, कहां से अपने बच्चों को पढ़ायेगा ? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी दो महीने के बाद मिल चलनी है और मोदी शुगर मिल की

या मलकपुर शुगर मिल की सफाई का कार्य शुरू नहीं कराया गया है, मेन्टीनेंस का कार्य शुरू नहीं कराया गया है और वह सिर्फ इसलिए नहीं शुरू कराए गए क्योंकि उनकी मंशा आगे मिल चलाने की नहीं है। यह सरकार कम से कम इन बातों पर ध्यान दे, यह सुनिश्चित करे कि किस तरीके से उस गन्ना किसान का गन्ना गिरेगा और किस तरीके से उस गन्ना किसान का भुगतान हो। मा0 अध्यक्ष जी, इस पर निश्चित रूप से सरकार से मैं चाहता हूं कि वक्तव्य यह दिया जाए कि कब तक उन गन्ना किसानों का भुगतान हो। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि किसानों के लिए उन्होंने अनुपूरक बजट में प्राविधान किया है लेकिन मैं समझता हूं कि वह मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए बजट में आए यदि जो बजट में प्राविधान किया गया है वह पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए तो निश्चित रूप से उससे किसानों को राहत होगी। यदि वह पैसा मिल मालिकों के माध्यम से जाता है, तो वह उसको अन्य मदों में खर्च करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका हो गया, अब बंद कर दीजिए।

'श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। जब सदन में चर्चा गन्ने को लेकर होती है तो तरह–तरह की जिज्ञासाएं आती हैं। बहुत सारे हमारे सदस्य मित्र पूछते हैं कि आखिर गन्ना क्या है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में गन्ना पैदा होता है। यदि जनसंख्या और अपराध को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 45 प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंदर है। 55 लाख परिवार, लगभग साढ़े तीन करोड़ लोग गन्ने पर आधारित हैं और साढ़े तीन करोड़ लोग जिस फसल पर आधारित हो, उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान होगा। गन्ने के भी मैं सह उत्पाद की बात करूं तो सारे उत्पाद मिला करके लगभग ढाई लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं गन्ने से प्रभावित होती हैं। यदि उसके थोड़े विस्तारीकरण में जाएं तो, एक कुन्तल गन्ने से पांच किलो शीरा बनता है और एक किलो शीरे को रिफाइन करने पर लगभग तीन बोतल शराब बनती है। उत्तर प्रदेश सरकार को एक बोतल से लगभग 204 रुपये तक की एक्साइज ड्यूटी मिलती है। यदि इसका विश्लेषण करके देखें तो लगभग तीन हजार रुपये तक का लाभ एक कुन्तल से हो जाता है। आज गन्ना किसान जैसे रह रहा है उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि किसानों की सरकार है, यह किसान वर्ष भी चल रहा है। तीन वर्षों में एक रूपया भी गन्ना भाव नहीं बढ़ाया गया मैं समझता हूं कि आजादी के यह पहले तीन वर्ष होंगे जिसमें किसी फसल का एक रुपया भी नहीं बढ़ा। मा0 अध्यक्ष जी, हम भी विधायक हैं, हम लोगों की भी तनख्वाह बढ़ी है, कर्मचारियों की भी पेन्शन बढ़ी है आज किसान तड़प रहा है। यदि तीन वर्षों में एक रुपया भी न बढ़ाया जाए इससे स्पष्ट रूप से यह संदेश जाता है कि सरकार की सोच क्या है। मा0 अध्यक्ष जी, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे पंडित चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर हो, दोनों ने जो सार निकला है उसमें यह है कि एक

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुन्तल पर लगभग 254 रूपये का खर्चा आता है जहां 254 रुपये का एक कुन्तल पर खर्चा आता हो जहां 240 रुपये का पेमेन्ट मिल रहा हो तो अध्यक्ष जी, यह जायज है कि किस प्रकार का न्याय यहां किसानों के साथ हो रहा है। मैं आरोप लगाना नहीं चाहता हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं। शुरू में जब हम विधायक बन कर आए थे तो जो तेवर हमने सरकार के देखे थे, जैसे भाषण हमने सरकार के सुने थे और जैसा कहा जा रहा था कि बसपा मिल बेच रही है किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत उत्साह था। मुझे लगता था किसान का भला होने का समय आ गया है। लेकिन साढ़े तीन साल बीतने के बाद भी सात हजार करोड़ रुपया बकाया है। मेरे अकेले शामली जनपद में तीन शुगर मिलों का 299 करोड़ रुपया बकाया है। वहां क्या हालत हो रही होगी। बुरी तरह से आज किसान त्रस्त है और देखिए कितना कन्फ्यूजन सरकार करती है, 2012–13, 2013–14 लगभग 11 सौ करोड़ रुपया किसानों का ब्याज है। एक तरफ तो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, एक तरफ कहते हैं किसानों का वर्ष है। मान्यवर, 1100 करोड़ रुपये जो सूद किसानों का है वह सरकार मिल मालिकों का छोड़ देती है। कहती है कि मिल मालिकों का माफ कर दिया। आपको मिल मालिकों का माफ करने का क्या अधिकार है। आप माफ कर रहे हैं तो किसानों को उनका 1100 करोड़ रुपया उपलब्ध कराओ।

श्री अध्यक्ष–

राणा साहब, अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त। अब श्री पंकज मलिक जी बोलें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया, मा0 श्री चन्द्रचूर्ण सिंह जी की बैंच का। उन्होंने कहा कि 15 जून तक 25 प्रतिशत, 30 जून तक 50 प्रतिशत, 15 जुलाई तक 75 प्रतिशत पेमेंट करना होगा। नहीं किया गया। फिर एक निर्णय आया और कहा गया कि दो सप्ताह का समय दिया जाता है। दो सप्ताह के समय के बाद नहीं होगा तो सख्त कार्यवाही होगी। सख्त कार्यवाही का मतलब कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन यह क्या करिश्मा करते हैं कि को–आपरेटिव के लोग एक एफिडेविट देते हैं और एफिडेविट में कहते हैं कि जो को–आपरेटिव की मिलें हैं उनको सरकार से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। अब बैठ जायें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, बस समाप्त करता हूं। आपसे एक निवेदन करते हुए कि आज किसान बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसानों का ब्याज के साथ भुगतान कराया जाये और आने वाली फसल में 350 रुपये का भाव हो। धन्यवाद।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल से प्रयास कर रहा था। किसान के दर्द को उस क्षेत्र के दर्द को जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं। वहां ज्यादातर लोग गन्ना किसान हैं। गन्ने की खेती करने का काम करते हैं। वहां के दर्द को यहां बयां कर सकूं। आपने मुझे इसके लिए मौका दिया। आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि अभी भाजपा के मा0 सदस्य ने बताया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां के करीब 43 जनपदों में 50 लाख रजिस्टर्ड परिवार जो गन्ना समिति से रजिस्टर्ड हैं। वह लोग इस गन्ने की फसल को बोने का काम करते हैं। वह लोग आज बुरी स्थिति में हैं। मान्यवर, इसी बीच चुनावी वायदों का जिक्र आया। चुनावी वायदों में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से किसान को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है लेकिन यह अगर हकीकत में होता। हम लोग मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलते हैं। उनके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। पिछली बार मुख्य मंत्री जी की परछाई से भी हमारी भेट नहीं हो पाती थी। हम खुले दिल से तारीफ करते हैं। हम आज भी खुले दिल से तारीफ करना चाहते हैं लेकिन पहले चाहते हैं कि गन्ना किसान का पूर्ण भुगतान हो। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में भी भाई राणा जी ने भी बताया और यह सत्यता है। मान्यवर, 29 जुलाई को आदेश दिया गया था कि 15 अगस्त तक 280 रुपये प्रति0 कु0 के हिसाब से भुगतान हो जाना चाहिए। मान्यवर, अगर भुगतान न हुआ तो गन्ना आयुक्त, प्रमुख सचिव, गन्ना के विरूद्ध कार्रवाई होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 118 शुगर मिल हैं। एक निगम की है 23 सहकारी हैं और 94 निजी मिल हैं। कई बार चर्चा आई, हम लोगों का भी मुजफ्फरनगर में तितावी शुगर मिल पर लम्बा धरना चला। मान्यवर, बिजली पर बहुत लम्बी चर्चा हुयी, यह महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, कल कोई सज्जन गन्ने के सवाल के जवाब में कह रहे थे, मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमने फलां मिल मालिक को जेल भेजने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जरा सी कार्रवाई कर देते हैं उस किसान की स्थिति नहीं देखते जो आत्महत्या करने पर मजबूर है। आत्महत्या कर रहा है। मान्यवर, एक को जेल भेजकर सबको मलहम लगाने का काम होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने एक प्राईवेट मिल मालिक को जेल भेजने का काम किया। उसी तर्ज पर जो सहकारी/सरकारी मिल हैं उनका जो जिम्मेदार अधिकारी है उसे भी जेल भेजा जाना चाहिए। वह जेल जाएगा, किसान के दर्द को समझेगा और वास्तव में बहुत कम दिनों में भुगतान होगा। मैं यह नहीं कहता कि मा0 मुख्य मंत्री जी की मंशा भुगतान करने की नहीं है, उनकी मंशा है क्योंकि वह खुद किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यह जो दीर्घा में जिम्मेदार लोग बैठे हैं यह नहीं चाहते। यह चाहते हैं कि किसान गरीब का गरीब रहे। तरक्की हो तो इनकी हो। इनके पास नोएडा में फ्लैट हो। मान्यवर, जब गन्ने की बात कर रहा हूं तो मैं मुजफ्फरनगर, शामली की बात करना चाहूंगा। मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में 08 शुगर मिले हैं। मोरना, खाईखेड़ी, रोहाना, तितावी, खतौली, बुढ़ाना, मंसूरपुर। मान्यवर,

---

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेराई सत्र में इन शुगर मिलों ने 675 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा, जिसका कुल मूल्य है 1874.18 करोड़ रुपये, मान्यवर दुर्भाग्य की बात है आज तक कुल 1083.98 करोड़ रुपये हुआ। मान्यवर, अगर हम परचून की दुकान पर जाते हैं, एक घण्टा उसका पैसा विलम्ब से देते हैं तो वह हमारे खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा देता है, बेइज्जत करने पर उतारू हो जाता है, मान्यवर, यही कृषि वर्ष मना रहे हैं, यह हाल होगा कृषि वर्ष में किसानों का, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अफसोस होता है जब उत्तर प्रदेश के किसान की तरफ देखते हैं, मान्यवर जब हम तैयार होकर के लखनऊ के लिए चलते हैं, लोगों को उम्मीद होती है कि हमारा नेता, हमारे बीच का भाई जिसको सदन में हमने भेजा है, वह जायेगा हमारे लिये लड़ेगा, हमारी फसलों की बात करेगा और यहां आकर जब निराशा हाथ लगती है, तो अफसोस होता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आप भावनात्मक बात कर रहे हैं, आप तथ्यात्मक बात करें।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं अपने जनपद शामली की बात कर रहा हूं, मान्यवर, यहां कुल 280 रुपये के हिसाब से 299.24 करोड़ रुपये आज भी किसानों का बकाया है, जिसमें थानाभवन शुगर मिल का 114.28 करोड़, ऊन का 75.6 करोड़, शामली का 109.91 करोड़ रुपया बकाया है। कहां जाय किसान ? लाला ए0सी0 में रहेंगे, फैक्ट्रियों के मालिक ए0सी0 में रहेंगे और किसान सड़कों पर रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, लोकेश दीक्षित जी अब आप अपनी बात रखें।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, आपने इस दर्द को बयान करने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

'श्री लोकेश दीक्षित–

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी हमारी विधान सभा में मलकपुर मिल है और पहली दफा मैं अपने जीवन काल में देख रहा हूं कि किसान आत्महत्या गन्ने को लेकर के कर रहा है, उसके पेमेण्ट को लेकर के कर रहा है, हमारे यहां धिकाड़ा गांव है, उसमें एक किसान ने अपनी बहन के इलाज में जब वह पैसा नहीं लगा पाया, मिल से उसको बकाया 14–15 लाख रुपये लेना था, वह पैसा जब नहीं मिला तो उस किसान ने आत्महत्या कर ली, यह सरकार कहती है कि हम किसानों की सरकार हैं, जबकि यह किसान विरोधी सरकार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से आज एक ही बात कहता है पांच साल का बच्चा भी कि इस प्रदेश के अन्दर कोई मुख्य मंत्री हो तो भारत की शेरनी बहन कुमारी मायावती मुख्य मंत्री हो। पांच साल का बच्चा भी एक ही बात कहता है, ये गुण्डों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें, गुण्डा शब्द का प्रयोग न करें, यह असंसदीय शब्द है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री लोकेश दीक्षित–

मान्यवर, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, पश्चिम का किसान मजबूत किसान है, दस बीघे का किसान भी अपने आप में सम्मान की जिन्दगी जीता है, उस दस बीघे के किसान का या 50 बीघे के किसान का जब तीन–तीन साल से पेमेण्ट नहीं हो रहा है तो वह आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं मजबूरी में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज किसान किस मजबूरी में घूम रहा है, जिसके पिता जी को कैन्सर जैसी गम्भीर बीमारी हो गई वह गिड़गिड़ाता है, डी0एम0 से जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि लाकर दे दो मेरा पैसा।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री लोकेश दीक्षित–

तुम बोलने लायक नहीं हो, हम आ रहे हैं, दलित किसान मजदूर की बेटी बहन कुमारी मायावती निःसन्देह 2017 में मजबूती के साथ गन्ने के मुद्दे के ऊपर ही आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह किसान विरोधी सरकार है, इनको मजा चखाने के लिए मैं वादा करता हूं कि बहन कुमारी मायावती जरूर सत्ता में आयेगी, वह दलित, किसान, मजदूर की बेटी जल्दी से जल्दी सत्ता में आयेगी और आपके पापों का हिसाब रत्ती–रत्ती हम लेकर रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, श्री गुलाम मोहम्मद जी, अब आप बोलें।

'श्री गुलाम मोहम्मद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने गन्ने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, अभी विपक्ष के मा0 सदस्य बोल रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गम्भीर विषय है इसमें कोई दो राय नहीं। गन्ना मूल्य भुगतान होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह पर भी हम लोगों को जाना चाहिए कि क्यों आखिर इस तरह की नौबत आई। अभी हमारे सुदेश शर्मा जी ने शुरूआत की थी, ये याद करें किसी सरकार में ये साझी थे, मंत्री थे, जो आयात रॉ–शुगर का हो रहा था, उस पर पाबन्दी कल लगी और आज हमारे भाजपा के साथी यहां बैठे हैं। उनकी सरकार है सेण्टर में, आज भी रॉ–शुगर पर कोई पाबन्दी नहीं है।

(कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

श्री गुलाम मोहम्मद–

कम से कम अब आप सुन लीजिये। हमने सुन लिया, अब आप गम्भीरता से सुन लीजिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां 22 रुपये किलो चीनी का दाम आ गया

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो तो अगर हम रॉ शुगर पर कण्ट्रोल करें, आयात–निर्यात को बैलेंस करके करें तो मैं समझता हूं कि चीनी का भाव ऊपर आयेगा। जब चीनी का भाव 36 रुपये था तो इसी सरकार ने मा0 मुख्य मंत्री जी की इसी सरकार ने 40 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाया था लेकिन आप लोगों की पॉलिसीज से रॉ शुगर बढ़ता गया और उसका दाम घटता गया। हमारे बसपा के साथी बैठे हुये हैं तो क्या मोहिद्दीनपुर जो मेरे इलाके की चीनी मिल है उसको 60 करोड़ रुपये में बेचा नहीं गया था या 65 करोड़ में। अभी 10 करोड़ रुपया लगा करके हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने खुद उसका जाकर के उद्घाटन किया है। मा0 सुदेश शर्मा बैठे हुये हैं इनका क्षेत्र भी पड़ता है उसमें। एक–एक पैसे का भुगतान कर दिया गया और बेहतरीन तरीके से वहॉ का किसान खुशहाल है। अभी सठियांव की चीनी मिल को चलाया जा रहा है। आपने तो मिलों को बेचा है दोस्तों, आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि किसान को कैसे फायदा पहुंचाया जाये। मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जितना सहयोग किया है, जितना चीनी मिल मालिकों के लिये भी और किसान के लिये कोशिश की है अपने बजट में पैसा रखा है और हर बार पैसा बढ़ा करके ला रहे हैं। होना चाहिये, हम चाहते हैं और यह सरकार की नियत है पूरी तरह से कि गन्ना किसानों को राहत दी जाये, किसी भी तरह से राहत दी जाये और इसमें लगभग 40 रुपये खर्च करके गन्ने के भाव में इजाफा किया जा रहा है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बात को सारे लोग मिल करके हम अपनी सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इसको बहुत संजीदगी से लें। चाहे केन्द्र सरकार का 6 हजार करोड़ रुपया हो, जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने पूछा था कि कहां से आ गया, कहां चला गया वह पैसा और आप बता नहीं पाये, आप बताने की हैसियत में नहीं हैं तो मेरी दरख्वास्त यह है कि इसमें बहुत संजीदा हो करके आप भी मुखालिफत बराये मुखालिफत न करें और हमारी सरकार इस पर संजीदगी के साथ गौर करे, किसान की हालत वाकई बहुत खराब है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गन्ने पर, जो हम लोगों के द्वारा कार्य–स्थगन की सूचना दी गई है, बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को अपने नेता से सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मैं जनपद लखीमपुर खीरी से आता हूं। जहां उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन लखीमपुर खीरी करता है, सर्वाधिक चीनी मिलें वहां पर हैं लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर्वाधिक बकाया आज अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें, चाहे वह शामली का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे मेरठ का हो लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का बकाया लखीमपुर खीरी में है। अकेले बजाज चीनी मिल पर 300 से 400 करोड़ रुपया बकाया है, हरगांव चीनी मिल पर 150 करोड़ रुपया बकाया है, खैरा चीनी मिल पर 100 करोड़ रुपये बकाया है। इस तरीके से अकेले लखीमपुर खीरी जनपद में 1000 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का पैसा बकाया है। यहां पर विभिन्न नियमों में यह बात सामने लाई गई कि हमारे जनपद में 4 किसानों ने आत्महत्या की। भुगतान न हो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाने की वजह से 4 किसानों ने आत्महत्या की। जब यहां पर यह देखा गया, सरकार ने कहा कि गन्ने में कितनी लागत आ रही है, रंगनाथन कमेटी बनाई गई, रंगनाथन कमेटी ने कहा 250 रुपये 2012 के आस–पास, 2012–13 में 250 रुपये प्रति कुण्टल गन्ना किसान की लागत आती है लेकिन उसकी लागत के बाद डीजल के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, इम्पलीमेण्ट्स के दाम बढ़े, मजदूरी के दाम बढ़े इसलिये लागत बढ़ी। लागत बढ़कर करीब 300 रुपये प्रति कुण्टल आई। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के घोषणा–पत्र में मैंने देखा था और उसमें यह कहा गया था कि गन्ना किसानों की जितनी लागत आयेगी उसका 50 प्रतिशत उसमें जोड़ करके भुगतान किया जायेगा। मैं आज उनको इस बहस के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 में 125 रुपये प्रति कुण्टल था जिसको बढ़ा करके 280 रुपये प्रति कुण्टल करने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में पहली बार गन्ना किसानों को ब्याज दिलाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

नहीं, अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा रहा है कि 2012 में, 2012 से यह सरकार कार्य कर रही है। किसानों की यह सरकार कही जाती है लेकिन जब से यह वर्तमान सरकार आई है एक रूपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ा बल्कि 240 रुपये करने का काम किया। अध्यक्ष जी कोई रोजगार करता है अपने लिए, कभी भट्ठे वालों को घाटा होता है, कभी लकड़ी के मिल वालों को घाटा होता है, लेकिन चीनी मिल के घाटे में सोसाइटी का कमीशन 6–7 रुपये कम कर दिया गया। इनको रियायत दी गई, यहां से रियायत दी गई, 6000 करोड़ रुपये की केन्द्र से रियायत दी गई लेकिन इन चीनी मिल मालिकों को जितनी रियायत दी जा रही है, ये उतने ही दुस्साहसी होते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, बहुत सारी बातें आ गई हैं, अब हो गया कल भी बातें आ गई थी।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरी बात तो आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात कल भी आ गई थी, इस बात को आपने कई बार कहा, बजट में भी बोल चुके हैं, कहें तो निकाल कर दिखा दें जो बोल रहे हैं। अब बैठ जाएं, बैठ जाएं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, बस एक मिनट का समय दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में न्यायालय का सम्मान सब करते हैं, विधान सभा एवं सरकारों का सम्मान सब करते हैं लेकिन क्या कारण है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश देने के बावजूद ये दुस्साहसी चीनी मिल मालिक गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं और किसानों को

मजबूर कर रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए और अंत में आपसे यह कहते हुए कि गन्ना किसानों को बकाया शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय बाजपेयी जी सबसे कम समय लीजिए बहुत जल्दी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे चार मिनट का समय चाहिए, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ना किसानों की महत्वपूर्ण समस्या पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और मैं एक आग्रह के साथ इस विषय को शुरू करना चाहता हूं कि यह पक्ष और विपक्ष का विषय न होकर गन्ना किसानों का है, जो हम सब का है। मान्यवर, इस प्रदेश में 20644 करोड़ का गन्ना खरीदा गया तथा 12762 करोड़ का भुगतान हुआ 7882 करोड़ रुपया गन्ना किसान का बकाया है। अभी हमारे माननीय सदस्य, सिवाल खास, मेरे जनपद से आते हैं, उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने रॉ शुगर का आयात नहीं बंद किया, जबकि हमारी सरकार ने 40 परसेन्ट एक्साइज ड्यूटी कर दी है। पिछला जो अनुबन्ध जिस सरकार का स0पा0 ने समर्थन किया था यू0पी0ए0 सरकार का उस समय के शरद पवार जी के समय का अनुबंध है उसका ही पालन हुआ है कोई नया अनुबन्ध या नये अनुबन्ध के अधीन कोई एक नये दाने की भी रॉ शुगर हिन्दुस्तान में नहीं आई है। इसके अतिरिक्त 17 चीनी मिल ऐसी हैं, जिसमें उमेश मोदी, सिद्धार्थ, इन्द्र प्रताप सिंह, सुश्री सिमरजीत कौर, डी0पी0 यादव, श्री जवाहर लाल जायसवाल, प्रमोद अग्रवाल, हर्ष आर0 फिलाचन्द्र जिन्होंने किसानों के साथ सर्वाधिक धोखा करने का काम किया है लेकिन मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, जो बात बार–बार आ रही है, भारत सरकार ने जो 6000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्जा देने की घोषणा की है। इससे 6 सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार ब्याज का भारत सरकार के बजट पर पड़ रहा है। केवल एक लाइन में इसमें और जोड़ना चाहूंगा, यह पहली बार हुआ है कि इसका एक पैसा मिल मालिक को नहीं जा रहा है। पैसा सीधे किसान के खाते में जायेगा, मिल मालिक की बैंक का मैनेजर आर0टी0जी0एस0 से उस पैसे को ट्रान्सफर करेगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है मान्यवर, उत्तर प्रदेश के हिस्से में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर आएगा मैं कुछ ब्यौरा इसका देना चाहता हूं कि भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण लेने के लिए गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश से प्रमाण–पत्र 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान करके 68 चीनी मिलों ने प्राप्त कर लिया है और यह 20 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में 68 चीनी मिलों ने 50 प्रतिशत से ऊपर का भुगतान कर दिया है। ये प्रमाण–पत्र गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर लिया। मान्यवर, यह एक शीट मैंने प्राप्त की है। यह है स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की कामर्शियल ब्रॉच मुम्बई फोर्ट की इसके अनुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त 68 चीनी मिलों में से उत्तर प्रदेश के 19 मिल मालिकों ने साफ्ट लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, उस लोन के लिए उसमें से जो कुल 1150.44 करोड़ का है, जिसमें से तीन मिलों का 290.70 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है तथा शेष 16 मिलों का 859.74 करोड़ का लोन प्रक्रिया में है और शेष चीनी मिलें भी जैसे–जैसे आवेदन करेंगी सभी को

यह ऋण मिलने वाला है, लेकिन इस पैसे से चीनी मिल मालिक का कोई मतलब नहीं है। चीनी मिल के बैंक का मैनेजर सीधे इसे किसान के खाते में आर0टी0जी0एस0 से ट्रान्सफर करेगा। मान्यवर, यह मेरी बैलेन्स शीट नही है यह स्टेट आफ इण्डिया, मुम्बई फोर्ट की कामर्शियल ब्रान्च की बैलेन्स शीट है जो अद्यतन 14 अगस्त 2015 तक की है। ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार का पैसा मिल रहा है और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यह पैसा सीधा किसान के खाते में जायेगा जिसकी किसान मांग करता था किसी मिल मालिक के खाते में नहीं जायेगा। मिल मालिक उसका एकाउण्टेन्ट और जनरल मैनेजर के हस्ताक्षर से नहीं जायेगा। बैंक मैनेजर के आर0टी0जी0एस0 से सीधे किसान के खाते में जायेगा, यह व्यवस्था हुई है। मान्यवर, 21 हजार करोड़ रुपया पूरे देश में बकाया था साढ़े दस हजार करोड़ रुपया 50 प्रतिशत मिल मालिक को भुगतान करना है। छः हजार करोड़ का साफ्ट लोन इसको मिल रहा है ब्याज मुक्त है, एक साल के बाद उसको ब्याज देना होगा। इस ब्याज मुक्त करने के कारण 600 करोड़ रुपया भारत सरकार के खाते में ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सात हजार आठ सौ बयासी करोड़ का बकाया है और लगभग दो हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की मिलों को मिलेगा जो किसान का भुगतान सीधे हो जायेगा यानी अभी 5000 करोड़ की समस्या है। गन्ना भुगतान राज्य सरकार का विषय है केन्द्र सरकार का कभी भी नहीं चाहे केन्द्र में किसी की भी सरकार हो। चाहे यू0पी0ए0 की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी गन्ना मूल्य भुगतान की नहीं होती है। उसके बाद भी मैं भारत सरकार की संजीदगी तथा गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान के लिए संवेदनशीलता का एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा और उससे पहले राज्य सरकार के आदेश जो चीनी उद्योग अनुभाग–3 द्वारा 24 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है पूर्णतया किसान विरोधी आदेश है और यह सरकार के किसान विरोधी चरित्र को उजागर करता है। एक अन्तिम बात राम विलास पासवान जी ने दिनांक 16 अप्रैल 2015 को 12.00 बजे आचार्य जगदीश चन्द्र हाल कमरा नं0 142, कृषि भवन में एक बैठक बुलाई थी । उत्तर प्रदेश की तरफ से जो भी लोग गये। मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं राजनीति से प्रेरित हो करके बिल्कुल न मानियेगा, उत्तर प्रदेश से माननीय होम गार्ड मंत्री जी गये। मेरे पास अटेन्डेन्स शीट भी है, श्री राहुल भटनागर, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, श्री शम्भू सिंह यादव और श्री सुभाष शर्मा, गन्ना आयुक्त और माननीय होम गार्ड मंत्री। जबकि पत्र था, यह ठीक है कि सरकार की जिम्मेदारी संयुक्त जिम्मेदारी है, संयुक्त उत्तरदायित्व से सरकार चलती है चाहे किसी भी दल की सरकार हो। माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम वह पत्र था कि 'श्री अखिलेश जी जैसा आपको विदित है कि चीनी क्षेत्र विभिन्न कारणों की वजह से सबसे खराब वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है जिससे गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए इस स्थिति पर विचार करने हेतु मैं बैठक बुलाना चाहता हूं ताकि हम इस क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ रणनीतियां बना सकें। आप बैठक में भाग लेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।' मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं गये। बावजूद इसके कि संयुक्त उत्तरदायित्व है लेकिन गन्ना किसान जैसी महत्वपूर्ण समस्या पर माननीय मुख्य मंत्री जी

को जाना चाहिए था। एक अन्तिम बात कहता हूं माननीय मुलायम सिंह जी धरती पुत्र कहलाते हैं, हम सब के आदरणीय नेता हैं उनके सुपुत्र माननीय मुख्य मंत्री हैं और गन्ना किसान की इस महत्वपूर्ण बैठक में जाने की फुर्सत नहीं निकाल पाते, कष्ट का कारण है। इस सब के बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5000 करोड़ की समस्या है, उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना किसान का भुगतान करने के लिए मन बनाना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए और 14 दिसम्बर का जो आदेश है उस आदेश को वापस लेना चाहिए। इसके साथ–साथ मेरी बहन विधायिका, विमला सोलंकी जी के क्षेत्र में वेव चीनी मिल को अगले सीजन में चलाने की व्यवस्था की जाये। इसके साथ–साथ विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा इस विषय पर रखे गये विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि कृपा करके गन्ना जैसी गम्भीर समस्या पर आपने जो चर्चा कराई है उस पर निर्देश देने का विचार करें। धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों के अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना पर आपने चर्चा का अवसर प्रदान किया इसके लिए मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी अनुपूरक बजट पास हुआ और उस अनुपूरक बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1529 करोड़ चीनी मिलों को, 100 करोड़ सहकारी चीनी मिलों को यानि 1629 करोड़ देने की व्यवस्था की। माननीय अध्यक्ष जी, कल ही सरकार ने उत्तर में बताया था कि गन्ना किसानों का बकाया ब्याज सहित ले करके लगभग साढ़े 8 हजार करोड़ 7640 करोड़ जिसमें लगभग एक हजार करोड़ ब्याज और कुल मिला करके लगभग 8 साढ़े 8 हजार करोड़ बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर सरकार की चाहत थी कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो तो चीनी मिल को देने का क्या औचित्य है। चीनी मिलों से सूची मंगा करके सरकार सीधे उनके खातें में दे सकती थी मगर जब आठ हजार करोड़ बकाया है तो 1629 करोड़ देने से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर 100 करोड़ सहकारी चीनी मिल को भी दिया माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सहकारी मिल चले गये हाईकोर्ट। चोर से कहो चोरी करो और जनता से कहो जागते रहो। यानि उधर याचिका भी दाखिल करा दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई तक 75 प्रतिशत भुगतान करने के आदेश किये किश्तों में किया, पहले 25 प्रतिशत फिर 50 प्रतिशत फिर 15 जुलाई तक 75 प्रतिशत। माननीय उच्च न्यायालय के तीन–तीन बार आदेश के बावजूद फिर अब 15 अगस्त पूरा हो गया दुबारा 15 अगस्त के लिए आदेश दिया कि 15 अगस्त तक करके सूचित करो यानि 3–3, 4–4 बार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तिथि निश्चित किये जाने के बावजूद भी कि गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को सुनिश्चित किया जाय यह सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। जवाब देने के लिए माननीय मंत्री जी बड़े माहिर हैं, पुराने साथी हैं अच्छे वक्ता भी है और हमारे पुराने साथी रहे हैं इसलिए जवाब देने में तो उनका कोई सानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सही मायने में किसानों की आंख में धूल झोकने की होड़ लगी है कल भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूछा था नेता

भाजपा खन्ना जी से जब इन्होंने कहा 6 हजार करोड़ भारत सरकार ने दिया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर क्वैश्चन किया कि कब दिया तो खन्ना जी ने उत्तर दिया कि चूंकि आपने शर्त नहीं पूरी की इसलिए नहीं दिया यह तो खन्ना जी का बयान था। माननीय बाजपेयी जी ने आज कहा कि 6 हजार करोड़ देने की घोषणा की जिसमें साढ़े 11 सौ करोड़ दे दिया । खन्ना जी कल कहे कि शर्त नहीं पूरा किया बाजपेयी जी आज कह रहे हैं साढ़े 1100 करोड़ दे भी दिया। हम यह नहीं समझते हैं कि सरकार की आंख में धूल झोंकने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन ज्यादा धूल झोंक सकता है। जहां तक रही बात मान्यवर, अभी चीनी मिल बेचने का आरोप हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने लगाया मैं उसे स्वीकारता हूं। वह चीनी मिल बेची गयी जो 15–15, 20–20, 25–25 साल से ठप पड़ी थी जिन चीनी मिलों को आपने बन्द कर दिया था और वह चीनी मिल उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर कब्जा कर बैठे थे उन चीनी मिलों को बेचा गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, कल भी इसमें बहुत बहस हो चुकी है। कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह गन्ना किसानों से संबंधित गंभीर मामला है। पैसे के अभाव में गन्ना किसानों के बच्चों की पढ़ाई, दवाई, शादी विवाह अन्य सारे के सारे कार्यक्रम ठप्प पड़े हैं, इसलिये अगर माननीय मंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर दिये हों, लेकिन कम से कम सदन में इस बात को गंभीरता से तो कहें और अगले सत्र में जब हम बैंठे तो उसको पूरा करें। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे नेता माननीय खन्ना जी ने यह कहा कि पैसा आ गया है। मैं 14 अगस्त, 2015 की अद्यतन रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुंबई, फोर्थ ब्रान्च कामर्शियल डिवीजन का कागज दिखा रहा हूं और इसमें पूरे देश की 80 चीनी मिलों ने ऋण के लिए अप्लाई किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 19 चीनी मिलों ने आवेदन किया है, जिसमें से 03 चीनी मिलों को 290.70 करोड़ रुपये ऋण मिल गया है और शेष 16 मिलों का ऋण 859.74 करोड़ रुपये प्रक्रिया में है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हम गन्ना किसान का यथाशीघ्र भुगतान करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने घोषित किसान वर्ष में इस भुगतान को करा देगी। मैंने अपने कथन में चीनी उद्योग अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 की चर्चा की थी, तो क्या सरकार उस किसान विरोधी शासनादेश को वापस लेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, आप यह पहले भी कह चुके हैं, इसमें नया क्या है, कृपया अब आप बैठिये।

'श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि जो चीनी मिलें 15–15 साल से बन्द थी, उनको बेंचा गया। मैं सदन के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम इकाई की चीनी मिल वर्ष 2007 तक चली, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2007 में जब आपकी सरकार बनी तो आपने बंद किया और इसे बेंच दिया। वर्ष 2008 में आपने बंद किया और उसी साल आपने बेंच दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल को सदन में असत्य बातें नहीं कहनी चाहिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस अवसर पर भाषण नहीं करना है। मैं माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सुस्पष्ट आंकड़े सदन में रखे हैं और उससे एक और बात इस सदन में स्पष्ट हो गई है कि परसों उनके नेता ने जो 6000 करोड़ कहा था, उसको लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में दो हजार करोड़ रुपये आयेंगे। आपने यह जो स्पष्ट कर दिया कि 6000 करोड़ की बात जो उनके नेता ने जो कही थी, वह सही नहीं थी इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2000 करोड़ रुपये आयेगा, कितने ने अप्लाई कर दिया, कितनों को सर्टिफिकेट दे दिया गया, 19 ने अप्लाई कर दिया, 03 के खाते में प्रासेज हो गया, 01 के खाते में चला गया, आपके आंकड़े सही, लेकिन अपने नेता को भी यह जानकारी दे दिया कीजिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता ने कहा था कि पूरे देश में 21000 करोड़ रूपये गन्ना किसानों का बकाया है जिसमें साढ़े दस हजार करोड़ चीनी मिल मालिक को देना है, 6000 करोड़ रूपये ब्याज मुक्त साफ्ट लोन से भुगतान होगा, जिसके ब्याज का 600 करोड़ रुपये भारत सरकार पर पड़ेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि लगभग 5000 करोड़ रुपया अब जो गन्ना किसान का बचेगा, सरकार कब तक उसका भुगतान करा देगी, इसकी समय सीमा तय होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी, अब आप बैठिये, बहुत समय हो गया है। माननीय मंत्री जी अब आप बोलिये।

वाह्य सहायतित परियोजना ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गन्ना हमारी जिन्दगी से जुड़ा हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी इण्डस्ट्री नहीं रह गई हैं, कानपुर खत्म हो गया है। केवल हमारी जो गन्ने की फैक्ट्री हैं, स्माल फैक्ट्री या जो मध्यम श्रेणी की फैक्ट्री हैं, वही

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम लोगों का एक आधार था। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब साढ़े तीन–चार करोड़ लोग आज गन्ने की फसल पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी से इनकी रोजी चलती है और बच्चों की पढ़ाई–लिखाई चलती है। दवा–दारू का काम मान्यवर, इसी से चलता है।

बैठिये–बैठिये। कितनी फैक्टरी आज चल रही हैं, जितनी बड़ी फैक्टरियां थीं, वह सब बंद हो गयी, मैं सब जानता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 157 चीनी मिलों में से केवल 118 मिलें चल रही हैं। उसके लिये केवल एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार इस सदन में बैठे सबके सब लोग हैं। यह सही है कि गन्ने का अच्छा पेमेंट हम नहीं कर पाये हैं। लेकिन फिर भी जो मान्यवर, लेटेस्ट आंकड़ा है, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, 20,444.40 करोड़ में हमने 13,154.10 करोड़ 19 तारीख तक पेमेंट किया है। अब इस समय मान्यवर, जो बकाया है 7,490.30 करोड़ और मान्यवर, 63.72 परसेंट गन्ने का पेमेन्ट हो गया है। मान्यवर, यह सही है कि–

(श्री सुदेश शर्मा द्वारा खड़े होकर बीच में टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

आप बैठिये, बैठिये पहले, क्या करते हो, यह तरीका सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप हल्ला कर रहे हो। शर्मा जी आप बैठो न। सुनने का भी माद्दा रखो। केवल अपनी बात कहनी नहीं चाहिये, सुनना भी चाहिये। सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहा है उसको सुनो भी तो।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि मैं इन लोगों की पूरी बात सुनता रहा, मैं तो बीच में नहीं बोला । आप पहले मेरी बात सुन लीजिये, फिर उसके बाद अपनी बात रखियेगा। सबको अधिकार है।

(बीच में बहुजन समाज पार्टी के किसी सदस्य द्वारा बैठे–बैठे ख ग ग ग , की आवाज)

मान्यवर, इस तरीके से 63.72 परसेंट पेमेंट हुआ। मान्यवर, मेरठ क्षेत्र में कम परसेंट हुआ है, वहां केवल 42–45 परसेंट वहां की मिलों ने किया है लेकिन बहुत सारी मिलों ने मान्यवर, 63 परसेंट और 80 परसेंट तक किया है। जिसमें कम से कम 25 मिलें हैं। हमारी निगम की मिलों ने टोटल पेमेंट कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी सहकारी चीनी मिलें हैं, उसका भी मेरे पास आंकड़ा है, उन्होंने भी 89 परसेंट पेमेंट कर दिया है। अब रही बात, हमारे साथियों ने कहा, जिस साथी ने अभी बात कही है, मैं सुना हूं, यह मर्यादा के बहुत विपरीत है। यह धर्म है और एक बात मैं बता दूं, जिसने भी यह बात कही है, मैं 89 से इस सदन में आ रहा हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह असंसदीय शब्द है। इसे कार्यवाही से निकलवा दीजिये। एक दूसरे के प्रति इस तरह के शब्द प्रयोग करें, यह उचित नहीं है।

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इन्हें ही क्यों न निकलवा दिया जाये। अच्छा निकलवा देते हैं कार्यवाही से।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 89 से इस सदन में आ रहा हूं। हमने बड़े हंगामे किये हैं और हम विपक्ष में भी रहे हैं। लेकिन यह जो शब्द है, यह बहुत खराब है। आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव होना चाहिये। मैं मान्यवर, आगे यह बात कह रहा हूं। हम भी गन्ना बोते हैं, आपके गन्ने का क्षेत्र है। जो गन्ने का भुगतान कम हुआ है, उसमें हम आपसे ज्यादा दुखी हैं। हमारा भी क्षेत्र है, गन्ने का क्षेत्र है, चार चीनी मिलें हैं। हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे किसान साथी, हमारे मतदाता हमको दबोच लेते हैं जैसे आपको भी दबोचते हैं। वह कहते हैं कि मंत्री जी पेमेंट नहीं हुआ। आप जानते हैं कि परिस्थितियां बदली हैं। भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि यह पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। कृषि मंत्री शरद पवार जी ने जो बाहर कान्टेक्ट किया –

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सुनो भी तो। आप सुनेंगे नहीं, केवल आप अपनी बात कहते रहेंगे। आपने अपनी बात कही, अब वह अपनी बात कह रहे हैं, आप सुनो तो। आप सुनते क्यों नहीं।

श्री राम करन आर्य–

मैंने जो बात आपसे कही, 5 साल का कान्टेक्ट हुआ है जो बाहर से कच्चा शुगर आ रहा है। आज यह जो कच्चा शुगर है इसे प्योरीफाई करने के बाद 24 रुपए में बेचने पर 6 रुपए का फायदा मिल–मालिकों को हो रहा है तो 24 रुपए में बेच करके 6 रुपए का फायदा महाराष्ट्र के लोग ले रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में जब तक 31–32 रुपए प्रति किलो नहीं बिकेगा तब तक प्लस–माइनस बराबर नहीं होगा। हम उनको फांसी थोड़े ही दे देंगे हम उनसे जबरिया वसूल करेंगे। ठीक है, यह हाईकोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन के तहत् जितना ज्यादा हम वसूली कर सकते हैं करेंगे। हमने तो इसके लिए जोर भी डाला, 87 लोगों पर आर0सी0 और एफ0आई0आर0 है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं हो रहा हो, पेमेंट हो रहा है। हम सब लोग कृतसंकल्प हैं, कि एक–एक नया पैसा गन्ना किसानों को देने के लिए तैयार हैं उस पर कोई समझौता नहीं होगा। अभी हमारे साथी ने शेरनी की बात की, सेबी में हमने कितने पैसे जमा किये हैं, हमने शेरनी के जो पैसे जमा किये हैं जिसको कहा गया है कि वही एक शेरनी है हमने उसके बकाये के जमा किये हैं, 5 हजार करोड़ से ज्यादा। चीनी मिल, अभी बेचने की बात तो अलग है हमने 5 हजार करोड़ से ज्यादा महोदया मायावती के राज का पैसा गन्ना किसानों को दिया है। आप बता दीजिए कि यदि हम उस सरकार का पैसा दे सकते हैं तो जो मेरी सरकार के समय का पैसा है उसे हम क्यों नहीं देंगे, हम एक–एक नया पैसा देने के लिए तैयार हैं। आपने मिल बेचा, हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही, देवरिया की जो पौने पांच करोड़ की मिल बिकी वह कम से

कम 50 करोड़ रुपए की थी। उसकी जमीन ही 50 करोड़ रुपए की थी लेकिन मिल करके उसे बेचा गया, 50 करोड़ रुपए की जमीन पौने पांच करोड़ रुपए में बेची गई। मैं इस पर भी नहीं जानना चाहता, आप लोगों ने जो आरोप लगाया मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता लेकिन मेरे विपक्ष के भाइयों मैं आपके साथ हूं आपने जो अपनी बात रखी है हम उससे इनकार नहीं कर सकते और हमारा सत्तापक्ष भी इनकार नहीं करेगा लेकिन आप धैर्य रखें एक–एक नया पैसा हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों को देगी, हम इसके लिए कृतसंकल्प हैं। भाई मौर्या जी ने जो कहा, यह बात सही है कि वह हमारे पुराने साथी हैं, इन्होंने जो बात रखी है कि अभी मा0 मंत्री जी घुमा फिरा कर अपनी बात कह देंगे, मान्यवर, सच घुमाने–फिराने से नहीं खत्म होता, सच तो सच है, किसानों का बकाया है यह सच है, हम भी एक–एक पाई अदा करेंगे यह भी सच है। इस पर सदन में चाहे एक घण्टे बहस चलाइये, चाहे चार घण्टे की बहस चलाइये, यह सदन तो बहस के लिए है ही लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार एक–एक नया पैसा किसानों को देने के लिए कृतसंकल्प है। चाहे हाईकोर्ट का डिसीजन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, डिसीजन होते रहते हैं लेकिन असली चीज यह है कि हम किसानों के समर्थक हैं उनको पैसा देना बहुत जरूरी है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम जितना भी दबाव डाल पायेंगे, हम मिल–मालिकों से पैसा वसूल करके किसानों को दिलायेंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं केवल इतना ही बता देना चाहता हूं कि जो मा0 सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की उसका निदान तो नहीं हुआ, जो उत्तर पहले आता रहा था वही आया। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार का 5 हजार करोड़ रुपया इन्होंने दिया, मान्यवर, गन्ना पेराई हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ और भुगतान के समय आपकी सरकार आ गई तो पेमेंट कौन करेगा। दूसरी चीज मान्यवर, 2007 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार छोड़ गई थी तो गन्ना किसानों का 21 हजार करोड़ रुपए का भुगतान बहुजन समाज पार्टी ने किया था, इसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने से घोर व्यवधान)

मा0 अध्यक्ष जी, यह किसान विरोधी सरकार है और किसानों के साथ अन्याय कर रही है, ज्यादती कर रही है, गन्ना किसान आज तबाह हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत सरोज (वेल से)–

आज किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने सीट पर चलिये, यह कौन सा तरीका है। आपका विरोध हो गया। आपने अपनी बात कह ली और विरोध भी हो गया। अब यह चर्चा समाप्त।

(वेल में आये हुए सदस्य वापस अपनी सीट पर चले गये।)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, अब बैठ जाईये, इस पर आधे घण्टे के बजाए 58 मिनट की चर्चा हो गयी और कोई पक्ष बाकी नहीं रह गया है, सब बोल चुके हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जाईये। मद संख्या–18 माननीय मुख्य मंत्री जी।

(इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्री सुरेश राणा, श्री उपेन्द्र तिवारी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री पंकज मलिक, श्री प्रदीप चौधरी, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री दिलनवाज खान व राष्ट्रीय लोकदल के श्री सुदेश शर्मा, सदन की वेल में आ गये। और किसान विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तथा किसानों का गन्ना मूल्य का बकाये का भुगतान करो के नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया।)

श्री प्रदीप चौधरी (वेल से)–

अध्यक्ष जी, 8 चीनी मिलों में से 04 चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं। लगातार किसान धरना दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, उनको बचा लीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (वेल से)–

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी किसान वर्ष में गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर चलिये। अब कौन सा स्पष्टीकरण लेंगें। इतनी देर चर्चा हो गयी अब क्या रह गया ?

(भा0ज0पा0 के कुछ सदस्य वापस आपने आसन पर चले गये)

ख05.10, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य अपना संशोधन का प्रस्ताव रखेंगें या आगे बढ़ें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक सरकार के द्वारा लाया गया है इसका कोई औचित्य नहीं है।

(वेल में आये हुए सदस्य किसान विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तथा किसानों के गन्ना मूल्य का बकाये का भुगतान करो के नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान/शोर जारी रहा।)

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी अब बैठिये। इतने शोरगुल में आपकी बात समझ में नहीं आ पायेगी। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1980 की धारा 11–क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''11–क आयोग के पास महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर

नियुक्ति के

आयोग की अतिरिक्त

लिये अभ्यर्थियों के चयन की शक्तियां और कर्तव्य भी होंगे और महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में धारा 11, धारा 12 की उपधारा (1) (परन्तुक को छोड़कर), उपधारा (2), (3) और (4), धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 17 और धारा 18 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।''

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 और प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 का उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2)–इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा

अध्याय–दो

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 का संशोधन

अधिनियम संख्या 12 सन् 1887 की धारा 19 का संशोधन

2–बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है की में धारा 19 में,–

(क) उप–धारा (1) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उप–धारा (2) में शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

धारा 21 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप–धारा(1) में, खण्ड (ख) में,–

(क) शब्द ''एक लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द ''पांच लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे ;

अध्याय–तीन

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9 सन् 1887 की धारा 15 का संशोधन

4–प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 19 में,–

(क) उपधारा (2) में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के परन्तुक में शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्यगण सदन के वेल से गन्ना भुगतान दे न सके जो वह सरकार निकम्मी है, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 की धारा 37–क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 37–क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) कोई मण्डी समिति या उसकी उप समिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उससे प्राप्त फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम–66 के उप नियम (1) के परन्तुक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार समतुल्य कृषि उत्पाद पर निर्धारित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के दस गुना धनराशि के बराबर अथवा रुपये दो लाख, जो भी कम हो, शमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा अपराध का शमन कर सकता है।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रस्ताव कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तथा खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ज) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है;''

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''(2–क) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या से, इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कहा जायेगा।''

मूल अधिनियम की धारा 40–क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

नई धारा 40–ख का बढ़ाया जाना

''40–ख उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, किन्हीं नियमों, परिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के सांविधिक लिखितों में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को किये गये किसी संदर्भ का डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का संदर्भ माना जायेगा।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख05.15, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवनजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुं0 कौशल सिंह आदि द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

इसमें कौन रख रहा है। कुं0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री अखिलेश सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अजय कुमार 'लल्लू' , डा0 मो0 मुस्लिम, श्री मुख्तार अंसारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री सुरेश राणा में से कोई सदस्य इस पर रख रहा है? कोई सदस्य नहीं रख रहा है। यह अभिसूचित था, कोई इस पर चर्चा करेगा ? नहीं करेगा। इसको खत्म करते हैं।

पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी..

श्री अध्यक्ष–

इसमें चर्चा बढ़ा देते हैं।

प्रदेश की जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

बाजपेई जी यह भी आपका है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

माननीय अध्यक्ष जी, शुरूआत तो कर दूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्लोबल वार्मिंग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में चर्चा स्वीकार करके बोलने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश देश का..

श्री अध्यक्ष–

इसमें चर्चा जारी रहेगी।

आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू–गर्भ जल–स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

आगरा महानगर को सूचना प्रोद्योगिकी नगर (आई0टी0 हब) बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह डा0 धर्मपाल जी का है। धर्म पाल जी आप दो दो, एक–एक लाइन पढ़ दीजिये।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में चाहे पेयजल की समस्या हो।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आधे घंटे की अग्रेतर चर्चा है। यह सब आपका जितना है उस पर आधे घंटे की चर्चा बढ़ा देते हैं।

डा0 धर्म पाल सिंह–

ठीक है मान्यवर।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के अनेकानेक सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

आधे घंटे की अग्रतर चर्चा है ऐसा करते हैं चर्चा बढ़ा देते हैं । सब जितनी है चर्चायें, बढ़ा देते हैं।

जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध, तरीके से किये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

अखिलेश प्रताप सिंह जी का है कि ''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।'' आगे चर्चा कर लीजिएगा, आज कुछ हो नहीं पाएगा। मतदान कराना पड़ेगा आगे चर्चा कर लीजिएगा।

कानपुर के बढ़ते हुए स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

सतीश महाना जी, आप भी आगे चर्चा कर लीजिएगा। एक लाइन पढ़ दीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, कानपुर महानगर के बढ़ते हुए...

जनपद–देवरिया के नगर पंचायत क्षेत्र–रूद्रपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु रूद्रपुर कस्बे के चारों तरफ एक रिंग रोड अथवा रूद्रपुर–करहकोल मार्ग होते हुए नगवां मार्ग तक बाईपास का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी नहीं हैं यह खत्म हो गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को प्राथमिकी पंजीकृत करने, विवेचना करने, आदेशों के निष्पादन करने तथा सुरक्षा जैसी चारों शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

अगयश राम सरन वर्मा जी आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को प्राथमिकी पंजीकृत करने,विवेचना करने, आदेशों के निष्पादन करने तथा सुरक्षा जैसी चारों शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय।''

श्री अध्यक्ष–

चर्चा आगे जारी रहेगी। यह पहाड़िया यहां फिर कहां चले आये।

(घोर व्यववधान के मध्य)

(विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी किसानों की जोत के हिसाब से उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाय और किसान अपनी आवश्यकतानुसार खाद खुले बाजार से क्रय करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा ... (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी किसानों की जोत के हिसाब से उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाय और किसान अपनी आवश्यकतानुसार खाद खुले बाजार से क्रय करें।'' मान्यवर 78 अरब की सब्सिडी है जो कालाबाजारों की जेब में जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अब आगे चर्चा करिएगा।

ख05.20, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

कल दिनांक 19–8–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 87 सूचनायें आई थीं जिसमें 15 स्वीकार की गई थीं।

(निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं)

पहली सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की लखनऊ की तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम कुरौनी की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्रीमती विमला बाथम की नोएडा स्थित डी0एन0डी0 टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

पहली सूचना श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में मवाना शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत तहसील बारा के गांव भगदेवा में अराजी संख्या–114 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की तहसील रसड़ा में ग्रामीण मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना न किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में फैले मस्तिक ज्वर एवं मलेरिया की रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्रान्तर्गत सरयू नदी के गढ़ी घाट के पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है)

पहली सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ अन्तर्गत कठेला को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग की पढ़ाई हेतु शिक्षकों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत के बड़ौत क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली यमुनोत्री रोड के बस स्टैण्ड की जमीन पर दबंगों द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में लेखपाल, ग्राम प्रधान व उप जिलाधिकारी की मिलीभगत से पैसा लेकर अपात्र लोगों को जमीनों का पट्टा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की बिलासपुर अहरो शीशगढ़ मार्ग की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री अमर पाल शर्मा की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा ब्रिज विहार, बी ब्लाक में बनाये गये बारात घर की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग को पूर्णरूप से शीघ्रातिशीघ्र दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बलरामपुर के ग्राम व कस्बा थाना सादुल्लानगर निवासिनी सुनीता पत्नी श्री ज्ञानचन्द्र सोनी के परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0	नाम
1	श्री राधेश्याम जायसवाल

2 श्री ललितेशपति त्रिपाठी
3 श्री सुरेश राणा
4 श्री मो0 गाजी
5 श्रीमती उमाकान्ती
6 श्री जय प्रकाश निषाद
7 श्री रामहेत भारती
8 श्री राजेश त्रिपाठी
9 श्री बाला प्रसाद अवस्थी
10 श्री रामवीर उपाध्याय
11 श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
12 श्री राधेलाल रावत
13 श्री सतीश महाना
14 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
15 डा0 अरुण कुमार
16 श्री पंकज मलिक
17 डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
18 श्री गुटियारी लाल दुबेश
19 श्री मदन चौहान
20 श्री शमीमुल हक
21 श्री अनीसुरर्हमान
22 श्री रोशन लाल वर्मा
23 श्रीमती आराधना मिश्रा
24 श्री बब्बन सिंह चौहान
25 श्री धर्मपाल सिंह
26 श्री सुरेश कुमार खन्ना
27 श्री रविदास मेहरोत्रा
28 श्री मनीष असीजा
29 श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
30 श्री राजीव गुम्बर
31 श्री नूर सलीम राणा
32 श्री संतराम कुशवाहा
33 श्री ओम कुमार
34 श्री संजय प्रताप जयसवाल
35 श्री आशुतोष टंडन गोपाज ली
36 डा0 आर0के0 वर्मा
37 श्री ममतेश शाक्य
38 श्री भगवान सिंह कुशवाहा
39 श्री गेन्दा लाल चौधरी
40 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
41 श्री सुदामा प्रसाद
42 श्री उपेन्द्र तिवारी
43 श्री अनिल कुमार
44 श्री काली चरन सुमन
45 श्री पंकज गुप्ता
46 चौधरी गजेन्द्र सिंह
47 श्री विजय कुमार पासवान
48 श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
49 श्री विजय कुमार दूबे
50 श्री सुरेश बंसल
51 डा0 धर्मपाल सिंह
52 श्री सिनोद कुमार शाक्य
53 श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
54 श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
55 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई
56 श्रीमती सीमा द्विवेदी
57 श्री रामचन्द्र यादव
58 श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
59 श्री रवीन्द्र जायसवाल
60 श्री जगन प्रसाद गर्ग
61 श्री योगेन्द्र उपाध्याय
62 श्री मनवोध प्रसाद
63 श्री जय प्रकाश अंचल
64 श्री भीम प्रसाद सोनकर
65 श्री दिलनवाज खान

66 श्री अयोध्या प्रसाद पाल
67 श्री राकेश श्रीवास्तव
68 श्री प्रदीप माथुर
69 श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
70 ठा0 दलवीर सिंह
71 श्री अगयश राम सरन वर्मा

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20–08–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनायें प्राप्त हुईं।

(निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद मेरठ में रजिस्ट्रियों पर लगातार सर्किल रेट बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की नगर पालिका परिषद् गढ़मुक्तेश्वर में बिना मार्ग का निर्माण किये फर्जी भुगतान किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर में मंगापुर उदयपुर नाम से नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

(निम्नलिखित सदस्यों की सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

पहली सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की नगर पालिका परिषद् गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर के बीचों–बीच से गुजर रही 33 के0वी0ए0 के स्थानान्तरण हेतु निविदायें स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट स्थित कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव ट्रान्स गंगा सिटी की स्थापना हेतु अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 2011 की पुनर्वास नीति से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर में आई0टी0आई0 परीक्षा में सक्रिय नकल माफिया गिरोह की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये नई बोरिंग/रि–बोर कराते हुये जनता को मीठा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत कन्जौली घाट पुल के दोनों तरफ टूटी सड़कों का निर्माण तथा दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद बहराइच में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट को तोड़कर मलवे में फेंके जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

नौवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की उत्तर प्रदेश में भूकम्प से बचाव हेतु व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है)

पहली सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर की नगर पालिका मुबारकपुर में अधिशासी अधिकारी तैनात किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना मो0 जासमीर अन्सारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के अन्तर्गत नानजडे वक्फ भूमि एवं तालाबों को उनके मूलरूप में न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

चौथी सूचना श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी की जनपद लखनऊ के इस्माइलगंज के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0	नाम
1	डा0 आर0के0 वर्मा
2	श्री उपेन्द्र तिवारी
3	चौधरी गजेन्द्र सिंह
4	श्री राजीव गुम्बर
5	श्री भगवान सिंह कुशवाहा
6	श्री ममतेश शाक्य
7	श्री गेन्दा लाल चौधरी
8	श्री उमाशंकर सिंह, श्री त्रिभुवन राम
9	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
10	श्री सुरेश बंसल
11	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
12	श्री काली चरन सुमन
13	डा0 धर्मपाल सिंह

14 श्री गोरख पासवान
15 श्री जय प्रकाश अंचल
16 श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
17 ठा0 दलवीर सिंह
18 श्री प्रदीप चौधरी
19 श्री ओम कुमार
20 श्री बृजेश कुमार
21 श्रीमती रजनी तिवारी
22 श्री बब्बन चौहान
23 श्री रोशन लाल वर्मा
24 श्री रमेश चन्द्र बिन्द
25 श्री मुकेश श्रीवास्तव

क्र0 नाम

26 श्री धर्मपाल सिंह
27 श्री मनीष असीजा
28 श्री रविदास मेहरोत्रा
29 श्री सुरेश कुमार खन्ना
30 श्री सतीश महाना
31 श्री रविन्द्र जायसवाल
32 श्री अगयश राम सरन वर्मा
33 श्री जगन प्रसाद गर्ग
34 श्रीमती विमला बाथम
35 श्री विजय कुमार पासवान
36 श्री मो0 गाजी
37 श्री संजय कपूर
38 श्री लोकेश दीक्षित
39 श्री भीमप्रसाद सोनकर
40 श्री राधेश्याम जायसवाल
41 श्री मो0 इरफान
42 श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय
43 श्री संजय प्रताप जयसवाल
44 श्री रामचन्द्र यादव
45 श्री गुटियारी लाल दुबेश
46 श्री जय प्रकाश निषाद
47 श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
48 श्री संतराम कुशवाहा
49 श्री विजय बहादुर यादव
50 श्रीमती बिजमा यादव

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुरोध है सदस्यगण से कि यह अपनी सीट पर जाएं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी सीटों पर जाइए।

डा0 अरुण कुमार–

मान्यवर, मद संख्या–30 आपने नहीं ली।

श्री अध्यक्ष–

आप थे नहीं ठीक है आप पढ़िए।

श्री अम्बिका चौधरी–

किसानों के एक–एक पैसे का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसानों का एक–एक पैसा भुगतान किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृपया अपने–अपने आसन पर जाएं।

बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई, गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस–पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

डा0 अरुण कुमार–

मान्यवर, यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई, गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस–पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। चर्चा जारी रहेगी।

जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में कोई महिला चिकित्सक, सर्जन एवं फिजिशियन न होने से रोगियों के इलाज न हो पाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री उमाशंकर सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

जनपद आगरा में इनर रोड एवं थीम पार्क हेतु किये गये भूमि अधिग्रहण में प्रभावित किसानों को अभी तक रु0 2,76,000 प्रति एकड़ एनुटी का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

प्रदेश सरकार जनपद आगरा के किसानों से उनकी खेती की जमीन कौड़ियों ....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्के भाव छीनती रही है, कभी इनर रिंग रोड तो कभी मनोरंजन केन्द्र थीम पार्क बनाने के नाम पर। पहले तो किसान की खेती की जमीन बिना उसकी मर्जी के ले ली जाती है फिर उस पर अधिकारियों द्वारा नियम–कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने तौर–तरीकों से अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बांटते है। कहीं आबादी क्षेत्र दिखाकर

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दोगुना मुआवजा दिया गया तो कहीं फर्जी किसान दिखाकर मुआवजा दिया गया। यहां तक कि धारा–4 की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद भी धड़ाधड़ रजिस्ट्रियां की गयी हैं जो स्पष्टतः कानून का उल्लंघन है और इससे भी मन नहीं भरा तो अब किसानों से तय किया गया रु0 2,76,000 प्रति एकड़ वार्षिकी (एनुटी) का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि इस सम्बन्ध में किसान कई बार मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी से मिल चुके हैं लेकिन अभी तक किसानों को रु0 2,76,000 प्रति एकड़ वार्षिकी (एनुटी) का भुगतान नहीं किया गया है जिससे किसान गम्भीर रूप से आक्रोशित है और कभी–भी बड़े आन्दोलन अथवा प्रदर्शन का विगुल फूंक सकता है। यह एक अति गम्भीर विषय है जिसका निदान सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

2–मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत मा0 सदन में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा एवं उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि जनपद आगरा में इनर रिंग रोड के निर्माण हेतु रकबा 162.8335 हे0 भूमि एवं तहसील एत्मादपुर में थीम पार्क के निर्माण हेतु मौजा रहनकला एवं रायपुर में कुल रकबा लगभग 400 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसमें से 168 हे0 भूमि की धारा–4 व 6/16 की अधिसूचना क्रमशः दिनांक 21–12–2013 एवं 02–09–2014 को जारी करते हुए अधिग्रहण किया गया है जबकि 232 हे0 भूमि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा इनर रिंग रोड एवं लैण्ड पार्सल हेतु अधिग्रहण की गई है। थीम पार्क परियोजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि का प्रतिकर निर्धारण नवीन अधिनियम 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वर्तमान बाजरू दर/सर्किल दर की चार गुनी दर से किया गया है तथा बाजारू मूल्य पर नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि गणना कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

थीम पार्क परियोजना हेतु अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण कर भुगतान की कार्यवाही करार के आधार पर काश्तकारों की सहमति के आधार पर की जा रही है। परियोजना से प्रभावित भूमि के करार पत्र निष्पादित कराकर अभिनिर्णय घोषित करने के उपरान्त ई–पेमेन्ट के माध्यम से काश्तकारों के बैंक खातों में प्रतिकर की धनराशि भेजी जा चुकी है। करार पत्र उन्हीं काश्तकारों से निष्पादित कराये गये हैं, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। समस्त प्रतिकर नियमतः निर्धारित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि शासनादेश संख्या 632/एक–13–11–20(29) 2004 (राजस्व अनुभाग–13) दिनांक 02–06–2011 में यह प्राविधानित किया गया है कि–

(क) प्रत्येक भू–स्वामी, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, को 33 साल के लिए रु0 23000/– प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी दी जायगी, जो भूमि के प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।

(ख) रु0 23,000/– प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की वार्षिकी पर प्रति एकड़ प्रतिवर्ष रु0 800/– की निश्चित दर से वृद्धि की जायेगी, जो प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में देय होगी।

(ग) यदि कोई भू–स्वामी वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एक मुश्त रु0 2,76,000.00 प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा।

उक्त के दृष्टिगत प्रकरण में यह अवगत कराना है कि अर्जन से प्रभावित भू–स्वामी वार्षिकी (एनुटी) की धनराशि एक मुश्त अथवा 33 वर्ष के लिए वार्षिकी प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। संदर्भित परियोजना हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित काश्तकारों द्वारा वार्षिकी (एनुटी) भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अपना विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है। विकल्प प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। भुगतान उक्त विकल्प पर आधारित होता है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का अनुरोध है।,

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस शासनादेश का इस सरकार ने जिक्र किया है इसमें आपने खुद स्वीकार किया है कि यदि किसी की जमीन ली जाएगी तो आप उन्हें एनुटी भी देंगे आपने खुद माना है कि आप एनुटी देंगे तो सरकार कब तक किसानों को एनुटी देगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसे जल्दी करा देंगे।

जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव को पृथक करके जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री अगयश राम सरन वर्मा मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खदिनांक 17–08–2015 को दी गयी सूचना के द्वारा यह मांग की गयी है कि ''ज्ञातव्य हो कि जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव पृथक करके जनपद पीलीभीत में सम्बद्ध कर दिये गये हैं इस प्रकार जनपद पीलीभीत में 1441 राजस्व गांवों की जनसंख्या हो चुकी है। जनपद में तीन तहसीलें क्रमशः तहसील पीलीभीत (सदर) में 474 राजस्व

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गांव, तहसील बीसलपुर में 471 राजस्व गांव एवं तहसील पूरनपुर के अंतर्गत 496 राजस्व गांव हैं। इन तीनों तहसील मुख्यालयों के मध्य का स्थल गजरौलाकला है। जहां की थाना, अनेकों इण्टर कालेज, बैंक्स शाखाएं, भारी बाजार एवं अन्य शासकीय व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। यह स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग आसाम मार्ग पर है। नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 25 फरवरी, 2014 के क्रम में यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में राजस्व परिषद से संस्तुति सहित आख्या मांगी गयी है तदोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी तब से लगभग 1 वर्ष 6 माह का समय हो चुका है परन्तु अब तक अग्रेत्तर कार्रवाई न हो पाना चिन्ता का विषय है। जनपद के जनप्रतिनिधि समाचार पत्रों के माध्यम से भिन्न–भिन्न बयान छपवाकर अपनी–अपनी विधान सभा के क्षेत्र में अनुपयुक्त स्थलों पर नवीन तहसील स्थापित करने में भारी प्रतिस्पर्धा में है। वाक्य संघर्ष प्रगति पर है।

अतः नियम–51 के अंतर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

2–इस सम्बन्धस में राजस्व परिषद्/जिलाधिकारी, पीलीभीत से प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि ''जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व ग्राम पृथक करके जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध किये गये हैं। उक्त ग्रामों के जनपद पीलीभीत की तहसीलपूरनपुर में सम्मिलित होने के उपरान्त तहसील पूरनपुर में 495 राजस्व ग्राम हो गये हैं। तहसील पीलीभीत में 473 राजस्व ग्राम तथा तहसील बीसलपुर में 472 राजस्व ग्राम हैं। इस प्रकार कुल 1440 राजस्व ग्राम जनपद पीलीभीत में हैं। तहसील पूरनपुर के वृहद होने के कारण जिलाधिकारी, पीलीभीत के पत्र दिनांक 25–07–2015 में एक अन्य तहसील को सृजित किये जाने को आवश्यक माना है। जनपद पीलीभीत में कालीनगर को नई तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें गजरौलाकला एवं उसके आस–पास के ग्राम सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति राजस्व परिषद् से प्रतीक्षित है। ऐसी स्थिति में गजरौलाकला को नयी तहसील सृजित किया जाना उचित नहीं होगा।

जनपद हाथरस की सिकन्दरामऊ में जनसोई माइनर में पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्यपगत)

(श्री राम वीर उपाध्याय का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

जनपद बुलन्दशहर स्थित अनामिका (अगौता) शुगर मिल को जबरन अभिलेखों में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद बुलन्दशहर में अगौता..

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्शुगर एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड भडोरिया एक चीनी मिल है जो वर्तमान में अनामिका चीनी मिल के नाम से संचालित है। गम्भीर प्रकरण यह है कि जब अगौता शुगर मिल यूनिट की स्थापना हुई थी तो मुढ़ी बकापुर की लगभग हजारों कच्चा बीघा भूमि ग्राम सभा की आयुक्त महोदय जी की आदेश पर पट्टा पर दी थी तत्कालीन मेरठ मण्डल के आयुक्त श्री बी0एस0 लाली महोदय ने उक्त पट्टा इस शर्त पर स्वीकृत किया था कि यदि अगौता मिल इस भूमि को किसी अन्य यूनिट को बचेगा या अन्य किसी प्रयोजन में प्रयोग करेगा तो यह पट्टा स्वीकृत आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे और उक्त ग्राम सभा की भूमि ग्राम सभा में दर्ज हो जायेगी जिसका तत्कालीन आयुक्त महोदय के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है अनामिका शुगर मिल जबरन जिला प्रशासन से अपना नाम अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है जबकि इस भूमि को ग्राम सभा को दिया जाना जनहित में आवश्यक है। लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आयुक्त, मेरठ मण्डल के आदेश संख्या–5570/ आठ–79/90–92 दिनांक 28–09–1993 के द्वारा ग्राम मुढ़ी बकापुर के वर्णित आठ गाटों यथा–गाटा संख्या–237, 240, 247, 246, 249, 271, 329 एवं 333, कुल क्षेत्रफल 116–18–00 बीघा, 90 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया था तथा अन्त में उल्लेख किया गया था कि इस अवधि के अन्दर यदि पट्टे के अधीन भूमि का उपयोग किसी अन्य रूप में किया जायेगा तो पट्टे की स्वीकृति नियमानुसार निरस्त कर दी जायेगी जिसके आधार पर उक्त वर्णित भूमि को शासन की ओर से लीज डीड पंजीकरण संख्या–4001 दिनांक 27–08–1999 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा अगौता शुगर एण्ड कैमिकल्स इकाई विलार्ड इण्डिया लि0 बुलन्दशहर को लीज डीड (पंजीकरण संख्या–4001 दिनाक 27–08–1999 को) निष्पादित की गई जो दिनांक 01–12–1993 से 90 वर्ष की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अधीन है। उक्त लीज डीड में भूमि के सम्बन्ध में यह शर्त लगायी गई है कि ''कम्पनी को लीज राइट को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा। कम्पनी को अपने अधिकार को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति/कम्पनी को उसी उपयोग हेतु सबलेट करने का अधिकार प्राप्त होगा, जिस हेतु भूमि लीज पर दी गई है। कम्पनी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपनी लीज होल्ड राइट को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को बन्धक रख सकेगी, किन्तु भूमि की नीलामी धनराशि की वसूली किये जाने हेतु नहीं की जायेगी।''

वर्तमान में अगौता शुगर मिल द्वारा पंजीकृत सबलीज पंजीकरण संख्या–7767 दिनांक 12–12–2012 द्वारा 24000 रुपये औसत वार्षित किराये पर अनामिका शुगर मिल प्रा0 लि0 द्वारा श्री आदित्य माथुर पुत्र स्व0 वीरेश नरायन

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निवासी–द्वारा–अनामिका शुगर मिल्स प्रा0 लि0 नेहरू प्लेस नई दिल्ली के नाम निष्पादित की गयी है, जो 30 वर्ष की समयावधि हेतु है। उक्त से यह विदित है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का अगौता शुगर मिल द्वारा अनामिका शुगर मिल को विक्रय नहीं किया गया है बल्कि सबलीज की गयी है।,

जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका परिषद् बांसी में शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु जारी धनराशि से घटिया सामग्री का प्रयोग करने के कारण ध्वस्त हो रहे निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्ययगत)

(श्री जय प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

नगर निगमों नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की धनराशि कम कराने से महानगरों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम 51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय हेतु नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों हेतु निर्धारित...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री जी ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा निर्णय लेकर नगर निगमों की धनराशि 05 प्रतिशत कम कर दी गयी है, जिसके कारण महानगरों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है साथ ही कई स्थानों पर नगर निगम कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि भुगतान में कठिनाई हो रही है। एक ओर केन्द्र सरकार 14वें वित्त आयोग के माध्यम से स्थानीय निकायों को बढ़ाकर धनराशि देने का प्राविधान कर रही है साथ ही स्मार्ट सिटी की अवधारणा से महानगरों को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं देने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में नगर निगमों की राज्य वित्त आयोग की धनराशि कम करने से महानगरों के विकास एवं वहां के निवासियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नगर निगम की धनराशि तत्काल बढ़ायी जाये।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश की स्थानीय निकायों को सामान्य समनुदेशन की धनराशि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर आवंटित की जाती

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को दिसम्बर, 2014 में प्राप्त हुई। आयोग की संस्तुतियों पर विचार–विमर्श कर संस्तुतियां देने हेतु मा0 मंत्रि–परिषद् द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया। उप समिति द्वारा राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 12.5 प्रतिशत अंश प्रदेश की नगरीय एवं ग्रामीण निकायों हेतु दिये जाने की संस्तुति की गयी। अन्तरित 12.5 प्रतिशत धनराशि का बंटवारा प्रदेश की नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के मध्य, पूर्व तृतीय राज्य वित्त आयोग की भांति ही 60.40 के अनुपात में किये जाने की संस्तुति की गयी। नगरीय निकायों हेतु निर्धारित 60 प्रतिशत अंश का बंटवारा नगर निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के मध्य क्रमशः 35:40:25 के आधार पर किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसे मा0 मंत्रि–परिषद् एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और तदनुसार ही 01 अप्रैल, 2015 से निकायों का धनराशि का अन्तरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों हेतु रु0 6105.97 करोड़ (60 प्रतिशत अंश) की धनराशि में सं 0.10 प्रतिशत धनराशि नगरीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु एवं 10 प्रतिशत धनराशि आडिट अनुशासन हेत रोककर शेष 89.9 प्रतिशत धनराशि रु0 5489.2715 करोड़ में से नगर निगमों का अंश (35 प्रतिशत) रु0 1921.2451 करोड़ दिये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय के निवर्तन पर रखी गयी। जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 में तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बजट में सामान्य समनुदेशन की धनराशि रु0 5775.00 करोड़ में से नगर निगमों हेतु 40 प्रतिशत रु0 2310.00 करोड़ का 97 प्रतिशत रु0 2240.70 करोड़ की धनराशि (02 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि तथा 01 प्रतिशत मलिन बस्ती के सुधार हेतु धनराशि को छोड़कर) नगर निगमों को दिये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय के निवर्तन पर रखी गयी थी।

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों हेतु वर्ष 2015–20 की अवधि में बढ़ाये गये आवंटन का भी संज्ञान लिया गया, जिसके अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में नगरीय निकायों को क्रमशः वर्षवार रु0 983.60 करोड़, रु0 1763.94 करोड़, रु0 2028.51 करोड़, रु02336.99 करोड़ एवं रु0 3136.18 करोड़ अर्थात् कुल रु0 10249.22 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर–9.71 के अनुसार निकायों द्वारा संस्तुत अनुदान का उपयोग स्वच्छता जिसमें सेप्टैज प्रबन्धन शामिल है। सीवेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्थानीय निकायों की सड़कों एवं फुटपाथों इत्यादि जैसी मूलभूत सेवाओ को सृजित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। अतः चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर नगर निगमों द्वारा उक्त कार्यों का वित्त पोषण चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि से किया जा सकेगा।

अतः वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि नगर निगमों का अंश 40 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत किये जाने एवं 10 प्रतिशत धनराशि आडिट प्रशासन हेतु रोके जाने तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जनसंख्या 2011, क्षेत्रफल, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति की जनसंख्या 2011, प्रति व्यक्ति निजी

श्रोतों से आय का औसत (वित्तीय वर्ष 2008–13 के दौरान) अवस्थापना सुविधा में पिछड़ापन का सूचकांक तथा समग्र विकास में पिछड़ापन सूचकांक के मानकों को अपनाये जाने के कारण निकाय के पारस्परिक अंश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस सम्बन्ध में नगर निगमों का अंश 05 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने एवं आडिट अनुशासन हेतु रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि के स्थान पर 05 प्रतिशत किये जाने की कार्रवाई हेतु ए0टी0आर0 में संशोधन के प्रस्ताव पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।,

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र ब्लाक छजलैट को डार्क जोन घोषित करने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री अनीसुर्रहमान, मा0 विधायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक 17–8–2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा..

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

ख25–कांठ का ब्लाक छजलैट कृषि बाहुल्य है। ब्लाक छजलैट की 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है तथा ब्लाक छजलैट में मुख्यतः गेहूं, धान एवं गन्ना की फसलों का भारी उत्पादन होता है, जिसके लिए मेरा उपरोक्त क्षेत्र पूरे जनपद में मशहूर है तथा पूरे ब्लाक छजलैट में भूगर्भ जल की भारी बाहुल्यता है परन्तु विगत वर्ष भूगर्भ जल विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों ने गलत तथ्यों पर रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर ब्लाक छजलैट को डार्क ब्लाक घोषित कर दिया है, मैंने जनपद स्तरीय अधिकारियों को कई बार उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया परन्तु उनका रवैइया मेरे क्षेत्र के प्रति उदासीन है। ब्लाक छजलैट के डार्क घोषित होने से कृषि फसलों को भारी क्षति हो रही है तथा कृषकों को हानि हो रही है। जल संसाधन से सम्बन्धित किसी सरकारी योजना का लाभ कृषकों को नहीं मिल पा रहा है। ब्लाक छजलैट की भूमि में कोई जल की कमी नहीं है। विभागीय अधिकारियों ने मिलीभगत से गलत सूचनायें प्रेषित कर ब्लाक छजलैट को डार्क घोषित कराया है, जिस कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ब्लाक छजलैट को ग्रे घोषित कराने के संबंध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूगर्भ जल विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति–1997 (जी0ई0सी0) के मार्ग निर्देशों (मेथोडोलाजी) के अनुसार प्रदेश में विकास खण्डवार भूजल संसाधनों का आंकलन करता है। इस आंकलन में विकास खण्डवार भूजल रिचार्ज, भूजल दोहन की दर एवं भूजल स्तर में होने वाली गिरावट अथवा बढ़ोत्तरी के आधार निर्धारित

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माप दण्डों के अनुसार विकास खण्डों को अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सेफ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस अध्ययन प्रक्रिया में भूगर्भ जल विभाग द्वारा सम्पादित सर्वेक्षण/अध्ययन के आधार पर भूजल संसाधनों का आंकलन कर उसका अनुमोदन केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है और उसके पश्चात् विकास खण्डों के वर्गीकरण की सूची भूगर्भ जल विभाग द्वारा घोषित की जाती है।

वर्तमान में दिनांक 31–3–2011 के आंकड़ों के आधार पर सम्पादित भूजल संसाधन आंकलन के अनुसार विकास खण्डों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए शासनादेश संख्या–5/1373/62–1–2014–04 आर/2009, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 निर्गत किया गया है। इस आंकलन में जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट को अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। विकास खण्ड छजलैट में भूजल दोहन की दर 121.97 प्रतिशत आंकी गयी है अर्थात् भूजल का दोहन वार्षिक भूजल रिचार्ज की मात्रा से अधिक है। इस विकास खण्ड में विगत दस वर्षों में प्री एवं पोस्ट मानसून अवधि में औसत भूजल स्तर गिरावट 20 सेमी. प्रतिवर्ष से अधिक पायी गयी है। इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर ही विकास खण्ड छजलैट को अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

भूजल संसाधनों का आंकलन भारत सरकार के मार्ग–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 02 वर्ष के अन्तराल में किया जाता है। केन्द्रीय भूजलबोर्ड के निर्देशानुसार वर्तमान में 31–3–2013 तक के आंकड़ों के आधार पर भूजल संसाधनों का नवीन आंकलन किया जा रहा है, जिसे शीर्घ केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा और अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् विकास खण्डों का नया वर्गीकरण इस आंकलन के निष्कर्षों पर निर्भर है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

प्रदीप कुमार दुबे,

दिनांक 20 अगस्त, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0सं0 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ–54 पर)

सं0–10/2015/1186/26–2–2015–100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त
उ0प्र0।
2–समस्त जिलाधिकारी
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 14 मई, 2015

विषयः–समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–264/26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 07–02–2014, पत्र संख्या–337/26–2–2014–100(1)/2013, दि0 11–02–2014 एवं पत्र संख्या–1098/ 26–2–2014–100(1)/2013, दिनांक 23–05–2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के आधार पर क्रियान्वयन हेतु निर्देश तथा प्रत्येक जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2–विदित होगा कि समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रदेश स्तर पर 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त् समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 05 लाख अतिरिक्त नवीन लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके लिये आय–व्ययक में बजट व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 में समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत कुल 45 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत 05 लाख नवीन परिवारों के चयन का जनपदवार/वर्गवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो संलग्नक–1 पर अवस्थित है।

3–समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समस्त लाभार्थियों के चयन का कार्य माह जुलाई, 2015 तक

प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय तथा उनका सी0बी0एस0 बैंक खाता खुलवाकर सम्पूर्ण डाटा वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने का कार्य विलम्बतम् दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाय।

4–अवगत कराना है कि समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष लक्ष्य 658894 है, जिसका जनपदवार विवरण संलग्नक–2 पर अवस्थित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2014–15 में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से कराई गई जांच में अस्वीकृत/ब्लाक/असत्यापित लाभार्थियों के पुनः जांचोपरान्त पात्र पाये जाने की दशा में उनका सी0बी0एस0 बैंक खाता खुलवाकर तथा सही बैंक खाते का विवरण साफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपलोड कराने पर उन्हें वित्तीय वर्ष 2015–16 के अप्रैल माह से पेंशन की धनराशि देय होगी। समस्त जिलाधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता पर दिनांक 31 मई, 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

5–उल्लेखनीय है कि समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है। अतः जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाये कि समाजवादी पेंशन योजना के समयबद्ध एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त लक्ष्य निर्धारण के अनुसार समस्त कार्रवाई प्राथमिकता पर सम्पादित की जाय।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

सुनील कुमार,

प्रमुख सचिव।

पृ0सं0– /26–2–22014–100(1)2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त समाज कल्याण, उ0प्र0।

2– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5– समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।

6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी (नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना), उ0प्र0।

7– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

8– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

9– विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार,

प्रमुख सचिव।

संलग्नक–1

''समाजवादी पेंशन योजना'' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों हेतु पांच लाख लाभार्थियों का वर्गवार/जनपदवार प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र				शहरी क्षेत्र				महायोग
		अल्प संख्यक	अनु0 जाति/जनजाति	अन्य	योग	अल्पसंख्यक	अनु0जाति/जनजाति	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	अलीगढ़	1046	1256	1884	4186	262	314	471	1046	5232
02	एटा	742	891	1336	2970	186	223	334	742	3712
03	हाथरस	578	694	1040	2312	145	173	260	578	2890
04	कासगंज	507	609	913	2029	127	152	228	507	2536
001	**अलीगढ़ मण्डल**	**2874**	**3449**	**5173**	**11496**	**719**	**862**	**1293**	**2874**	**14370**
05	आगरा	1426	1711	2566	5702	356	428	642	1426	7128
06	फिरोजाबाद	940	1128	1691	3758	235	282	423	940	4698
07	मथुरा	684	821	1232	2738	171	205	308	684	3422
08	मैनपुरी	938	1126	1688	3752	235	281	422	938	4690
002	**आगरा मण्डल**	**3988**	**4785**	**7178**	**15950**	**997**	**1196**	**1794**	**3988**	**19938**
09	आजमगढ़	2233	2679	4019	8931	558	670	1005	2233	11164
10	बलिया	1479	1775	2662	5916	370	444	666	1479	7395

11	मऊ	1263	1515	2273	5051	316	379	568	1263	6314
003	**आजमगढ़ मण्डल**	**4975**	**5970**	**8954**	**19898**	**1244**	**1492**	**2239**	**4975**	**24873**
12	इलाहाबाद	2246	2695	4043	8985	562	674	1011	2246	11231
13	कौशाम्बी	1563	1876	2814	6253	391	469	703	1563	7816
14	फतेहपुर	1800	2160	3241	7202	450	540	810	1800	9002
15	प्रतापगढ़	1653	1984	2976	6613	413	496	744	1653	8266
004	**इलाहाबाद मण्डल**	**7263**	**8716**	**13073**	**29052**	**1816**	**2179**	**3268**	**7263**	**36315**
16	इटावा	858	1030	1545	3434	215	258	386	858	4292
17	औरैया	562	675	1012	2250	141	169	253	562	2812
18	कन्नौज	1707	2049	3073	6830	427	512	768	1707	8537
19	कानपुर नगर	1827	2193	3289	7309	457	548	822	1827	9136
20	फर्रूखाबाद	881	1057	1586	3525	220	264	397	881	4406
21	कानपुर देहात	1045	1254	1881	4179	261	313	470	1045	5224
005	**कानपुर मण्डल**	**6881**	**8258**	**12387**	**27526**	**1720**	**2064**	**3097**	**6881**	**34407**

22	कुशीनगर	1414	1697	2545	5655	353	424	636	1414	7069
23	गोरखपुर	1783	2140	3210	7133	446	535	802	1783	8916
24	देवरिया	1384	1661	2491	5535	346	415	623	1384	6919
25	महाराजगंज	1210	1452	2178	4839	302	363	544	1210	6049
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006	**गोरखपुर मण्डल**	**5791**	**6949**	**10423**	**23162**	**1448**	**1737**	**2606**	**5791**	**28953**
26	चित्रकूट	1386	1663	2494	5543	346	416	624	1386	6929
27	बांदा	1896	2275	3413	7584	474	569	853	1896	9480
28	महोबा	2965	3558	5336	11858	741	889	1334	2965	14823
29	हमीरपुर	1162	1395	2092	4650	291	349	523	1162	5812
007	**चित्रकूटधाम मण्डल**	**7409**	**8891**	**13336**	**29635**	**1852**	**2223**	**3334**	**7409**	**37044**
30	झांसी	1504	1805	2708	6017	376	451	677	1504	7521
31	जालौन	1306	1567	2350	5222	326	392	588	1306	6528
32	ललितपुर	1359	1631	2447	5438	340	408	612	1359	6797
008	**झांसी मण्डल**	**4169**	**5003**	**7505**	**16677**	**1042**	**1251**	**1876**	**4169**	**20846**
33	गोण्डा	1815	2178	3267	7260	454	545	817	1815	9075
34	बलरामपुर	1218	1461	2192	4871	304	365	548	1218	6089

35	बहराइच	1663	1996	2994	6654	416	499	749	1663	8317
36	श्रावस्ती	1215	1458	2188	4862	304	365	547	1215	6077
009	**देवीपाटन मण्डल**	**5912**	**7094**	**10641**	**23646**	**1478**	**1773**	**2660**	**5912**	**29558**
37	अम्बेडकर नगर	999	1199	1799	3997	250	300	450	999	4996
38	अमेठी	778	934	1401	3114	195	234	350	778	3892
39	फैजाबाद	1791	2149	3223	7163	448	537	806	1791	8954
40	बाराबंकी	1407	1688	2533	5628	352	422	633	1407	7035
41	सुल्तानपुर	1165	1398	2097	4660	291	350	524	1165	5825
010	**फैजाबाद मण्डल**	**6140**	**7368**	**11053**	**24562**	**1535**	**1842**	**2763**	**6140**	**30702**
42	पीलीभीत	998	1198	1797	3994	250	300	449	998	4992
43	बदायूं	2849	3419	5129	11398	712	855	1282	2849	14247
44	बरेली	1711	2053	3080	6844	428	513	770	1711	8555
45	शाहजहांपुर	1173	1407	2111	4690	293	352	528	1173	5863
011	**बरेली मण्डल**	**6731**	**8078**	**12117**	**26926**	**1683**	**2019**	**3029**	**6731**	**33657**
46	बस्ती	1121	1345	2017	4482	280	336	504	1121	5603
47	सिद्धार्थनगर	1320	1584	2377	5282	330	396	594	1320	6602

48	संतकबीरनगर	1078	1293	1940	4310	269	323	485	1078	5388
012	**बस्ती मण्डल**	**3519**	**4222**	**6333**	**14074**	**880**	**1056**	**1583**	**3519**	**17593**
49	अमरोहा	584	701	1051	2335	146	175	263	584	2919
50	बिजनौर	1470	1764	2646	5879	367	441	661	1470	7349
51	सम्भल	1357	1628	2442	5427	339	407	611	1357	6784
52	मुरादाबाद	1055	1266	1900	4222	264	317	475	1055	5277
53	रामपुर	1201	1441	2162	4804	300	360	540	1201	6005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
013	**मुरादाबाद मण्डल**	**5667**	**6800**	**10200**	**22667**	**1417**	**1700**	**2550**	**5667**	**28334**
54	गाजियाबाद	300	360	540	1200	75	90	135	300	1500
55	गौतमबुद्धनगर	104	125	188	417	26	31	47	104	521
56	हापुड़	182	219	328	729	46	55	82	182	911
57	बागपत	214	257	385	856	54	64	96	214	1070
58	बुलन्दशहर	1401	1682	2523	5606	350	420	631	1401	7007
59	मेरठ	977	1173	1759	3910	244	293	440	977	4887
014	**मेरठ मण्डल**	**3179**	**3815**	**5723**	**12717**	**795**	**954**	**1431**	**3179**	**15896**
60	उन्नाव	1291	1549	2323	5162	323	387	581	1291	6453
61	खीरी	1716	2059	3088	6862	429	515	772	1716	8578

62	रायबरेली	1170	1404	2106	4679	292	351	526	1170	5849
63	लखनऊ	2011	2414	3621	8046	503	603	905	2011	10057
64	सीतापुर	1823	2187	3281	7290	456	547	820	1823	9113
65	हरदोई	1823	2187	3281	7291	456	547	820	1823	9114
015	**लखनऊ मण्डल**	**9833**	**11799**	**17699**	**39331**	**2458**	**2950**	**4425**	**9833**	**49164**
66	गाजीपुर	1831	2197	3296	7324	458	549	824	1831	9155
67	चन्दौली	1124	1349	2023	4496	281	337	506	1124	5620
68	जौनपुर	1925	2310	3465	7699	481	577	866	1925	9624
69	वाराणसी	1689	2027	3041	6757	422	507	760	1689	8446
016	**वाराणसी मण्डल**	**6569**	**7883**	**11824**	**26276**	**1642**	**1971**	**2956**	**6569**	**32845**
70	मिर्जापुर	1933	2320	3480	7734	483	580	870	1933	9667
71	संत रविदास नगर	791	949	1424	3164	198	237	356	791	3955
72	सोनभद्र	4035	4842	7263	16140	1009	1211	1816	4035	20175
017	**विन्ध्यांचल मण्डल**	**6759**	**8111**	**12167**	**27038**	**1690**	**2028**	**3042**	**6759**	**33797**
73	सहारनपुर	1110	1332	1998	4441	278	333	500	1110	5551
74	मुजफ्फरनगर	931	1118	1677	3726	233	279	419	931	4657

75	शामली	300	360	540	1200	75	90	135	300	1500
018	**सहारनपुर मण्डल**	**2342**	**2810**	**4215**	**9366**	**585**	**702**	**1054**	**2342**	**11708**
	महायोग	**100000**	**120000**	**180000**	**400000**	**25000**	**30000**	**45000**	**100000**	**500000**

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ–68 पर)

अनुपूरक सामग्री

श्रीमती रानी पत्नी स्व0 श्री बड़कऊ ग्रा0 चूंटीपुरवा, ग्रा0 पंचायत शम्भू टिकरी विकास खण्ड पयागपुर जनपद बहराइच का राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन–पत्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा चेक संख्या–35210812 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 धनराशि रु0–30000 (रु0 तीस हजार) ई0पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थी के इला0यू0पी0 ग्रामीण बैंक शाखा पयागपुर में खुले खाता संख्या 13460100017240 में स्थानान्तरित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु ट्रान्जेक्शन शीट की छायाप्रति संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
बहराइच।

पत्रांक–146–47/ज50–01–05–15 का संलग्नक

परिशिष्ट–क

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ–72 पर)

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई एवं परियोजना जखवा (अमानीगंज) में (आर0आई0डी0एफ0–18) नाबार्ड योजना

फसलोत्पादन की प्रगति का विवरण वर्ष 2015–16

क्र0सं0	ग्राम पंचायत/परियोजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	फसलोत्पादन					कृषक संख्या
			कुल क्षेत्रफल जिसके लिये फसलोत्पादन अन्तर्गत बीज वितरित किया गया (हे0)	फसल एवं बीज की मात्रा (कु0) में				
				धान	उर्द	तिल	योग	
1	रामपुर जनक	मवई	36.25	14.50	0.00	0.00	14.50	87
2	बिहारा	मवई	62.70	21.00	0.40	0.30	21.70	144
3	नौगवॉडीह	मवई	51.25	20.50	0.00	0.00	20.50	112
4	सुल्तानपुर	मवई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	रानीमऊ	मवई	42.50	17.00	0.00	0.00	17.00	76
6	सैमसी	मवई	30.75	12.30	0.00	0.00	12.30	68
7	जैसुखपुर	मवई	35.25	14.10	0.00	0.00	14.10	69
8	मल्हानपुरवा	मवई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9	जखवा	अमानीगंज	47.50	19.00	0.00	0.00	19.00	119
	योग		306.20	118.40	0.40	0.30	119.10	675.00

नत्थी 'घ'

परिशिष्ट–क

(देखिये अता0प्र0सं0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ–84 पर)

भूमि सेना योनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक कराये गये कार्यों का विवरण

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	परियोजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	चयनित क्षेत्रफल (हे0)	लाभान्वित क्षेत्रफल (हे0)	निष्पादित कराये गये कार्यों का विवरण	अभ्युक्ति
01	2012–13	पहाड़पुर	रूदौली	25.0	25.0	ऊसर सुधार	
02		बालाघाट	मवई	75.0	75.0	बीहड सुधार	
03		बैसमपुरवा	मवई	100.0	100.0	बीहड सुधार	
04		सिकदारीपुरवा	मवई	100.0	100.0	बीहड सुधार	
05		देवइत द्वितीय	मवई	75.0	75.0	बीहड सुधार	
06		तेर	मवई	9.0	9.0	कृषि वानिकी एवं उद्यानीकरण	
07		बाबा का पुरवा	मवई	2.50	2.50	कृषि वानिकी एवं उद्यानीकरण	
08		कसारी	मवई	2.00	2.00	कृषि वानिकी एवं उद्यानीकरण	
	योग–			**388.50**	**388.50**		
09	2013–14	ऐहार	रूदौली	65.0	65.0	ऊसर सुधार	
10		सैमसी	मवई	60.0	60.0	ऊसर सुधार	
11		बाबा का पुरवा	मवई	25.0	25.0	बीहड सुधार	

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	परियोजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	चयनित क्षेत्रफल (हे0)	लाभान्वित क्षेत्रफल (हे0)	निष्पादित कराये गये कार्यों का विवरण	अभ्युक्ति
12		कसारी द्वितीय	मवई	10.0	10.0	कृषि वानिकी एवं एद्यानीकरण	
	योग			160.0	160.0		
13	2014–15	रिसाल का पुरवा	मवई	60.0	60.0	बीहड सुधार	
14		मदार का पुरवा	मवई	50.0	50.0	बीहड सुधार	
	योग–			110.0	110.0		
15	2015–16	बाबा का पुरवा द्वितीय	मवई	50.0	–	बीहड सुधार	प्रस्तावित
16		रिसाल का पुरवा	मवई	5.0	–	कृषि वानिकी एवं उद्यानीकरण	प्रस्तावित
17		इटहा तृतीय	मवई	5.0	–	कृषि वानिकी एवं उद्यानीकरण	प्रस्तावित
18		कसारी तृतीय	मवई	5.0	–	कृषि वानिकी एवं उद्यानीकरण	प्रस्तावित
	योग–			65.0	–		
	महायोग–			723.50	658.50		

नत्थी 'ङ'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ–155 पर)

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना की चर्चा में जो मा0 सदस्य भाग न ले सके उन्होंने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वह संलग्न है :–

1–वाराणसी वरुणापार क्षेत्र भटवार, विवेकपुरम् कालोनी घोड़हा आबादी क्षेत्र शहरी सीमा में आता है लेकिन यहां बिजली आपूर्ति गांव का है, जब 42 मुहल्ला शहर में आता है, यहां शहरी आपूर्ति दिया जाय।

2–पाण्डेपुर उपकेन्द्र अक्सर खराब रहता है। यहां का भार बांटने की आवश्यकता है।

श्री सुरेश राणा–

माननीय मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में 3 बिजलीघर थानाभवन, नौजल, कैडी मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से स्वीकृत कराये गये हैं, अतिशीघ्र निर्माण कराने का कष्ट करें।

विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों की विद्युत लाइन जर्जर हो गयी है। लाइन बदलवाने का सरकार कार्य करे अध्यक्ष जी मेरे थानाभवन नगर में ।च्च्त्च द्वारा जो 30 ट्रांसफार्मर मैंने स्वीकृत कराये थे अभी 6 बाकी हैं। अतिशीघ्र लग जाएं, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में 3 नगर पंचायत हैं थानाभवन, जलालाबाद, गढ़ीनुढ़ता तीनों को कम से कम 16 घण्टे बिजली दी जाए ग्रामीण क्षेत्र को कम से कम 12 घण्टे बिजली दी जाए। अध्यक्ष जी मीटर के नाम पर जो भारी लूट कर्मचारियों के द्वारा हो रही है उस पर सरकार लगाम लगाए।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी बिजली की चर्चा पर चर्चा करते समय बहराइच जनपद में तथा विशेष कर कैसरगंज विधान सभा में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकार कार्य भी पूरा नहीं कराया जा रहा है फखरपुर वि0ख0 के सुपनीका ग्राम मुसईपुरवा तथा वि0ख0 कैसरगंज के ग्राम चरपिहानी का लोधनपुरवा टेण्डर होने के बाद समान गांव में पहुंचने के बाद छः–छः महीने से काम नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त वि0ख0 फरवापुर में सौगहना का पाण्डेपुरवा, रौदोंपुर का नरकुला, जगतापुर में तथा कैसरगंज में चुलम्हा का बेचई पुरवा आदि तमाम गांवों में छोटे–छोटे काम विभाग के पास पेन्डिंग हैं किन्तु उन्हें पूरा नहीं कराया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आग्रह है कि इन ग्रामों को पूरा करवाने का कष्ट करें।

आपको धन्यवाद।

श्री शेर बहादुर–

महोदय, हमारी निम्न बातें जोड़ी जायं।

;पद्ध खमरिया पेड़ित में 132 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र स्वीकृत है उसे बनाया जाय भूमि व्यवस्था की जाय।

;पपद्ध तहसील धौरहरा में द घटना से जितने लोग करन्ट से मरे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाय।

;पपपद्ध जितने उपकेन्द्रों पर कर्मचारी नहीं हैं उन्हें शीघ्र भरा जाय।

;पअद्ध खराब पड़े ट्रांसफार्मर बदले जायं।

;अद्ध खराब पड़ी व जर्जर विद्युत लाइनें ठीक करायी जायं।

;अपद्ध जिन बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को विद्युत विभाग का अधिक बिल आया है उसे सही कराया जाय।

;अपपद्ध बाढ़ से क्षतिग्रस्त लाइनें पुनः सुधारी जायं।

मेरी इन मांगों को इस चर्चा में जोड़ा जाय।

श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा जो कि बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है जहां लगभग एक लाख की बुनकर समाज की आबादी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा मुबारकपुर में मुश्किल से तीन–चार घण्टे ही बिजली की सप्लाई है और यहां का बुनकर समाज बिजली सप्लाई न मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर है। मुबारकपुर अमिलों, इब्राहीमपुर तथा जहानागंज के बुनकर भाई भूखों मर रहे हैं तथा उनका पावरलूम बन्द पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से मुबारकपुर, अमिलों, इब्राहिमपुर जहानागंज को इन्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित कर दें तथा कम से कम बीस घण्टे बिजली की सप्लाई दे। धन्यवाद।

मो0 जासमिर अन्सारी–

महोदय,

आपसे अनुरोध करना है कि जो भी पावरलूम लगाये गये हैं वह अन्सारियों के बुनकर वाहुल्य कस्बे व गांव हैं उसमें विद्युत सप्लाई ठीक से न मिलने की वजह से उनका उद्योग चलाना बड़ा मुशिकल हो गया है क्योंकि इनका पूरा जीवनयापन इसी पर आधारित है। मैं वो कार्य जो दस्ताकारी कार्य जैसे दरी, चादर का बनाना जो अपने दस्तकारों से पूरे दुनियां में बुनकरों द्वारा माल बनाकर जाता है इसलिये इनको विद्युत का दर कम से कम बिल्कुल नाममात्र होना चाहिए क्योंकि ये लोग इसी पर आधारित हैं। इन बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा विद्युत सप्लाई दिया जाये। क्योंकि मैं बुनकर समाज से ताल्लुक रखता हूं क्योंकि मैं बहुत पिछड़ी कौम से हूं। इनके गांव व कस्बों को चिन्हित करके कम से कम 20 घण्टे बिजली मिलना चाहिए।

श्री राजीव गुम्बर–

महोदय,

सहारनपुर नगर विधान सभा क्षेत्र व पूरे जनपद में बिजली की स्थिति अत्यन्त विकट है। आज नगर में शासन की घोषणा के अनुसार 20–22 घण्टे के स्थान पर मात्र 12–13 घण्टे व जिले में 16 घण्टे के स्थान पर मात्र 5–6 घण्टे बिजली उपलब्ध हो रही है। शहर के लोगों को लगातार अघोषित कट किये जाने से बच्चों की पढ़ाई व व्यपारी की दुकानदारी प्रभावित हो रही हैं रात्रि के कई कई बार कटौती होने से जन–जीवन अस्त व्यस्त है और नागरिकों की नींद भी पूरी नहीं हो पाती।

स्थिति इतनी गंभीर है कि नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर कई–कई दिन तक खराब रहते हैं और इनकी क्वालिटी इतनी खराब है एक–एक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर कई–कई बार फुक रहे हैं। अधिकारियों की लरपरवाही से फाल्ट को पूरा–पूरा दिन ठीक नहीं कराया जाता है।

सहारनपुर नगर की विभिन्न कालोनियों में खम्बें के स्थान पर बल्लियों पर कनेक्शन दिये हुये हैं जिससे दुर्घटनायें घटित हो रही हैं। इन कालोनियों में खम्बें लगाये जाने आवश्यक हैं और कर्मचारी चैकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। इन सब व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है।

श्री राम हेत भारती–

माननीय अध्यक्ष जी,

हमारे निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड–परसेण्डी के ग्राम ढोलई खुर्द, अहमद पुर कंजा, हिकमत पुर मिर्जापुर शाहपुर दलावल, विकास खण्ड–हरगांव के मन्नापुरवा , रतनपुरवा, मुदासन का मजरा, नया गांव, मूढ़ी खेरा, कटियारा दोस्तपुर मझिगवां, नकुरी कला, कटेसर, मोहरसा महावतन पुरवा, बेनी राजा दशरथ पुर तथा बेहटा ब्लाक के ग्राम अमर नगर गुरेला, रमुवापुर, चौरा चनिया मिढनिया पट्टी दहेली, मरसण्डा, मुगलपुर, सैतियापुर तथा विकास खण्ड लहरपुर के ग्राम बिलरिया, सहजादपुर बहेरवा, जगमालपुर की अनुसूचित जाति की आबादी में बिजली के तार चोरी से काट लिये जाने तथा बाढ़, वर्षा व आंधी तुफान से विद्युत पोल टूट जाने व गिर जाने से विद्युत आपूर्ति कई वर्षों से बाधित हैं। कृपया उपरोक्त गांवों के तार खम्भों को ठीक करवाकर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराये जाने का सरकार को आदेश देने की कृपा करें। मान्यवर सबसे खराब स्थिति हरगांव नगर पंचायत हरगांव कस्बे में हैं कुल मिलाकर तीन चार घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिससे हरगांव के कस्बावासी काफी ग्रस्त हैं। माननीय अध्यक्ष जी ट्रांसफार्मर फुक जाते हैं महीनों बदले नहीं दिये जाते हैं बिना पैसे लिए ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते जिससे ग्रामीण लोगों को काफी परेशानी होती है।

धन्यवाद।

श्री इन्द्रपाल सिंह–

महोदय,

आपने विद्युत विभाग पर चर्चा के लिये जो समय दिया मैं इसके लिये आपका आभारी हूं। महोदय हमारी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में विद्युत पूरे क्षेत्र में 2 से 4 घण्टे ही विद्युत आ रही है वह भी फाल्ट हो जाने से वाधित हो जाती है। हमारे यहां सिकन्दरा व डेटापुर दो तहसील के कस्बे हैं शेष देहात है। सिकन्दरा में आज भी लकड़ी के खम्भों

पर बहुत बड़ी–बड़ी लाइनें हैं जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती हैं। महोदय हमारे क्षेत्र में बहुत से मजरे आज भी विद्युतविहीन हैं तथा बहुत से ट्रान्सफार्मर जले पड़े हैं तथा तार भी जर्जर हैं।

अतः आपके माध्यम से अनुरोध है विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा कानपुर देहात में विद्युत व्यवस्था ठीक कराई जावे व जले ट्रान्सफार्मर बदलवा दिये जायें।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मा0 अध्यक्ष जी,

उ0प्र0 में बिजली व्यवस्था के हालात इतना बुरा हैं कि बिजली आती कम है लेकिन जाती ज्यादा है। इससे भी बुरा हाल बलिया जनपद व फेफना विधान सभा क्षेत्र का है। फेफना विधान सभा क्षेत्र में लगभग 3 से 4 घण्टे ही बिजली मिल पा रही है। सोहाव काक के हालात और बुरा है। बिजली प्लान के तहत मा0 मुख्य मंत्री जी ने अरवों रुपये बिजली विभाग को दिया गया जो पुरी तरह से लूट–खसोट कर बिजली विभाग डकार गया। ट्रांसफार्मर के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने 24 घण्टे के अन्दर बदलने का आदेश दिया और विभागीय तौर पर लेकिन किसानों से पैसा लेकर महीनों–महीनों दिन पर जले हुए ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। मैंने अपने विधायक विकास निधि से लगभग 2 करोड़ रुपये बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर, तार व खम्भों के लिए लगभगत 89 गांवों के लिए दिया है। मा0 अध्यक्ष जी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व पैसा देने के बावजूद भी आज तक सभी जगहों पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप सभी जगहों पर नहीं लग पाया है।

मा0 अध्यक्ष जी, अपने विधायक विकास निधि द्वारा दिये गये पैसे की जांच करने के लिए भी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी बलिया को लिखित रूप से विभागीय कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश लगभग पांच माह हो गया फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसलिए मा0 अध्यक्ष जी इस सदन से मांग करता हूं कि दोषीजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी उ0प्र0 के कई जनपदों को 24 घण्टे बिजली मिलती है। यदि 24 घण्टे बिजली पाने का हक किसी जनपद को है तो उसी जनपद का नाम बलिया है जोकि आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका अदा किया है। इसलिए बलिया जनपद को 24 घण्टे बिजली दी जाये। आज स्थिति यह है कि बलिया के देहात इलाकों में 4 या 5 घण्टे व शहरों में 8–9 घण्टे बिजली मिल रही है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी इस सदन से मांग करता हूं कि बलिया की विद्युत व्यवस्था सुधारा जाय।

श्री छोटेलाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 33/11 सब–स्टेशनों पर ठेकेदारों द्वारा सरकार ने कर्मचारी रखे गये हैं। जो अधिकारी और ठेकेदार मिलकर बीच में कमीशनखोरी का कार्य करते हैं। जिससे गरीब कर्मचारी 33/11 सब–स्टेशनों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को समय से तनखा नहीं दी जाती है और ठेकेदार अपनी मनमानी से 3000/– रुपये प्रतिमाह कहीं चार हजार रुपये दिये जाते हैं और अधिकारी बिजली विभाग के जनता को गुमराह करके धोखे से नौकरी लगाने के

वहाने से 20 हजार से 50 हजार रुपये ठगने का कार्य करते हैं जिससे गरीब जनता के साथ धोखा दिया जाता है। दिनांक 20–08–2015 को अधिकारियों ने 33/11 सब–स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन यह कहकर वादा किया किसानों से कि हम आपके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी परन्तु किसानों की जमीन का बैनामा व दानपत्र करवा लिया। किसी भी किसान के बच्चे को जमीन देने के वाद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है जिससे किसानों के साथ धोखा है। मैं मा0 आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिन किसानों ने 33/11 व 132/12 के लिए अपनी कीमती जमीन दी है उस किसान के परिवार के व्यक्ति को संविदा पर या नौकरी पर रखा जाये और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किये जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

बिजली चर्चा–

मेरठ जनपद में नगर निगम क्षेत्र में आउटर क्षेत्र में बिद्युतीकरण नहीं है जिसके कारण कि0मी0 तक बल्ली एवं बांस लगाकर तार खींच दिये गये हैं जिससे रोजाना दुर्घटना का भय बना हुआ है। गरीब व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं 2 कि0वाट के कनेक्शन के लिये गरीब मजदूर से 15 से 20 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं बिजली घर संविदा कर्मचारियों से चलाये जा रहे हैं अवर अभियंताओं की इतनी कमी है कि ज्ण्ळण 2 से कार्य लिया जा रहा है लाईन मैन तक विभाग के पास भी है संविदा कर्मी पूरी तरह से लूट मचा रहे हैं तत्काल भर्ती होनी चाहिये। ट्रांसफार्मर फुकने पर महीनों तक नहीं बदले जाते हैं। पश्चिमआंचल विद्युत वि0 निगम में पिछले छः महीने में संविदा कर्मियों से साथ अचानक लाईट जोड़ देने से लगभग 6–7 कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है इसका जिम्मेदार कौन है। अवैध कालोनियों का तत्काल विद्युतीकरण होना चाहिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर,

ऊर्जा पर चर्चा कराने का धन्यवाद, कृपया इस चर्चा में मेरा यह विषय चुड़वा दीजिये।

(1) ''बिजली की आपूर्ति के घण्टों पर पक्ष–विपक्ष में मतभेद हैं, मेरा सुझाव है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये, जो उत्तर प्रदेश के सभी 18 मण्डलों के 5 नगरीय क्षेत्र, 5 ग्रामीण क्षेत्रों की जनता व सम्बन्धित बिजलीघर के लोग टेबिल के आधार पर विद्युत आपूर्ति के घण्टे आपको रिपोर्ट दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।''

(2) समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में 20 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में तथा 22 घण्टे शहरी क्षेत्र में देने का वादा अभी भी पूरा नहीं है।

(3) भारत सरकार 1500 मैगावाट बिजली देना चाहती है, प्रदेश सरकार ले नहीं रही है।

मेरा आग्रह है, सरकार इन विषयों का संज्ञान ले तथा आपसे आग्रह है कि सदन की एक समिति बनाने का कष्ट करें।

श्री बृजेश कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज बिजली का घोर संकट है जिससे किसानों एवं व्यापारियों में काफी आक्रोश छाया हुआ है मा0 अध्यक्ष जी मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम–मल्लावां के बारे में कहना चाहूंगा कि यह दोनों नगरपालिका हैं परन्तु रात को बिजली का घोर संकट रहा करती है कभी बिजली आती है तो उतनी समय में कई बार बिजली कटा करती है इतना ही नहीं इन नगरपालिकाओं का बिजली तार इतना जीर्णशीर्ण हो गया है जिससे उस तार को बदलने की बहुत ही आवश्यकता है। ट्रांसफार्मर भी अक्सर जले रहते हैं जिससे लोगों को काफी संकट का सामना करना पड़ता है। आज मा0 अध्यक्ष जी सरकार के द्वारा जो रोस्टर बनाया गया है उस रोस्टर के हिसाब से बिजली काफी नहीं आती है। आज किसानों को सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है परन्तु बिजली पर्याप्त होने के कारण किसानों को सिंचाई करने में काफी असुविधा हो रही है। इसी तरह से मेरे यहां दो–दो नगर पंचायते माहायगंज और कुरसठ है जहां पर व्यापारियों को पर्याप्त बिजली न मिलने से व्यापारी भी काफी आक्रोशित रहते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यमे से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था तत्काल ठीक कराई जाये एवं जीर्णतार को तत्काल बदलवाने की व्यवस्था की जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी,

मेरी विधान सभा क्षेत्र 135– शाहजहांपुर में 20 ट्रांसफार्मर 100 के0वी0ए0 के और 25 ट्रांसफार्मर 63 के0वी0ए0 के बदलकर लगना है। ऐसे 45 क्षेत्र हैं जहां क्षमता से अधिक कनेक्शन होने के कारण ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं, तुरन्त बदले नहीं जाते जनहित में यह आवश्यक है।

2. शाहजहांपुर नगर में अधिकांश मोहल्लों में लकड़ी के खम्भों परगुच्छों के रूप में तार लटक रहे हैं। जनहित में लकड़ी के खम्भे बदलकर सीमेंट या लोहे के खम्भे तथा केबिल व्यवस्थित रूप से टांग जायें जिससे दुर्घटना की आशंका निर्मूल हो सके।

3. आपात कटौती के नाम पर निर्धारित रोस्टिंग के अतिरिक्त 6–8 घंटे आपात कटौती अतिरिक्त हो रही है। यह बहुत तकलीफदेह है। हर हालत में इसको बंद किया जाये तथा विद्युत की सप्लाई रोस्टर के अनुसार निर्बाध रूप से करायी जाये।

चौ0 गजेन्द्र सिंह–

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के अनूपशहर गंगा किनारे बसा होने के कारण छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। जहां

प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालू गंगा स्नान कर वहां मन्दिर, मस्जिद व गुरूद्वारों में दर्शन करते हैं। अनूपशहर क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वर्ष अभी तक वर्षा न होने के कारण किसान अपनी फसल की सिंचाई ट्रेक्टर, डीजल इंजन से अपना खून पसीना लगाकर पाल रहा है। वर्तमान में विद्युत की व्यवस्था चरमराई हुई है। जिस वजह से गरीब किसान भूखमरी के कगार पर पहूंच गया है। वर्तमान माह मुस्लिमों के रमजान का महीना चल रहा है दूसरी तरफ हिन्दुओं का त्यौहार महाशिवरात्री भी पड़ रही है। अनूपशहर क्षेत्र के किसान मजदूर मुस्लिम सभी बिजली की कमी के कारण परेशान हैं यहां पर मैं आपको यह भी अवगत कराता हूं कि अनूपशहर क्षेत्र के औरंगाबाद, जहांगीराबाद, अनूपशहर व ग्रामीण क्षेत्र को पूर्व में भी सदैव से पर्यटन क्षेत्र होने के कारण 16 से 18 घण्टे डबल ग्रुप विद्युत आपूर्ति मिलती है। लेकिन वर्तमान में काफी समय से क्षेत्र के नगर व ग्रामीण क्षेत्र को प्रयाप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। जिससे एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग रोजों के दिनों में बिजली न मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस सूखे के दिनों में भी किसान को पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण जो फसल किसान ने अब तक अपना खून पसीने की कमाई लगाकर पाली थी वो फसल भी बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाली है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग जहां सिंचाई के लिए बिजली ना मिल पाने के कारण आये दिन बिजली के लिए आन्दोलन कर रहे हैं वहीं रमजान रखने वाले मुस्लिम समाज के लोग भी प्रत्येक दिन तरह–तरह से बिजली की मांग के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। उपरोक्त सारी परिस्थितियों के सम्बन्ध में पूर्व में भी विद्युत डबल ग्रुप आपूर्ति की मांग आपसे की गई थी जिसमें आपके द्वारा पूर्व में आदेश भी किए गये थे, लेकिन क्षेत्र के औरंगाबाद, जहांगीराबाद, अनूपशहर व ग्रामीण क्षेत्र को डबल ग्रुप विद्युत आपूर्ति नहीं मिल सकी है। अतः आपसे अनुरोध है कि विधान सभा के तीनों शहरों में व ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि 7 से 5 व दिन में 7 से 5 बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति किसान अपने खेतों की सिंचाई, रमजान व महाशिवरात्री को दृष्टिगत रखते हुए 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति शीघ्र दिलाने का कष्ट करें। अगर विद्युत आपूर्ति नहीं मिलती है तो हम आन्दोलन करने के लिए बाध्य हैं, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासन और सरकार का होगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी,

बिजली का आना–जाना आदमी के सांस लेने की तरह है। बिजली की निरन्तरता बनाये रखने के लिये जरूरी अवस्थापना सुविधाओं का जिला स्तर पर बहुत अभाव है। आपूर्ति की अव्यवस्था एक तरफ विद्युत उत्पादन, पारेषण की पर्याप्त कुशलक्षमता है तो दूसरी ओर निरंतर आपूर्ति बनाये रखने, कोई क्षति की तत्काल ठीक कराने हेतु पर्याप्त मानव मजदूर शक्ति की कमी है। इस समय संविदा पर रखे मजदूरों का वेतन और अन्य देय इतने कम हैं कि उनसे ठीक काम करने की आशा करना संभव नहीं है। लगभग 30,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं जिनकी भर्ती की घोषणायें तो होती हैं किन्तु नियुक्ति आकाश कुसुम की तरह है। बिना स्थायी काम करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों के निरन्तर आबाधित विद्युत आपूर्ति सम्भव नहीं हैं अतः अतिशीर्घ रिक्त पदों को पूर्ति करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांसफार्मर, बंच कंडक्टर केबिल, विद्युत खम्भे आदि ए0आर0पी0/डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत परिवर्तित करने की योजना यू0पी0ए0 कांग्रेस सरकार की थी जो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद फेज–1, फेज–2 अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। घनी आबादी वाले मुहल्लों में विद्युत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता विद्युत खम्भे, केबिल अपने द्वारा लेकर लगाते हैं जिससे वहां पर बल्लियों–बांसों पर गुच्छे–गुच्छे तार लगे होते हैं जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका रहती है। विद्युत कनेक्शन हेतु सारी अवस्थापना विभाग द्वारा ही करायी जानी चाहिये।

अतः उपरोक्त सुझावों/मांगों के साथ इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री दीपक पटेल–

मा0 अध्यक्ष जी,

सदन में बिजली की गम्भीर चर्चा पर समय देने के लिये बहुत–बहुत आभार आपका। मा0 ऊर्जा विभाग की बहस है हमारे मुख्य मंत्री जी जो ऊर्जा विभाग के कबीना मंत्री भी हैं नौजवान हैं ऊर्जावान है यासरशाह जी जो राज्यमंत्री है नौजवान हैं हमारे अच्छे मित्र हैं लेकिन इन दोनों नौजवानों की ऊर्जा कहां विलुप्त हो गई हैं इनका करेंट कहां चला गया। मा0 यह जांच का विषय है। समय का अभाव है प्रदेश के बिजली संकट के बारे में बहुत से मा0 सदस्यों ने अपनी बात कही है। मैं अपने जनपद–इलाहाबाद के यमुनापार इलाके में बिजी संकट की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

मा0 जनपद–इलाहाबाद के यमुनापार इलाके जो बुदेलखण्ड होने के नाते 16 घण्टे आपूर्ति का शासनादेश है किन्तु पिछले एक वर्ष में 6 घण्टे की निर्बाध बिजली नहीं मिल पायी है। रोस्टर अनिश्चित है देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि पूरी रात बिजली नहीं आती रोस्टर के मुताबिक बिजली नहीं दी जा रही है। पूरी रात बिजली गायब रहती है बिजली के लिये हाहाकार है। मैं इस चर्चा के माध्यम से आपके माध्यम से इलाहाबाद के रोस्टर को बदलवाने की मांग करता हूं और रात्रि में बिजली की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।

एक लाइन के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रदेश में बिजली नहीं दवाई हो गयी है एक घंटा सुबह एक घंटा दोपहर एक घंटा शाम। यह प्रदेश वासियों का दर्द है मान्यवर बहुत–बहुत आभार आपका।

डा0 अरूण कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी,

बरेली नगर निगम क्षेत्र के बरेली विधान सभा में आने वाले कुछ गांव जो बरेली महानगर में लगभग 30 साल पहले जुड़े उन क्षेत्रों में विद्युत सम्बन्धित विकास कार्य लगभग न के बराबर हुये । शहरी क्षेत्र में उन्हें शहर नहीं माना क्योंकि उनकी विद्युत सप्लाई एस0ई0 रूरल के जरिये होती है तथा ग्रामीण क्षेत्र ने उन्हें ग्रामीण नहीं माना क्योंकि अब वह क्षेत्र महानगर के हिस्सा है। इस बजह से उन क्षेत्रों को किसी योजना का लाभ नहीं मिला आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना या अन्य किसी शहरी योजना जो

शहर के लिये आया उसका लाभ नहीं मिल सका और न ही ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ मिल सका।

श्री राजबली जैसल–

मा0 अध्यक्ष जी इसी तरह से हमारे यहां लोहरा पम्प कैनाल एवं लखनपुर पम्प कैनाल पर बिजली न होने के कारण लिफ्ट नहीं चल पा रही है किसानों को सिंचाई की व्यवस्था लिफ्ट के अलावा सिर्फ भगवान के ही सहारे रहना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में सिंचाई की ओर कोई व्यवस्था नहीं है जबकि मेरे क्षेत्र में बिजली बुन्देल खण्ड की मिलती है।

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि तत्काल दोनों लिफ्ट कैनाल लोहरा एवं लखनपुर में बिजली की आपूर्ति तत्काल ठीक किया जाय जिससे किसानों का हित हो सके।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी–

आपका बहुत–2 धन्यवाद आपने लिखित में देने पर कार्यवाही में जुड़वाने की बात कही। मेरे विधान सभा क्षेत्र–खुर्जा में विगत तीन वर्ष से विभाग द्वारा अरनिया बिजलीघर की घटाल और सूरजावली फीडर के तार प्रतिदिन टूट जाते हैं और स्पदम स्वे होता है विभाग को बार–बार कहने पर ध्यान नहीं दे रहा है उसे शीघ्र कराया जाय तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में 50–55 करोड़ रुपये का तत्कालीन केन्द्र की डा0 मनमोहन सिंह की सरकार के समय से कार्य चल रहा है लेकिन धीमी गति है गति को बढ़ाई जाये। राजीव गांधी विद्युत योजना–1 में विद्युतीकरण किया गया लेकिन कई जगह ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचे कहीं पहुंचे तो आधे अधूरे व कनेक्टवीटी नहीं मिली तथा विल आ रहे हैं उसे निस्तारित कराने की सरकार को आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। समस्या पैदा होते ही हम कभी भी अपनी तहसील, जिला प्रदेश के अधिकारियों से मण्डल सहित वार्ता रात में 12 बजे भी हो जाती है और समस्या को गम्भीरता से लेते हैं लेकिन एक बात कहना चहाता हूं दूसरे जिला अलीगढ़ के कस्बा जेबर वंकापुर की सप्लाई है वहां किसान और स्थानीय व्यक्ति ग्राम में बिजलीघर है लाईन काट देते हैं उसे गम्भीरता से लिया जाये जहां तक ट्रांसफार्मर की समस्या 72 घण्टे में नहीं तो 100 घण्टे में हो जाता है। वैसे तो त्ण।ण्च्यक्ण्त्ण्च्य योजनान्तार्गत 20 हजार लगभग खम्भे व हजरों छोटे–बड़े ट्रांसफार्मर मेरे क्षेत्र में डा0 मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकृति व कार्य शुरू कर दिया था लेकिन गति धीमी पर ध्यान दें यह बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं साथ–साथ यह भी कहना चाहता हूं कि 89 से कांग्रेस सरकार के वाद 12–13 ब्ण्डण् बने 25–26 वर्ष हो गये। एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन तो दूर कारखानों की मरम्मत व नये कारखाने भी नहीं लगे मा0 श्री अखिलेश यादव जी सरकार ने यह कदम उठाकर कि प्रदेश में 10–11 बड़े छोटे कारखाने लगाकर 2016–17 तक विद्युत में उ0प्र0 विद्युत पर आत्म निर्भर हो जायेगा। इस कदम के लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश निषाद–

महोदय,

मान्यवर, आपने मुझे विद्युत विभाग के अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी हमारे विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में विद्युत दो घण्टे भी नहीं ठीक से मिलती है। जो रोसटिंग होती है उसकी हालत बहुत खराब है मा0 अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में जो लोहिया गांव चयनित हैं उसमें अभी तक बिजली के खम्भे गड़े गये लेकिन अभी तक उस पर अभी तक तार नहीं खींचा गया। उसको खिंचवाने का कष्ट करें। मा0 अध्यक्ष महोदय आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चौरी–चौरा में अभी भी बीसों गांव में ट्रान्सफार्मर जले हैं लेकिन उनको अभी महीनों से बदला नहीं गया। मा0 अध्यक्ष महोदय कई गांवों में पोल व तार जर्जर हो गये हैं लेकिन अभी तक उनको बदला नहीं गया और मा0 अध्यक्ष महोदय कई गांव में कई–कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन तारों व जर्जर पोल को तत्काल बदलवाकर इन घटनाओं को रोकने का काम करें। मा0 अध्यक्ष महोदय बिजली की जो रोस्टर बनाये गये उनको नियमित बनाए रखने के लिये सरकार उन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसे और ठीक करायें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

माननीय अध्यक्ष जी,

आपने हम सदस्यों को लिखकर देने के लिए कहा है तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बिजली के चर्चा में बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां पोल तथा लाइन नहीं पड़ी है। मा0 अध्यक्ष, आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार हमारे क्षेत्र में पोल व लाइन लगवाने का कष्ट करें जिससे आम जनता जो मेरे क्षेत्र की है, उसे कष्टों से दूर किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निम्न क्षेत्रों के बारे में बता रहा हूं कि हमारे क्षेत्र के कोयला प्रयोग पुरम में लगभग 10 पोल, राधा पुरम कोयला नगर 6 पोल, कोयला नगर 5 पोल, न्यू आजाद नगर 50 पोल, राधिका इण्टर कालेज 6 पोल, भवानी नगर में 3 पोल, मंगला विहार मजरा बुद्ध आश्रम 10 पोल, भवानी नगर में सूरज सिंह के घर के बगल 7 पोल, न्यू आजाद नगर इण्टरमीडिएट एजूकेशन 6 पोल, सतवरी रोड साहू आटा चक्की 4 पोल, आदर्श विहार सुजानपुर 5 पोल, न्यू आजाद नगर म0 नं0 178 4 पोल, प्रयाग पुरम नगर 5 पोल, मंगला विहार राजेश राजपूल वाली गली 4 पोल, राधा पुरम न्यू आजाद नगर 143 बी के 3 पोल, राधापुरम कोयला नगर 8 पोल, पुरम कोयला नगर 12 पोल, न्यू आजाद नगर में 40 पोल, देहली सूडा आदर्श विहार में 8 पोल, आदर्श विहार 37 म0नं0 6 पोल, सनस स्कूल 4 पोल, अमृत पुरम कोयला नगर 8 पोल, गंगा नगर 3 पोल, जकपुरम मोहनी गेस्ट हाउस 8 पोल, आजाद नगर म0नं0 178 पोल 5, 19 ए से 8 ए 4 पोल, आदर्श विहार देहली सुजानपुर म0 नं0 4 5 पोल, राधापुरम श्याम गंगा म0नं0 14 के पास 5 पोल, न्यू आजाद नगर 8 पोल, श्याम नगर म0नं0 72 से 75 तक 5 पोल, श्याम नगर सरयू प्रसाद मेमोरियल स्कूल के पीछे 10 पोल, लगभग 20 पोल, हरियाणा दाल मिल के बगल में बस्ती पोल, जगई पुरवा बस्ती में 20 पोल, बंगाली घाट के पास शिवकटरा की बस्ती के पास 25 पोल दिलवाने तथा आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र में मंत्री जी पोल तथा जहां जरूरत हो वहां तार लाइन डलवाने का कष्ट करें। बहुत–बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे जनता की बात रखने का मौका दिया।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी,

मेरी विधान सभा क्षेत्र दिनांक 20 अगस्त, 2015 सिकन्दराबाद में बिजली की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है तहसील स्तर पर 15 से 16 घंटे बिजली आनी चाहिये लेकिन मान्यवर मुश्किल से 8 से 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है गांवों में बिजली आपूर्ति मुश्किल से तीन से चार घण्टे बिजली आती है वो भी दो से तीन दिन के बाद मान्यवर, गांव में बरसात नहीं होने के कारण सिंचाई के लिये बिजली की आवश्यकता है कृपया गांव में बिजली नियमित आये और रोस्टर के अनुसार दिन में तीन से चार घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

मान्यवर, गुलावढ़ी नगर होने के बावजूद वहां पर मुश्किल से 7 से 8 घंटे बिजली मुश्किल से दी जा रही है। कृपया गुलावढ़ी नगर में कम से कम 12 से 14 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

मान्यवर, पीर बियाबानी व दुल्हरा, बाराल बिलसुरी आदि में ट्रांसफार्मर अतिभारित है कृपया इन्हें बदलवाया जाये।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में कई तरह के घोटाले पिछले वर्ष में सामने आये हैं जिसमें ट्रांसफार्मर की खरीद का घोटाला प्रमुख है तथा जले हुए ट्रासफार्मर भी समय से नहीं बदले जा रहे हैं। सम्पूर्ण महानगर में ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं जिसके कारण लो–वोल्टेज की समस्या लगातार बनी हुई है। बिजली आपूर्ति का समय निश्चित न होने के कारण आमजन में अत्याधिक रोष है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बागपत रोड, भोला रोड, कंकरखेड़ा आदि में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण न होने के कारण बिजली के खम्भों के स्थान पर बांस एवं बल्लियों पर लाईन खींच दी गयी है जिसके कारण लगातार दुर्घटना का भय बना हुआ है इन क्षेत्रों में ज्यादातर गरीब मजदूर निवास करते हैं। 01 किलावाट कनेक्शन के लिए उनसे 15–20 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। मजदूरी करने वाला व्यक्ति 20 हजार रुपया कहां से लायेगा। गले हुए टूटे खम्भे बदलने की तत्काल आवश्यकता है। विभाग में लाईनमैन, अवर अभियन्ताओं की भयंकर कमी है जिसके कारण लाईनमैंन का कार्य संविदा कर्मियों से तथा अवर अभियन्ताओं का कार्य टी0जी0–2 कर्मियों से लिया जा रहा है। कई–कई बिजली घर पर एक–एक अवर अभियन्ता या टी0जी0–2 नियुक्त है जिसके कारण भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। विभाग में अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ होनी चाहिए। कर्मचारियों की कमी के कारण पिछले एक वर्ष में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में लाईनमैन संविदा कर्मियों की अचानक बिजली चालू होने के कारण 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इसके लिए कौन जिममेदार है ? क्या दो–तीन लाख देकर उसके पूरे परिवार का जीवन यापन हो सकता है ?

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी,

वर्तमान में भीषण विद्युत कटौती के कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है। जहां पर बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण एवं विद्युत की कटौती के कारण उद्योगों को पलायन होने को मजबूर होना पड़ रहा है वहीं पर व्यापारी परेशान हैं। रात में बिजली न होने के कारण बच्चे सो नहीं पाते और अवसादग्रस्त हो जाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है। कानपुर महानगर में 6 से 8 घंटे तक की विद्युत कटौती हो रही है जिसे तत्काल बंद किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कम वर्षा होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी की महती आवश्यकता है। बिजली आपूर्ति न होने के कारण किसान अपना ट्यूबवेल चलाने में भी असमर्थ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है जिससे किसान अपनी खेती को बचाने के लिए भी परेशान हो रहा है। पिछले सत्र में अतिवृष्टि के कारण पहले ही किसान काफी नुकसान झेल चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए कम से कम 12 घंटे विद्युत आपूर्ति किए जाने की मांग करता हूं। विद्युत दरों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी से प्रदेश में नए उद्योग नहीं लग रहे है।। घरेलू विद्युत की दरों में लगभग 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। सरकार के आने के बाद बिजली की दर लगभग दोगुनी हो गयी है। निजी विद्युत कम्पनियों से मंहगी दर पर बिजली खरीद हो रही है जबकि भारत सरकार से कम दरों पर बिजली प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार ने विद्युत आपूर्ति हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवं आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये देती हैं जिससे कानपुर महानगर को 460 करोड़ रुपये केस्को को अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु, लगभग 200 करोड़ रुपये कानपुर ग्रामीण भाग के विद्युत सुधार हेतु दिये गये हैं। इसमें ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, नए सब स्टेशन बनाने, एवं अव्यवस्थित विद्युत सप्लाई, बल्लियों में लटकते तार आदि को व्यवस्थित कराने का कार्य कराया जायेगा।

ऐसी परिस्थिति में मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विद्युत कटौती तत्काल बंद की जाए एवं भारत सरकार से प्राप्त पैसे का तत्काल उपयोग कर समुचित विद्युत आपूर्ति हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं बिजली की दरों को सुसंगत करते हुए इसमें संशोधन किये जाने की मांग करता हूं।

पी0एस0यू0पी0–एल0 188 विधान सभा (346)–19–1–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर / आफसेट)।